राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] ग्यारहवीं विधान सभा के अष्टम सत्र का नवां दिवस [संख्या : 6

मंगलवार

26 मार्च, 2002

राजस्थान विधान सभा की बैठक
11.00 बजे विधान सभा भवन,
जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या-119

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)। श्री भंवरलाल शर्मा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

राजस्थान पर्यटन विकास निगम के होटल एवं मिडवे का विक्रय

120. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित होटल एवं मिडवे को बेचने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो उक्त की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अब तक कितने होटल एवं मिडवे बेचे गये एवं उक्त से कितनी राशि प्राप्त हुई? होटल का नाम, प्राप्त राशि तथा क्रेताओं के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त होटल एवं मिडवे में कार्यरत कर्मचारियों के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया?

राज्य मंत्री पर्यटन (श्रीमती बीना काक) : (1) जी नहीं। इस बाबत अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(2) शून्य।

(3) लागू नहीं होता।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह निर्णय कब तक कर देंगे आप?

श्रीमती बीना काक : बेचान का?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपने निर्णय किसका बाकी रखा, उसी का आपका निर्णय अभी नहीं हुआ तो किस विषय का नहीं हुआ और कब तक कर देंगे, यह पूछ रहा हूं।

श्रीमती बीना काक : पहेलियों में न बताएं, साफ-साफ पूछें, क्या प्रश्न है? अगर पाइंटेड सवाल है तो पूछें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, बिलकुल पाइंटेड सवाल है। आपने यह कहा है कि निर्णय अभी तक नहीं हुआ तो जो निर्णय नहीं हुआ वह कब तक हो जाएगा? यह पूछ रहा हूं आपसे।

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यटन सम्बन्धित जो इकाइयां हैं उनके निजीकरण के बारे में राज्य सरकार बहुत गम्भीरता से विचार कर रही है। यह सर्वमान्य है कि चाहे केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकारें, व्यावसायिक गतिविधियों में इनके द्वारा भाग लेते रहने का तेजी से बदलते परिदृश्य में अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। सरकारों का हम यह मानते हैं कि प्रयास होना चाहिए कि इस प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों का निजीकरण किया जाए। निजीकरण कब किया जाएगा, यह एक विचार का मसला है, इसके ऊपर राज्य सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है। कोई एक तारीख तय नहीं हुई है कि इस दिन तक हम तय कर देंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, इसमें निर्णय के बिन्दु क्या-क्या हैं जिन पर आप विचार करेंगे? कौन-कौन से बिन्दु हैं जिन पर निर्णय करेंगे, वह बता दीजिए? और यह बता दीजिए कि ये जो भी उपक्रम आपके हैं इनमें केन्द्र सरकार की भी कोई पूंजी लगी है क्या?

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : माननीय अध्यक्षजी, मैं भी दो ही सवाल पूछ लूं, उसका जवाब भी दे दें यह।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक एक का आ जाने दो, नहीं तो यह टाल जाएंगे।

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम की जो इकाइयां, जो होटल, जो मिडवे अभी संचालित कर रहे हैं उनको राजस्थान सरकार प्राइवेटाइज करना चाहती है। प्राइवेटाइज एक भागीदारी के रूप में करेगी या इनको लीज आउट करेगी या बेचान करेगी, यह एक विचार का बिन्दु है और इसके ऊपर विचार चल रहा है। बेचान, भागीदारी या इनको टोटली लीज आउट करना, कितने वर्षों के लिए करना, यह विचार चल रहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इसमें केन्द्र सरकार का भी पैसा है क्या? इन सब में केन्द्र सरकार की भी पूंजी लगी हुई है?

श्रीमती बीना काक : एकाध यूनिट्स में हैं, बाकी सभी जो यूनिट्स ज्यादातर हैं वे राजस्थान सरकार की ही मिल्कियत है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपने एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा है कि सब में केन्द्र सरकार की पूंजी लगी हुई है, अब आप एक दो के लिए ही कह रही हैं। मेरे पास वह उत्तर है जिसमें आपने कहा है कि सब में ही केन्द्र सरकार की पूंजी लगी है। अब जहां केन्द्र सरकार की पूंजी लगी है, उनको भी आप निजीकरण में दे देंगे, उनके बिना पूछे ही?

श्रीमती बीना काक : मिल्कियत राजस्थान की है, केन्द्र सरकार इनको प्रमोट करने के लिए अपनी एड देती है। वह तो सभी डवलपमैंट एक्टिविटीज में देती है लेकिन जो मिल्कियत है वह राजस्थान की है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : मैं यह जानना चाहता हूं, माननीय मंत्रीजी, जो पर्यटन इकाइयां, होटल वगैरह मुनाफे में चल रही हैं, राज्य सरकार उनका तो निजीकरण नहीं करना चाहती है न? जो कुछ इकाइयां हमारी लाभ में चल रही हैं उनका निजीकरण तो नहीं किया जाएगा न?

श्रीमती बीना काक : इसके बारे में विचार किया जा सकता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी यह बताएं, जब सब चीजों में व्यापारिक संगठन के बतौर ही काम करना है सरकार को, फिर सरकार अपने आपको कल्याणकारी क्यों कहें ?

श्रीमती बीना काक : हम तो मान रहे हैं, जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उनका निजीकरण क्योंकि एक्सपर्टीज निजी हाथों में बहुत अच्छा रहता है और वे बहुत अच्छी तरह से इनको संचालित कर सकते हैं। इसलिए हम इनका निजीकरण करना चाहते हैं, केन्द्र सरकार भी, राजस्थान सरकार भी और अन्य सरकारें भी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : निजीकरण हो जाएगा तो डबल पेमेंट कैसे होगा फिर? (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : भारत सरकार ने भी उन्हीं इकाइयों का निजीकरण किया है जो पिछले तीन सालों से घाटे में चल रही हैं। क्या राज्य सरकार भी मानदण्ड बनाते समय इस बात को ध्यान में रखेगी कि जो इकाइयां मुनाफे में चल रही हैं, उनका निजीकरण न किया जाए ?

श्रीमती बीना काक : अगर फायदे में भी चल रही हैं, अगर राज्य सरकार के यह हित में है कोई अच्छी बिड मिलती है और अगर उस प्रोपर्टी का कोई और भी अच्छा उपयोग हो सकता है तो उसको भी लीज आउट या बेचान किया जा सकता है और उस पैसे को फिर इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट में राजस्थान में काम में लिया जा सकता है।

श्री जुगल काबरा (जोधपुर शहर) : मंत्री महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार की तरफ से इस सम्बन्ध में कोई गाइडलाइन राजस्थान सरकार को मिली हैं क्या ?

श्रीमती बीना काक : किस सम्बन्ध में ?

श्री जुगल काबरा : प्रोपर्टी बेचने के बारे में।

श्रीमती बीना काक : जी, नहीं। भारत सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की गाइडलाइन राजस्थान सरकार को क्यों मिलेगी ?

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि अब तक निजी क्षेत्र से कोई प्रस्ताव आर.टी.डी.सी. की होटल्स और मिडवे को लीज आउट करने या बेचान करने के लिए आये हैं क्या ?

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के पर्यटन विकास निगम द्वारा जनवरी, 2001 में कुछ निविदाएं फ्लोट की गयी थीं, कुछ यूनिट्स हैं जिनको लीज आउट करने का निर्णय लिया गया था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : मंत्रीजी, अभी तो आप कह रही थीं कि निर्णय लिया नहीं, नीतिगत निर्णय है और अभी आप कह रही हैं कि लीज करने का निर्णय....

श्रीमती बीना काक : बेचान की बात है, माननीय सदस्य, बेचान के ऊपर कोई निर्णय नहीं किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रश्न यह था...

श्रीमती बीना काक : लीज आउट करने का।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने यह कहा था कि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है और अब आप कह रही हैं कि ऐसे 17 होटल बन रहे हैं।

श्रीमती बीना काक : कृपया तशरीफ रखें। सवाल यह था, आप पुनः पढ़ लें, क्या यह सही है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित होटल एवं मिडवे के बेचान का निर्णय लिया गया है। उसके बाद भंवरलालजी शर्मा, माननीय सदस्य ने उठकर यह कहा कि इसके ऊपर क्या निर्णय लिया, वह मैंने कहा विचाराधीन है। जहां तक लीज आउट करने की बात है, उस लीज आउट करने की मैं कह रही हूं कि 2001 में उनसे लीज आउट करने के लिए निविदाएं मांगी थी जिनकी आफर हमें प्राप्त हुई है और उसके ऊपर एक कमेटी बैठी है उसका निर्णय होना है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप यह बता दें, जो आपने आफर मांगी है, लीज आउट करने के लिए उसमें धरोहर राशि कितने प्रतिशत थी और लाइसेंस फीस कितनी-कितनी आपने निर्धारित की थी और इनके निर्धारण का तरीका क्या है—धरोहर राशि और लाइसेंस फीस ?

श्रीमती बीना काक : जो सवाल बेचान का था, आप अलग से मुझे लीज आउट वाला पूछें, मैं एक-एक धरोहर राशि आपको बिलकुल ट्रांसपरेंसी रखते हुए एक-एक चीज का जवाब दे दूंगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जब मंत्री महोदय का निर्णय आ गया था कि 17 ऐसे होटल हैं जिनको लीज आउट करने के लिए इन्होंने एन.आई.टीज. फ्लोट कर दीं तो यह पूछने का अधिकार तो हमें है कि उनमें किन शर्तों पर की इन्होंने क्या शर्तें रखीं जिस आधार पर आपने निविदाएं आमंत्रित की, वे शर्तें तो बताइये ?

श्री अध्यक्ष : बेचान का निर्णय नहीं लिया है, लीज आउट करने का निर्णय लिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इन्होंने लीज की बात कही। इन्होंने खुद ने स्वीकार किया है।

श्री अध्यक्ष : प्लीज, टेक योर सीट, वह निर्णय नहीं लिया है। वह मैटर अभी तक पैंडिंग है वह निर्णय सरकार आगे करेगी फाइनल जाकर। लीज आउट करने के बाद में जो आफर आये हैं...

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब निविदाएं आपके पास सब कुछ 17 होटल की आ चुकी हैं और आपने 2001 में ही ये निविदाएं मंगा ली थीं और जो टेंडर आपने मंगा लिये, आमंत्रित कर लिये, उनका निर्णय आगामी दो महीने, तीन महीने, छह महीने, कब तक हो जाएगा ?

श्रीमती बीना काक : यह 17 साल की फीगर कहां से आयी ? मैंने तो कुछ नहीं कहा 17 के बारे में, 17 क्या है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह हमारी जानकारी में है।

श्रीमती बीना काक : 17 कहां से आ गया? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप बता दें, आपने निविदाएं कितने होटल्स के लिए कीं? (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : कितनों के लिए आयी हैं, आप बताएं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप बता दें।

श्री मानिक चन्द सुराना : कि कितनों के लिए टेंडर आ चुके।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कि कितनों के लिए आपने निविदा आमंत्रित की, आप बता दीजिए?

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, 2001 में जब आमंत्रित हो गयीं और अब 2002 चल रहा है, तीन महीने 2002 के गुजर गये तो हम जानना चाहते हैं कि कितना समय इसके निर्णय में लगेगा? लीज आउट करना है या नहीं करना है? सरकार लीज आउट करे न करें, इसमें हमारी कोई रुचि नहीं है। पर लगता है कि सरकार की नीति लीज आउट करने और बेचान करने की है तो हम यही जानना चाहते हैं कि इस निर्णय को कब तक करेंगी?

श्री अध्यक्ष : निर्णय सरकार के विचाराधीन है? लीज आउट करने का निर्णय विचाराधीन है?

श्रीमती बीना काक : जी हां, अध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, की बात का जवाब दो न पहले आप।

श्रीमती बीना काक : हां, वही तो दे रही हूं, बिलकुल-बिलकुल। अध्यक्ष महोदय, कुछ यूनिट्स के टेण्डर्स आमंत्रित किये गये थे, एक कमेटी है जो इस पर निर्णय लेती है और इस कमेटी ने पांच मार्च को इन निविदाओं को एग्जामिन किया है। पांच यूनिट्स को तो फाइनल कर दिया है इस कमेटी ने और दो यूनिट्स को सेल करने की रिकमंडेशन दी है। जो शायद 17 कह रहे हैं, जो निविदाएं अखबार में जारी की गयी थीं उसमें पांच पर कोई आफर नहीं आयी थी। तो पांच को जो टेण्डर्स फ्लोट हुए थे, दे दिया था, दो को सेल की रिकमंडेशन है, अध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कमेटी ने जिनके सेल की रिकमंडेशन की है और जिनको लीज पर देने की रिकमंडेशन दी है, आप उसको मान रही हैं या नहीं मान रही हैं, यह तो बता दो? कमेटी ने दो यूनिट्स सेल करने की रिकमंडेशन दी है और पांच को लीज आउट करने की रिकमंडेशन दी है उनको आप स्वीकार कर रही हैं? और स्वीकार कर रही हैं तो किन शर्तों पर कर रही हैं? मैं लीज आउट की बात कर रहा हूं।

श्रीमती बीना काक : मैं बार-बार आपसे कह रही हूं बेचान का भी आपने पूछा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं-नहीं, मैं लीज की बात कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं बेचान की बात नहीं कर रहा हूं। मंत्री महोदया ने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यह कहा कि दो ऐसी यूनिट्स हैं जिनको तो बेचने की समिति ने सिफारिश की है और पांच यूनिट्स को लीज़ पर देने की सिफारिश की है तो क्या आप उनकी सिफारिश को मान रहे हैं?

श्रीमती बीना काक : बिलकुल, कमेटी की जो सिफारिश है उसको राज्य सरकार मानेगी तभी तो उनको यह अधिकार दिया गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो, मंत्री महोदया, किन शर्तों पर? निविदा की शर्तें क्या थीं, धरोहर राशि कितनी थी, लाइसेंस फीस कितनी रखी थी, यह तो बता दें आप?

श्रीमती बीना काक : अध्यक्ष महोदय, इस वक्त धरोहर राशि, लाइसेंस फीस की डिटेल्स मेरे पास नहीं है लेकिन बोली का मूल्यांकन, बोली लगाने वाले होटल, उद्योग में कितना अनुभव रखते हैं, उनकी वित्तीय स्थिरता क्या है, यह सब मूल्यांकन करने के बाद ही इन्हें लीज किया जाता है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (अटरू) : मंत्री महोदया तैयारी करके नहीं आयी हैं। (व्यवधान) तैयारी करके आया करो। मंत्री महोदया ऐसे ही उठ कर आ जाती हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, लाखों की सम्पत्ति कौड़ियों के दाम दी जा रही है। (व्यवधान) लाखों की सम्पत्ति, झुंझुनूं के अन्दर जिन होटलों पर लाखों रुपये, 30-30 लाख रुपये खर्च हुए वे 500-700 रुपये की धरोहर राशि पर दे रहे हैं, यह नीति है आपकी?

श्रीमती बीना काक : लाखों की राशि की बात तो कर रहे हैं, होटल अशोक का क्या हुआ, यह तो बता दीजिये? करोड़ों की जमीन राज्य सरकार की मिल्कियत चार करोड़ के अन्दर आप...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप उसी लाइन पर चल रही हैं न? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह स्पेसिफिक सवाल और होटल अशोक...(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : ...फ्लैट रेट लगाकर उनको कर रहे हैं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह सम्बन्धित नहीं है। (व्यवधान) अगला सवाल कीजिये, अध्यक्ष महोदय।

श्री मानिक चन्द सुराना : क्या होटल अशोक के विक्रय से आप प्रेरणा ले रही हैं? आप होटल अशोक की बात कर रही हैं, उसको रुकवाने की भी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सुरानाजी, एक ही पार्टी के इतने व्यक्ति साइमल्टेनियसली पूछते हैं इस तरह से।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यह पूछना चाहते हैं कि निगम ने ऐसी होटलें जिन पर लाखों रुपये खर्च कर दिये, उनको भी क्या लीज पर छोड़ने जा रहे हैं? 30 लाख, 40 लाख रुपये निगम ने जिन होटलों पर खर्च कर दिये उनको भी लीज पर दे रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब क्वेश्चन नहीं। सप्लीमैंट्री कौन पूछ रहा है? सुरानाजी पूछ

(श्री अध्यक्ष)

रहे हैं या राजेन्द्र सिंहजी पूछ रहे हैं या आप पूछ रहे हैं?

डा. किरोड़ी लाल : मैं यह पूछ रहा हूं, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आपको अनुमति किसने दी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, सब आपकी आज्ञा से पूछते हैं। आप आज्ञा दो तो मैं पूछ लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : अभी आप ठहरिये। उनका प्रश्न है उसको आने दीजिये।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, आप तो हमसे कुपित रहते हो। अध्यक्ष महोदय, आप मेरे से कुपित रहते हो, मैंने पहला ही तो सवाल किया है।

श्री अध्यक्ष : अच्छा पूछ लीजिये।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि निगम ने कई होटलों पर 30 से 40 लाख रुपया निर्माण पर अभी खर्च किये हैं, ऐसी होटलों को भी ये लीज पर देने जा रहे हैं?

श्रीमती बीना काक : इसमें कोई यह थोड़ी ही है कि तीस लाख वाला नहीं देंगे या दो लाख वाला दे देंगे? निजीकरण के बारे में हम विचार कर रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल : फिर आपको निगम का 40 लाख रुपया खर्च करने की क्या जरूरत थी?

श्रीमती बीना काक : जो पैसा आएगा वह भी तो निगम में और राजस्थान के टूरिज्म इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमैंट में लगेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : निगम के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स से रिजोलूशन लिया क्या? आपने निगम के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स से रिजोलूशन लिया क्या? अतिक्रमण कर रहे हो आप।

डा. किरोड़ी लाल : ...आपस में मिल बैठकर कर रहे हो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : निगम के अधिकारों पर अतिक्रमण कर रहे हो आप। बोर्ड आफ डायरेक्टर्स से अनुमोदन लिया क्या आपने?

श्रीमती बीना काक : जी, हर चीज का अनुमोदन बोर्ड करता है और उसने अनुमोदन किया हुआ है। तारीख चाहिए?

श्री अध्यक्ष : श्री गोवर्द्धनजी कल्ला।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल सिर्फ बेचान का था और बेचान पर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। लीज पर देने का इसमें सवाल ही नहीं है, मूल सवाल सिर्फ बेचान का है।

श्री अध्यक्ष : श्री गोवर्द्धनजी कल्ला। हरजीरामजी, बैठिये आप। माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री हरजीराम बुरड़क : बेचान के अलावा इसमें कोई सवाल ही नहीं है तो यह डिस्कशन किस पर हो रहा है?

श्री अध्यक्ष : श्री गोवर्द्धनजी कल्ला।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर विश्वविख्यात पर्यटन केन्द्र

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

है, वहां पर जो मूमल होटल बना हुआ है वह सबसे पुराना है। उसके बाद कई थ्री स्टार, फाइव स्टार होटल बनते जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। उसको लीज पर देने की जो प्रक्रिया है, क्या उसका आपने आकलन करवाया है कि क्यों घाटे में जा रहा है ?

श्रीमती बीना काक : अध्यक्ष महोदय, यह इंडिविजुअल केसेज को अगर डील करने लगे तो पूरा प्रश्नकाल समाप्त हो जाएगा।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : अध्यक्ष महोदय, इंडिविजुअल का प्रश्न नहीं है। सबसे पुराना मूमल डाक बंगला बना हुआ है, जैसलमेर का सबसे पुराना है। उसके बाद कई थ्री स्टार होटल्स बने हैं। मेरा कहना है कि यदि कमेटी ने सिफारिश की है तो कहीं गलती की है। क्या आप उसकी जांच करवाएंगे, मेरा यह प्रश्न है ? उसके बाद कई थ्री स्टार होटल बन चुके हैं और अब बनने जा रहे हैं कई लोग आ रहे हैं, वहां पर तो आपका, सरकारी पुराना होटल क्यों आप लीज पर दे रही हैं, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। गत वर्ष आपने प्रयास किया था, मैंने रुकवाया था। पुनः आप उस पर कार्यवाही कर रही हैं। मुझे ध्यान नहीं है, उत्तर मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बहुत ही स्पेसिफिक पूछ रहे हैं। मूमल के बारे में पूछा है, जैसलमेर में मूमल होटल है।

श्रीमती बीना काक : अध्यक्ष महोदय, यह एक होटल का सवाल नहीं है, जहां-जहां राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने पहले पहल की, एक फैसिलिटेटर की, एक केटेलिस्ट का काम अपनाया। चाहे वह मिडवे बहरोड था, आप स्वयं इस रूट पर इतना आते हैं, मिडवे बहरोड पहले आया था उसके बाद 10 आये। महुवा में पहला आर.टी.डी.सी. आया था, उसके बाद पांच आये। इसी प्रकार जैसलमेर के अंदर मूमल आया उसके बाद कई आये। तो यह तो फैसिलिटेटर का काम है। हम लोगों का काम ही यही है कि पहले जगह को आइडेंटिफाई करें, उसको प्रमोट करें। उसके बाद दूसरे लोग आये। And we move onwards.

श्री गोवर्द्धन कल्ला : फिर कौड़ियों के भाव दे दें ? सरकारी सम्पत्ति को आप कौड़ियों के भाव लीज कर दें या बेच दें, यही नीति है क्या अपनी ?

श्रीमती बिना काक : जी नहीं, कौड़ियों के दाम में तो केन्द्र सरकार कर रही है, हम तो बाकायदा राजस्थान सरकार का हित देखने के बाद ही उन्हें लीज आउट करेंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल।

श्री अध्यक्ष : सुरानाजी, आप तीन क्वेश्चन सप्लीमैंट्री पूछ चुके हैं। ईवन प्रश्नकर्ता दो सप्लीमैंट्री पूछ सकता है। रूल 31 पढ़ लीजिये आप।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैंने तो चार सवाल पूछे...

श्री अध्यक्ष : पूछ लिये। एक-एक सवाल पहले तीन दफे तो पूछ लिये। हरजीराम बुरड़क।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं यह पूछ रहा हूं, जो होटल लीज पर दिये जा रहे हैं...

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, यह मूल सवाल सिर्फ होटल और रेस्टोरेंट बेचने का है, बेचने के बारे में माननीय मंत्री महोदया ने ना कर दिया। इसके बाद में यह लीज का और प्राइवेटाइजेशन का इस सवाल में कहीं है ही नहीं। इसलिए ये सारे प्रश्न अलग से प्रश्न हैं, इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि आगे कोई प्रश्न हो वह लीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है कि ये जो आपके 9 होटल हैं केन्द्र सरकार ने इनके विकास के लिए 169 लाख रुपया आपको दिया है, तो आप कहते हैं कि केन्द्र सरकार से कोई मतलब नहीं है, नहीं पूछेंगे। उनका इतना पैसा लगा हुआ है तो क्या इनके डिस्पोजल के समय केन्द्र सरकार से अनुमति लेंगे या उनकी बिना अनुमति के ही आप डिस्पोजल कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता सप्लीमैंट्री पूछ रहे हैं, माननीय मंत्री महोदया।

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पहले दो बार पूछ चुके, दोनों बार मैं कह चुकी हूं कि केन्द्र सरकार इस तरह की एड देती है लेकिन यह सारी मिल्कियत राजस्थान सरकार की है और इसमें राजस्थान सरकार निर्णय लेगी, निगम निर्णय लेगा, निगम की कमेटी को अथोराइज कर रखा है निर्णय लेने के लिए। फिर बार-बार एक ही सवाल का जवाब...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : केन्द्र से नहीं पूछेंगे, यह कह दीजिये।

श्रीमती बीना काक : नहीं पूछेंगे केन्द्र से बिलकुल नहीं पूछेंगे केन्द्र को।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह दादागीरी है।

डा. किरोड़ी लाल : दादागीरी है, दादागीरी करोगी ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : रुपया उनका लगाते हो और पूछते नहीं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री नन्दलाल मीणा।

राज्य के उप योजना क्षेत्र में केन्द्रीय कानून की क्रियान्विति

121. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के उप योजना क्षेत्र में केन्द्रीय कानून क्यों लागू नहीं किया जा सकता है ? यदि नहीं, तो अनुसूचित क्षेत्र में कब से केन्द्रीय कानून के प्रावधानों को लागू किया जा चुका है ?

(2) केन्द्रीय कानून में से किन-किन प्रावधानों को उपयोजना क्षेत्र में अब तक लागू नहीं किया गया है ? सरकार अब राज्य में उक्त प्रावधानों को कब तक लागू करने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री (श्री सी. पी. जोशी) (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री बनवारी लाल बैरवा के स्थान पर) :

(श्री सी. पी. जोशी)

(1) भारत सरकार द्वारा "पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम, 1996" पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुरूप राज्य में राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) अध्यादेश 26 जून, 1999 को जारी हुआ। तत्पश्चात् 30 सितम्बर, 1999 को अधिनियम लागू हुआ।

(2) भारत सरकार द्वारा "पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम, 1996" के समस्त प्रावधानों को राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) अधिनियम, 1999 के द्वारा लागू किया गया है।

श्री नन्दलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अपने जवाब में यह बताया है कि 1999 से राजस्थान में ट्राइबल सब प्लान एरिया में यह पंचायत एक्ट लागू कर दिया गया है। क्या यह सही है कि उपयोजना क्षेत्र में लघु वन उपज का मालिकाना हक ग्राम सभा को मिले, खान एवं खनन के लाइसेंस शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को मिलें और इनकी आय ग्राम सभा को दी जाएं, शिड्यूल्ड एरिया में न्याय पंचायत व्यवस्था को पुनर्जीवित किया जाए और उनके छोटे-छोटे परम्परागत जो मामले हैं उनको ग्राम स्तर पर निपटाया जाए, जो आदिवासी भूमि गैर आदिवासी में हस्तान्तरित हो चुकी है, उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए और इन इलाकों में आबकारी कानून में फेरबदल करने के लिये और साथ ही साहूकारों द्वारा जो मनी लैंडिंग किया जा रहा है इन इलाकों में, इन सबके लिए भी आदिवासी की विशिष्टताओं को देखते हुए इसमें राज्य सरकार को परिवर्तन करना चाहिए था? देश के नौ राज्य जिसमें राजस्थान भी सम्मिलित हैं, जहां पर शिड्यूल एरिया है, सब जगह इस तरह के परम्परागत कानूनों के बारे में, माइन्स के बारे में, साहूकारी के नियमों के बारे में आदि सबमें परिवर्तन कर दिया गया है। ये स्वीकार तो करते हैं कि हमने प्रावधान स्वीकार कर दिया है परन्तु इन कानूनों में परिवर्तन क्यों नहीं किया? राज्य सरकार इस पर क्या अपना विचार रखती है?

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि प्रतापगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है। मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये सब चीजें जो आपने उठाई हैं, यदि कानून में परिवर्तन नहीं किया गया तो एक साल में लागू हो जाएंगी, यह 1996 के एक्ट में प्रोविजन था, माननीय अध्यक्ष महोदय। 1996 में प्रोविजन होने के बाद माननीय सदस्य भी उस मंत्रिमण्डल के सदस्य थे, तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी 1.10.1997 को मुख्य मंत्रियों की मीटिंग में गये और उन्होंने यह कहा कि चूंकि विभिन्न स्तरों पर सीधे निर्वाचन पंचायतपति द्वारा चुने जाते हैं अतः ऐसे प्रकरणों में अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हेतु रखने के प्रावधान पर पुनर्विचार किया जाना उचित होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1996 से लगाकर 1998 तक तत्कालीन सरकार ने जिसमें यह मेंडेटरी प्रोविजन था कि एक साल के अन्दर ये सब कानून लागू हो जाएंगे जो लागू हैं, उस

(श्री सी. पी. जोशी)

संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत और उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की। हमारी सरकार आने के बाद हम इसमें आर्डिनेंस लाये, एक्ट में प्रोविजन किया और 30.9.1999 को राजस्थान में पंचायती एक्ट के अन्तर्गत वे सब प्रोविजन हमने कर दिये हैं जो प्रोविजन इस 1996 के एक्ट के अन्तर्गत करने की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। पर यह बात सही है कि उसमें वह वर्ड लिखा हुआ है :—

"While endowing panchayats in the scheduled area with such powers and authority, as may be necessary, to enable them to function as an institution of self-government, the State Legislature shall ensure that the panchayats, at the appropriate level, and the gram sabhas are endowed specifically with the following functions :—

हमने प्रोविजन एक्ट में कर दिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, पर जो कोरस्पोंडिंग एक्ट है चाहे वह एक्साइज एक्ट हो, चाहे माइनिंग एक्ट हो, चाहे फोरेस्ट एक्ट हो, उसके अन्तर्गत भी कोरस्पोंडिंग अमैंडमैंट किया जाना आवश्यक है। इसलिए पंचायती एक्ट में जो परिवर्तन करने का था, वह काम हमने कर दिया है। जो कोरस्पोंडिंग एक्ट है, उसमें यह परिवर्तन करने का जो काम है, वह अभी प्रक्रिया के अन्दर विचाराधीन है। माननीय एडिशनल चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में दिनांक 20.9.2001, 20.10.2001 व 13.2.2000 को सम्बन्धित विभागों के सैक्रेटरी के साथ मीटिंग करके उनसे यह अनुरोध किया गया था कि आप अपने नियमों में रेलेवेंट एक्ट में परिवर्तन करें। नहीं परिवर्तन करेंगे तो 1996 के एक्ट के अन्तर्गत जो पंचायती एक्ट में हमने परिवर्तन किये, वह मेंडेटरी लागू है। इसलिए हमारी तरफ से पंचायती एक्ट में हमने यह प्रोविजन कर दिया है क्योंकि हमारा कमिटमैंट पंचायती राज एक्ट के अन्तर्गत है। अच्छा होता कि 1996 के एक्ट आने के बाद तत्कालीन सरकार 1997 में इन सब चीजों को कर देती तो मैं समझता हूं जो आज आप प्रश्न पूछते, उसकी आवश्यकता ही नहीं रहती।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपनी तरफ से खोट दे दी, परन्तु 15.6.2001 को आबू पर्वत में महामहिम राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में जनजाति परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई थी, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने उद्‌बोधन में क्या कहा, वह मैं सदन के सामने कोट करना चाहता हूं। "जनजाति क्षेत्र में वनों की उपज पर जनजातियां सदियों से निर्भर रही हैं। महुवा के फूल, तेंदुपत्ता, जलाने की लकड़ी, जलाशयों की मछली आदि का उपयोग उनकी जीविका के लिए सदैव महत्वपूर्ण साधन रहा है। विगत वर्षों में विभिन्न वैधानिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण जनजाति के लोगों को उन संसाधनों के उपयोग में कठिनाई उठानी पड़ रही है। विभिन्न श्रेणियों के माइनर फोरेस्ट प्रोड्यूस के लिए किस प्रकार से व्यवस्था की जाए, कहां

(श्री नन्दलाल मीणा)

कानून में संशोधन किया जाए एवं प्रशासनिक दिशा निर्देशों में परिवर्तन किया जाए जिससे जनजातीय परिवार आर्थिक रूप से खुशहाल बनाये जा सकें। संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जब संशोधन किये गये थे तो अनुसूचित क्षेत्र की विशेष समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रावधानों के साथ लागू करने की व्यवस्था की गई थी। दो वर्ष पूर्व जब राजस्थान विधान सभा में इस बाबत अधिनियम पारित हुआ तो उसके द्वारा अनुसूचित जनजाति के लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी, परन्तु मुझे जानकारी मिली है कि इस संवैधानिक व्यवस्था को लागू करने के लिए अभी तक आवश्यक नियम नहीं बनाये जा सके हैं। मैं परामर्शदात्री समिति के माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे भी इस कानून को देखें और जनजाति क्षेत्र के समन्वित विकास के लिए किस प्रकार के नियम ज्यादा उपयोगी होंगे, उसके बाबत शीघ्र सुझाव प्रस्तुत करें।

राजस्थान के राज्यपाल महोदय, माननीय जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री और राज्य मंत्री वहां पर मौजूद थे, इनके सामने राज्यपाल महोदय ने अपनी भावना इस रूप में व्यक्त की थी, जो मैंने अभी आपसे निवेदन किया। मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूं क्या दो वर्ष और निकल जाने के बाद भी राजस्थान सरकार इस स्थिति में नहीं है कि इस शिड्यूल एरिया के लिए विशेष प्रावधान के अन्तर्गत विशिष्टताओं के आधार उनके लिए कानून में परिवर्तन किया जाए? अध्यक्ष महोदय, आज सी.आर.पी.सी के अन्तर्गत जितने भी थानों के अन्दर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, आदिवासियों को, वहां के लोगों को मुलजिम बनाया जा रहा है। चाहे जंगल में जलाऊ लकड़ी का एक डंठल उठाकर ले आएगा, उस पर केस बनाया जा रहा है। माइनर प्रोड्यूस के मामले में केस बनाया जा रहा है। केवल उनको मजदूर के रूप में रख रहे हैं। जबकि शिड्यूल एरिया के लिए इस कानून के अन्तर्गत उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए था। माइन्स के नाम पर आप शिड्यूल एरिया को देख लीजिये, ट्राइबल सब प्लान एरिया के बाहर के लोग वहां पर आकर माइन ओनर बन रहे हैं और वे उसी हिसाब से खदानों में डूब-डूबकर मर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि आप इतना बहुमत लेकर विधायकों को जिताकर लाये हों, आप उन आदिवासियों के बारे में किंचित मात्र भी चिंतित हैं क्या कि उनको सही अधिकार मिल सकें?

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में। भाषण नहीं, प्रश्न पूछिये संक्षेप में।

श्री सी. पी. जोशी : प्रश्न कर लिया, माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, वह महामहिम राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में कोई मीटिंग हुई आबू में, उसकी प्रोसीडिंग्स को लेकर समीक्षा कर रहे हैं और उसका जवाब सरकार से पूछ रहे हैं। महामहिम कांस्टीट्यूशनल हैड आफ

(श्री रामनारायण चौधरी)

द स्टेट हैं, उनकी अध्यक्षता में या उनके द्वारा कोई कार्यवाही की गई, इसकी यहां कोई समीक्षा नहीं हो सकती, कोई चर्चा यहां नहीं हो सकती। (व्यवधान) एक ही मौका आता है, जब सरकार उनका भाषण पढ़ती है, उस समय जो कुछ करना है करो। उसके बाद में कहीं महामहिम जाते हैं, कहीं क्या कहते हैं, वह यहां पर समीक्षा या डिस्कशन का पांइट वैधानिक तरीके से यहां विधान सभा की प्रक्रिया का हो नहीं सकता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आज तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं देखी है जिसके आधार पर गवर्नर महोदय के विषय में यहां चर्चा नहीं कर सकें। केवल एक्सपेंडीचर के मामले में, जो कमिटेड एक्सपेंडीचर है उस एक्सपेंडीचर के मामले में चर्चा नहीं कर सकते, बाकी तो गवर्नर के बारे में चर्चा की जा सकती है। और जिस विषय का उन्होंने उल्लेख किया है, यह तो बहुत ही आपत्तिजनक है कि गवर्नर ने सरकार की आलोचना की हो। सरकार ने वादा करने के बाद भी इस कानून को लागू नहीं किया। मैं चाहता हूं मंत्री महोदय इनका जवाब दें, उनके चक्कर में नहीं पड़े। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : गवर्नर ने आलोचना की, नहीं की। यहां आप कुछ नहीं कर सकते, उसकी कोई समीक्षा नहीं हो सकती। उनकी समीक्षा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय ही होती है। गवर्नर इज ए गवर्नर, आप कोई समीक्षा यहां नहीं कर सकते। (व्यवधान) कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते। गवर्नर की आप चर्चा नहीं ला सकते। वह हैड आफ द स्टेट हैं, कांस्टीट्यूशनल हैड हैं, विधान सभा के भी वह मालिक हैं। (व्यवधान) नहीं हो सकती।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : चेयर ने अलाउ कर दिया है।

श्री रामनारायण चौधरी : आप नहीं कर सकते समीक्षा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी : कोई अधिकार नहीं है, समीक्षा करने का, पूछने का।

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय ने चर्चा की वहां पर, माउंट आबू कह रहे हैं आप...

श्री नन्दलाल मीणा : यस।

श्री अध्यक्ष : और फिर गवर्नमैंट का क्रिटिसिज्म किया...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह है, अध्यक्ष महोदय, आपने बिलकुल ठीक कहा, आपने सही फरमाया...

डा. किरोड़ी लाल : आपने सही समझा है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं। यह अभी लीडर आफ अपोजीशन कह रहे थे, किया या नहीं किया ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आ जाएगा, साहब।

श्री अध्यक्ष : इसका आप उल्लेख गवर्नर का यहां पर कर रहे हैं, अब मुझे एक लैटर लिखना पड़ेगा गवर्नर को।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप, अध्यक्ष महोदय, केवल उस समय आपत्ति कर सकते हैं। (व्यवधान) अलाउ कर दिया क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अलाउ कर दिया न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके अतिरिक्त और बात कहना चाहता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जवाब आ जाने दो पहले।(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : जो पहले कहा उसको विड्रा कीजिये।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता है कि तत्कालीन अनुसूचित जनजाति के मंत्री और तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी इस बात पर बहुत चिंतित हैं कि माउंट आबू में गवर्नर साहब ने क्या कहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप खुद जानते हैं कि शिड्यूल एरिया के संबंध में कांस्टीट्यूशन में गवर्नर के पावर हैं, पर मुझे तकलीफ इस बात की है, 1996 में भारत सरकार ने यह एक्ट पास कर दिया, 1996-97 में सब चीजें लागू हो गई तब तत्कालीन मुख्य मंत्री के मन में यह प्रश्न नहीं खड़ा हुआ। जब संविधान में परिवर्तन कर दिये गये हैं, 1997 में यह मेंडेटरी चीज हो गई, 1997 और 1998 तक मुख्य मंत्री बने रह गये, उनके मन में यह प्रश्न नहीं खड़ा हुआ कि मैंने संविधान की पालना की या नहीं की और आज हम इसको कहना चाहते हैं, यह बात करना चाहते हैं। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, इस राज्य ने...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके मन में क्या है, वह बताओ न।

श्री सी. पी. जोशी : बता रहा हूं आपको सुनने में क्या तकलीफ है ? सुनिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप बताओ, आपके मन में क्या है, आप कहां जा रहे हैं पीछे। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : सुनिये, क्या तकलीफ है ? सुनिये आप आराम से। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : गवर्नर साहब ने जो कुछ कहा वह...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) : मंत्रीजी, आप भी क्या इन्हीं के पदचिन्हों पर चलना चाहते हैं ? उन्होंने भले ही नहीं किया लेकिन भूरिया कमेटी की रिकमंडेशंस को अब तक आपने भी लागू नहीं किया। यह आखिर अब तक अनुसूचित क्षेत्रों का जब भी मसला आता है...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आपने तो नौ साल में भट्टा बिठा दिया इस राजस्थान का, एक कहीं खड्डा भी नहीं भरा सके, बात करते हैं. राज्यपाल महोदय की।

श्री सी. पी. जोशी : बैठिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को...

श्री रामनारायण चौधरी : अब समझ में आ रहा है जब चिड़िया चुग गई खेत।

श्री जीतमल खांट : चुग गई। आप भी चुग जाओगे अगर यही हालत रही। हमारे

(श्री जीतमल खांट)

सम्पूर्ण उदयपुर सम्भाग के अंदर भूरिया कमेटी की जो सिफारिश लागू की गई है, आप लागू नहीं करना चाहते, आपकी कहीं न कहीं दोगली नीति से हमारे लोगों के साथ में यह बहुत बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। मैं, मंत्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भूरिया कमेटी की जितनी भी सिफारिशें की गई हैं उनको लागू किया जाए।

श्री सी. पी. जोशी : हम तो कोई भेदभाव, माननीय सदस्य, नहीं कर रहे हैं। समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखकर साम्प्रदायिकता के साथ हाथ जोड़ रहे हैं हम। हमने लागू किया है यह। 1996 के इस एक्ट को हमने लागू किया है...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : इसीलिए तो, मंत्रीजी, आपसे हम कह रहे हैं कि आपकी पवित्र भावना है...(व्यवधान) इसलिए तुरंत लागू किया जाए इसको। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आप तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैण्ड इन ग्लोब्ज मिलाकर वहां पर साम्प्रदायिकता को ताकत देना चाहते हैं, वोट समाजवाद के नाम पर लेनां चाहते हैं। हम यह काम नहीं कर रहे हैं। हमने तो संविधान की जो व्यवस्था है, संविधान की व्यवस्था को हमने लागू किया है।

श्री जीतमल खांट : माननीय मंत्रीजी, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी पवित्र भावना के साथ में इस क्षेत्र के अंदर जो सिफारिश की गई है उसको लागू करो।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान में जो...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से एक लास्ट सवाल और पूछना चाहता हूं...

श्री सी. पी. जोशी : माननीय नन्दलालजी, आप मेरी बात तो सुनें। पूरी बात तो सुनेंगे आप। आप अपनी बात तो सुनेंगे पूरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत एक्ट में जो प्रोविजन करने थे, पंचायत एक्ट में हमने प्रोविजन किये हैं। पर जैसा प्रतापगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा है कि संबंधित विभाग के एक्ट में परिवर्तन करना आवश्यक है, यदि वे परिवर्तन नहीं होते हैं तो पंचायत एक्ट के प्रावधान 1997 में लागू हो गये हैं, आज जो कांस्टीट्यूशन प्रोविजन है इस पंचायत एक्ट के अन्तर्गत, चाहे वह माइनर प्रोड्यूज के सम्बन्ध में हो, चाहे माइनिंग लीज के सम्बन्ध में हो, चाहे और कोई सम्बन्ध में हो, 1997 के बाद पंचायत एक्ट के प्रोविजन आज राजस्थान के अंदर लागू हैं। यह अच्छा है कि सरकार अपने विभाग के जितने भी एक्ट हैं, चाहे एक्साइज एक्ट हो, चाहे माइनिंग एक्ट हो, उसमें भी कोरस्पोंडिंग चेंज करें। इसलिए राजस्थान सरकार ने एडीशनल चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में सारे सैक्रेटरीज की मीटिंग कराई है और बहुत जल्दी हम उन रेलेवेंट एक्ट में भी परिवर्तन करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग को निर्देश देंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, यह कार्य कितने महीने में सम्पन्न हो जाएगा, मैं यह जानना चाहता हूं?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी।

श्री मानिक चन्द सुराना : तीन महीने, चार महीने ?

श्री अध्यक्ष : सम्बन्धित विभाग को आप एक्ट में परिवर्तन करने के लिए...

श्री नन्दलाल मीणा : कह सकते हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : एक्ट में आप कर सकते हैं क्या कोई...

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कंट्राडिक्शन है जिसको समझने की आवश्यकता है। 1996 एक्ट जो संविधान में संशोधन हुआ है शिड्यूल एरिया में...

श्री अध्यक्ष : एक्ट में कोई अमैंडमैंट करना चाहते हैं तो आपको सदन में लाना पड़ेगा।

श्री सी. पी. जोशी : पंचायत एक्ट में हमने अमैंडमैंट कर दिया, वह एक्ट नहीं अमैंड करते तो पंचायत एक्ट का प्रोविजन नहीं लागू होगा, यह संवैधानिक व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, अच्छा।

श्री सी. पी. जोशी : यह संवैधानिक व्यवस्था है, 1996 एक्सटेंडेड एक्ट में यह प्रोवीजन कर रखा है कि एक साल में यदि सरकारें परिवर्तन नहीं करेंगी तो 1996 एक्ट के अन्तर्गत वे सब चीजें, यह जो प्रोविजन है वह इस तरह से लागू होगा। इसलिए आज आल प्रैक्टिकल परपजेज जो हमने अमैंडमैंट किया है उस अमैंडमैंट के आधार पर यह जो प्रोवीजो है, लागू है।

श्री नन्दलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री मदन दिलावर : वह मंत्रालय कौन-सी सरकार के अन्तर्गत आता है ?

श्री सी. पी. जोशी : वह समाज कल्याण में नहीं आता है।

श्री मदन दिलावर : कौन-सी सरकार के अन्तर्गत आता है समाज कल्याण, यह सरकार क्यों नहीं करती है ? आखिर में मुख्य मंत्री आदिवासियों के साथ कब तक अन्याय करते रहेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर : यस सर।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री रामस्वरूप :आप बैठ जाइये, मदन दिलावरजी।

श्री नन्दलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जनजाति विकास विभाग के मंत्री महोदय से सवाल करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने इसी मीटिंग में इस बात के लिए बड़ा खेद व्यक्त किया कि प्रति वर्ष राष्ट्रपतिजी को जो रिपोर्ट शिड्यूल एरिया की भेजनी पड़ती थी, विभाग द्वारा समय पर नहीं देने की वजह से राज्यपाल महोदय को नीचा देखना पड़ता है राष्ट्रपतिजी के सामने। इसलिए मैं जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, क्या इस वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट आपने राज्यपाल महोदय को भेज दी ?

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय ने क्या कहा, नहीं कहा, इसको बार-बार यहां सदन में रिपीट करके....

श्री नन्दलाल मीणा : मैं दूसरा सवाल कहना चाहता हूं कि जो न्यायपालिका की व्यवस्था, अध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कहा कि नहीं कहा है, कहा है तो क्या कहा है...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने किस जगह क्या कमेंट्स किये हैं, इनके पास कहां रिकार्ड होगा उसका, कैसे जवाब दे सकते हैं ?

श्री नन्दलाल मीणा : यह कमेंट्स का सवाल नहीं है, अध्यक्ष महोदय, चालीस लाख आदिवासियों के हितों का सवाल है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस बात का दर्द है, राज्यपाल महोदय इस बात को महसूस करते हैं कि यह जवाबदेह सरकार तथाकथित जवाबदेह सरकार है, वह जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रही है।

श्री जीतमल खांट : माननीय अध्यक्षजी, यह बहुत गम्भीर मसला है और सम्पूर्ण आदिवासी क्षेत्र का मसला है, इस पर बड़ी गम्भीरता से...(व्यवधान) यह पारदर्शी, संवेदनशील सरकार है....

श्री नन्दलाल मीणा : और उन्होंने न केवल न्यायपालिका की व्यवस्था की, वन उपज की व्यवस्था की, वहां के लिए धान और इसकी व्यवस्था की....

श्री अध्यक्ष : आप जो बात ओरली कह रहे हैं....

श्री नन्दलाल मीणा : और तो और, भारत सरकार को जो वार्षिक रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए प्रति वर्ष, वह भी समय पर नहीं भेजी जाती है। इस बात का जो दुःख प्रकट किया है उसके बारे में राजस्थान सरकार क्या कहना चाहती है ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आपका जब समय था तब तो कुछ किया नहीं...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आपका समय था तब तो कुछ किया नहीं, अब आज पुकार रहे हो, हां। अब क्या वर्षा जब कृषि सुखाने ? जब खेती सूख गई तब वर्षा का क्या फायदा ? (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : आप यही करना चाहते हैं क्या ? यह पारदर्शी सरकार आदिवासियों के वोटों पर जीतकर आती है बहुमत से उस पूरे सम्भाग में। आप इन आदिवासियों के प्रति हमदर्दी बनें। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : इन्होंने कुछ किया नहीं, यह करना नहीं चाहते, तो करेगा कौन ? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार बिलकुल भी गम्भीर नहीं है इस विषय को लेकर। संवेदनहीन हो चुकी है, संवेदनहीन।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार....

श्री नन्दलाल बंशीवाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने किया नहीं, इनका आरोप है यह। इन्होंने किया नहीं, आपकी मंशा है नहीं करने

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

की, फिर करेगा कौन? यह कोई जवाब नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हमारी सरकार की मंशा है लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया, उनसे कहिये आप। हां, उन्होंने क्यों समय को नष्ट कर दिया? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ...आखिर में समझ में ही नहीं आ रहा, कौन से बाग की मूली है यह।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है वह इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हमारे अनुसूचित जनजाति के जो भाई हैं उनके लिए जो संविधान में परिवर्तन किये गये हैं, उनको ईमानदारी, निष्ठा से लागू करेगी, यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब के वोट लेकर 153 की संख्या में बैठे हैं और एस.सी., एस.टी. के मामले में आप बिलकुल भी गम्भीर नहीं हैं। यह एस.सी., एस.टी. का मामला है इसलिए आप गम्भीरता नहीं ले रहे इस मामले को। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नन्दलालजी साहब, आपका उत्तर आ गया है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप यह बता दीजिये...

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, देश के आठ और राज्यों में यह पंचायती एक्ट लागू है और यह सही है कि राजस्थान सरकार मध्य प्रदेश सरकार के निर्णयों का अनुकरण करती है, जब मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस प्रावधान को सारे प्रदेश में लागू कर दिया है, आप इसका अनुसरण कब तक करने जा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : बात यह है, मध्य प्रदेश...

श्री सी. पी. जोशी : हमने लागू कर दिया है, आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा। हमने पंचायत एक्ट में प्रोविजन कर दिया है। आपको गलतफहमी क्या है, समझ में नहीं आ रहा मुझे।

श्री नन्दलाल मीणा : वह प्रोविजन नहीं कह रहा हूं मैं। मैं यह कह रहा हूं कि लघु वन उपज के बारे में, न्याय पंचायत के बारे में, खान और खनन के बारे में, इनके बारे में जो प्रावधान उन्होंने लागू किये हैं, राजस्थान में इनको आप कब तक लागू कर देंगे? उसके बारे में तो आप कह रहे हैं कि एक्ट लागू कर दिया है, एक्ट के जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों को लागू नहीं किया है।

श्री सी. पी. जोशी : वह एक्ट के प्रोविजन को लागू करने के लिए ही एडीशनल चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में अलग-अलग विभाग के सैक्रेटरीज की मीटिंग करके यह कार्यवाही हम कर रहे हैं और इसको हम लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : डेढ़ साल के अंदर-अंदर तो करोगे न? डेढ़ साल के अंदर अंदर करोगे कि नहीं करोगे?

श्री जीतमल खांट : मंत्रीजी, तीन साल निकल गये और डेढ़ साल और रहा है,

(श्री जीतमल खांट)

आपकी भी मीटिंगों में ही मतलब इस तरीके से समय निकल जाएगा।

श्री मदन दिलावर : आपका काम हमको करना पड़ेगा।

श्री जीतमल खांट : आप लोग हमारे प्रति गम्भीर नहीं हैं, यह मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, माननीय मंत्रीजी बोल रहे हैं कि हमने एडीशनल चीफ सैक्रेटरी को दे दिया। आपका जो हैड है चीफ सैक्रेटरी आफ द स्टेट, वह यह कहता है : + + + जो आपने उनको किस आधार पर इस तरह से कार्यवाही करने के लिए दे दिया ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या उन्होंने कहा है चीफ सैक्रेटरी साहब ने ?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : (व्यवधान) Chief Secretary of the State says कि आप किस रूल की बात कर रहे हैं ?

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : कब कहा ? कब कहा ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कब कहा, यह भी थोड़ा खुलासा करें। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : हां, मैं वह मंत्रीजी को बता दूंगा कि + + +

श्री रामस्वरूप : जिस समय भाजपा का राज था उस समय की बात कर रहे हैं। यह भाजपा के राज के टाइम की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : इसी राज में, इसी राज में कहा है।

श्री रामस्वरूप : उस समय की बात कर रहे हैं यह।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : इसी राज में कहा है।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं..(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : + + + चाहे जब खड़े हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। वो भी बैठ गये हैं। सुरानाजी।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं यह जानना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी से कि जब आपने पंचायत एक्ट में जो प्रावधान किये हैं उनको सब एक्टों के ऊपर प्रभावी कर दिया है तो क्या आपने न्याय पंचायतें बनाने के लिए पंचायत विभाग से सारे उपजाति क्षेत्र में निर्देश दे दिये हैं ? और क्या न्याय पंचायतों के गठन में और किसी विभाग का कोई लेना-देना नहीं है, यह मात्र पंचायत विभाग का कार्य है ? क्या आपने इस कार्य को सम्पन्न कर दिया है या इसके संबंध में कोई परिपत्र जारी कर दिये ?

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी होती कि आप कानून के ज्ञाता हैं, पहले उस एक्ट को पढ़ लेते और

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सी. पी. जोशी)

उसके बाद मेरे से प्रश्न करते। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत एक्ट में जो अमेंडमेंट करना है वह पंचायत राज मंत्री का काम है। पंचायत राज मंत्री की हैसियत से 1996 के एक्ट में जो प्रोविजन करने थे वे पंचायत एक्ट में हमने कर दिये हैं। इससे ज्यादा हमारे से आप क्या आशा करना चाहते हैं ?

श्री मानिक चन्द सुराना : (व्यवधान) उस एक्ट की क्रियान्विति कराने का कार्य, माननीय पंचायत राज मंत्रीजी, आपका है। आपने जो न्याय पंचायतों का गठन उपजातीय क्षेत्र में नहीं किया है यह आपका...

श्री सी. पी. जोशी : कहां लिखा हुआ है ? सुरानाजी, कहां लिखा हुआ है ?

श्री मानिक चन्द सुराना : इस एक्ट में आपने ही तो कहा है।

श्री सी. पी. जोशी : आप पढ़िये।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं तो कम पढ़ा-लिखा हूं।

श्री सी. पी. जोशी : बड़े आश्चर्य की बात है। हमने दोषी बनने से पहले उसमें प्रोविजन किये हैं....(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं तो कम पढ़ा-लिखा हूं इसलिए मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि..(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : क्या पूछ रहे हैं इसमें ? इसमें है क्या एक्ट में प्रोविजन वो जो आप पूछ रहे हैं ?

श्री मानिक चन्द सुराना : न्याय पंचायतें बनाने का।

श्री सी. पी. जोशी : है क्या उसमें ? तो फिर आप प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं ?

श्री मानिक चन्द सुराना : आप कह दीजिये कि न्याय पंचायतें उपजातीय क्षेत्रों में बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। आप यह कहिये।

श्री सी. पी. जोशी : आप ही कह दीजिये हो तो।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, नहीं, मैं तो नहीं, मैं कम पढ़-लिखा हूं। आप यह बताइये कि इसमें न्याय पंचायतें बनाने का प्रावधान है या नहीं ?

श्री जीतमल खांट : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भूरिया कमेटी की सिफारिशों में न्याय व्यवस्था है कि नहीं ?

श्री सांवरलाल (भिनाय) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ऐसे भड़क रहे हैं जैसे क्लास रूम में स्टूडेंट्स को फटकारते हों। जवाब तसल्ली से देना चाहिए।

श्री जीतमल खांट : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि भूरिया कमेटी में यह न्याय व्यवस्था की सिफारिश की गयी है कि नहीं की गयी है ?

श्री सांवरलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की तरह व्यवहार कर रहे हैं जो कतई उचित नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी : आप किसमें हैं ?

श्री सांवरलाल : इनको जवाब देना चाहिए तहजीब से, धैर्य से। अभी आपने कहा था, माननीय मंत्री महोदय, कि आप साम्प्रदायिक ताकतों के साथ लग गये आदिवासी क्षेत्र के लोग इसलिए क्या आप इनके काम नहीं करना चाहते हैं? यह क्लीयर कह दो न आप। अभी आपने खड़े होकर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आप लग गये।

श्री सी. पी. जोशी : साम्प्रदायिक शक्ति के खिलाफ कल भी विरोध करेंगे, आज भी करेंगे और कल भी करते रहेंगे, चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सांवरलाल : अच्छा, आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जायेंगे तो आप उनके काम नहीं करोगे?

श्री सी. पी. जोशी :आप क्या चिन्ता करते हो? आज मेंडेट हमारे पास है। आज हमारे पास आदिवासी का मेंडेट है कि मेवाड़ इलाकों में साम्प्रदायिक शक्तियों के खिलाफ कांग्रेस संघर्ष करे, वो संघर्ष करेंगे हम।

श्री सांवरलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पैसा और योजनाएं भेज रही हैं इनके लिए, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के मंत्रीजी यहां पर सदन में कह रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर सांवरलाल, प्लीज टेक योर सीट। आप बैठिये।

श्री सांवरलाल : मेरा सीधा-सा सवाल है, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ आदिवासी वोटर्स के आने के बाद इनकी मानसिकता उनकी योजनाओं को लागू करने की नहीं है? अभी इन्होंने स्पष्ट कहा है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन कर रहे हैं।

श्री जीतमल खांट : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं....

श्री मदन दिलावर : ...(व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, यह मामला साम्प्रदायिक सौहार्द कहलाता है क्या? क्या हो गया आपको और + + +

श्री सांवरलाल : ...(व्यवधान) 50 वर्ष हो गये और आप दबाव देकर वोट लेना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : + + + आप लोगों को, आपकी बुद्धि को? क्या जनता को गोलियों से मारना साम्प्रदायिक सौहार्द कहलाता है? कुछ तो शर्म आए। ...(व्यवधान)....

श्री सांवरलाल : बोल तो दिया, अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर बात है। आज भी ये वोटर्स के ऊपर दबाव बना रहे हैं, आदिवासी क्षेत्र के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गये इसलिए इनकी योजनाएं हम कार्यान्वित नहीं होने देंगे।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने मोस्टली सब सप्लीमेंटरी पूछ लिये हैं। नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री अशोक।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एस.सी./एस.टी. के हितों का मामला है जिसको सरकार देख नहीं रही है गम्भीरता से।

श्री जीतमल खांट : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरे उदयपुर सम्भाग के जनजातीय लोगों की भावनाओं के खिलाफ में हैं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : और यह सरकार एस.सी./एस.टी. के प्रति अपना रवैया दिखा रही है सदन के अन्दर।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री जीतमल खांट : यह उदयपुर में जनजाति उपयोजना क्षेत्र के लोगों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं...

श्री नन्दलाल बंशीवाल : एस.सी./एस.टी. के हितों के ऊपर कुठाराघात हो रहा है चाहे वह आई.ए.एस., आई.पी.एस. का मामला हो, चाहे वह बैकलॉग का मामला हो या कोई अन्य मामला हो। ये गम्भीर नहीं हैं शिड्यूल्ड कास्ट/शिड्यूल्ड ट्राइब के प्रति।

श्री जीतमल खांट : ...भूरिया कमेटी में न्याय के लिए कोई व्यवस्था है कि नहीं? न्याय के लिए कोई सिफारिश की गयी है या नहीं, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं?

श्री अध्यक्ष : बैठिये। आप विराजिये। विराजिये आप। नैक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या-122

श्री अशोक। डीवीजन संख्या-7

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

नैक्स्ट क्वेश्चन श्री दुर्गाप्रसाद।

राज्य में कार्यरत नीम हकीमों के विरुद्ध कार्यवाही

123. श्री दुर्गाप्रसाद (गंगापुर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यही सही है कि राज्य में कुछ नीम हकीम व्यक्ति बिना उचित डिग्री प्राप्त किये ही अपने नाम के आगे डाक्टर लगा कर गांव व कस्बों की गरीब व अनपढ़ जनता का उपचार करते हैं? यदि हां, तो उक्त लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बिना उचित डिग्री प्राप्त किये अपने नाम के आगे डाक्टर शब्द लिख सकता है? यदि नहीं, तो डाक्टर शब्द का प्रयोग करने वाले के विरुद्ध क्या कार्यवाही अमल में लाई जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि एम.बी.बी.एस. व पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त व्यक्ति ही अपने नाम के पूर्व डाक्टर शब्द का प्रयोग कर सकता है?

(4) क्या यह भी सही है कि कुछ दिन पूर्व गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर में एक ऐसे ही नीम हकीम ने जो कि अपने नाम के पूर्व डाक्टर शब्द का प्रयोग करता था, एक व्यक्ति के गलत इंजेक्शन लगाकर मार डाला था और उसकी लाश को दुकान के नीचे डालकर भाग गया था? यदि हां, तो उक्त व्यक्ति के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(श्री दुर्गाप्रसाद)

(5) क्या सरकार उक्त प्रकार के फर्जी डाक्टरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्री राजेन्द्र चौधरी) : (1) जी हां, नीम हकीमों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु अलग से एन्टी क्वेकरी अधिनियम नहीं होने के कारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 411, 420 (षड्यंत्रपूर्वक धोखाधड़ी करना) तथा भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 15 (2) बिना पंजीकरण आधुनिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा अभ्यास करने पर कार्यवाही करने का प्रावधान है।

(2) जी नहीं, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 411, 420 के तहत कार्यवाही का प्रावधान है।

(3) जी हां।

(4) विभाग को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

(5) जी हां, फर्जी चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही के संबंध में एन्टी क्वेकरी अधिनियम राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री दुर्गाप्रसाद : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, डाक्टर शब्द जब कभी कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे लगाता है तो यह माना जाता है कि वह अच्छा पढ़ा-लिखा व्यक्ति है और उससे इलाज कराना खतरे में नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में बहुत-से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने नाम के आगे डाक्टर शब्द लिख देते हैं और बोर्ड लगा करके नीम-हकीम होने के बावजूद जनता का इलाज करते हैं। नतीजा यह होता है कि गांव के बेपढ़े-लिखे लोग जो समझदार नहीं हैं, केवल डाक्टर शब्द को ही समझते हैं और इस बात को समझ कर कि डाक्टर है, पढ़ा-लिखा आदमी है अच्छा इलाज करेगा, उसके चंगुल में फंस जाते हैं। वे तथाकथित डाक्टर लोग जनता का शोषण करते हैं। इस प्रकार सैकड़ों आदमियों की जो बीमारी है उसको और बढ़ा दिया और बहुतों को तो उन्होंने मार तक दिया। अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे मंत्री महोदय ने यह जवाब दिया है, बिन्दु-2 पर सवाल था कि क्या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बिना उचित डिग्री प्राप्त किये अपने नाम के आगे डाक्टर शब्द लिख सकता है? जवाब है, जी नहीं। प्रश्न है यदि नहीं तो डाक्टर शब्द का प्रयोग करने वाले के विरुद्ध क्या कार्यवाही अमल में लायी जाती है? उत्तर है, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 411, 420 के तहत कार्यवाही का प्रावधान है। मेरा मंत्री महोदय से यह प्रश्न है कि अब तक आपने गंगापुरसिटी में ऐसे फर्जी डाक्टरों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है? एकाध उदाहरण बताएंगे क्या?

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य ने गंगापुर में खण्ड-4 के अंदर प्रश्न में जो सूचना पूछी थी हमने उसकी सूचना की जांच करवा ली, वहां पर न तो पुलिस में कोई एफ.आई.आर. दर्ज हुई है और न इस तरह की कोई डैथ हुई है। उसकी जांच हमने करवा ली है।

श्री दुर्गाप्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह नहीं है। देखिये वो भी बात मैं बता दूं आपको। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी मंत्री महोदय ने कहा कि हमने जांच करा ली है, ऐसी कोई बात नजर नहीं आयी। बात दरअसल ऐसी हुई कि आज से कुछ वर्ष पहले एक व्यक्ति जो कि अपने नाम के आगे डाक्टर शब्द लिखता था, उसने एक मरीज का इलाज किया और गलत इंजेक्शन दे दिया। इंजेक्शन से रिएक्शन हुआ और वह मरीज मर गया। मरने के तुरन्त बाद डाक्टर ने अपनी दुकान को बंद किया और भाग गया। पुलिस में ले-देकर केस को खतम कर दिया गया। मेरा प्रश्न तो इस समय दिया है। चलो, उस वक्त को आपने नजर अंदाज कर दिया क्योंकि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। बात भी 3-4 साल पहले की है तो अब उसमें एक्शन भी नहीं लिया जा सकता। मेरा तो निवेदन यह है कि एक तरफ तो आप यह कहते हो कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 411, 420 के तहत कार्यवाही का प्रावधान है तो मैं तो यह निवेदन करता हूं कि अब भी बीसियों डाक्टर वहां पर काम कर रहे हैं गंगापुर में। गंगापुर में ही नहीं पूरे राजस्थान में हजारों की तादाद में होंगे जो कि नीम हकीम हैं और अपने नाम के आगे डाक्टर शब्द लिख कर इलाज कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आप कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर कार्यवाही की है तो एकाध तो उदाहरण दीजिये कि यह कार्यवाही की है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक सैकण्ड, माननीय मंत्री महोदय, आप यह बताइये कि यह 411 जो आपने पढ़ा न, इसकी परिभाषा बताइये कि क्या अपराध है और कितनी सजा है इसमें?

श्री राजेन्द्र चौधरी : ऐसा है, हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य, इस प्रश्न से इसका कोई संबंध नहीं है। धारा आप जानते हैं अच्छी तरह से। बात यह है कि आप हमको लिख कर दे दीजिये जिनकी शिकायत है, हम आज ही उनके खिलाफ कार्यवाही कर जांच करवाएंगे।

श्री दुर्गाप्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बात को टालना चाह रहे हैं। मैं स्पष्ट कह दूं...

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरे राजस्थान का मामला है। हर प्राइवेट हास्पिटल के अंदर इसी तरीके से मेरे भी एक सांचौर के अंदर एक प्राइवेट डाक्टर ने उसका आपरेशन करके गलत नाड़ी काट दी। पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज हुई, पुलिस ने उसमें एफ.आर. लगा दी और कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब मैंने विभाग से पूछा तो विभाग ने कहा कि इसमें हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी बीच में नहीं, उसके बाद आपको समय दूंगा। श्री यशवंत सिंह (रामू)।

श्री यशवंत सिंह (रामू) (नदबई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आज तक कुल कितने नीमहकीम हैं जिनके खिलाफ शिकायत हुई है? और इनके ऊपर आपने क्या कार्यवाही की?

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसमें यह सूचना पूछी नहीं गई थी। पिछले 55 सालों में क्या हुआ; यह इस समय बताना कैसे सम्भव है ?

श्री यशवंत सिंह (रामू) : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना पूछी जाती है उसमें कहते हैं विभाग को कोई जानकारी नहीं है, हमें कोई जानकारी नहीं है। गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा था कि हमारे गंगापुर में आज से एक साल पहले एक नीम हकीम द्वारा एक व्यक्ति की मृत्यु हुई जिसको लाकर एक दुकान के नीचे पटका गया और मंत्री महोदय कह रहे हैं कि हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस थाने में रिपोर्ट हुई, पुलिस वालों ने पैसा खाकर उस केस में एफ. आर. लगा दी। अध्यक्ष महोदय, ऐसे ही कई केस मेरे भरतपुर जिले के हैं जिनमें पुलिस ने पैसा खाकर एफ.आर. लगा दी।

श्री जुगल काबरा : अध्यक्ष महोदय, जिस घटना की चर्चा माननीय सदस्य कर रहे हैं वह चार साल पुरानी है।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : अध्यक्ष महोदय, मेरे नदबई विधान सभा क्षेत्र में ऐसे चार केस दर्ज हुए हैं और चारों केसों में वह नीमहकीम पैसा देकर छूट गये। मंत्री महोदय कहते हैं कि ऐसे मामलों की हमें कोई जानकारी नहीं है। बताओ, ऐसे विभाग से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं ?

श्री बाबूलाल नागर : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज से लगभग चार माह पूर्व दूदू विधान सभा के बिहारीपुरा गांव का एक डेपुटेशन मंत्री महोदय से मिला था। फागी में एक सरकारी चिकित्सक ने पेट की एक गलत नस काट दी, वह मरीज आज तक बिस्तर पर पड़ा हुआ है। मंत्री महोदय ने एडिशनल डाइरेक्टर पूनिया साहब को जांच करने के लिये मौके पर भिजवाया, आज तक उस चिकित्सक के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। वह मरीज ऐसी हालत में पड़ा हुआ है कि उसका पूरा घर बिक गया है, उसने अपनी जमीन को गिरवी रख दिया है और वह मरने की स्थिति में आ गया है। मैं मंत्री महोदय से चाहता हूं कि 3-4 महीने पहले ही आपने जांच की है, ऐसे चिकित्सक के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : बाबूलाल जी, विराजिए। बाबूलाल जी, अभी नहीं। प्लीज टेक योअर सीट। प्रश्नकर्ता।

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में डाक्टर फर्जी, दवाई फर्जी, ओरिजिनल क्या है, पहले यह बताओ ? (व्यवधान) यह फर्जी, वह फर्जी, सारे मामले फर्जी हैं और कोई पकड़ने वाला नहीं मिल रहा है। दुकानों पर जाइए, इंस्पेक्टर पैसे खाकर फर्जी दवाई बिकवा रहे हैं। मरीज किस हालत में इलाज कराने के लिये आता है और वह सारी दवाई फर्जी बेचते हैं। कोई इंस्पेक्टर चैक नहीं करता, पैसा खाकर सारी दवाइयां ओके कर देता है। यह पूरे राजस्थान की हालत है, आप देखते नहीं हो। डाक्टर फर्जी, दवाई फर्जी, सब फर्जी है। अभी थोड़ी देर पहले निजीकरण की बात कर रहे थे...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्नकर्ता। (व्यवधान)

श्रीमती शांति पहाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं कि ये जो डाक्टर हैं इनको तनखाह मिलती है फिर भी ये जनता से फीस लेते हैं। देखते हैं और प्राइवेट दवाई लिख देते हैं। इसकी आप जानकारी करें और पूरी जगह इसकी जांच कराएं।

श्री दुर्गाप्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मामला बहुत गम्भीर है। मेरा मोटो केवल यही था कि मैं सदन को यह जाहिर कर सकूं, यह बता सकूं कि किस तरह से राजस्थान में जनता का शोषण हो रहा है और फर्जी डाक्टर, नीमहकीम डाक्टर किस तरह जनता को गुमराह करके दवाइयां दे रहे हैं, उसकी बीमारी को बढ़ा रहे हैं यहां तक कि मृत्यु भी हो जाती है। हमारी संवेदनशील सरकार में बैठे हुए हमारी माननीय संवेदनशील मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष : आप धीरे बोलिए।

श्री दुर्गाप्रसाद : एक तरफ तो आप अगर कोई हैलमेट नहीं लगाता है तो उस पर 300-400 रुपये का जुर्माना करते हैं, यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करता हुआ पाया जाता है तो आप 200 रुपये जुर्माने की मंशा रखते हैं और एक तरफ एक फर्जी आदमी जो कि अपने नाम के आगे फर्जी डाक्टर लगाये हुए है, उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही करने की मंशा नहीं रखते, यह कैसी सरकार है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है। प्रश्न बड़ा गम्भीर है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है वह प्रश्न बड़ा गम्भीर है।

श्री जीतमल खांट : इसी तरीके से पूरे जनजाति क्षेत्र में भी नकली डाक्टर लोगों को लूट रहे है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया वह चार साल पहले का है। चार साल पहले का प्रश्न है। जिस समय भारतीय जनता पार्टी का राज था उस समय का प्रश्न उठाया गया है। (व्यवधान) उस समय एफ.आई.आर. भी दर्ज नहीं की उन्होंने और न कोई कार्यवाही की। भारतीय जनता पार्टी का राज था उस समय यह मामला बना था। कितना बड़ा अन्याय हुआ है इनके साथ उस समय। उस समय की बात है यह। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली जिले में हर बार जिले की बैठक में यह बात उठायी जाती है कि पूरे पाली जिले में गांव-गांव में बंगाली डाक्टर बैठे हुए हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है। (व्यवधान) इसके बावजूद भी किसी डाक्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप सलाहकार क्यों नहीं बैठाते हो ?

श्री केसाराम चौधरी : (व्यवधान) उनकी आज दिन तक कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गई है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : (व्यवधान) अगर कोई राजकीय चिकित्सक गलती करतां है तो आप उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करने की मंशा रखते हैं क्या?

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान की यह समस्या है, इसको गम्भीर क्यों नहीं लिया जा रहा है? गली-गली में फर्जी डाक्टर नीमहकिम बैठे हुए हैं, मेडिसिन इंस्पेक्टर फर्जी दवाई बिकवा रहे हैं। इसका समाधान क्यों नहीं हो रहा है? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने माननीय सदस्य बंशीवाल को काल किया है।

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, हमारे पाली जिले में बंगाली डाक्टरों की भरमार भरी पड़ी है।

श्री केसाराम चौधरी : भरमार क्या एक-एक गांव में तीन-तीन बंगाली डाक्टर भरे हुए हैं।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या सरकार के पास इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि ये जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं इनकी जांच करा कर इनकी डिग्रियां जब्त की जाएं? अभी जो आप पैनल कोर्ट का उदाहरण दे रहे हैं, हमने एस.पी. से भी बात की है, उन्होंने कहा है कि इस प्रकार का हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं है। क्या राज्य सरकार जहां-जहां भी ये शिकायतें हैं उनकी जांच करने की मंशा रखती है? नीमहकीम खतरे जान वाली बात बिलकुल सही कही है। जनता के साथ लूट-खसौट की जा रही है और इन प्राइवेट प्रैक्टिशनर के इलाज के जरिए कई प्रकार की दुर्घटनाओं से मौतें भी हो रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसकी जांच कराके इस प्रकार के प्राइवेट प्रैक्टिशनर जहां-जहां भी हैं, बंगाली डाक्टर हैं, अन्य प्रकार के डाक्टर हैं उन्होंने जहां भी अपनी क्लिनिक खोल रखे हैं उनको बंद कराने की कार्यवाही के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आप नीमहकीमों के खिलाफ तो कार्यवाही करना नहीं चाहते, आपकी जानकारी में आ जाता है फिर भी नहीं करते। क्या कोई राजकीय चिकित्सक अगर गलती करता है तो उसके खिलाफ भी आप कुछ कार्यवाही करेंगे या नहीं करेंगे? अभी 16 फरवरी को एक बी.पी.एल. कार्ड होल्डर महिला जो बहुत ही गरीब है, जिसके 7-8 बच्चे हैं, वह आपरेशन कराने राजकीय महिला चिकित्सालय, दौसा में आई। डाक्टरों ने बिना जांच करें उसका आपरेशन कर दिया... (व्यवधान) अलग से नहीं है, इसी से संबंधित है। मैंने उसकी शिकायत जिला कलक्टर को की, मैंने यहां पर भी जानकारी दी लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, फालोअप में जब वह महिला आई तो उसके पेट में ढाई महीने का बच्चा था। आपके डाक्टरों ने लापरवाही करके उस महिला का आपरेशन कर दिया क्योंकि वह शिड्यूल्ड

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

कास्ट की महिला थी, जबकि उसके पेट में ढाई महीने का बच्चा था। मैं आपकी जानकारी में लाया, मैं सरकार की जानकारी में लाया उसके बावजूद भी आप लोगों ने उस चिकित्सक के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। हमेशा ही यह होता है अध्यक्ष महोदय, आप नीमहकीमों के खिलाफ तो कोई कार्यवाही नहीं करते, क्या आप जो राजकीय चिकित्सक हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही करने की मंशा रखते हो या नहीं रखते, इसका जवाब दे दो आप।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी गम्भीर घटना है, एक गरीब महिला की नसबन्दी कर दी गई..(व्यवधान) और आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के राज में जुगताराम के साथ क्या हुआ था? उस समय इन्हीं का राज था, उस समय जुगताराम के साथ क्या हुआ था? इनकी ही सरकार थी (व्यवधान) और ये डाक्टरों की बात करते हैं..(व्यवधान) जुगताराम की घरवाली रो रही है। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : अगर यह अनुसूचित जनजाति की महिला नहीं होती तो उसके खिलाफ जांच होती। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : संवेदनशील सरकार से मैं तो आशा करता हूं कि ये कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : अध्यक्ष महोदय, गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाये हैं, आज राजस्थान की विधान सभा में राजस्थान से आने वाले सभी जन प्रतिनिधियों की मंशा नजर आ रही है। राजस्थान में ऐसे डाक्टर्स बैठे हैं कि जगह जगह..(व्यवधान)

(12.00 बजे)

श्री दुर्गाप्रसाद : अब तो कम से कम सरकार को सुनना चाहिए। मंत्री महोदय, कम से कम अब ऐसे डाक्टर्स न बनें। (व्यवधान) उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। मेरा निवेदन है कि कम से कम अब तो लीजिए, अब तो..(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : जगह-जगह हजारों की संख्या में..(व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : अब तो लीजिए कम से कम। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : एक मिनट दुर्गाप्रसादजी, गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़ा गम्भीर मामला उठाया है। सदन में कई माननीय सदस्यों ने इस बिन्दु को जिस प्रकार से रखा है..(व्यवधान) राजस्थान में हजारों की संख्या में ऐसे डाक्टर्स बैठे हैं जिनके जान लेने का खतरा है। (व्यवधान) और जिनके पास न डिग्रीयां हैं और न कुछ है। बड़ा ही गम्भीर मामला है। माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी को इस मामले के अन्दर निष्पक्षता से जांच करानी चाहिए। ऐसे हल्के विभाग की ओर जो ऐसे लोग बैठे हैं, उनको बन्द कराएं। (व्यवधान) उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही कराइये। बड़ा गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजिए। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : चिकित्सा मंत्रीजी, शिकायतें आपके पास आएंगी या नहीं आएंगी, लेकिन एक नीति संबंधी मामला है। (व्यवधान) माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी को इसके ऊपर गौर करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : विराजिए, प्रश्नकाल समाप्त। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : जुगतराम की घरवाली बाहर धरने पर बैठी है। (व्यवधान) उस बेचारी का क्या हुआ? जुगतराम के साथ जो अन्याय हुआ था..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : भारतीय जनता पार्टी के टाइम में हुआ था। जुगतराम के साथ जो अन्याय हुआ था..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : भारतीय जनता पार्टी के काल में हुआ था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : जुगतराम के साथ जो अन्याय हुआ वह भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। (व्यवधान) उस समय जो डाक्टर्स थे उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की, यह भी बता दीजिए? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपकी सरकार भी यह करने जा रही है क्या?

श्री रामस्वरूप : आपकी सरकार का मामला था, आपकी सरकार ने क्या किया था? (व्यवधान) उसकी घरवाली अब भी धरने पर बैठी है, आपको अब भी रो रही है। (व्यवधान) यह पारदर्शी सरकार है।

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय से..(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : यह + + + और यह + + + इसलिए + + + डाक्टर भी चलेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + डाक्टर चलेंगे। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप खुद भी डाक्टर हो। यह खुद थी प्राइवेट डाक्टर हैं। आप इसलिए कह रहे हो, यह खुद भी प्राइवेट डाक्टर हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + बार-बार बी.जे.पी. का क्यों बोल रहे हो? (व्यवधान) सवा तीन साल हो गये, आप लोगों को + + +, बी.जे.पी. को + + + (व्यवधान) इतनी देर से हम सुन रहे हैं। यह + + +। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ज्ञानदेव आहूजा..(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इसलिए + + + डाक्टर चलेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : जों शब्द कहा है, कार्यवाही से हटा दिया जाए। कोई + + + नहीं हो सकता। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : निकाला जाए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप हमारी तरफ देखते ही नहीं...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : सदन की कार्यवाही से निकाला जाए इसको। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : + + + कैसे हुए? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इन्होंने जो शब्द कहा है + + +, वह सदन की कार्यवाही से निकाला जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर। रामस्वरूप मीणा, क्या कर रहे हो? (व्यवधान)

प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्न व उसका उत्तर

मनणावास जसोल (बाड़मेर) के खराब पोषाहार की जांच

119. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में महिला एवं बाल विकास विभाग में करीब दो वर्षों से बाल विकास परियोजना अधिकारी का पद रिक्त है? यदि हां, तो सरकार उक्त पद को कब तक भरने का विचार रखती है?

(2) क्या यह भी सही है कि बाल विकास परियोजना अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों के खाने का पोषाहार समय पर नहीं पहुंचता है?

(3) क्या यह सही है कि आंगनबाड़ी केन्द्र महिला एवं बाल विकास, मनणावास जसोल ग्राम में नीले रंग का पोषाहार दिया गया जो बच्चों के खाने योग्य नहीं हैं? क्या सरकार उक्त नीले रंग का पोषाहार की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। बाल विकास परियोजना, बालोतरा मुख्यालय पचपदरा में बाल विकास परियोजना अधिकारी का पद दिनांक 12.08.2000 से 13.04.2001 तक तथा दिनांक 27.10.2001 से 02.01.2002 तक रिक्त रहा है। उक्त पद पर दिनांक 03.01.2002 से बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यरत है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

खण्डार (सवाईमाधोपुर) में तकनीकी शिक्षा केन्द्र संस्थान की स्थापना

122. श्री अशोक (खण्डार) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाईमाधोपुर में कुल कितने तकनीकी शिक्षण संस्थान स्थापित हैं ?

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र खण्डार में भी कोई स्थापित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार खण्डार मुख्यालय पर तकनीकी शिक्षण संस्थान खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला सवाईमाधोपुर में एक राजकीय पोलिटेक्नीक एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हैं।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार की वित्तीय सीमितता के कारण विधान सभा क्षेत्र खण्डार में फिलहाल कोई तकनीकी शिक्षण संस्थान स्थापित करने की योजना नहीं है।

(3) वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर गुणावगुण के आधार पर विचार कर निर्णय लिया जावेगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

डीडवाना में नमक उत्पादकों के क्यारे बदले जाने हेतु लम्बित आवेदन

209. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नमक क्षेत्र डीडवाना के नमक उत्पादकों ने क्यारा नं. ए 84 माता, ए 83 माता तथा ए 82 माता और ए 81 माता को नमक उत्पादन नहीं हो पाने के कारण बदल कर दूसरे क्यारे देने के लिए विभाग को प्रार्थना पत्र दिये हैं ? यदि हां, तो कब-कब तथा उन पर विभाग ने क्या कार्यवाही की ? प्रार्थना पत्रों व की गई कार्यवाही की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पूर्व में कुछ नमक उत्पादकों को उनके आवेदन पर क्यारे बदले गये हैं ? यदि हां, तो कब और किन कारणों से तथा अब क्यों नहीं बदले जा रहे ?

(3) क्या यह सही है कि नमक क्षेत्र में कुछ भूमि खाली पड़ी है जहां पर नये क्यारे बनाये जा सकते हैं ? यदि हां, तो उक्त भूमि क्यारों के लिये उपयोग करके क्यारे क्यों नहीं बदले जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि माता क्षेत्र के क्यारा नंबर ए-81, ए-83, तथा ए-84 के नमक उत्पादकों ने क्यारे बदलने के प्रार्थना पत्र दिये परन्तु ए-82 का कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ। ये प्रार्थना पत्र वर्ष 1982 से

(श्री हरजीराम बुरड़क)

94 के दौरान दिये गये। प्रबन्धक डीडवाना द्वारा मुख्यालय को अनुशंषा भेजी गई। विभाग द्वारा क्यारा नं. ए-83 क्रमातों के स्थान पर क्यारा नंबर एन बी-289 बदल देने के आदेश जून, 82 में जारी किये गये, परन्तु संबंधित उत्पादक द्वारा पूर्व क्यारे का कब्जा नहीं छोड़ा गया। बाद में मैसर्स डीसीपी एल के साथ प्रतिस्पर्द्धा होने तथा विभाग के पास नमक का अत्यधिक स्टाक जमा हो जाने के कारण मामले का परीक्षण कर गुणावगुण के आधार पर उक्त क्यारे नहीं बदले जाने का निर्णय लिया गया उपलब्ध प्रार्थना पत्रों की प्रतियां तथा प्रबन्धक का संबंधित पत्र परिशिष्ट "क" व "ख" ऊपर उपलब्ध है।

(2) जी हां। तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1979 से 1983 के बीच कुछ क्यारे नमक उत्पादकों के आवेदन पर बदले गये थे। संबंधित आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट "च" "छ" "ज" "झ" पर संलग्न है। ऐसे क्यारों को अब इसलिये नहीं बदला जा रहा है कि पिछले 4 साल के स्रोत का निजीकरण प्रभावी है तथा जहां के लिये प्रार्थना पत्र प्राप्त होते रहे हैं वहां भूमि रिक्त नहीं है। तथा उससे पूर्व 1996 से 2 वर्ष तक झील पानी में डूबी रही थी।

(3) जी हां। कुछ भूमि खाली अवश्य पड़ी है परन्तु अन्त्योदय योजना के तहत आबंटित 635 क्यारों में उत्पादन नहीं किया जा रहा है। अतः नये क्यारे बनाने या बदलने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत समिति वार कुल औद्योगिक उत्पादन

210. श्री रामलाल जाट (बनेड़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्तमान में पंचायत समितिवार कुल औद्योगिक इकाइयां कितनी हैं तथा उक्त उद्योगों में कुल पूंजी विनियोजन कितना है ?

(2) उक्त उद्योगों में नियुक्त व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है तथा उद्योगों की सकल संवर्द्धित मूल्य क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्तमान में फरवरी, 2002 तक कुल 230242 आर्टीजन एवं लघु उद्योग इकाइयां पंजीकृत हैं, जिनमें 3320.93 करोड़ रुपये की पूंजी विनियोजन किया हुआ है। पंचायत समितिवार सूचना संकलित नहीं की जाती है, जिलेवार सूचना परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं।

(2) उक्त उद्योगों में नियुक्त व्यक्तियों की संख्या 887936 हैं। उद्योगों के सकल मूल्य संबंधी सूचना संकलित नहीं की जाती है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

फव्वारा पद्धति पर देय अनुदान में वृद्धि

211. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा फव्वारा पद्धति व ड्रीप पद्धति पर लघु सीमान्त, सीमान्त, महिलाओं तथा अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य

(श्री रामलाल गुर्जर)

पिछड़े वर्ग के कास्तकारों को कितने प्रतिशत तक की छूट देने का प्रावधान है? क्या उक्त को कृषि व पौधों पर भी अनुदान/छूट देने का प्रावधान है?

(2) क्या सरकार उक्त छूट को और अधिक बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या पूर्व में निर्धारित छूट को कम की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) फव्वारा संयंत्र पर लघु/सीमान्त/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषकों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रुपये 10,000/- प्रति हेक्टेयर व शेष कृषकों को इकाई लागत का 33.3 प्रतिशत या अधिकतम रुपये 7,000/- प्रति हेक्टेयर, जो भी कम हो अनुदान देय है। अधिकतम अनुदान सीमा एक हेक्टेयर तक ही है। ड्रिप संयंत्र पर लघु/सीमान्त/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रुपये 26,000/- प्रति हेक्टेयर एवं अन्य श्रेणी के कृषकों को लागत का 35 प्रतिशत या अधिकतम रुपये 18,200/- प्रति हेक्टेयर तक अनुदान देने का प्रावधान है। अधिकतम अनुदान सीमा 4 हेक्टेयर तक ही है। फव्वारा संयंत्र पर अनुदान कृषि व पौधों पर देय है परन्तु ड्रिप संयंत्र पर अनुदान केवल उधानिकी फसलों पर ही देय है।

(2) फव्वारा पद्धति से अधिकतम कृषकों को लाभान्वित करने को दृष्टिगत रखते हुए छूट को और अधिक बढ़ाने का विचार नहीं है। ड्रिप योजना के तहत अनुदान सीमा भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा तक दी जा रही है।

(3) फव्वारा पद्धति में वर्ष 1999-2000 से पूर्व लघू/सीमान्त/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषकों को इकाई लागत 75 प्रतिशत या अधिकतम रुपये 10,000/- व सामान्य कृषकों की इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रुपये 7,000/- जो भी कम हो, अनुदान देय था जो वर्ष 1999-2000 से कम कर उक्त कृषक श्रेणीवार क्रमशः 50 प्रतिशत एवं 33.3 प्रतिशत किया गया है। ड्रिप पद्धति में पूर्व में वर्ष 1996-97 से 1999-2000 तक उधानिकी फसलों में ड्रिप सिंचाई संयंत्र स्थापन पर लघु/सीमान्त/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ महिला कृषकों को लागत का 90 प्रतिशत या अधिकतम रुपये 25,000 प्रति हैक्टर एवं अन्य श्रेणी के कृषकों को लागत का 70 प्रतिशत या अधिकतम 25,000/- प्रति हेक्टेयर जो भी कम हो अनुदान देय था जिसको वर्ष 2000-01 से कम कर उक्त कृषक श्रेणीवार क्रमशः 50 प्रतिशत एवं 35 प्रतिशत किया गया है।

पंचायत समितिवार रासायनिक खाद का उपयोग

212. श्री रामलाल जाट (बनेड़ा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में पंचायत समितिवार कुल कितने क्षेत्रफल में कृषि की जाती है तथा

(श्री रामलाल जाट)

इनमें कुल कितना अनुमानित उत्पादन होता है ?

(2) वर्तमान में पंचायत समितिवार उन्नत किस्म के बीजों के अन्तर्गत कितने क्षेत्रफल में पैदावार होती है ?

(3) वर्तमान में पंचायत समितिवार कुल कितना रासायनिक उर्वरकों का उपयोग होता है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समितिवार फसलों का क्षेत्रफल व उत्पादन के आंकड़े संधारित नहीं किये जाते हैं। जिलेवार स्थिति परिशिष्ट संख्या-1 पर संलग्न है।

(2) पंचायत समितिवार फसलों का उन्नत किस्म के बीजों के अन्तर्गत क्षेत्रफल के आंकड़े संधारित नहीं किये जाते हैं। जिलेवार स्थिति परिशिष्ट संख्या-2 पर संलग्न है।

(3) पंचायत समितिवार कुल रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के आंकड़े संधारित नहीं किये जाते हैं। जिलेवार स्थिति परिशिष्ट संख्या-2 पर संलग्न है।

(स्थिति के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

पंचायत समिति-पीसांगन के चिकित्सालयों में रिक्त पद

213. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम करनोस, दांतडा, नरवर एवं बुबानी आदि में मेल नर्स के पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या पंचायत समिति-पीसांगन के उप स्वास्थ्य केन्द्र में एक्स-रे तकनीशियन का पद रिक्त है ? क्या सरकार उक्त पद को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम बुबानी को छोड़ कर शेष ग्राम करनोस, दांतड़ा एवं नरवर में नर्स श्रेणी द्वितीय के पद रिक्त हैं। सीधी भर्ती वाले नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पदों को भरने की समुचित स्वीकृति प्राप्त होने पर उक्त रिक्त पदों को भरा जावेगा।

(2) जी हां, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीसांगन में रेडियोग्राफर का पद रिक्त है। राज्य सरकार, कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्रादेश क्रमांक : 4 (2) कार्मिक/क-2/अप्र/91 दिनांक 10.1.2002 के द्वारा किसी पद के लिये विभागीय पदोन्नति समिति का आयोजन अग्रिम आदेशों तक स्थगित है। इसमें शिथिलता मिलने पर डी.पी.सी. की जावेगी।

विधान सभा क्षेत्र दानुपर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

214. श्री भाणजी (दानपुर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र दानपुर में उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के कितने प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन हैं ? क्या सरकार उक्त को

(श्री भाणजी)

क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बांसवाड़ा के कितने उप स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक/ चतुर्थ श्रेणी के पद स्वीकृत हैं? उक्त में कौन कहां-कहां पर कार्य करते हैं व रिक्त पद कितने हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दानपुर में ग्राम गामडी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये जाने हेतु एक प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुआ है। आगामी वित्तीय वर्षों में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये जाने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने के उपरान्त ही ग्राम गामडी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद स्वीकृत नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता।

जिला अजमेर के चिकित्सालयों में रिक्त पद

215. श्री सांवरलाल (भिनाय) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला अजमेर के विभिन्न चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्रों, रेफरल चिकित्सालयों एवं अन्य अस्पतालों में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं? वर्तमान में उक्त में से कहां-कहां कितने-कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जावेगा?

(2) क्या यह सही है कि कई चिकित्साकर्मी कतिपय पदों के विरुद्ध प्रतिनियुक्ति पर हैं? क्या सरकार उक्त की प्रतिनियुक्ति अथवा पद के विरुद्ध अन्य की पदस्थापना की प्रवृत्ति पर अकुंश लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) अजमेर जिले में स्वीकृत चिकित्सा संस्थानों पर स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण चिकित्सा संस्थानवार एवं पदवार परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

उक्त चिकित्सा संस्थानों पर सीधी भर्ती वाले रिक्त पदों को भरने की समुचित स्वींकृति प्राप्त होने पर एवं पदोन्नति वाले रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) प्रतिनियुक्ति पर किसी को नहीं लगाने के राज्य सरकार के निर्देश हैं, परन्तु अति आवश्यक परिस्थितियों में अल्प समय के लिए विशेष परिस्थितियों में ऐसा किया जाता है। सरकार जारी किये गये निर्देशों की पालना के लिए दृढ़ संकल्प है और निर्देशों के विपरीत मामले ध्यान में आने पर दोषियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सवाईमानसिंह चिकित्सालय जयपुर में सुपर स्पेशिलिटी बीमारी के विशेषज्ञों के पदों में वृद्धि

216. श्री उदय सिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाईमानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के सुपर स्पेशिलिटी वाले विभागों यथा न्यूरोलोजी, न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलोजी एवं कार्डिक सर्जरी की कितनी-कितनी यूनिटें कब से स्थापित हैं? उक्त में कितने-कितने प्रोफेसर, एसोसिएटेड प्रोफेसर एवं व्याख्याता पदस्थापित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2001 से फरवरी, 2002 तक न्यूरोलोजी एवं कार्डियोलोजी में कितने-कितने मरीज पंजीकृत हुए? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सवाईमानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में न्यूरोलोजी एवं कार्डियोलोजी से संबंधित मरीजों की अत्यधिक संख्या को देखते हुए प्रोफेसर, एसो. प्रोफेसर एवं व्याख्याताओं के और पद स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इस महाविद्यालय के सुपर स्पेशिलिटी के विभाग यूनिट स्थापित होने का वर्ष पदस्थापित चिकित्सकों की संख्या सूची संलग्न है।

(2) वर्ष 2001 से फरवरी, 2002 तक न्यूरोलोजी में आउटडोर 30,225 व इन्डो 3091 थी, तथा कार्डियोलोजी में 21,016 आउटडोर व 4622 इन्डोर मरीज संख्या रही है।

(3) चिकित्सालय की आवश्यकता तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इस संबंध में यथा समय विचार कर यथोचित निर्णय लिया जा सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय, सेठी कालोनी, जयपुर में जनरल सर्जन का रिक्त पद

217. डा. कन्हैयालाल (बस्सी) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालयों में विशेषज्ञ सेवाएं भी उपलब्ध हैं? यदि हां, तो कौन-कौन सी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सभी सैटेलाइट चिकित्सालयों में जनरल सर्जन (सर्जरी विशेषज्ञ) के पद सृजित हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय, सेठी कोलोनी, जयपुर में जनरल सर्जरी की सभी सुविधाएं उपलब्ध होने के साथ यहां लम्बे समय तक सर्जन कार्यरत रहे? यदि हां, तो अस्पताल के आरम्भ से अब तक कौन-कौन से सर्जन कार्यरत रहे?

(4) क्या वर्तमान में उक्त सर्जन का पद रिक्त है? यदि हां, तो कब से एवं क्यों?

(डा. कन्हैयालाल)

(5) क्या सरकार उक्त रिक्त पद को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, सैटेलाइट चिकित्सालयों में सामान्यतः मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री रोग, नेत्र रोग एवं बाल रोग विषय विशेषज्ञों के पद स्वीकृत किये जाते हैं।

(2) सेठी कालोनी, सैटेलाइट अस्पताल, जयपुर को छोड़कर समस्त सैटेलाइट अस्पतालों में जनरल सर्जरी विशेषज्ञ के पद सृजित हैं। उक्त अस्पताल में सृजित वरिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) का पद समानीकरण योजना के अन्तर्गत समाप्त कर दिया गया है।

(3) जी हां, सेठी कालोनी, सैटेलाइट अस्पताल, जयपुर की स्वीकृति जारी होने के पश्चात् सर्जरी विशेषज्ञ के पद पर पदस्थापित रहे चिकित्सकों का विवरण निम्नप्रकार से हैं :—

पद नाम	पदस्थापित चिकित्सक का नाम
कनिष्ठ विशेषज्ञ	डा. के. एल. गुप्ता
कनिष्ठ विशेषज्ञ	डा. वी. के. सिंघी
कनिष्ठ विशेषज्ञ	डा. एम. के. बोहरा
वरिष्ठ विशेषज्ञ	डा. एम. के. गुप्ता
वरिष्ठ विशेषज्ञ	डा. एस. एल. शर्मा
वरिष्ठ विशेषज्ञ	डा. एम. एल. त्रिपाठी (कनिष्ठ विशेषज्ञ पद विरूद्ध)
वरिष्ठ विशेषज्ञ	डा. जफर मोहम्मद

(4) सेठी कालोनी, सैटेलाइट चिकित्सालय, जयपुर में सर्जरी विशेषज्ञ का पद वर्तमान में स्वीकृत नहीं हैं।

(5) प्रश्न के भाग 4 के उत्तर के अनुसार शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें

218. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने ग्रामों को सड़कों से जोड़ने हेतु कोई नीति बना रखी है? यदि हां, तो क्या तथा इसमें किन-किन योजनाओं के तहत ग्रामों को सड़कों से जोड़ा जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1993 से फरवरी, 2002 तक विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में कुल कितनी सड़कें किन योजनाओं के तहत स्वीकृत हुई और कितनी के कार्य चालू कर दिये गये तथा कितने कार्य अपूर्ण है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की अपूर्ण सड़कों को पूर्ण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 2001 की जनगणना के आधार पर 1000 एवं अधिक आबादी वाले ग्राम 2003 तक तथा 500 एवं अधिक आबादी वाले ग्राम 2007 तक

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में वर्ष 1993 से फरवरी, 2002 तक कुल 41 सडकें विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत हुई थी जिनमें से 39 सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है व शेष 2 सड़कों पर कार्य प्रगति पर है। जिनका विवरण प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(3) अपूर्ण सड़कों को मार्च, 2003 तक पूर्ण करवा दिया जावेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

अधिशासी अभियन्ता, डीडवाना (नागौर) द्वारा सूचना के अधिकार के तहत वसूली अवैध राशि

219. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड डीडवाना, जिला नागौर को दिनांक 7-2-2002 को श्री बृजमोहन जांगीड़ ने सूचना के अधिकार के तहत कुछ दस्तावेजों की प्रति मांगने का प्रार्थना पत्र दिया है? यदि हां, तो कितने पत्रों की प्रतियों की कितनी राशि बतौर फीस जमा कराई?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रति पेज के दस रुपयों के हिसाब से राशि चार सौ बीस रुपये जमा कराये? यदि हां, तो क्यों जबकि इस कानून के तहत दो रुपये प्रति पेज से बयालीस रुपये ही जमा कराने चाहिये थे?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अधिनियम का पैतृक विभाग गृह विभाग है? इस कारण गृह विभाग ने दिनांक 25 जनवरी, 2001 को अधिसूचना जारी करके सभी विभागों को सूचित कर दिया था कि इस अधिनियम के तहत प्रतिलिपि दो रुपये प्रति पेज राशि जमा कर प्रति दी जावे? यदि हां, तो इसका उल्लंघन क्यों किया गया और अधिक वसूल की गई राशि वापस क्यों नहीं लौटाई गई?

उत्तर

(1) जी हां। कुल 42 पत्रों की छाया प्रति हेतु रुपये 420/- की राशि रसीद नं. सी.आर/413845/91 दिनांक 7.2.2002 के द्वारा जमा करवाये गये।

(2) जी हां। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जारी नागरिक अधिकार पत्र के अनुसार स्वीकृत प्राक्कलन की प्रतिलिपियों की दर 10 रुपये प्रति पृष्ठ (ए-4 साइज) के हिसाब से जमा करवाये गये।

(3) जी हां। राजस्थान सूचना का अधिकार नियम 2001 के नियम 7 के अनुसार सा. नि. वि. द्वारा नागरिक अधिकार पत्र जारी किया गया। नागरिक अधिकार पत्र में वर्णित दरों अनुसार प्रतिलिपि 10 रूपये प्रति पेज जमा करवाई गई। इसलिये किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया। गृह विभाग द्वारा दिनांक 25.1.2001 की अधिसूचना अनुसार दरों का संशोधन पत्र जारी कर दिया गया है।

खेड़ली बिछोछ सड़क (दौसा) का मुआवजा

220. डा. किरोड़ीलाल (बामनवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता खण्ड, गंगापुरसिटी द्वारा अपने पत्रांक 3917 दिनांक 6-6-2001 को मुख्य अभियन्ता (पुल) को भूमि अवाप्ति स्वीकृति बाबत पत्र लिखा था? यदि हां, तो उक्त पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकार के कितने प्रकरण जिला सवाईमाधोपुर, करौली एवं दौसा में लम्बित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अधिशासी अभियन्ता, गंगापुरसिटी लिखे गये पत्र के मुताबिक दौसा में खेड़ली से बिछौछ रोड की मुआवजा राशि देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां, पत्र की प्राप्ति प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(2) जिला सवाईमाधोपुर, करौली एवं दौसा की लम्बित प्रकरणों की सूची प्रपत्र "ब" में संलग्न है।

(3) जी हां, वित्तीय वर्ष 2001-2002 में भुगतान कर दिया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

तहसील मुख्यालय आसीन्द (भीलवाड़ा) पर डाक बंगला

221. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला भीलवाड़ा में तहसील मुख्यालयों पर कहा-कहां डाक बंगला बना हुआ है?

(2) क्या सरकार तहसील मुख्यालय आसीन्द पर डाक बंगला बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला भीलवाड़ा में निम्नलिखित तहसील मुख्यालयों पर डाक बंगले बने हुये हैं :—

1. भीलवाडा
2. बनेडा
3. शाहपुरा
4. मांडलगढ़
5. सहाडा (मुख्यालय-गंगापुर)

(2) जी नहीं।

जिला पाली में सड़क विकास पर व्यय राशि

222. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रोड अपग्रेडेशन एवं रिन्यूवल कार्यक्रम के अन्तर्गत तहसील रायपुर, सोजत, जैतारण तथा मारवाड जंक्शन के कौन-कौन से रोड कितने-कितने किलो मीटर दूरी तक

(श्री हीरासिंह चौहान)

प्रथम चरण में स्वीकृत किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रत्येक स्वीकृत सड़क मार्ग के उक्त कार्यक्रम में कितनी-कितनी राशि के ठेके की निविदाएं उक्त चारों तहसील क्षेत्रों में स्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत निविदाओं अनुसार वर्क आर्डर किस तिथि को जारी किये?

(4) उक्त चारों तहसील क्षेत्रों में द्वितीय चरण में कौन-कौन से सड़क मार्ग प्रस्तावित हैं?

उत्तर

(1) सड़क अपग्रेडेशन एवं रिनिवल कार्यक्रम के तहत फेज-I की सड़कें तहसील रायपुर, सोजत, जैतारण, मारवाड़ जंक्शन के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों की सूची परिशिष्ठ "अ-1-4" में संलग्न है।

(2) उक्त प्रत्येक सड़क मार्ग की निविदायें मय राशिवार विवरण परिशिष्ट "अ-1-4" में संलग्न है।

(3) उक्त स्वीकृत निविदाओं के कार्य आदेश निम्न दिनांकों को जारी किये गये :—

पैकेज नं.	कार्य आदेश नम्बर	दिनांक
3	638-50	26.11.01
4	651-62	—"—
5	663-74	—"—
6	675-87	—"—
7	688-702	—"—
10	703-714	—"—

(4) उक्त तहसीलों में फेज-II के अन्तर्गत प्रस्तावित सड़कों की सूची परिशिष्ट "ब-1-4" में संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र दानुपर में डामरीकरण पर व्यय

223. श्री भाणजी (दानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र दानपुर की सड़कों के डामरीकरण हेतु प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो किन-किन सड़कों पर डामरीकरण करने की योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र की किन-किन सड़कों पर पेच वर्क के कार्य सम्पादित कराये व वर्तमान में कितने अपूर्ण हैं और अपूर्ण कार्य को कब तक पूर्ण कराने का विचार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति-बांसवाड़ा की ग्राम पंचायत नवा गांव पंचायत मुख्यालय से सम्पर्क सड़क, नवा गांव से सियापुर वाया टाडीमऊन्दी सड़क निर्माण का कार्य सरकार के पास विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक उक्त कार्य करा दिया जावेगा और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, सूची परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) दानपुर विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के पेच रिपेयर करने हेतु उन्हीं किमी. का प्रावधान रखा गया है जो कि. मी. सी. आर. एफ. आर.यू.पी.फ़ेस-I एवं फेस-II में प्रस्तावित नहीं है। जिन सड़कों के पेच रिपेयर कार्य हो चुके हैं, उनका विवरण संलग्न परिशिष्ट "ब" में दर्शाया गया है। जिन सड़कों पर पेच रिपेयर कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं तथा पेच रिपेयर कार्य माह अप्रैल, 2002 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। सूची परिशिष्ट "स" में संलग्न है।

(3) पंचायत समिति-बांसवाड़ा की ग्राम पंचायत-नवा गांव पंचायत मुख्यालय से सम्पर्क सड़क नवा गांव से सियारपुर वाया टांडीमहुडी सड़क निर्माण का कार्य फिलहाल सरकार के पास विचाराधीन नहीं है क्योंकि नवा गांव पंचायत मुख्यालय तथा सियारपुर पंचायत मुख्यालय डामर सड़क से जुड़े हुए है तथा एक पंचायत मुख्यालय को दूसरे पंचायत मुख्यालय से जोड़ने की सड़क निर्माण हेतु कोई योजना नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में प्रस्तावित पुल निर्माण

224. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ क्षेत्र के कुशलगढ़ से रतलाम सड़क पर बहने वाली पाडवा साथ नदी पर नये पुल का निर्माण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र से लगते हुए गुजरात प्रांत को जोड़ने वाली सड़क जालमपुरा ठुंठी मार्ग पर अनास नदी पर पुल निर्माण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक तथा उक्त में कितनी राशि व्यय होगी?

उत्तर

(1) संसाधनों की उपलब्धता न होने के कारण फिलहाल सम्भव नहीं।

(2) बिन्दु संख्या एक अनुसार।

जिला जैसलमेर की मरम्मत योग्य सड़कें

225. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर के सिंचित क्षेत्र में सी.ए.डी. विभाग ने जिला जैसलमेर में 500.225 किलोमीटर सड़क निर्माण कर विभाग को सौंप दी है?

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग ने उक्त 500.225 किलोमीटर सड़क में से केवल 181.275 किलोमीटर सड़क का चार्ज लेकर मरम्मत सूची में सम्मिलित किया है, जबकि शेष सड़कें भी क्षतिग्रस्त हैं?

(3) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सड़क विभाग ग्रेफ ने भी विभाग को सम-घानाना सड़क हस्तांतरित की है? पूर्व में ग्रेफ ने कितनी सड़कें विभाग के सुपुर्द की है?

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

वर्तमान में उक्त जिले में ग्रेफ की कितनी सड़कें हैं जिनका रख-रखाव ग्रेफ कर रहा है? सम-धानाना सड़क के हस्तान्तरण के क्या कारण हैं जबकि जैसलमेर से सम सड़क अभी भी ग्रेफ के पास है?

(4) सीमावर्ती क्षेत्र होने से व उक्त जिले में 1300 किलोमीटर डामर तथा 1184 किलोमीटर ग्रेवल सड़क विभाग की रख-रखाव की सूची में है जबकि अकाल राहत में अन्य कई सड़कें निर्मित हुई हैं? क्या सरकार सीमावर्ती क्षेत्र होने से उक्त सड़कों के रख-रखाव हेतु कोई विशेष योजना का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं, इन्दिरा गांधी नहर के सिंचित क्षेत्र में सी.ए.डी. विभाग ने जिला जैसलमेर में कुल 554.70 कि. मी. लम्बाई की सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के लिये लिखा है। जिसमें से 181.270 किमी. लम्बाई की सड़कें हस्तान्तरित हो चुकी है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। पूर्व में ग्रेफ द्वारा एक सड़क ही विभाग को हस्तान्तरित की थी, वर्तमान में ग्रेफ के पास जिला जैसलमेर में 24 सड़कें हैं, जिनका रख-रखाव ग्रेफ द्वारा किया जाता है। अनुरक्षण हेतु बजट नहीं होने के कारण सम-धानाना सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिनांक 20.11.2001 को हस्तान्तरित की गई है। जैसलमेर से सम-धानाना तक सड़क ग्रेफ के पास नहीं है। यह भी वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन है।

(4) जी नहीं। 31.3.2001 को उक्त जिले में 1631 कि.मी. डामर, 42 कि.मी. मेटल व 563 किमी. ग्रेवल सडकें सार्वजनिक निर्माण विभाग की रख-रखाव सूची में है। अकाल राहत कार्यों में निर्मित व अन्य सडकों की मरम्मत, मरम्मत सूची में ना होने के कारण मरम्मत नहीं की जाती है।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की संचालित परीक्षाओं में घटिया सामग्री उपयोग की जांच

226. श्री प्रभुलाल (नैनवां) एवं **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दिनांक 14 व 15 जून, 2001 की बैठक में बोर्ड के सदस्यों ने 2001 की परीक्षाओं के संचालन, उत्तर पुस्तिकाओं, प्रश्नपत्रों तथा विद्यालयों को मान्यता देने संबंधी कौनसी अनियमितताओं को कार्य विवरण में सम्मिलित किया है? उक्त दिनांक के कार्य विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अनियमितताओं के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है और उसकी अब तक क्या अनुपालना की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(3) क्या यह सही है कि उक्त बैठक में गठित बोर्ड द्वारा परीक्षाओं के संचालन को अनियमित तथा दोषपूर्ण माना तथा प्रश्न-पत्रों में घटिया कागज प्रयुक्त होना तथा विद्यालयों

(श्री प्रभूलाल)

को मान्यता देने में मनमानी होने की पुष्टि की है? यदि हां, तो सरकार ने बोर्ड अध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बोर्ड की बैठक दिनांक 14-15 जून, 2001 का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) तथाकथित अव्यवस्थाओं के बारे में जांच करने हेतु निम्न पांच सदस्यों की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया जिसकी जांच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है :—

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राज. एवं उपाध्यक्ष बोर्ड, संयोजक

2. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर

3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) अजमेर

4. डा. सत्यनारायण स्वामी (परीक्षा समिति द्वारा अनुशासित बोर्ड सदस्य)

5. श्री देवीलाल गहलोत

(3) जी नहीं,। बोर्ड अधिवेशन में परीक्षाओं में रही कतिपय कमियों व अन्य बिन्दुओं पर कुछ अव्यवस्थाओं को लेकर चर्चा हुई। जहां तक प्रश्न पत्र में घटिया कागज प्रयुक्त होने का प्रश्न है, प्रश्न पत्र मुद्रण में प्रयुक्त कागज की जांच भारत सरकार के प्रतिष्ठान से करवाकर प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर वांछित कटौती की जाकर ही मुद्रक को भुगतान किया गया है। मान्यताओं की अव्यवस्था के बारे में यह विमर्श किया गया कि मान्यता शाखा को पुनः गठित करने व दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की सिफारिश की गई ताकि विद्यालयों की मान्यता समय पर जारी हो सके। बोर्ड द्वारा अभियान चलाकर 184 स्थाई व 1095 अस्थाई मान्यता संबंधी प्रकरण निस्पादित कर दिये गये हैं अब किसी भी अव्यवस्था की शिकायत नहीं है अतः बोर्ड अध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

जिला श्रीगंगानगर में भवनों के रखरखाव हेतु प्रदत्त राशि

227. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या प्रारम्भिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा 10 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को शौचालय एवं भवन निर्माण हेतु राशि आबंटित की गई है? यदि हां, तो श्रीगंगानगर जिले को कितनी राशि आबंटित की गयी।

(2) उक्त योजनान्तर्गत उक्त जिले में विधान सभा वार कितने-कितने विद्यालयों को कितनी-कितनी राशि आबंटित की गयी तथा राशि आबंटित करते समय क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये?

(3) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के कितने विद्यालयों को शौचालय, भवन, चारदीवारी निर्माण कार्यों हेतु राशि आबंटित

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

की गई तथा किन-किन विद्यालयों ने राशि का उपयोग किया ?

(4) क्या सरकार 11वें वित्त आयोग के अन्तर्गत उक्त विधान सभा क्षेत्र के भवनविहीन विद्यालयों को एक मुश्त राशि उपलब्ध करवाये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक तथा वर्तमान में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के कितने विद्यालय स्वयं के भवनों के बिना चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। श्रीगंगानगर जिले को रुपये 12,70,000/- की राशि आबंटित की गई है।

(2) शौचालय एवं भवन विहीन विद्यालयों के लिए राशि आबंटित की गयी है। विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के 3 विद्यालयों को शौचालय निर्माण कार्य हेतु राशि आबंटित की गई व आबंटित राशि का उपयोग कर लिया गया है। भवन एवं चारदीवारी हेतु राशि आबंटित नहीं की गई।

(4) श्रीगंगानगर विधान सभा क्षेत्र के 2 विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु राशि का आबंटन किया जा चुका है। विद्यालय विहीन विद्यालयों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "क")

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई एवं गंगापुर में राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं

228. श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1994 से 2001 तक विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई तथा गंगापुर में कुल कितने माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गये ?

(2) गत दो वर्षों में राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं कितनी खोली गई ?

उत्तर

(1) वर्ष 1994 से 2001 तक विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई तथा गंगापुर में क्रमोन्नत किये गये माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों का विवरण निम्नानुसार हैं :—

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	वर्ष	क्रमोन्नत किये गये उ.प्रा.वि. से मा.वि. नाम	क्रमोन्नत किये गये मा.वि. से उ.मा.वि. नाम
1	2	3	4	5
1.	गंगापुर	94-95	मोतवपुरा	पिलौचा
		95-96	मोवा	—
		96-97	गंगापुर (बा.)	—
		97-98	—	—
		98-99	—	—
		99-2000	मच्छीपुरा	—
		2000-01	—	1. तलवंड़ा 2. सेग

(शिक्षा मंत्री)

1	2	3	4	5
2.	बांदीकुई	94-95	—	लोटवाड़ा
		95-96	—	
		96-97	—	
		97-98	अर्निया	
		98-99	मउकलां	
		99-2000	1. पीचूपाड़ा खुर्द 2. निहालपुरा	1. बालिका बसवा 2. गुढ़ाकटला
		2000-01	आभानेरी	देलाड़ी

(2) गत दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई एवं गंगापुरसिटी में क्रमश : 61 से 47 राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं खोली गई हैं।

पोलिटेक्निक महाविद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालय अधिकारी/ पी.टी.आई. को पांचवें वेतन आयोग का लाभ

229. मोहम्मद माहिर आज़ाद (नगर) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के पोलिटेक्निक महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को ए.आई.सी.टी.ई की अभिशंसा पर वेतनमान में पांचवें वेतन आयोग के अनुरूप संशोधन किये गये हैं? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ए. आई. सी. टी. ई. की अभिशंसा के आधार पर राज्य के पोलिटेक्निक महाविद्यालयों में कार्यरत पी.टी.आई. व पुस्तकालय अधिकारी को पांचवें वित्त आयोग के लाभों से लाभान्वित नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार पुस्तकालय सहायक/ पुस्तकालय अधिकारी व पी. टी. आई. को भी पांचवें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान में संशोधन कर लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और कब से?

उत्तर

(1) जी हां। वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक : 16(88) एफडी/निगम/98 दिनांक 25.10.2001 के द्वारा पोलिटेक्नीक संस्थानों के शिक्षकों को ए. आई. सी. टी. ई. की अभिशंसा के अनुरूप पांचवें वेतनमान स्वीकृत किये गये हैं। वेतनमान संबंधी विवरण संलग्न है।

भाग (2) व (3) का उत्तर

जी हां।

पोलिटेक्नीक संस्थान में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्ष एवं पी. टी. आई. को ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा अभिशंसित पांचवे वेतनमान दिये जाने संबंधी प्रकरण राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

उल्लेखनीय है कि पोलिटेक्नीक संस्थानों में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्षों एवं पी. टी. आई.

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 1998 के अनुसार राज्य के पांचवें वेतन आयोग के वेतनमान स्वीकृत किये जा चुके हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

ग्राम मींड़ा में स्थापित सब स्टेशन की चारदीवारी निर्माण में अनियमितता की जांच

230. श्री हरिश चन्द कुमावत (नावां) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मारोठ के 33 के.वी. ग्रिड सबस्टेशन को नावां (आवास) 132 के.वी. ग्रिड सबस्टेशन से जोड़ने का कार्य किस तिथि को स्वीकृत हुआ तथा उसके बाद अब तक कितना कार्य किस-किस एजेन्सी द्वारा किया गया है? उक्त कार्य के अपूर्ण रहने का क्या कारण है व अब उक्त कार्य को कितने समय में पूर्ण करा दिया जावेगा?

(2) क्या यह सही है कि मारोठ ग्राम की मेघवाल बस्ती में अनुसूचित जाति कोटा से विद्युतीकरण करना वर्ष 1992 में स्वीकृत कराया गया था? यदि हां, तो काम अब कब तक पूर्ण होगा और वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) 33 के.वी. का ग्रिड सबस्टेशन के चारदीवारी निर्माण कार्य तहसील नावां में किस-किस ठेकेदार द्वारा किस-किस जगह का कितनी-कितनी राशि का करवाया जा रहा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) ऐसे काम में कौन-कौन से आइटम सम्मिलित हैं?

(5) क्या ग्राम मींडा की 33 के. वी. ग्रिड सबस्टेशन पर बनाई जा रही चारदीवारी के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई तथा उसका इन्सपेक्शन नोट नं. 1999 दिनांक 15-1-2002 को तैयार हुआ? यदि हां, तो उक्त प्राप्त आब्जर्वेशन के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने कोई निर्देश दिये? यदि हां, तो उक्त की प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या उक्त निर्देशों के अनुसार सभी स्टेशनों पर जहां चारदीवारी निर्माण का कार्य हो रहा है वहां की जांच किसी अधिकारी द्वारा कर ली गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) इन्सपेक्शन नोट में जो कमी पाई गई है उसके आधार पर कितनी राशि की कटौती ठेकेदार के भुगतान बिलों से की जायेगी? क्या उस कमी के कारण निर्मित चारदीवारी के स्थायित्व पर कोई असर पड़ेगा? यदि हां, तो कितना तथा सब-स्टेण्डर्ड का निर्माण से क्या असर पड़ेगा?

(7) क्या ऐसे चारदीवारी निर्माण की फाउन्डेशन के स्पेसिफिकेशन निर्धारित किये हुए हैं? क्या उसकी गहराई का इन्सपेक्शन किया गया? यदि नहीं तो क्यों? अब कब तक जांच करवाई जाकर यह इन्सपेक्शन नोट तैयार करवा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) ग्राम मारोठ की 33 के.वी. उप चौकी को नावां शहर 132 के.वी. ग्रिड सबस्टेशन से जोड़ने का कार्य दिनांक 28.8.1998 को स्वीकृत किया गया था तथा यह कार्य वर्ष 2000-01 के सब ट्रांसमिशन कार्य में करना प्रस्तावित था। यह कार्य तत्कालीन राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के टी.सी.सी., वृत-तृतीय, अजमेर द्वारा सम्पादित किया जाना था। इस कार्य के अन्तर्गत मै. विजय ट्रेडर्स, अजमेर में चार कि.मी. 33 के.वी. लाइन के पोल भी खड़े कर दिये थे लेकिन भगवानपुरा गांव जो कि उक्त लाइन के बीच में पड़ता है, के किसानों ने अपने खेत में से लाइन के नहीं खींचने देने के कारण कार्य अपूर्ण रह गया। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के विभाजन के बाद यह कार्य अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को पूर्ण करना है। विवाद को हल करने के प्रयास किये जा रहे हैं। विवाद हल होते ही इस कार्य को पूर्ण करने के प्रयास किये जायेंगे।

(2) जी हां। मारोठ गांव की मेघवाल बस्ती को विद्युतीकृत करने का कार्य अनुसूचित जाति कोटे के अन्तर्गत दिनांक 27.03.1993 को स्वीकृत किया गया था। इस बस्ती के विद्युतीकरण का कार्य बस्ती में आपसी विवाद के कारण पूर्ण नहीं हो सका। इस बस्ती के विद्युतीकरण में प्रस्तावित 20 पोल में से 8 पोल खड़े भी कर दिये थे। बस्ती के आपसी विवाद को सुलझाने के प्रयास किये जा रहे हैं। विवाद के खतम होते ही बस्ती के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर दिया जावेगा।

(3) नावां तहसील के विभिन्न 33 के.वी. सबस्टेशन के चारदीवारी के निर्माण करने वाले ठेकेदारों पर राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) चारदीवारी के निर्माण में नींव की खुदाई, बेस कान्क्रीट 1 : 5 : 10 नींव व ऊपर 1 : 8 (सीमेन्ट बजरी के मसाले में) की चुनाई कोपिंग, पोंइटिंग, प्लास्टर तथा स्टील गेट के आइटम आदि सम्मिलित किये गये हैं।

(5) 33 के.वी., सबस्टेशन मीण्डा पर चारदीवारी के कार्य के संबंध में जिला परिषद् के सदस्य श्री भंवर लाल बाबेल द्वारा दि. 29.01.02 को की गई शिकायत अधीक्षण अभियन्ता, नागौर के मार्फत तथा वैसी ही शिकायत जो कि श्री भंवर लाल बाबेल, सदस्य जिला परिषद्, नागौर द्वारा अध्यक्ष, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर को प्रेषित की गई थी, दि. 7.2.02 को अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के कार्यालय में प्राप्त हुई थी। उक्त शिकायत पर अविलम्ब कार्यवाही करते हुए अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के गोपनीय पत्रांक 34 दि. 7.2.02 द्वारा जांच करने हेतु निर्देश जारी किये गये। पत्रों की प्रति परिशिष्ट "ब" व "स" पर संलग्न है।

इस संबंध में विस्तृत जांच करवायी जा रही है। जांच कार्य में खामियां पायी गयी तो उसे दुरुस्त करवाया जायेगा। अगर दोषपूर्ण कार्य करने में ठेकेदार दोषी पाये गये तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी। साथ ही अगर कोई अधिकारी दोषी पाया गया या किसी अधिकारी की दोषपूर्ण कार्य शैली से कार्य में खामियां पायी गयी तो ऐसे

(ऊर्जा मंत्री)

अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(6) विस्तृत जांच करवाई जा रही है तथा जांच के पश्चात् निष्कर्षों के आधार पर ही नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(7) चारदीवारी के फाउण्डेशन के स्पेसिफिकेशन निर्धारित किये हुए हैं। साधारणतः चारदीवारी के फाउण्डेशन की गहराई दो फीट रखी जाती है। बेस कंक्रीट की मोटाई चार इंच रखी जाती है तथा नींव की चुनाई डेढ़ फुट आसार में की जाती है तथा ऊपर की चुनाई एक फीट आसार में ली जाती है। विभिन्न कार्यों में नीवों की गहराई व बेस कंक्रीट इत्यादि का निरीक्षण सहायक अभियन्ता स्तर पर किया जाता है तथा जहां संभव हो अधिशासी अभियन्ता (सिविल) द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है। सहायक अभियन्ता द्वारा फाउन्डेशन सैक्शन चैक करने के बाद ही आगे के कार्य हेतु अनुमति दी जाती है। नावां तहसील के भी विभिन्न कार्यों में फाउण्डेशन का कार्य गहराई इत्यादि का सहायक अभियन्ता द्वारा इन्सपैक्शन कर लिया गया है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम उंटड़ा (अजमेर) में विद्युत आपूर्ति में अवरोध

231. **श्री रमजान खान** (पुष्कर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम ऊंटड़ा (अजमेर) में न्यूट्रल वायर की कमी के कारण आये दिन गांव की विद्युत सामग्रियां जलती रहती हैं?

(2) क्या यह सही है कि विद्युत विभाग को बार-बार लिखे जाने के उपरान्त भी ग्राम ऊंटड़ा में न्यूट्रल वायर डालने का कार्य पूर्ण नहीं किया गया? क्या सरकार ग्राम ऊंटड़ा में न्यूट्रल वायर डालने की कार्यवाही कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) ग्राम ऊंटडा में जहां आवश्यकता थी वहां न्यूट्रल वायर डालने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

मैकेनिकल मीटरों की खरीद में हुई अनियमितताएं निविदाएं

232. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भिवाड़ी स्थित विकास हाइब्रिड इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड से विद्युत विभाग ने जो इलेक्ट्रोनिक मीटर खरीदे हैं क्या उनके लिये निविदाएं आमंत्रित की गई थी? यदि हां, तो किन-किन फर्मों की निविदाएं आई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि निविदाएं मैकेनिकल मीटर की आमंत्रित की गई थी और बी. एच. ई. एल. से इलेक्ट्रोनिक्स मीटर खरीद लिये गये जो कि आई. एस. आई. और आई. एस. ओ. मार्का नहीं थे? ना ही इन मीटरों पर नंबर पट्टी थी?

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

(3) क्या उक्त मीटरों की आपूर्ति से पूर्व नियमानुसार जांच की गई थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या बी. एच. ई. एल. से खरीदे मीटरों में कोई अनियमितता हुई थी ? क्या इसमें कोई शिकायत प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विद्युत विभाग ने मै. वी. एच. ई. एल. से जो इलेक्ट्रोनिक मीटर खरीदें उनके लिये निविदाएं निविदा सं. 1514 के अन्तर्गत आमंत्रित की गई थी। निविदा की प्रति परिशिष्ट "अ" पर सदन की पटल पर रख दी गई है। जिन फर्मों से निविदाएं आई उनकी प्रति परिशिष्ट "ब" पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) यह भी सही नहीं है कि निविदा सं. 1514 के अन्तर्गत छह लाख मीटर खरीदने के लिए निविदा प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी। यह निविदा "सिंगल फेज एनर्जी मीटर" के लिए थी। इसमें यांत्रिक या इलेक्ट्रोनिक मीटर के बारे में कुछ भी अंकित नहीं था। अतः निविदादाता यांत्रिक या इलेक्ट्रोनिक्स किसी भी प्रकार मीटर का प्रस्ताव देने के लिए स्वतंत्र थे। मै. वी. एच. ई. एल. से जो इलेक्ट्रोनिक मीटर खरीदे गये उन्हें निविदा खुलने के समय ही आई. एस. ओ. 9001 प्रमाण पत्र मिला हुआ था। फर्म को जारी किये गये क्रय आदेश में फर्म द्वारा आई. एस. आई. मीटर सप्लाई करने का प्रावधान था। मण्डल के पूर्णकालिक सदस्यों की दिनांक 18.1.1995 की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यदि आई. एस. आई. प्रमाण पत्र मिलने में किसी प्रकार का विलम्ब हो तो मीटरों के आई. एस. आई. होने के मुद्दे पर पुनर्विचार किया जा सकता है एवं यदि मीटर सम्बन्धित आई. स्वीकार किया जा सकता है। उक्त बैठक के मिनिट्स की प्रति परिशिष्ट 'स' पर सदन के पटल पर रख दी गई है। फर्म द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले मीटरों की प्रथम निरीक्षण रिपोर्ट आने तक फर्म को आई. एस. आई. प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ था। अतः मीटरों की आवश्यकता को देखते हुए तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता (क्रय-I) ने उपरोक्त उल्लिखित निर्णय के परिपेक्ष्य में बिना आई. एस. आई. मीटर स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव रखा जिससे मुख्य अभियन्ता (प. प्र.) ने स्वीकृत कर लिया जिसकी प्रति परिशिष्ट 'द' पर सदन के पटल पर रख दी गई है। दिनांक 30.11.1995 को फर्म को आई. एस. आई. प्रमाण पत्र मिलने के उपरान्त फर्म द्वारा आई. एस. आई. मार्क मीटर ही आपूर्ति किये गये। फर्म द्वारा बिना आई. एस. आई. मार्क सप्लाई किये गये मीटर भी सम्बन्धित आई. एस. आई. के प्रावधानों के अनुरूप थे। फर्म को जारी आई. एस. ओ. 9001 एवं आई. एस. आई. प्रमाण पत्र की प्रति परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' पर सदन के पटल पर रख दी गई है। फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये सभी मीटरों पर मीटर क्रमांक अंकित थे।

(3) उक्त फर्म की मीटरों की सप्लाई से पूर्व नियमानुसार जांच की गई थी। फर्म द्वारा

(ऊर्जा मंत्री)

दिये गये प्रत्येक निरीक्षण आवेदन के अन्तर्गत प्रस्तावित किये गये मीटरों की मण्डल के निरीक्षकों द्वारा जांच की गई थी। एक खेप की जांच रिपोर्ट की प्रति नमूने के बतौर परिशिष्ट 'ख' पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) यह सही नहीं है। मै. वी. एच. ई. एल. से खरीदे गये मीटरों में कोई अनियमितता नहीं हुई। उक्त फर्म द्वारा सप्लाई किये गये मीटरों की पहली शिकायत अधिशासी अभियन्ता (मीटर टैस्टिंग) जोधपुर द्वारा मुख्य अभियन्ता (एम.एण्ड पी.) जयपुर को प्रेषित की गई थी जिसकी सूचना मुख्य अभियन्ता (एम.एण्ड पी.) के पत्र संख्या 1514 दिनांक 10.11.1995 द्वारा मुख्य अभियन्ता (प.प्र.) कार्यालय को दी गई। फर्म को इन खराब मीटरों को ठीक करने या बदलने के लिए कहा गया एवं अधिशासी अभियन्ता (एम.टी.) जोधपुर की दिनांक 25.11.1995 की रिपोर्ट के अनुसार फर्म द्वारा उपरोक्त खराब मीटर ठीक कर दिये गये। मुख्य अभियन्ता (एम.एण्ड पी.) एवं अधिशासी अभियन्ता (एम.टी.) जोधपुर के उपरोक्त उल्लेखित पत्रों की प्रति क्रमशः परिशिष्ट 'य' एवं 'र' पर सदन के पटल पर रख दी गई है। इसके अतिरिक्त अधिकारियों के साथ सामान्य बैठक के दौरान तत्कालीन मण्डल के अध्यक्ष को यह बताया गया कि ये मीटर अधिक लोड पर ठीक तरह से काम नहीं करते अतः उन्होंने उस बैठक में ही ये आदेश दे दिये कि उक्त कम्पनी का भुगतान रोक दिया जावे तथा सभी मीटरों को ठीक करने के लिए बाध्य किया जावे। इसके पश्चात् कम्पनी के प्रतिनिधि दल ने बताया कि मीटर निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शत-प्रतिशत सही थे तथा आई. एस. एस. के मानकों के हिसाब से 400 प्र.श. लोड अधिक डालने पर भी मीटर ठीक काम करना चाहिए। जबकि ये मीटर 500 प्र.श. के अतिरिक्त लोड पर भी ठीक काम कर रहे हैं तथा कम्पनी के प्रतिनिधियों द्वारा स्पष्टीकरण देने के बाद में यह प्रमाणित हो गया कि मीटर बिलकुल ठीक थे और उनमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी फिर भी उन पर दबाव डाला गया कि मीटर की क्षमता को बढ़ायें। कम्पनी के प्रतिनिधियों ने कहा कि नियमानुसार इस प्रकार की क्षमता को बढ़ाने की न तो आवश्यकता है और न ही वे कानूनन इसके लिए बाध्य हैं परन्तु फिर भी विद्युत मण्डल के विशेष जोर देने पर उन्होंने उनकी क्षमता बढ़ाने का कार्य अपने हाथ में लिया तथा 85894 मीटर्स की क्षमता बढ़ाई गई। अतः यह स्पष्ट है कि मीटर सभी दृष्टि से ठीक थे और जिनकी क्षमता नहीं बढ़ाई गई वे भी निर्धारित मापदण्डों पर खरे उतरते थे।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

सहायक अभियन्ता कार्यालय मुरलीपुरा द्वारा कृषकों के पते में परिवर्तन हेतु लम्बित पत्रावलियां

233. **श्री ललित भाटी** (अजमेर पूर्व) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सहायक अभियन्ता (ओ.एण्ड एम.) मुरलीपुरा, जयपुर के

(श्री ललित भाटी)

खाता सं. 2408-128 के नाम पता दुरुस्त सहायक अभियन्ता (ग्रामीण), वी. के. आई. ए. को ट्रांसफर करने के लिए उपभोक्ताओं द्वारा एक आवेदन-पत्र दिनांक 6-8-2001 को प्रस्तुत किया तथा दूसरा आवेदन पत्र दिनांक 5-9-2001 को प्रस्तुत करने पर सहायक अभियन्ता, द्वारा मार्क कर कनिष्ठ अभियन्ता जोड़ला (हरमाड़ा) को भिजवाया गया? क्या उक्त की प्राप्ति उपभोक्ताओं के पास उपलब्ध है? यदि हां, तो अब तक कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण हैं? उक्त पत्रों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कृषि कनेक्शन के उपभोक्ताओं का नाम व पता विद्युत कर्मियों द्वारा गलत इन्द्राज किया गया है? क्या सरकार उक्त को दुरुस्त करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त प्रकरण में दोषी विद्युत कर्मियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? क्या उक्त कर्मी उपभोक्ताओं के पत्र कई महीनों तक लम्बित रखते हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त कृषि कनेक्शन पर ग्रामीण होते हुए शहरी यूनिट चार्ज वसूल किया गया है? यदि हां, तो कितनी व निगम द्वारा बिल सही पते पर नहीं पहुंचाने से कितनी-कितनी पैनल्टी राशि वसूल की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या विद्युत प्रसारण निगम उक्त ग्रामीण कृषि कनेक्शनों पर मनमाने ढंग से बिना काश्तकार को सूचित किये इलेक्ट्रोनिक मीटर लगाकर कृषकों का शोषण कर रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या उक्त कृषि कनेक्शन सहायक अभियन्ता (ग्रामीण) वी. के. आई. ए., जयपुर का है? क्या उक्त सम्बन्ध में पूर्व में भी जानकारी हो गई थी परन्तु अब तक उक्त कनेक्शन को ट्रांसफर करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है? क्या सरकार ऐसे सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सहायक अभियन्ता (पवस), मुरलीपुरा, जयपुर के खाता संख्या 2408-128 का नाम पूर्व से सही चल रहा है, पूर्ण पता दुरुस्त करके पटवारी रिपोर्ट के आधार पर राजस्व सीमा के अनुसार उपभोक्ता के अभिलेख सहायक अभियन्ता (ग्रामीण), वी.के.आई.ए., जयपुर को प्रेषित किये जा चुके हैं। उपभोक्ता द्वारा दिनांक 06.08.2001 व 05.09.2001 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना कार्यालय के उपलब्ध रिकार्ड में दर्ज नहीं है।

(2) उप खण्ड (ग्रामीण) के विभाजन के पश्चात् फीडरवार उपभोक्ताओं के बंटवारा करने पर कम्प्यूटर एजेंसी द्वारा पते में ग्राम नींदड दर्ज किया गया था, इसमें किसी कर्मचारी का दोष प्रतीत नहीं होता है। अब

(ऊर्जा मंत्री)

पटवारी से ग्राम की राजस्व सीमा का सत्यापन करके पता दुरुस्त कर दिया गया है।

(3) इस प्रकरण में कोई कर्मचारी दोषी प्रतीत नहीं होता है। उपभोक्ताओं के पत्रों का निस्तारण समयावधि में करने का हमेशा प्रयास किया जाता है।

(4) वर्तमान में उपभोक्ता को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति वाले शहरी फीडर से विद्युत आपूर्ति की जा रही है। ऐसे उपभोक्ताओं से 1.65 रुपये प्रति यूनिट बिल राशि लेने का प्रावधान है और उक्त उपभोक्ता से भी यह राशि बिल के द्वारा ली जा रही है। उपभोक्ता को अन्य उपभोक्ताओं के साथ ही बिल प्रेषित किया गया है और उसके द्वारा जमा भी करवाये जा रहे हैं। अतः बिल प्राप्त न होने की शिकायत उचित नहीं लगती है।

(5) नियामक आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सभी उपभोक्ताओं के कनेक्शनों पर मीटर लगाना आवश्यक है। इसलिए जिन उपभोक्ताओं के यहां मीटर नहीं हैं या खराब हैं, उनके इलेक्ट्रोनिक मीटर लगाये जा रहे हैं या बदले जा रहे हैं और मीटर में अंकित विद्युत खपत के अनुसार ही बिल दिये जा रहे हैं अतः इसमें शोषण करने जैसी कोई बात नहीं है।

(6) उक्त उपभोक्ता के बारे में जानकारी होने पर सम्बन्धित पटवारी से ग्राम की राजस्व सीमा का सत्यापन करवाया गया है जिससे यह ज्ञात हुआ कि उपभोक्ता की कृषि भूमि ग्राम बैनाड़ा नींदड़ (दौलतपुरा) सीमा में है। अतः उसके बाद ही कार्यवाही करते हुए इसको उप खण्ड (ग्रामीण), वी. के. आई. ए., जयपुर में स्थानान्तरित किया गया है। यह कार्य नियमानुसार ही किया गया है अतः इसमें सहायक/ कनिष्ठ अभियन्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

अन्तरराष्ट्रीय सीमा जिला जैसलमेर की फ्लड लाइनों से पेयजल हेतु विद्युत कनेक्शन

234. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर की अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर फ्लड लाइट हेतु विद्युत लाइनें खींची हुई हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि सीमा क्षेत्र में कई पेयजल हैण्ड ट्यूबवैल हैं? जिनसे सीमा सुरक्षा बल जल आपूर्ति लेते हैं उनको उक्त विद्युत लाइन से नहीं जोड़ा जा रहा है?

(3) क्या यह सही है कि विद्युत नहीं मिलने से पेयजल आपूर्ति हेतु राज्य सरकार को प्रतिवर्ष पचास लाख की राशि का डीजल खर्च आता है?

(4) क्या बार्डर फ्लड लाइनों से अन्य विद्युत कनेक्शन देने की मनाही है? यदि हां, तो उक्त की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार बार्डर फ्लड लाइन के पेयजल योजनाओं को जोड़ने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सीमा क्षेत्र में पेयजल हेतु ट्यूबवैलों के बारे में प्रश्न ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित नहीं है। बोर्डर फ्लड लाइटिंग हेतु खींची गई लाइनों से अन्य प्रकार के उपभोक्ताओं को कनेक्शन नहीं दिये जाते हैं। सामान्यतः समर्पित लाइनों को सम्बन्धित विभाग जिसके खर्चे पर लाइन खींची गई है, की पूर्व अनुमति के बिना अन्य कोई भी कनेक्शन नहीं दिया जाता है।

(3) विद्युत वितरण निगम द्वारा पेयजल योजनाओं को निर्धारित नीति के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जाती है। शेष प्रश्न ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

(4) जी हां। सीमा पर फ्लड लाइटिंग हेतु सम्बन्धित विभाग के खर्चे पर जो लाइनें खींची गई है, उन लाइनों से अन्य प्रकार के कनेक्शन देने से फ्लड लाइटिंग के कार्य में बाधा आ सकती है, अतः सामान्यतः इस प्रकार की समर्पित लाइनों पर अन्य प्रकार के कनेक्शन नहीं दिये जाते है। यह एक सामान्य नियम है।

(5) उपरोक्तानुसार।

कार्यालय सहायक जोधपुर के मृतक आश्रितों को नियुक्ति

235. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री मन्नूलाल चारण, निवासी बालोतरा, ऊर्जा विभाग, बालोतरा में एस. एस. ए. द्वितीय (सहायक द्वितीय), कार्यालय सहायक अभियन्ता (पंचायत समिति) जोधपुर, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बाड़मेर में कार्य करते थे? क्या उसकी मृत्यु पद पर रहते हुए आकस्मिक कारण से हुई? यदि हां, तो सरकार ने मृतक के स्थान पर उसके पुत्र श्री सुनील जो अब 17 या 18 वर्ष का है को लगाने का निर्णय ले लिया है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो उक्त मृतक के पुत्र को कब तक उसके पिता के स्थान पर नौकरी दे दी जाएगी?

(2) क्या यह सही है कि मृतक के पुत्र ने 16 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् सरकार को नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र दे दिया था?

(3) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के पास ऐसे कितने प्रार्थना पत्र सेवा में रहते आकस्मिक मृत्यु हो जाने वाले मृतक के वारिसान के नियुक्ति दिलाने हेतु विचाराधीन है? उक्त विचाराधीन प्रार्थना पत्र पर कब तक मानवीयता के आधार पर निर्णय हो जायेगा? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। श्री मन्नूलाल चारण एस. एस. ए. द्वितीय (सहायक द्वितीय) निवासी बालोतरा, जोधपुर विद्युत वितरण निगम के उप खण्ड कार्यालय बालोतरा में कार्यरत थे। उनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। प्रार्थी (सुनील कुमार पुत्र स्व. मन्नूलाल चारण) द्वारा जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में अधिमानता के आधार पर नियुक्ति हेतु दिनांक 5.7.2001 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र में कुछ कमियां थी,

(ऊर्जा मंत्री)

जिसको दूर करने एवं आवश्यक दस्तावेज पेश करने हेतु प्रार्थी को सूचित कर दिया गया था। प्रार्थी द्वारा वांछित औपचारिकताएं पूर्ण करने व दस्तावेजों की प्रस्तुति के उपरान्त ही नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) जी हां। प्रार्थी ने दिनांक 5.7.2001 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

(3) जोधपुर विद्युत वितरण निगम के पास अधिमानता के आधार पर नियुक्ति हेतु प्राप्त लम्बित आवेदनों की सूची परिशिष्ट "अ" पर सदन के पटल पर रख दी गई है। सभी प्रार्थियों को प्रार्थना पत्र में रही कमियों को पूरा करने व अपूर्ण प्रार्थना पत्रों के लिए वांछित दस्तावेजों प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया जा चुका है। औपचारिकताएं पूर्ण होने व वांछित दस्तावेज प्राप्त होने के उपरान्त ही नियमानुसार उचित कार्यवाही की जा सकेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

सौर ऊर्जा लाइटों की आम नागरिकों को उपलब्धता

236. **श्री हीरालाल विश्नोई** (सांचौर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सांचौर में विद्युत की समस्या को देखते हुए काफी संख्या में सौर ऊर्जा लाइटों की मांग आम जनता द्वारा की जा रही है ?

(2) क्या उक्त की दरें अधिक होने के कारण आम जनता इन्हें खरीद नहीं पाती है ?

(3) क्या सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार कर सौर उर्जा लाइटें आम नागरिकों को अनुदान दरों पर उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह सही नहीं है कि सौर ऊर्जा लाइटों की दरें अधिक होने से आम जनता इन्हें खरीद नहीं पा रही है। वर्तमान में एक सौर लाइट (डीएलएस) उपकरण का मुल्य 12125/-रुपये है जिसमें रुपये 5500/- का केन्द्रीय/राज्य सरकार का अनुदान है। शेष राशि रुपये 6625/- लाभान्वित को वहन करनी होती है।

(3) वर्तमान में सरकार सौर ऊर्जा लाइटों पर अनुदान बढ़ाने का कोई विचार नहीं रखती है।

विद्युत कम्पनियों द्वारा छवि सुधारने हेतु किया गया अनुबन्ध

237. **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि किसी विज्ञापन एजेंसी को प्रदेश में कार्यरत विद्युत कम्पनियों द्वारा छवि सुधारने हेतु कोई अनुबन्ध किया है ? यदि हां, तो अनुबन्ध की शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन उदार शर्तों से उक्त विज्ञापन एजेंसी को अत्यधिक लाभ पहुंचाया गया व विद्युत कम्पनियों को इससे कोई लाभ नहीं है ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में कार्यरत विद्युत कम्पनियों द्वारा छवि सुधारने हेतु विज्ञापन एजेंसी मैसर्स वर्ल्डवाइड एजेंसी मुंबई से दिनांक 1.12.2001 को अनुबन्ध किया गया था। अनुबन्ध की प्रति परिशिष्ट "अ" पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है कि उदार शर्तों से विज्ञापन एजेंसी को अत्यधिक लाभ पहुंचाया गया व विद्युत कम्पनियों को इससे कोई लाभ नहीं है। इस एजेंसी द्वारा अनुबन्ध के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण दिनांक 21 फरवरी, 2002 को तत्काल प्रभाव से इससे व्यवसायिक सम्बन्ध विच्छेद कर दिये गये हैं।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर के कमीशन रहित ग्राम

238. श्री अमीन खान (शिव) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के सीमावर्ती जिला बाड़मेर व जैसलमेर में कितने ग्रामों को कमीशन करने का विचार सरकार रखती है? वर्ष 2002-2003 में पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिन-जिन पंचायत समितियों में अभी तक विद्युतीकरण पिछड़ा है उनको प्राथमिकता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो जिला बाड़मेर की पंचायत समिति शिव, बाड़मेर व जिला जैसलमेर की सम में कितने गांवों का विद्युतीकरण करने का विचार है?

उत्तर

(1) राज्य के सीमावर्ती जिले बाड़मेर व जैसलमेर में ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना में वार्षिक निर्धारित लक्ष्यों एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि अनुसार विद्युतीकरण किया जाता है। वर्ष 2002-03 के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लक्ष्य व गांवों का चयन अभी नहीं किया गया है। अतः सूची प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है।

(2) जी हां। जोधपुर विद्युत वितरण निगम के अन्तर्गत जिला बाड़मेर व जैसलमेर में जिन पंचायत समितियों में कम विद्युतीकरण हुआ है, उन पंचायत समितियों के गांवों के विद्युतीकरण हेतु दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में विद्युतीकरण की विभिन्न योजनाओं के तहत कार्यवाही करना प्रस्तावित है।

अन्य पिछड़ा वर्ग में नवीन जातियों का समावेश

239. श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में दिनांक 19 अक्टूबर, 1999 के बाद कौन-कौन सी नई जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है?

उत्तर

अक्टूबर, 1999 के बाद जिन जाति/वर्गों को राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 03.11.99, 12.11.99, 01.01.2000, 02.01.2000, 10.01.2000, 26.6.2000 एवं 20.8.2001 द्वारा पिछड़ा वर्ग की सूची में

(समाज कल्याण मंत्री)

सम्मिलित किया है। जारी अधिसूचनाओं की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न हैं।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) में वृद्धावस्था पेंशन

240. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रतापगढ़ उप खण्ड जिला चित्तौड़गढ़ में किन-किन व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन दी जा रही है? पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सभी पात्र पेंशनधारियों को वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हो पाने से वंचित रहना पड़ रहा है? यदि हां, तो विचाराधीन आवेदकों को कब तक पेंशन लाभ दे दिया जायेगा? विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या सूची पंचायतवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रतापगढ़ उप खण्ड जिला चित्तौड़गढ़ में जिन-जिन व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन दी जा रही है उनकी पंचायतवार संख्या सूची संलग्न परिशिष्ट-1 पर अवलोकनीय है।

(2) आवेदनानुसार समस्त वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं। कोई भी स्वीकृति जारी करना शेष नहीं है, जिससे कि पेंशनधारियों को पेंशन से वंचित रहना पड़े। कोई भी आवेदन पत्र विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

सोशियल वेलफेयर रिसर्च सेंटर तिलोनिया (अजमेर) संस्था के लेखों का अंकेक्षण

241. श्री सांवरलाल (भिनाय) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सोशियल वेलफेयर रिसर्च सेंटर (एस.डब्ल्यू.आर.सी.) नामक संस्था तिलोनिया (अजमेर) में चल रही है? यदि हां, तो किस तारीख से? उक्त संस्था को राज्य सरकार ने कितनी जमीन किन-किन शर्तों के अधीन दी? उक्त भूमि पर किस-किस प्रकार का क्या निर्माण उक्त संस्था ने कर रखा है? उक्त संस्था के नियम/उपनियम कार्य क्षेत्र क्या-क्या है?

(2) उक्त संस्था को विगत पांच वर्षों में क्या-क्या सहायता/अनुदान आदि कहां-कहां से प्राप्त हुए तथा इसका उपयोग किस प्रकार किया गया? क्या यह संस्था कुछ निर्माण करके बेचने का कार्य करती है? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस संस्था के लेखों का अंकेक्षण राज्य सरकार या अन्य एजेंसीज द्वारा करवाया जाता है? यदि हां, तो कब-कब किनके द्वारा करवाया गया?

उत्तर

(1) समाज कार्य एवं अनुसंधान केन्द्र नामक संस्था वर्ष जुलाई, 1972 से तिलोनियां में कार्यरत है। इस संस्था को विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की जमीन आबंटित नहीं करवायी गयी है। उक्त संस्था को राज्य सरकार के वित्त विभाग के पत्र क्रमांक एफ. 31/86/एग्रो/सीबीआई/72 के निर्देशानुसार माह जुलाई, 1972 में ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र की भूमि लीज पर दी गई। लीज पर दी गयी भूमि का क्षेत्रफल 85 बीघा 2 बिस्वा है व वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाये गये नये भवनों का क्षेत्रफल 87464 वर्ग फीट है।

(2) उक्त संस्था को विभाग द्वारा किसी प्रकार का कोई अनुदान नहीं दिया जाता है। संस्था को विभिन्न संस्थाओं द्वारा वर्ष 1996-97, 97-98, 98-99, 99-2000 व 2000-2001 में संलग्न विवरणानुसार अनुदान/सहायता प्रदान की हुई। प्राप्त अनुदान का उपयोग उक्त संस्था द्वारा ग्रामीण दस्तकारों के साथ परम्परागत हस्तकला को संरक्षित रखने की दृष्टि व नियमित रोजगार उपलब्ध कराने हेतु उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराने में किया गया।

(3) उक्त संस्था के लेखा-जोखों का चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा नियमित अंकेक्षण किया जाता है तथा जो एजेंसी अनुदान देती है उसके द्वारा भी अनुदान के उपयोग का नियमित रूप से अंकेक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त विज्ञान व तकनीकी विभाग व केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड जो भारत सरकार का उपक्रम है तथा विदेशी अनुदाता संस्थाओं द्वारा भी समय-समय पर अंकेक्षण करवाकर तथा फील्ड स्तर पर जाकर कार्यों की गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन किया जाता रहा है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

जिला परीवीक्षा एवं समाज कल्याण कार्यालय अलवर में आगजनी

242. श्री उदय सिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला परीवीक्षा एवं समाज कल्याण कार्यालय अलवर में नवम्बर, 1996 में आग लगने से कार्यालय का रिकार्ड नष्ट हुआ था? यदि हां, तो विभाग द्वारा उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिला परीवीक्षा एवं समाज कल्याण विभाग, अलवर की विभाग या आडिट वर्ष 1994 तक की हुई थी? यदि हां, तो उसमें किस-किस अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध राजकीय राशि के आक्षेप किए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्यालय में आगजनी की घटना के समय कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी

(श्री उदय सिंह राठौड़)

कार्यालय में कब से पदस्थापित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त में आगजनी की घटना के सम्बन्ध में किन-किन अधिकारी/ कर्मचारियों को विभाग द्वारा किस तिथि को निलम्बित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि विभाग में ऐसे अधिकारी/कर्मचारी पदस्थापित हैं जिन पर विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा आक्षेप निर्धारित करने के पश्चात् भी उनका निलम्बन रद्द किया गया है? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला परीवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, अलवर में आगजनी के कारण कार्यालय का रिकार्ड नष्ट हुआ। जिसकी एफ.आई.आर. तत्कालीन जिलाधिकारी श्रीमती चन्द्रबाला आर्य द्वारा कोतवाली, अलवर में आई.एफ.आर. संख्या 552 दिनांक 4.11.1996 द्वारा दर्ज कराई गई है।

विभाग द्वारा विभागीय मुख्य लेखाधिकारी एवं अंकेक्षण दल भिजवाया जाकर विशेष जांच करवाई गई जिसके अन्तर्गत जिला परीवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, अलवर में राशि रुपये 20.67 लाख का गबन होना पाया गया। वर्तमान में प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) जी हां। जिला परीवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, अलवर के लेखा वर्ष 4/90 से 3/94 के आन्तरिक जांच प्रतिवेदन में जिन अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध राजकीय राशि के आक्षेप किये गये हैं उनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है इसके अतिरिक्त इस प्रतिवेदन में सत्र 1990-91 से 1993-94 के जांच माह जून, सितम्बर, दिसम्बर व मार्च महीनों में विकलांग छात्रवृति के एवं मैस समिति को भेजे गये राशि रुपये 33.72 लाख के डी.डी. की प्राप्ति रसीदों के अभाव का आक्षेप भी लिया गया है। यद्यपि इनमें किसी अधिकारी/कर्मचारी के नाम का उल्लेख नहीं है तथापि जिलाधिकारी को जांच महीनों के अतिरिक्त सत्र 1990-91 से 1993-94 तक के अन्य महीनों में भेजे गये डी.डी. की भी भुगतान प्राप्ति रसीदों को प्राप्त कर आगामी जांच के समय सत्यापित कराने हेतु कहा गया है। इसी प्रकार कुछ आक्षेप ऐसे भी है जिनमें राशि वसूली योग्य अंकित है किन्तु किसी अधिकारी/कर्मचारी का नाम अंकित नहीं है। ऐसे आक्षेपों में जिलाधिकारी से पुष्टि करने के बाद सम्बन्धित से वसूल करने हेतु कहा गया है।

(3) आगजनी की घटना के समय निम्न लिखित अधिकारी/कर्मचारी जिला कार्यालय अलवर में पदस्थापित थे :—

(समाज कल्याण मंत्री)

क्र.सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद	कब से कार्यरत
1	श्रीमती चन्द्र बाला आर्य	जि.प.एवं स.क.अधिकारी	08.07.94
2	श्री महेश चन्द शर्मा	कनिष्ठ लेखाकार	28.6.95
3	श्री पूरण मल	कार्यालय सहायक	09.11.94
		(कल्याण निरीक्षक पद के विरूद्ध)	
4	श्री रोहिताश्व कुमार	वरिष्ठ लिपिक	21.04.95
5	श्री महेश चन्द्र गुप्ता	कनिष्ठ लिपिक	26.12.90
6	श्री प्रहलाद मीणा	कनिष्ठ लिपिक	04.06.90
7	श्री रमेश चन्द मीणा	कनिष्ठ लिपिक	03.10.91
8	श्री सीताराम शर्मा	कनिष्ठ लिपिक	माह. 09.91
9	श्री हेतराम	च.श्रे.कर्मचारी	11.10.89
10	श्री रोहिताश्व कुमार	च.श्रे.कर्मचारी	23.09.91

(4)

क्र.सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी		निलम्बन आदेश दिनांक
1.	श्रीमती चन्द्र बाला आर्य	जि.प. एवं स.क.अधिकारी	19.12.96
2.	श्री महेश पारीक, जिलाधिकारी		19.12.96
3.	श्री रमेश चन्द मीणा, कनिष्ठ लिपिक		19.12.96
4.	श्री महेश चन्द गुप्ता, कनिष्ठ लिपिक		19.12.96
5.	श्री प्रहलाद मीणा, कनिष्ठ लिपिक		19.12.96

(5) जी, नहीं।

(विवरण के कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

जिला नागौर में प्रस्तावित नवीन छात्रावास

243. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर के किन-किन स्थानों पर छात्रावास संचालित है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त छात्रावासों में किन-किन छात्र/छात्राओं को भर्ती किया जाता है? उक्त में कितने छात्र/छात्राएं वर्तमान में विभिन्न छात्रावासों में भर्ती है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2002-2003 के दौरान उक्त जिले में कितने नये छात्रावास कहां-कहां खोले जाने प्रस्तावित है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला नागौर में विभाग द्वारा नागौर में 4, लाडनूं में 2, जायल, डेगाना, खींवसर, मेड़ता सिटी, रियाँबडी, बड़ू, मकराना, परबतसर, कुचामन सिटी, छोटी खाटू मौलासर

(समाज कल्याण मंत्री)

तथा डीडवाना में राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालित है। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त छात्रावासों में अनुसूचित जाति, जनजाति, विमुक्त एवं घुमक्कड़ जाति एवं स्वच्छकारों के छात्रों की भर्ती किया जाता है। वर्तमान में जिले में कुल स्वीकृत छात्र संख्या 730 हैं, जिसमें 649 छात्रों व 32 छात्राओं को भर्ती किया हुआ है। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2002-03 के दौरान उक्त जिले में कोई नये छात्रावास खोले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत पक्का सारनान (हनुमानगढ़) द्वारा की गई अनियमितताएं

244. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति हनुमानगढ़ की ग्राम पंचायत पक्का सारनान के पूर्व संरपच श्री सुखदेव सिंह तथा तत्कालीन विकास अधिकारी के षडयन्त्रपूर्वक ग्राम पंचायत पक्का सारनान की रास्ते व सार्वजनिक उपयोग की भूमि जिसे पंचायत को बेचने का अधिकार नहीं होते हुये बेचकर कानून एवं नियम विरुद्ध कार्यवाही की है?

(2) क्या यह भी सही है कि पूर्व सरपंच श्री सुखदेव सिंह उक्त प्रकरण में प्राथमिक जांच में दोषी पाया गया था? यदि हां, तो उक्त सरपंच व अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? जांच प्रतिवेदन व की गई कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पूर्व सरपंच व अन्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी? यदि हां, तो कब? प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति व जांच की प्रति का विवरण सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। सरपंच द्वारा प्राथमिक जांच के दौरान लगाये गये आरोपों का खण्डन करने पर उसकी विस्तृत जांच अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) हनुमानगढ़ से करायी जा रही है। प्राथमिक जांच की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) जी हां। दिनांक 31.7.2000 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। प्राथमिक जांच रिपोर्ट व प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राजस्थान ग्रामदान एक्ट, 1971 की धारा 43 के प्रावधान

245. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने पंचायती राज एक्ट 1994 के दफा 124 (2) राजस्थान ग्रामदान एक्ट 1971 के दफा 43 के प्रावधानों को विलोपित कर दिया था? यदि हां, तो क्या इसके कारण ग्रामदानी गांवों के पंचायत सम्बन्धी अधिकार समाप्त कर दिये गये?

(2) ग्रामदान एक्ट की धारा 43 के विलोपित के पश्चात् राज्य सरकार ने ग्रामदानी गांवों के विकास के लिए क्या कोई आदेश निकाले? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश की भी परिपालना हुई?

(3) क्या वर्तमान राज्य सरकार जो ग्रामदान एक्ट 1971 की धारा 43 विलोपित का जो प्रतिगामी कदम था को बहाल कर प्रगतिशील कदम उठाएगी? यदि हां, तो कब से और किस प्रकार कानून में संशोधित कर?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। ग्राम पंचायतों को संवैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत शक्तियां प्रदत्त की गई हैं, ऐसी स्थिति में विलोपित ग्रामदानी गांवों को अलग से शक्तियां दिए जाने का कोई औचित्य नहीं रहा।

(3) जी नहीं। संविधान के 73 वें संशोधन द्वारा केवल ग्राम पंचायतों को ही संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अत: संवैधानिक प्रावधानों के कारण ग्रामदान एक्ट की धारा 43 को बहाल किया जाना संवैधानिक रूप से सम्भव नहीं है।

ग्राम पंचायत घिनोई पंचायत समिति गोविन्दगढ़ (जयपुर) में ग्राम सभा का आयोजन

246. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत घिनोई पंचायत समिति गोविन्दगढ़, जिला जयपुर में दिनांक 2-10-1999 को ग्राम सभा का आयोजन किया गया था? यदि हां, तो उक्त दिनांक की ग्राम सभा की ग्रामीणों के हस्ताक्षर सहित समस्त कार्यवाही विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त ग्राम सभा आयोजन हेतु मनोनीत पर्यवेक्षक एवं सचिव ग्राम पंचायत क्षेत्र घिनोई के मूल निवासी हैं? ग्राम सभा आयोजन में पर्यवेक्षक एवं सचिव की क्या जिम्मेदारी एवं कर्तव्य तथा दायित्व है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त ग्राम सभा में कोरम पूर्ण था? यदि नहीं, तो कोरम के अभाव में ग्राम सभा का आयोजन कौन से नियम के तहत व क्यों किया गया? क्या कोरम के अभाव में ग्राम सभा आयोजित की जा सकती है? यदि नहीं, तो आयोजित करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या कोरम के अभाव में ग्राम सभा का आयोजन करके नियमों की अवहेलना

(श्री हेमन्त कुमार)

करने बाबत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धाराओं के एवं आई. पी. सी. धाराओं के तहत उक्त कर्मचारी दोषी हैं ? यदि हां, तो उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त नियमों के तहत दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करके मुकदमा चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

(6) क्या ग्राम सभा में व्यक्ति विशेष के विरुद्ध भी प्रस्ताव दिये जा सकते हैं ? यदि हां, तो कौन से नियम के तहत ? उक्त नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें । क्या उक्त ग्राम सभा में भी प्रस्ताव संख्या 33 किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आपसी रंजिश की वजह लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त प्रकरण में पर्यवेक्षक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं ? यदि हां, तो उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(7) क्या सरकार कोरम के अभाव में ग्राम सभा आयोजन की विस्तृत जांच करवाकर ग्राम सभा की समस्त कार्यवाही को निरस्त करवाकर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

(8) अब उक्त प्रकरण की विस्तृत जांच कब तक करा ली जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत घिनोई पंचायत समिति गोविन्दगढ़, जिला जयपुर में दिनांक 2-10-1999 को आयोजित ग्राम सभा के कार्यवाही विवरण की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) जी हां। ग्राम सभा आयोजन हेतु मनोनीत पर्यवेक्षक ग्राम पंचायत क्षेत्र घिनोई का रहने वाला है । लेकिन मनोनीत सचिव ग्राम पंचायत कालाडेरा का रहने वाला है । सचिव का यह कर्तव्य एवं दायित्व है कि राज्य सरकार द्वारा ग्राम सभा के एजेण्डा आइटम की जानकारी ग्राम की बैठक में उपस्थित सदस्यों को दे एवं ग्राम सभा द्वारा बहुमत के आधार पर जो निर्णय लिये जावे उन्हे कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज करें एवं सम्बन्धित सदस्यों के हस्ताक्षर इत्यादि करावे। पर्यवेक्षक का ग्राम सभा की बैठक में यह दायित्व है कि वह बैठक में यह आब्जर्व करें कि ग्राम सभा के संचालन में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये एजेण्डा एवं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संचालित की जा रही है।

(3) जी नहीं । कोरम पूर्ण नहीं था परन्तु उपस्थित ग्रामीण जनता एवं जन प्रतिनिधियों के दबाव में ग्राम सभा की कार्यवाही की गई, जिसकी रिपोर्ट सचिव एवं पर्यवेक्षक द्वारा पंचायत समिति को दिये जाने पर एवं नियम विरुद्ध होने के कारण पंचायत समिति के आदेश क्रमांक 2181-83 दिनांक 19-1-99 के अनुसार निरस्त की जाकर प्रभाव शून्य घोषित की गई ।

(पंचायती राज मंत्री)

(4) चूंकि पंचायत समिति के आदेश दिनांक 19-11-99 के अनुसार उक्त ग्राम सभा, जिसमें कोरम पूरा नहीं था, की कार्यवाही को निरस्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में कार्यवाही करने का आधार नहीं है।

(5) जी नहीं ।

(6) जी हां। ग्राम सभा में किसी भी कर्मचारी के कार्यों की समीक्षा करने हेतु प्रस्ताव लिया जा सकता है, यदि वह अपने कार्यों एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन न कर रहा हो। जी हां। उक्त ग्राम सभा में प्रस्ताव संख्या 33 भी कृषि पर्यवेक्षक पद पर कार्यरत श्री बागडा के विरुद्ध बिना किसी रंजिश के पारित किया गया है ।

(7) पंचायत समिति गोविन्दगढ़ के आदेश दिनांक 19-11-99 द्वारा उक्त ग्राम सभा की कार्यवाही निरस्त की जा चुकी है, ऐसी स्थिति में कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार नहीं है ।

(8) पंचायत समिति गोविन्दगढ़ के आदेश 19-11-1991 द्वारा कार्यवाही निरस्त किये जाने की स्थिति में विस्तृत जांच कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के विद्यालयों की पेयजल समस्या का निस्तारण

247. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में कितने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व राजीव गांधी पाठशाला में पेयजल की व्यवस्था हेतु हैण्ड पम्प तथा कुंए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार जिन विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है वहां हैण्ड पम्प या अन्य व्यवस्था के जरिये पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र के 39 प्राथमिक विद्यालयों एवं 13 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल हेतु हैण्ड पम्पस् की व्यवस्था है।

(2) जी हां। बजट उपलब्ध होने पर पेयजल की व्यवस्था कर दी जावेगी।

जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर की राजीव पाठशालाओं में रिक्त पद

248. श्री अमीन खान (शिव) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में प्राथमिक व राजीव गांधी पाठशालाओं में कितने अध्यापकों/शिक्षा सहयोगियों के पद रिक्त हैं? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में कितने पद रिक्त हैं? पंचायत समितिवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार है?

उत्तर

(1)

रिक्त पद	संख्या
प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक	7391
राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला शिक्षा सहयोगी	4891

जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) पंचायत समितिवार संख्या सूची परिशिष्ट "क" मेज पर रख दी गई है।

(3) नियुक्तियों पर से प्रतिबन्ध हटने के पश्चात् पद भरे जायेंगे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

राजीव गांधी पर्यटन मिशन की बैठक के आयोजन पर व्यय

249. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 18-19 अगस्त, 2001 को राजीव गांधी पर्यटन मिशन की बैठक बुलाई गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को होटल राजपूताना पैलेस शेरेटन में ठहराया गया था ? यदि हां, तो कमरों का क्या किराया था ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त व्यवस्था के लिए अन्य किसी भी होटल अथवा राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान होटल निगम से दरें नहीं मांगी गयी थीं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित किया जाना आवश्यक नहीं था।

(4) क्या यह भी सही है कि दिनांक 18 अगस्त को सम्मेलन के प्रतिनिधियों को इसी होटल में प्रति व्यक्ति रुपये 650 कर की दर से लंच करवाया गया था, जबकि दिनांक 19 अगस्त को इन्हीं प्रतिनिधियों को पर्यटन विकास निगम की ओर से होटल रामबाग पैलेस में प्रति व्यक्ति रुपये 300 प्लस कर की दर से लंच करवाया गया ? यदि हां तो दरों में इतना अन्तर क्यों ?

(5) दोनों दिन लंच की दर तय करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई ? किन-किन होटलों से दरें मांगी गयी तथा क्या-क्या दरें प्राप्त हुई ?

(6) क्या यह सही है कि निदेशक पर्यटन विभाग ने दरें अधिक बताते हुए सहमति देने से इनकार कर दिया था ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। प्रति कमरा दर रुपये 1600/- (कर अतिरिक्त) थी।

(3) जी हां। क्योंकि विभाग को इन होटलों की दरें ज्ञात थी। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में होटलों के कमरों को आरक्षित करने के लिए निविदाएं आमंत्रित करने का प्रावधान नहीं है।

(4) जी हां।

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

होटल राजपूताना की लंच दर के साथ दो दिवसों के लिए वातानुकूलित सुसज्जित सम्मेलन कक्ष, उसकी उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं अतिथियों के स्वागत के लिए विशेष व्यवस्था एवं सम्मेलन के दौरान दो दिन के लिए लघु जलपान व्यवस्थाएं भी बगैर किसी अतिरिक्त वित्तीय भार के साथ विभाग को प्राप्त हुई थी।

रामबाग पैलेस होटल की लंच दर विशुद्ध रूप से केवल मात्र भोज की ही दर थी एवं उपरोक्त वर्णित कोई भी अन्य व्यवस्थाएं इसमें सम्मिलित नहीं थी, जिसके फलस्वरूप दोनों दरों की तुलना करना तर्कसंगत नहीं है।

(5) पर्यटन विभाग द्वारा राजपूताना शेरेटन में लंच दर विभागीय कमेटी के द्वारा निर्धारित की गई थी।

होटल रामबाग पैलेस के लंच के लिये राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने इस होटल के अतिरिक्त निम्नलिखित होटलों से उनके आगे अंकित दरें प्राप्त की थी :—

होटल जयमहल पैलेस — रु. 340 + 16.8% कर अतिरिक्त

होटल राजपूताना शेरेटन — रु. 650 + 28.8% कर अतिरिक्त

(6) राजीव गांधी पर्यटन मिशन के निदेशक (सचिव, पर्यटन) के स्तर पर बैठक में भोजन तथा अन्य व्यवस्थाओं के बारे में निर्णय लिये गये थे। अतः निदेशक, पर्यटन विभाग की सहमति देने अथवा न देने का प्रश्न नहीं उठता है।

जिला जालौर के स्वयं सहायता समूहों में कार्यरत व्यक्ति

250. **श्री हीरालाल विश्नोई** (सांचौर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा रहा है ?

(2) उक्त स्वयं सहायता समूहों जिलों के गठन का दायित्व जिलों में किन-किन विभागों को सौंपा हुआ है ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिलों में स्वयं सहायता समूहों के गठन हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये हुये हैं ?

(4) जिला जालौर में कुल कितने स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाकर कितने समूहों को बैंक से जोड़ा गया है एवं कितने समूह को बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया गया ? पंचायत समितिवार तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त स्वयं सहायता समूह गठन के संदर्भ में जिला जालौर में कौन से स्थान पर कौन कार्यरत हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) स्वयं सहायता समूह योजना के अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा समूहों का गठन किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों यथा पंचायती राज, सहकारिता, समाज कल्याण, कृषि विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम, बैंक एवं अन्य गैर सरकारी

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

संस्थाओं द्वारा भी अपने-अपने प्रयासों से अपनी-अपनी विभागों की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह गठित किये जा रहे हैं।

(3) महिला एवं बाल विकास विभाग की स्वयं सहायता समूह योजना के तहत समूहों के गठन का दायित्व प्रत्येक जिले के उप निदेशक (बाल विकास) एवं पदेन परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरण को दिया गया है।

(4) इस विभाग के पास प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अब तक जिले में बनाये गये स्वयं सहायता समूह का विवरण निम्नप्रकार है :—

पंचायत समिति	मबावि के द्वारा	अन्य विभागों द्वारा (J.C.C.B.) भू संरक्षण, डेयरी रानीवाड़ा	कुल	बैंकों से जोड़ा गया	बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया गया
जालौर	179	21	200	167	01
आहौर	109	41	150	105	—
सायला	088	23	111	059	07
भीनमाल	129	23	152	117	—
रानीवाड़ा	099	26	125	093	—
जसवन्तपुरा	068	19	087	058	—
सांचौर	092	06	098	047	—
कुल योग	764	159	923	645	08

(5) जालौर जिला मुख्यालय पर उप निदेशक (बाल विकास) एवं पदेन परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरण, परियोजना स्तर पर जालौर, आहौर, सायला, भीनमाल, रानीवाड़ा, जसवन्तपुरा, तथा सांचौर में बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यरत है। जिनके माध्यम से विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा रहा है। अन्य विभागों द्वारा अपने स्तर पर पृथक से स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा रहा है।

प्राथमिक विद्यालय टुण्डिला (सवाई माधोपुर) का भवन निर्माण प्रकरण

251. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर की पंचायत समिति बामनवास के ग्राम टुण्डिला के प्राथमिक विद्यालय में दो कमरे निर्माण "अपना गांव अपना काम" योजना के अन्तर्गत 79 हजार की स्वीकृति जारी की गई थी यदि हां, तो स्वीकृति पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(डा. किरोड़ी लाल)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त हेतु गांव वालों ने 23 हजार 700 रुपये की राशि जन सहयोग रूप में ग्रामीण विकास अभिकरण में जमा कराई यदि हां, तो कब ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त राशि का चैक क्रमांक 997951 दिनांक 23-2-99 को जारी कर दिया गया था ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार ग्रामवासियों के सहयोग राशि को वापस लौटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। स्वीकृति आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट-1 पर हैं।

(2) जी हां। सरपंच ग्राम पंचायत जाहिरा ने पंचायत समिति बामनवास के माध्यम से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में दिनांक 9.3.94 को जमा करायें।

(3) भूतपूर्व संरपच ग्राम पंचायत जाहिरा द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं करने से पंचायत टुण्डिला ने अपने चैक क्रमांक 997951 दिनांक 22.3.99 से राशि पंचायत समिति बामनवास में वापस जमा करा दी गयी।

(4) जी हां। क्योंकि भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत जाहिरा द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया।

(5) जी हां।

जिला परिषद् सवाईमाधोपुर ने दिनांक 12.2.2002 को विकास अधिकारी पंचायत समिति बामनवास को राशि वापस लौटाने हेतु निर्देशित कर दिया हैं।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

विधायकों की अभिशंसा पर करवाये जाने वाले कार्यों की राशि में वृद्धि

252. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधायकों की अभिशंसा पर करवाये जाने वाले कार्यों के लिए बनाये गये नियमों में परिवर्तन किया गया है ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त राशि बढ़ाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त पर कब तक निर्णय ले लिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत अनुमत किये जाने वाले कार्यों के बाबत जारी परिपत्र क्रमांक एफ. 14(40)ग्रावि/ वियो/ग्रुप-6/2000 दिनांक 9.1.2002 की प्रति संलग्न परिशिष्ट "1" पर है।.

(2) जी नहीं।

(प्रति के लिए परिशिष्ट-19 देखें)

जिला जालौर की स्थायी परिसम्पत्तियों का हस्तान्तरण

253. श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हीरालाल विश्नोई)

(1) निर्बन्ध राशि योजनान्तर्गत जिला जालौर में निर्मित ऐसी कितनी स्थायी परिसम्पत्तियां हैं, जिन्हें अब तक लिखित रूप से सम्बन्धित विभागों को हस्तान्तरित नहीं किया गया है ?

(2) उक्त को लिखित रूप से हस्तान्तरित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं ? वर्षवार-कार्यवार सूची सदन की में मेज पर रखें।

(3) अब इन्हें कब तक लिखित रूप से हस्तान्तरित कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) निर्बन्ध राशि योजनान्तर्गत जिला-जालौर में निर्मित ऐसी कोई परिसम्पतियां नहीं है, जिन्हें सम्बन्धित विभाग द्वारा अभी तक अधिगृहित नहीं किया गया हैं।

(2) उत्तर अपेक्षित नहीं है।

(3) उत्तर अपेक्षित नहीं है।

जिला नागौर के अपूर्ण विकास कार्य

254. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में वर्ष 2001-2002 के दौरान विधायक स्थानीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल कितने कार्यों की स्वीकृति जिला ग्रामीण विकास अभिकरण नागौर के द्वारा जारी की गई ? सूची पूर्ण विवरण सहित विधान सभा क्षेत्रवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृति कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो गये एवं कितने अपूर्ण हैं तथा कितने अभी तक शुरू ही नहीं किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला नागौर में वर्ष 2001-2002 के दौरान विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 544 कार्यों की स्वीकृति जिला ग्रामीण विकास अभिकरण नागौर द्वारा जारी की गयी। विधान सभा क्षेत्रवार सूची पूर्ण विवरण सहित संलग्न परिशिष्ट "1" अंकितानुसार हैं।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से 286 कार्य पूर्ण हो गये हैं तथा 168 कार्य प्रगतिरत हैं एवं 90 कार्य अभी शुरू नहीं किये गये। विवरण संलग्न परिशिष्ट "1" में अंकितानुसार हैं।

(3) उक्त अपूर्ण कार्यों को अगले वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराने की व्यवस्था की जावेगी।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

योग पाठ्यक्रम में डिप्लोमा

255. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में योग पाठ्यक्रम में डिप्लोमा प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या वर्ष

(श्री भंवरलाल शर्मा)

2002-03 में इसे प्रारम्भ कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां।

राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में अन्तरराष्ट्रीय जर्नल की उपलब्धता

256. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अधिकांश विभागों में गत कई वर्षों से अन्तरराष्ट्रीय जर्नल न मंगवाने से शोध करने वालों को दिल्ली एवं अन्य प्रांतों के विभिन्न संस्थानों का दौरा कर फोटो स्टेट प्रति से ही काम चलाना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(2) राजस्थान विश्वविद्यालय में वर्तमान में कौन-कौन से विभाग में किस-किस विषय के अन्तरराष्ट्रीय जर्नल मंगाये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राजस्थान विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में जिन विषयों के जर्नल मंगाये जा रहे हैं उनकी सूची संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

संदेश

महामहिम राज्यपाल का कृतज्ञता ज्ञापन

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण पर दिनांक 21 मार्च, 2002 को सदन द्वारा पारित धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में निम्न संदेश राज्यपाल महोदय से प्राप्त हुआ है :—

अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 7-10 राज भवन 2/54 दिनांक 23 मार्च, 2002, "प्रिय अध्यक्ष महोदय," आपका अर्द्धशासकीय पत्र एफ-10 (2) सदन विधान सभा, 2002/10678 दिनांक 22 मार्च, 2002 प्राप्त हुआ। माननीय सदस्यों द्वारा प्रकट कृतज्ञता के लिए मैं उनका आभारी हूं आपसे निवेदन है कि कृपया आप मेरी कृतज्ञता ज्ञापन को माननीय सदस्यों को पहुंचाने का कष्ट करें।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के गोविन्दगढ़ कस्बे में दिनांक 12.3.2002 को एक पंचायत समिति के सदस्य की हत्या के सम्बन्ध में।

(2) श्री हरिशचन्द्र कुमावत, सदस्य की ओर से पंचायत समिति क्षेत्र कुचामन के ग्राम

(श्री अध्यक्ष)

खाखड़ की में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

(3) श्री सुरेन्द्र गोयल, सदस्य की ओर से जैतारण तहसील के कस्बा लाम्बिया में पुलिस द्वारा लोगों को थाने में बन्द कर मारपीट करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

(4). श्री गुलाबचन्द कटारिया एवं श्री किरोड़ीलाल डा. करोडीलाल। सचिवालय से जो आया है—श्री लिखा है डाक्टर नहीं लगाया है। मेरी समझ में यह सचिवालय से थोड़ी भूल रह गई है, इसलिए मैं डाक्टर की बात कह रहा हूं - व 5 अन्य सदस्यों की ओर से गंगापुरसिटी की घटना के सम्बन्ध में।

उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में आज राज्य सरकार की ओर से वक्तव्य दिया जा रहा है, अतः इसे स्थगन प्रस्ताव के रूप में स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : जो स्थगन प्रस्ताव आया है उसमें आपने सदन को सूचना दी है कि सरकार की तरफ से इस पर वक्तव्य दिया जाएगा। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहूंगा कि इसी सदन के कुछ विधायक और कुछ अन्य लोग कल गंगापुर गये, सारी स्थिति देखकर आये हैं, अच्छा हो कि पहले गृह मंत्री जी और सरकार उनको सुन लें और उसके बाद में वक्तव्य दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले गृह मंत्री जी का वक्तव्य चाहते हैं ना? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले नहीं चाहते।

श्री अध्यक्ष : तो? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले सार तथ्य आ जाएं, उसके ऊपर गृह मंत्री जी वक्तव्य दे दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उनका स्टेटमेंट आने दीजिए। (व्यवधान) उसके बाद में आप, जितने भी प्रश्न पूछना चाहते हैं..(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप चाहते हैं कि पहले वक्तव्य दें, हम यह चाहते हैं कि गृह मंत्री जी पहले हमको सुन लें और उसके बाद में अपना फैसला सुना दें। यह तो एक सामान्य बात है कि कोई भी फैसला देते हैं या कोई निर्णय आता है तो पहले पार्टी को सुना जाता है। पहले सुन लीजिए। मुझे मालूम है यह वक्तव्य देने वाले हैं। इस मामले की हम जुडीशियल इंक्वायरी कराना चाहते हैं। सबको मालूम है जुडीशियल इंक्वायरी के लिए कल तय कर चुके हैं, इसके अतिरिक्त कोई बात कहने वाली नहीं है। इसलिए जो कुछ कहना है वह पहले हमारे बिन्दु हैं उनको सुन लीजिए, तथ्य सुन लीजिए। उसके बाद गृह मंत्रीजी और मुख्य मंत्री जी दोनों मिलकर..(व्यवधान) यह मामला इतना गम्भीर है कि इस गम्भीर मामले में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आसानी से विधान सभा में आप कुछ कह दें...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, गम्भीर मामले का कोई न कोई हल निकलता है। (व्यवधान) 19, 20, 21 तीन दिन तक मदनगंज, किशनगढ़ वाला मामला था, पीपाड़ वाला मामला था, उसका भी हल निकला है। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि... (व्यवधान) हमेशा पहले गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट हुआ करता है और इस हाउस की भी यही परम्परा रही है, पहले गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट होता है और उसके बाद में आपको जो कुछ फरमाना है, आप फरमा दें। उसके बाद फिर से गृह मंत्री जी और स्पष्टीकरण दे देंगे, उसमें जरूरत पड़ेगी तो मुख्य मंत्री जी भी इंटरवीन कर देंगे। (व्यवधान) हमेशा की परम्परा तो यही रही है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इतना गम्भीर मामला है कि वहां पर एम.एल.ए. के घर पत्थरबाजी हुई है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की यह भी परम्परा रही है कि इस तरह का स्थगन प्रस्ताव जो अत्यन्त महत्वपूर्ण है, उसमें पहले प्रस्तावकर्ता को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता रहा है। भूमिका के रूप में पहले पांच माननीय सदस्य खुद स्वयं जाकर आये हैं, रात को तीन बजे वापस आये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऐसा कोई अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, निवेदन इतना है कि...(व्यवधान) हम यह चाहते हैं कि पूरी घटना का विवरण आ जाए। सरकार की तरफ से सरकार का वक्तव्य आ जाए, इसलिए पहले मौका दीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह निर्णय आसन को करना है, प्राथमिकता किसको देनी है। (व्यवधान) मैंने गृह मंत्री को वक्तव्य देने के लिए कहा है, इसके उपरान्त...(व्यवधान) आपको बोलने दिया जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, हमारी करबद्ध प्रार्थना है, हम आसन से प्रोटेक्शन चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम जाए तो कहां जाए? आप आसन पर बिराज रहे हैं, आप उदार मन हैं, हम तो सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, वे हालात, वह वाकया किस तरह घटित हुआ, उसका आंखो देखा हाल इनके पास है, सिर्फ वही रखने की अनुमति चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आप जैसा उदार मन व्यक्ति बैठा हो और राजस्थान में इस तरह की वीभत्स घटना हो जाए और आपसे अनुमति नहीं मिले, आसन से अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे इस विषय में अनुरोध है कि जो रूल्स आफ प्रोसीजर हैं विधान सभा के उसमें रूल 290 के तहत...

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : विधान सभा में रूल्स हैं कहां ? (व्यवधान) कौनसे रूल्स की बात कर रहे हो ? (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीलाल : आप रूल्स बताते हो। (व्यवधान) हर घटना को आप साधारण घटना बना देते हो। (व्यवधान) हर घटना को साधारण घटना बना देते हो (व्यवधान) 4-4 आदमी मर गये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इस आसन ने प्रस्तावकर्ता को बोलने की अनुमति कई बार दी है, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : गृह मंत्रीजी स्वयं सदन में स्टेटमेंट दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, 5 माननीय सदस्य होकर आये हैं। (व्यवधान) गोली चलाने की कहां नौबत आ गयी ? पहले उनको सुनना जरूरी है। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, यह इतनी गम्भीर बात है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : ऐसा कहीं नहीं है प्रोसीजर में। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : गोलियां चलाने का कोई कारण नहीं था। शांति थी... (व्यवधान) निर्दोष लोग पूजा कर रहे थे उन पर गोलियां चला दी गयीं। (व्यवधान) पहले जनता के ऊपर जो हमला हुआ उसकी सुनवाई होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्य घटना के घटित होने के बाद वहां होकर आये हैं...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीलाल : अध्यक्ष महोदय 4-4 लोगों को मार दिया गया है, 18 आदमी घायल हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पूरे राजस्थान में इस बात को लेकर तनाव है। एक-दो नहीं, अध्यक्ष महोदय, 4 आदमी मर चुके हैं और कितने लोग जीवन-मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। (व्यवधान) एक बार प्रस्तावना के रूप में अपनी बात कहना चाह रहे हैं, आप समय निश्चित कर दें उस समय के अन्दर हम अपनी बात कह देंगे। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप समय निश्चित कर देंगे उस समय के भीतर-भीतर अपनी बात कह देंगे। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह सदन रूल्स से चलेगा, नियम और प्रक्रिया के अन्तर्गत चलेगा। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, स्थगन हमने रखा है, हमको सुना जाए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, कई बार स्थगन प्रस्ताव के प्रस्तावकर्ता को बोलने की अनुमति दी है। कई बार यह हुआ है, यह परम्परा रही है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : संसदीय परम्परा में सरकार को पहले अपनी बात कहने का वैधानिक अधिकार है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी को...(व्यवधान) जघन्य अपराध हुआ है। (व्यवधान) हम लोग वहां होकर आये हैं, हम स्थिति को देखकर आये हैं। (व्यवधान) जघन्य अपराध है, निर्दोष लोगों को उन्होंने लाठियां लगायी हैं। लोगों को मारा गया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, कई बार प्रस्तावकर्ता को भूमिका के रूप में अपनी बात को रखने का मौका स्वयं आसन ने दिया है। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : यह बहुत ही गम्भीर मामला है, अध्यक्ष महोदय, 4-4 मारे गये हैं और एम. एल. ए. के घर पर पत्थरबाजी हो गयी। एम. एल. ए. को पीट लिया, एम. एल. ए. को। (व्यवधान) पीटा है एम.एल.ए. को। (व्यवधान) अब आप डरते क्यों हो, संवेदनशील सरकार है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, पांइट आफ आर्डर उठा रहा हूं। एक मिनट की बात सुन लें। सिर्फ एक मिनट मेरी बात सुन लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : बात सुनने से प्रक्रिया चेंज हो जाएगी क्या? (व्यवधान) बात करने से प्रक्रिया चेंज हो जाएगी क्या? जो प्रक्रिया है, निर्धारित प्रक्रिया के तहत यह सदन चलता है। (व्यवधान) मंत्रीजी स्टेटमेंट देने को तैयार हैं, रूल 290 के तहत स्टेटमेंट देने को तैयार हैं। उसके बाद में आप पूछ लीजिएगा प्रश्न, पूछने हैं जो। आप मंत्रीजी के स्टेटमेंट से इतने घबराये हुए क्यों हो? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके अध्यक्षजी बोल रहे हैं, उनको आप नहीं बोलने दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : 4-4 लोग मर गये हैं। इस मामले को लेकर गम्भीर नहीं है और किताब दिखाये जा रहे हो। (व्यवधान) आप मरवाये जाओ और किताबें दिखाये जाओ। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : काम यही है मेरा। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपने नारा दिया संवेदनशील। संवेदनशील हो गये। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : संवेदनशील भी है और पारदर्शी भी है।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल जी शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय अपना स्टेटमेंट दें इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन किसी माननीय सदस्य को किसी घटना के बारे में कोई जानकारी है और वह उस सूचना के आधार पर अपने को, हाउस को कोई बात कहना चाहता है, उसको अपन कैसे रोकेंगे? स्टेटमेंट दें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, हमेशा होता रहा है यह। जब कोई गम्भीर घटना होती है...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : वह अधिकार तो आपका स्टेटमेंट के बाद बाकायदा रहेगा। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक सैकण्ड सुनिये, ठहरिये। Please let me complete.

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मेरे स्टेटमेंट के बाद जो बात आप कहना चाहेंगे वह कह सकते हैं, आपको अधिकार है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपके भाषण का अलग विषय है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप वहां जाते..(व्यवधान) आप वहां जाते तब पता लगता। हम लोग वहां होकर आये हैं। (व्यवधान) यह तो आपकी जिम्मेदारी थी, आपको जाना चाहिए था। हम लोग होकर आये हैं। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : आप तो जाते वहां पर पता तब लगता। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : अटल बिहारी वाजपेयी तो अहमदाबाद जाकर आये होंगे। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्षजी, सिर्फ एक मिनट निवेदन करना चाहूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक सैकण्ड, एक सैकण्ड, शिवनाथ सिंह जी मेरे को मौका दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इनको बोलने दीजिए, आप बाद में।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप खूब बोलना, आपको तो मौका ही मौका है।

मेरा, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन है कि यदि किसी घटना की जानकारी माननीय सदस्य को है और सदन की जानकारी के लिये आवश्यक है तो जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट कोई दे न दे। मान लो आज स्टेटमेंट ये दे रहे हैं, नहीं देते तो क्या हमको नहीं बोलने देते आप? स्टेटमेंट तो दें, उनकी मर्जी की बात है। हम इतनी जानकारी आपको देना चाहते हैं..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, मंत्रीजी के वक्तव्य के पहले, इनकी जानकारी है, जानकारी है, वह सबको मालूम है इस सदन के..(व्यवधान) आप बैठिये, भंवरलालजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, नहीं, जानकारी है, जाकर आये हैं, साहब। (व्यवधान) ये जाकर आये हैं और यह इनका अधिकार है कि ये आपको पूरी बात बता दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भंवरलालजी, आज के अखबारों में आया है कि प्रतिपक्ष के नेता ने माननीय सदस्यों को घटना स्थल पर भेजा है और उसमें डाक्टर किरोड़ीलालजी भी हैं। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अखबार क्यों साहब, खुद जाकर आए है। (व्यवधान) इनको रोकेंगे कैसे आप? आप रोकेंगे कैसे इनको? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, 5 सदस्य जाकर आये हैं, हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है। जो सदस्य बोलना चाहे, बोले लेकिन हमारे स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था तो देंगे, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इनको रोकने का प्रोविजन कौनसा है? (व्यवधान) इनको रोकने का कोई प्रोविजन नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इस सदन की परम्परा रही है, पहले भी कई बार इस प्रकार के अवसर आये हैं जब इस तरह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

के अति महत्वपूर्ण विषय पर प्रस्तावकर्ता को अपनी बात कुछ शब्दों में रखने की आसन ने अनुमति दी है। अध्यक्ष महोदय, यह कोई साधारण घटना नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पूरा राजस्थान आन्दोलित है। हम आपकी आज्ञा से कुछ-कुछ शब्दों के अन्दर अपनी बात रखेंगे। खुद जाकर देखकर आये हैं, 5-5 माननीय सदस्य गये हैं। 4-4 आदमी पुलिस की गोली से मारे गये। (व्यवधान) जिस तरह का दृश्य वहां पर... हम, अध्यक्ष महोदय, आपको सुनाना चाहते हैं। आप संवेदनशील हैं, अध्यक्ष महोदय। सरकार तो संवेदनशील हो गयी है। हमें अगर आशा है, आशा की किरण कोई है तो आप हैं, अध्यक्ष महोदय। इसलिये हम आपको बात कहना चाहते हैं, अनुमति प्रदान करें, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : बहुत हृदय विदारक दृश्य है। (व्यवधान) आप बड़े दयालु व्यक्ति हैं। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : राठौड़, साहब, राठौड़ साहब। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा छोटा-सा निवेदन है, एक सैकण्ड। मेरा निवेदन है कि प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने बड़ी कारीगरी से इस मामले को उलझा दिया। माननीय अध्यक्षजी, यह स्थगन प्रस्ताव है और यदि माननीय सदस्य को अपनी बात कहने का अवसर पहले मिलता है, डिस्कशन हो गया तो मतलब इनका तो स्थगन प्रस्ताव मंजूर हो गया। नतीजा क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, यह दूसरी बात है। इसको स्थगन प्रस्ताव के रूप में मान्यता आपने दी नहीं है, सदन भी नहीं दे रहा है। जब मंत्री महोदय का स्टेटमेंट आ जाए उसके बाद में माननीय सदस्य कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन प्रतिपक्ष के नेता महोदय इसमें बड़े माहिर हैं, इस तरह से इस बात को उलझा दिया कि जैसे इनका स्थगन प्रस्ताव मंजूर हो गया। इसलिये मेरा निवेदन है कि पहले गृह मंत्रीजी इसका जवाब दें और उसके बाद में...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, 4-4 आदमियों को गोली से मार दिया, पुलिस की बर्बरता इस तरह की साधारण बात नहीं है। यह साधारण बात नहीं है। 4-4 लोगों को मारा गया है। (व्यवधान) यह साधारण बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हत्यारों को बचाना चाहती है, सरकार हत्यारों को बचाना चाहती है। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : माननीय राठौड़ साहब, आपके 5 सदस्य जाकर आये हैं, इसको सुनाने की जरूरत नहीं है। आपके पांचों सदस्य तो जाए बिना ही बता सकते हैं कि वहां क्या हुआ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : प्रदेश की जनता ने आपको सामने बैठाया है...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हत्यारों को बचाना चाहती है यह सरकार, अध्यक्ष महोदय। हम लोग होकर आये हैं, पूरी बात पहले सुन लें कृपा करके। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप नियम कानून की किताबें लाकर दिखाते हो। रोज

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

आदमी मरवाते हो और किताबें दिखाने लग जाते हो आप तो। (व्यवधान) विधायक के घर में पत्थरबाजी हो गयी, आप सुनना ही नहीं चाहते हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री बंशीलाल।

श्री दुर्गाप्रसाद : पत्थरबाजी बी.जे.पी. वालों ने की है। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : एक बेकसूर आदमी यहां पर पड़ा हुआ, बीमार आदमी। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : मैं 5 दिन से बीमार पड़ा हुआ हूं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + (व्यवधान) + + + (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : पीट दिया 20 लोगों को। (व्यवधान) हवन यज्ञ करने वाले लोगों को गोलियों से मारने पर ये तालियां बजाते हैं। इनको + + + (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : लाठी, गोलियों से मार दिया निर्दोष लोगों को, अध्यक्ष महोदय, गंगापुर सिटी में।

श्री अध्यक्ष : मदन दिलावर। अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री बाबूलाल सिंगारिया : ×××

श्री अध्यक्ष : ज्ञानदेवजी, बैठिये। अंकित नहीं हो। मैंने जो व्यवस्था दी है, व्यवस्था में मैंने स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है, मैंने व्यवस्था यह दे दी है।

श्री मानिक चन्द सुराना : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री सांवरलाल : ×××

श्री मानिक चन्द सुराना : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ×××

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 25.3.2002 को मोहर्रम के अवसर पर..(व्यवधान) दिनांक 25.3.2002 को मोहर्रम के अवसर पर कानून एवं व्यवस्था..(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री सांवरलाल : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।
××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : बनाये रखने हेतु पूरे राज्य में विस्तृत प्रशासनिक एवं पुलिस बंदोबस्त किये गये थे। कुछ अपवादों को छोड़कर..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री मानिक चन्द सुराना : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

(12.20 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं मानना है? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : गृह मंत्रीजी वक्तव्य दे रहे हैं और आप उस वक्तव्य से विचलित हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं मानना है? (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय इस सम्बन्ध में....(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : गृह मंत्रीजी वक्तव्य दे रहे हैं और आप उस वक्तव्य से विचलित हो रहे हैं। (व्यवधान) आप तो रोज मांग करते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

डा. महेश जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से पुराने माननीय विपक्ष के सदस्य आरोप लगाते हैं, इसी प्रकार का..(व्यवधान)..वहां गंगापुर सिटी में हुआ था। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री मानिक चन्द सुराना : ×××

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्रीजी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : दिनांक 25.3.2002 को मोहर्रम के अवसर पर कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु पूरे राज्य में विस्तृत प्रशासनिक...

(सदन कूप में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा भारी नारेबाजी)

एवं पुलिस बंदोबस्त किये गये थे। कुछ अपवादों को छोड़कर पूरे प्रांत में मोहर्रम शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हो गया। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा, पाली जिले के गांव कुशलपुरा, चित्तौड़गढ़ जिले के कस्बा कपासन, कोटा जिले के ग्राम कनवास एवं जिला अजमेर के कस्बा नसीराबाद में व्यवधान उत्पन्न करने के प्रयास हुए परन्तु पुलिस एवं प्रशासन द्वारा स्थिति नियंत्रण में कर ली गई। (व्यवधान)

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जबकि सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी एवं जिले पाली..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। सदन की बैठक एक बजे तक स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.22 बजे 13.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(13.00 बजे)

(पुनः समवेत् होने पर)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कब तक के लिये ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलो जब तक के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप क्या कह गये वह तो आये ही नहीं अभी ?

मोहम्मद माहिर आजाद : साहब, हमको भी तो मौका दो। इधर आपकी नजरे-इनायत हो जाए। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सुनो, साहब, दो मिनट में क्या कर्फ पड़ता है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सबको देंगे। सबको देंगे। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अगर कोई माननीय सदस्य कोई सूचना देना चाहता है हाउस में तो क्यों रोकना चाहिये आपको उसको ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह हाउस में परम्परा पहले भी रही है, इस तरह की घटना राजस्थान की धरती पर हो जाए, और पांच-पांच माननीय सदस्य वहां जाकर आये हैं..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक दो बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.00 बजे 14.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

(14.00 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैंने अपना स्टेटमेंट शुरू किया था, मुझे आज्ञा दी जाए कि मैं उसको पूरा करूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने एडजोर्नर्जमेंट मोशन तो रिजैक्ट कर दिया लेकिन फिर भी यह रही है कि दो मिनट जो मोशन मूव करता है उनको बोलने की अनुमति दी जाती रही है इसलिए मैं डा. किरोड़ी लालजी से कहता हूं कि आप बोलें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : उपाध्यक्ष महोदय, गंगापुर में जो घटना घटित हुई, बड़ा तांडव नृत्य हुआ। हम पांच विधान सभा के सदस्य कल गंगापुर गये थे। उपाध्यक्ष महोदय, वहां गंगापुर में एक बालाजी का स्थान है, उस बालाजी के स्थान पर तीन दिन से यज्ञ, हवन और रामधुनी का कार्यक्रम चल रहा था। 25 तारीख को ताजिये निकलने थे। ताजिये निकलने से पूर्व हिन्दू, मुस्लिम समाज के दोनों भाई बैठे, शांति समिति की मीटिंग हुई और उस शांति समिति की मीटिंग में शांतिपूर्व वार्तालाप खतम हुआ। ताजिये का रास्ता भी तय हो गया। हिन्दू मुसलमान में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं रहा, ताजियों का रास्ता भी तय हो गया।

उपाध्यक्ष महोदय, 25 तारीख को, कल के दिन चार बजे हवन समापन होने वाला था और पांच बजे के करीब उस स्थान से ताजिये निकलने वाले थे। दोनों समाजों में सहमति हो गयी थी, किन्तु ताजिये निकलने से पूर्व ही करीब पौने दो बजे उस यज्ञ स्थली पर जाकर पुलिस और एस.डी.एम. ने उत्पात मचाया। उपाध्यक्ष महोदय, जब उत्पात मचाया तो उसकी खबर हमें मिली और हम गंगापुर पहुंचे। वहां पर आई.जी. उपस्थित थे, डी.आई.जी. थे, एस.पी. कलक्टर थे, हमने उनसे पूछा कि जब दोनों समुदायों में सहमति हो गयी थी, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं था तो आप यह बताओ कि उत्पात किस कारण से मचा? उन सभी का यह कहना था कि ऊपर से इस ढंग के निर्देश थे कि ताजियों का निकालना, नहीं निकालना दूसरी बात है लेकिन जो यज्ञ और हवन कर रहे हैं इनको वहां से भगाओ, इनको वहां से हटाओ। इस दवाब के कारण एस.डी.एम. वहां पर पहुंचे पुलिस बल को लेकर।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मंदिर बना हुआ है, मंदिर के सामने हवन कुण्डी बनी हुई है, एस.डी.एम. हवन कुण्डी में जूते समेत घुसे। पुलिस दल भी वहां पर धुस गया। पहले लात-घूंसे मारना चालू किया पुलिस ने, फिर लाठियां मारी। लोगों में भगदड़ मची। भगदड़ मचने के बाद एस.डी.एम. ने कहा कि इनको सबक सिखाओ। एस.डी.एम. के खुद के हाथों में रिवाल्वर थी, गंगापुर की सारी जनता कह रही है। खुद रिवाल्वर को हाथ में लेकर फायरिंग कर रहे थे। पुलिस के लोगों को भी इस सरकार ने ऐसी छुट्टी दे दी, हाथ में डंडा लगे चाहे बंदूक लगे, उनको मारने का काम। वो कतई नहीं सोचते कि कौन मरेगा, कौन गिरेगा, कानून की स्थिति क्या होगी। कानून को हाथ में लेकर वहां पुलिस ने तांडव नृत्य मचाया। उपाध्यक्ष महोदय, एस.डी.एम. ने फायरिंग की, लाठियां चलायीं। डीवाई.एस.पी., एडीशनल एस.पी., वहां के थानेदार, बाकी के पुलिसकर्मी थे, उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने गोलियां चलायीं। जब गोलियां चलायीं तो धर्म सिंह माली नाम का एक बच्चा जो वहां पर उस कार्यक्रम में मौजूद था, वह मौके पर ही गिर कर मर गया। पुलिस लोगों के पीछे-पीछे भागी। आगे से भी धेरा, चारों तरफ से घेरा, क्योंकि कंजेस्टेड एरिया था। पता नहीं कितने दर्जनों लोगों को चोटें लगीं। उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर हैरानी होगी कि उस मंदिर के स्थान पर जहां पर यज्ञ और

(डा. किरोड़ी लाल)

हवन हो रहा था, उससे एक फर्लांग की दूरी पर दो मंजिला मकान में सतीश अग्रवाल नाम का एक व्यक्ति खड़ा था। उपाध्यक्ष महोदय, उसके सिर में यहां से गोली मारी और गोली पार निकल कर वह वहीं गिर कर मर गया। ऐसा अत्याचार तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं देखा।

उपाध्यक्ष महोदय, जब वहां पर यह हो गया और 18-20 अन्य लोग जो घायल हो गये तो उसमें से कुछ घायल, जो बहुत सीरियस इंजर्ड थे, डाक्टर्स ने उनको यहां एस.एम.एस. अस्पताल में रैफर कर दिया। आपको इस बात को सुन कर भी हैरानी होगी कि उन इंजर्ड लोगों के साथ न तो कोई डाक्टरों की टीम आयी, ना कोई पुलिसकर्मी आया और इनको भगवान के भरोसे छोड़ दिया। यह बात जरूर है कि इस सरकार के मंत्री ने यहां फोन करके और प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने फोन करके उनके इलाज की सारी व्यवस्था करायी। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर जो दो लोग मरे उनका कोई राम रखवाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। बड़े अधिकारी वहां पर उपस्थित थे, उनको अस्पताल में डाल कर आ गये। उपाध्यक्ष महोदय, एक लाश को तो उठा कर गंगापुर से करौली ले जाने लगे। डैड बाडी को वहां डालने के लिए, तहस-नहस करने के लिए फेंकने के लिये ले गये। जनता को पता लगा तो वापस पुलिस उस डैड बाडी को लेकर गंगापुर के हास्पिटल में डाल गयी। गंगापुर में डाक्टारों ने पूछा कि इसका नाम क्या है? कब मरा? तुम लाने वाले कौन हो? पुलिस के सिपाही ने अपना नाम नहीं बताया और उसका, जिस व्यक्ति की डैड बाडी वहां पर पड़ी हुई है, आज तक पता नहीं लगा। तीन लोगों को बर्फ की सिल्लियों पर लिटाया है तो वहां के डाक्टरों ने लिटाया है। प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की, न किसी की देखभाल की।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने क्या किया? इन्होंने यह देख कर कि हम से यह कबाड़ा तो हो गया, अब हम पर तलवार लटकेगी, हमारे खिलाफ कार्यवाही होगी, लोगों के खिलाफ मुकदमें दर्ज किये 307 के, 3 पी.पी.डी. एक्ट के। उपाध्यक्ष महोदय, आप कोई समिति भेज दें या कोई और जांच का ऐसा दल भेज दें वहां पर किसी प्रकार का कोई प्रोपर्टी का डैमेज नहीं हुआ, किसी पर प्राण घातक हमला नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चोट प्रतिवेदन लेकर आया हूं। अखबारों में तो बहुत छपा हुआ है लेकिन 11 में, इसमें एडीशनल एस.पी.के भी चोट है।

मेडिकल में लिखा है "कम्प्लेंट आफ पेन..."

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किस में?

डा. किरोड़ी लाल : पैर में। मेडिकल में लिखा है "कम्प्लेंट आफ पेन, ब्रूज और अब्रेजन"। कम्प्लेंट आफ पेन 11..11 के अलावा किसी प्रकार की कोई चोट कम्प्लेंट आफ पेन बज और अब्रेजन के अलावा हो तो, उपाध्यक्ष महोदय, आप उन पर 307 लगाओ, और कोई धारा लगनी हो वह लगाओ। लेकिन इस ढंग से पब्लिक को

(डा. किरोड़ी लाल)

डिमोरलाइज करने के लिए, पब्लिक को हतोत्साहित करने के लिए इन्होंने गोली चलायी और गोली के नाम पर वहां 33 लोगों को गिरफ्तार कर लिया 307 और 3 पी.पी.डी. एक्ट का मुकदमा दर्ज करके।

उपाध्यक्ष महोदय, एक डाक्टर की रिपोर्ट हम वहां से लेकर आये हैं, डाक्टर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि दिनांक 25.3.2002 की रात्रि 10.55 बजे तक पुलिस की ओर से चिकित्सालय में चोटों का मुआयना करा रहे 18 लोगों के मुआयने हेतु कोई प्रतिवेदन अभी तक इस चिकित्सालय को प्राप्त नहीं हुआ है। दो मृतक, श्री सतीश व धर्म सिंह की चोटों के मुआयने हेतु या शव परीक्षण हेतु पुलिस या प्रशासन की ओर से कोई अभी तक पत्र प्राप्त नहीं हुआ। इस समय रात्रि दस बजे तक आप की घटना से सम्बन्धित कोई भी पुलिस और प्रशासन के कर्मचारी चोटों के मुआयने के लिए इस चिकित्सालय में अभी तक नहीं आये हैं। एक अज्ञात व्यक्ति का शव पुलिस रात्रि में लगभग साढ़े नौ बजे लेकर आयी है। उपाध्यक्ष महोदय, हत्या दो बजे हुई और साढ़े नौ बजे लेकर आये हैं। परन्तु इसकी भी किसी प्रकार के पोस्टमार्टम की कोई तहरीर वहां से नहीं आयी है। मेरे चिकित्सालय में जिन उपरोक्त घायलों का परीक्षण किया गया, इसकी तहरीर पुलिस को चिकित्सालय ने भिजवा दी थी परन्तु अभी तक उक्त का कोई जवाब नहीं आया। प्रशासन की ओर से घायल होने वालों में भी कोई प्रतिवेदन चिकित्सालय में नहीं आया।

वहां का डाक्टर जो इंचार्ज है वह हम को लिख कर दे रहा है। हम लिखा कर आये, हम पूछ कर लाये, यह रात्रि 10.55 बजे लिख कर दे रहा है और घटना है 1.55 बजे दिन की। 1.55 की घटना और 10.55 तक कोई मुआयना करने नहीं पहुंचा और ना उनकी पोस्टमार्टम की बात की।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद हम वहां पर पहुंचे। हमने वहां पहुंच कर मांग की कि यह जो जघन्य अपराध आपने किया है इसका मुकदमा दर्ज करो। इसका मुकदमा दर्ज कराने हम वहां पर पहुंचे तो, उपाध्यक्ष महोदय, हमें चार घंटे लग गये, हमारा मुकदमा दर्ज नहीं किया। गहलोत साहब यहां पर बैठे हैं, गृह मंत्रीजी यहां पर हैं, आपने कहा कि बड़ी संवेदनशील पारदर्शी सरकार है और बड़ा क्रियाशील प्रशासन है। पांच-पांच विधायक वहां थाने पर बैठे रहे हैं, पांच पांच घंटे तक वहां प्रार्थना करते रहे कि हमारी एफ. आई.आर. लो, हमारे लोगों को मारा है, इतने लोगों को प्राणधातक चोटें मारी हैं। गृह मंत्रीजी, पांच घंटे बैठने के बाद यह मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज हो गया 302 का और 302 के इस मुकदमे में एडीशनल एस.पी. है, डीवाई.एस.पी. है और वह एस.डी.एम. है जिसने वहां हवन कुण्डली को रौंदा है। वह एस.डी.एम. है जिसने अपनी इनको रिवाल्वर से लोगों पर गोली चलायी है, उन्हें घायल किया है, मारा है। आपने इनको लाइसेंस नहीं दे दिया है जनता को मारने के लिए। किशनगढ़ और पीपाड़ को तो हम सहन कर गये, लेकिन गंगापुर में जो आपके इशारे पर नंगा नाच हुआ है न, गृह मंत्रीजी,

(डा. किरोड़ी लाल)

वह बरदाश्त के काबिल नहीं है। आपको इनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। ये आपको डुबोकर रख देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह एफ. आई. आर. पढ़कर दो मिनट सुनाऊंगा, इसमें कार्यवाही पुलिस लिखी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : इनके पास है।

डा. किरोड़ी लाल : नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। सदन को जानकारी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस कार्यवाही सुनाऊंगा। "प्रमाणित किया जाता है कि उक्त रिपोर्ट तहरीर श्री बृजेन्द्र बंसल पुत्र श्री रामेत कौम बंसल उम्र 54 साल निवासी गंगापुरसिटी, हरिप्रसाद बोहरा, रामसिंह कटारा, योगेन्द्र शर्मा ने हाजिर थाना अपनी तहरीर रिपोर्ट पेश की जिसकी नकल एफ.आई.आर. रजिस्टर अक्षरशः की गयी। मजमून रिपोर्ट से मामला जुर्म धारा 147, 148, 149, 302, 323 आई.पी.सी. का आना पाया जाता है अतः मुकदमा उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध निर्देशानुसार तफतीश श्री पी.डी.शर्मा, एस.पी., सी.आई.डी.(सी.बी.), जयपुर को सुपुर्द की जाती है। मुकदमा नम्बर 194/2002 की प्रतियां एफ.आई.आर. व एस.आर. जारी की गयी। प्रार्थी को नकल एफ.आई.आर. निः शुल्क दी गयी।"

उपाध्यक्ष महोदय, यह हम प्रशंसा करना चाहेंगे उन अधिकारियों की जो उन्होंने मेहरबानी कर दी और यह एफ.आई.आर. वहां पर दर्ज हो गयी। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी तो यह मांग है कि जिन्होंने हाथ में बन्दूक लेकर निर्दोष, निहत्थे लोगों को मारा है और एक धर्म स्थल पर जाकर हमला किया है, पैरों से उसको रौंदा है, पंडित के लात मारी है, उनका जबाड़ा तोड़ दिया लाठी मारकर और उन्होंने फायरिंग की है उन सारे अधिकारियों को हथकड़ी डालो, उनको वहां से हटाओ। सी.बी.आई से जांच कराओ, नहीं तो किसी हाई कोर्ट के जज से इसकी जांच करवाओ और मृतकों को पांच-पांच लाख रुपये की राशि दिलाओ। उपाध्यक्ष महोदय, यह जंगल का राज चल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न अब।

डा. किरोड़ी लाल : हमारा सौभाग्य है कि यहां पर मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं, आपसे हम, पूरा विपक्ष और पूरा सदन निवेदन करना चाहता है कि आप इतनी छुट्टी तो मत दो कि हाथ में बन्दूक पकड़ा दो और काम करने वाले मजदूर के भी गोली लग जाए। जो वहां पर गांव से मिलने-जुलने आये उनको दस-दस किलोमीटर तक पुलिस ने मारा-पीटा है, फायरिंग की है। उनका क्या, किस प्रकार का दोष है? आप इन पर शिकंजा कसो। अगर आपने इस ढंग से इनको खुला छोड़ दिया तो आपके राज का पता नहीं लगने वाला है। मुख्य मंत्रीजी, ऐसे डूबोगे कि आपको कभी पूछने वाला नहीं होगा। मैं मांग करता हूं कि जो हमने मांग की है उन मांगों को आप गम्भीरता से लें, इनके खिलाफ कार्यवाही करें और 302 के मुकदमें में गिरफ्तार करें। मेरी मांग है कि सी.बी.आई. से जांच कराएं। यह जो एफ.आई.आर. दर्ज हुई है और डाक्टर ने जो रिपोर्ट दी है, उपाध्यक्ष महोदय, ये दोनों कागज बड़े महत्वपूर्ण हैं, मैं आपकी आज्ञा से सदन के पटल पर रखना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : पहले उनका स्टेटमेंट आ जाए। आप बिराजिए प्लीज। (व्यवधान) आप विराजिए। माननीय गृह मंत्रीजी।

शासकीय वक्तव्य

(स्थगन प्रस्ताव)

गंगापुर में ताजिये निकाले जाने के समय उत्पन्न कानून व्यवस्था की स्थिति

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, 25.3.2002 को मोहर्रम के अवसर पर कानून और व्यवस्था बनाये रखने हेतु पूरे राज्य में विस्तृत प्रशासनिक एवं पुलिस बन्दोबस्त किये गये थे। कुछ अपवादों को छोड़कर पूरे प्रान्त में मोहर्रम शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हो गया। सिरोही जिले के पिण्डवाड़ा, पाली जिले के ग्राम कुशालपुरा, चित्तौड़ जिले के कस्बा कपासन, कोटा जिले के ग्राम कनवास एवं अजमेर जिले के कस्बा नसीराबाद में व्यवधान उत्पन्न करने के प्रयास हुए, परन्तु पुलिस एवं प्रशासन द्वारा स्थिति नियंत्रण में कर ली गयी। जबकि सवाई माधोपुर जिले में गंगापुरसिटी एवं जिला पाली के ग्राम लाव्या में स्थिति नियंत्रण से बाहर होने के कारण पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा।

जिला सवाई माधोपुर के गंगापुरसिटी में हर वर्ष की भांति 25.3.2002 को ताजिये निकाले जाने का कार्यक्रम था। इस वर्ष भी प्रशासन द्वारा मुस्लिम सम्प्रदाय के लोगों को कदीमी रास्ते से ताजिये निकालने का लाइसेंस दिया गया था। ताजिये कदीमी तौर से बालाजी चौक से होते हुए कर्बला पहुंचने थे। शांति समिति की बैठकों में एस.डी.एम. उप अधीक्षक, पुलिस तथा पुलिस अधीक्षक के समक्ष दोनों पक्ष के लोगों ने यह वायदा किया था कि वे ताजिये के जुलूस में कोई व्यवधान पैदा नहीं करेंगे। उक्त वायदे के अनुरूप 24.3.2002 को कत्ल की रात का जुलूस बालाजी के मंदिर के सामने से निकला था, परन्तु दिनांक 25.3.2002 को बजरंग दल, शिव सेना एवं विश्व हिन्दू परिषद् के लगभग 400-500 कार्यकर्ताओं ने बालाजी के मन्दिर के सामने यज्ञ शुरू कर दिया और सड़क पर टेंट लगाकर ताजिये के रास्ते को रोक दिया। यह अवरोध सुबह 11.00 बजे खड़ा किया गया था। पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने ताजिये के रास्ते से हटने की समझाइश की लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा ये लोग साम्प्रदायिक नारे लगाने लगे और मरने मारने पर उतारू हो गये। पुलिस के साथ पहले तो धक्का-मुक्की की बाद में भारी पथराव चालू कर दिया जिससे लगभग चालीस पुलिसकर्मी घायल हो गये। इनमें पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और थानाधिकारी के भी चोटें लगीं। हिंसात्मक्र व अनियंत्रित भीड़ ने छतों पर से पथराव करना शुरू किया। जिधर ताजिया रखा था उधर बढ़ने लगे। स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए तथा हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच सम्भावित हिंसात्मक टकराव को रोकने के लिए मौके पर उपस्थित एस.डी.एम. ने पहले अश्रु गैस बाद में लाठी चार्ज का आदेश दिया। अश्रु गैस और लाठी चार्ज के प्रयोग असफल होने एवं छतों से पथराव जारी रहने पर एस.डी.एम. ने जन-धन

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

की हानि बचाने के लिए एवं हिन्दू-मुस्लिम टकराव को रोकने के लिए गोली चलाने का आदेश दिया। पुलिस ने 43 अश्रु गैस के गोलों का प्रयोग किया, तीस चक्र गोलियां चलायीं। पुलिस की उक्त कार्यवाही में तीन व्यक्ति मारे गये। इनके नाम हैं सतीश चन्द पुत्र श्री राधेश्याम अग्रवाल आयु 40 वर्ष निवासी गंगापुर सिटी, श्री धर्मसिंह पुत्र श्री सूरज माली आयु 22 वर्ष निवासी गंगापुरसिटी और बलराम सोनी आयु करीब 20-25 वर्ष निवासी गंगापुरसिटी। पुलिस की उक्त कार्यवाही में घायल हुए व्यक्तियों में से गम्भीर रूप से घायल सात व्यक्तियों को सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में भर्ती करवाया गया है और आठ घायलों का इलाज गंगापुर सिटी अस्पताल में किया जा रहा है। उक्त घटना के सिलसिले में मुकदमा नं.193/2002 धारा 307, 353, 332, 336, 147, 148, 149, 188, 341, 153 थाना गंगापुर सिटी पर दर्ज किया गया है। मौके पर 23 दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया तथा अन्य मुल्जिमों की तलाश व अन्वेषण जारी है। गंगापुरसिटी में दिनांक 2.3.2002 से धारा 144 जाप्ता फौजदारी लगी हुई है एवं दिनांक 25.3.2002 को उक्त घटना के बाद 3.00 पी.एम. पर एस.डी.एम., गंगापुरसिटी ने कर्फ्यू लगाया है। कस्बे में स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां यह कहा गया कि ऊपर से ऐसे निर्देश दिये गये थे। हमने कानून और व्यवस्था के लिए निर्देश राजस्थान के सभी जिला प्रशासन को दिये थे। कोई विशेष निर्देश किसी भी कस्बे के किसी भी अधिकारी को या जिला प्रशासन को हमने नहीं दिये थे और वहां शांति कायम करने के लिए दिये थे। दोनों पक्षों के लोगों के साथ बैठकर रास्ता निकालकर कदीमी रास्ते से मोहर्रम के ताजिये निकालने की बात हमने कही कि समझाइश से निकाला जाना चाहिए। कई जगह तनाव की ऐसी घटनाएं पैदा हुई जिनका जिक्र मैंने अपने स्टेटमेंट में किया। कुछ समझाइश से मामला बैठा है और वहां शांतिपूर्ण तरीके से मोहर्रम के ताजिये विसर्जित कर दिये गये। लेकिन यहां तनाव इस कदर बढ़ गया था, जो हनुमानजी का मंदिर, बालाजी का मंदिर जिसे आप कहते हैं उसके 300-400 फीट दूर पर ही मस्जिद थी, ताजिये भी वहां रखे हुए थे। उस तरफ लोगों ने बढ़ने का प्रयास किया और जब स्थिति यह देखी गयी कि हो सकता है दोनों पक्षों में क्लेश हो जाएगा...

एक माननीय सदस्य : इतना गलत क्यों बोल रहे हो ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर,आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, विराजें।

श्री कृष्णमुरारी गंगावत : जवाब माननीय मंत्री महोदय दे रहे हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, माननीय सदस्य, प्लीज। (व्यवधान)

श्री कृष्णमुरारी गंगावत : इसका क्या मतलब है अखबार में फालतू में...(व्यवधान)

किन्तु जब हमारे माननीय मंत्रीजी बोल रहे हैं इनको उठकर बराबर बोलने का क्या अधिकार है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। माननीय सदस्य कृपया व्यवधान न डालें। सुन लीजिए, नहीं तो बंद करें इसको।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आपको अधिकार है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सुनना ही नहीं चाहते तो.....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने शांति से आपकी बात सुनी है, दो मिनट मेरी बात भी सुन लें। अगर आपको सुनने में कोई आपत्ति है तो आप कहें तो मैं बैठ जाऊं। (व्यवधान) आप अपनी बात तो कह सकते हैं, सरकार का उत्तर सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान) अब कौन कितना सत्य बोल रहा है यह तो जांच का विषय है।

एक माननीय सदस्य : भगवान पर छोड़ दो।

श्री उपाध्यक्ष : आप कंटीन्यू कीजिए प्लीज।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : भगवान तो है ही वहां पर विराजमान है। जब ऐसी स्थिति पैदा हो गयी कि टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है, कुछ भी अप्रिय घटना घट सकती है तब वहां के एस.डी.एम. ने आदेश दिया-पहले लाठीचार्ज किया जाए, अश्रु गैस के गोले छोड़े जाएं और वे छोड़े गये। उस पर भी स्थिति पर नियंत्रण नहीं पा सके तो उन्होंने स्थिति को टालने के लिए, अनहोनी घटना टालने के लिए, जनहानि को न होने देने के लिए फायरिंग के आदेश दिये। हम इस बात को स्वीकार करते हैं। हम कोई यह नहीं कहते हैं कि नहीं दिये। एस.डी.एम. ने दिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : स्टेटमेंट में कह चुके हैं यह बात।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कह दिया उसी को मैं कह रहा हूं और उसमें जो लोग मरे उसका जिक्र भी मैंने किया।

यहां यह कहा गया कि उनका तो अभी पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ और कोई पूछने ही नहीं गया। माननीय सदस्य को जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि उनका पोस्टमार्टम भी हो गया और मेरे ख्याल से उन तीनों के दाह संस्कार भी हो गये हैं।

एक माननीय सदस्य : आज हुआ है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आज ही होगा। कल तो हो नहीं सकता था। पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के बाद ही दाह संस्कार होगा और वह दाह संस्कार भी पूरा हो गया। यहां जितने लोग आये, घायलों की व्यवस्था सरकार ने पूरी तरह से की है। हमारे राज्य मंत्री चिकित्सा स्वयं उन मरीजों को देखने अस्पताल गये। उन्होंने देखभाल की। उनकी जितनी भी इलाज की व्यवस्था करनी थी वह सरकार की तरफ से करायी गयी है। यह कहना गलत है कि हम उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान) यह जरूर दुःख का विषय है कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन परिस्थितियां जब इस तरह की पैदा हो जाएं, जान माल की हानि होने की आशंका पैदा हो जाए, आपस में टकराव की स्थिति पैदा हो जाए तो पुलिस को जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से कुछ कार्यवाही करनी पड़ती है और वही कार्यवाही की गयी है। यह चार्ज

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

लगाना कि ऊपर से निर्देश दिये, मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार की तरफ से ऐसे कोई निर्देश नहीं दिये गये थे, जिसका जिक्र अभी माननीय सदस्य कर रहे थे। यह बात मनगढ़त है। (व्यवधान) राज्य सरकार की तरफ से गृह मंत्री की हैसियत से मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मैंने और मुख्य मंत्री जी ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया। अगर आप इसको कंट्राडिक्ट करने की स्थिति में हैं तो आप सबूत पेश कर दीजिए, मैं इसको चैलेंज करता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुख्य मंत्री जी के दफ्तर से गये हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : बिलकुल नहीं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इनसे ऊपर कौन हैं?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हमसे ज्यादा ऊपर कोई नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : यह हां नहीं करेंगे।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह करें या न करें लेकिन मैं इनको विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान सरकार के मंत्री स्तर पर और मुख्य मंत्री स्तर पर से इस प्रकार के कोई निर्देश नहीं दिये गये हैं। यह मिथ्या चार्ज है, इसको मैं कंट्राडिक्ट करता हूं, इसका सख्त एतराज करता हूं।

सवाल यह है आपने कहा कि दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए, हम जरूर कार्यवाही करेंगे। हमने कब कहा, दोषी नहीं है? आप पहले से मान रहे हो। मेरी पूरी बात तो सुनना ही नहीं चाहते और कहते हैं दोषी कोई है ही नहीं। आपने सर्टिफिकेट दे दिया तो आपके सर्टिफिकेट के आधार पर फैसला कर लूं क्या? बोलो आप? कहो तो कर लूं फैसला कि कोई दोषी नहीं है, आपका सर्टिफिकेट है? लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस बारे में गम्भीर है, दोषियों को सजा दिलाना चाहती है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने फैसला किया है कि कमिश्नर आफ इंक्वायरी एक्ट, 1992 के तहत इस सारे प्रकरण की जांच करायी जाएगी। कमिश्नर आफ इंक्वायरी एक्ट के तहत वैसी नहीं जैसी और जगह करायी गयी थी, इस एक्ट के प्रावधानों के तहत इंक्वायरी करायी जाएगी और इंक्वायरी के बाद जो भी दोषी लोग होंगे, सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करने में नहीं हिचकेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी के वक्तव्य के बाद मुझे एक-दो पाइंटेड सवाल पूछने हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पहले जो गये हैं उनको पूछ लेने दो।

श्री सुरेन्द्र गोयल : लांबिया के बारे में....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें।

श्री सुरेन्द्र गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कम बोलता हूं। दो मिनट के लिए मैं आपसे...

श्री उपाध्यक्ष : हां, हां बोलने देंगे आपको, तसल्ली रखो। आर्डर। इनके साथ जो दो माननीय सदस्य और गये थे वह कुछ पूछना चाहते हैं तो...

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : आप थोड़े ही गये थे ?

श्री मदन दिलावर : मैं गया था।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो, आप नहीं गये। धर्मपाल जी गये हैं। (व्यवधान) बिराजो ना, पूछने देंगे। श्री धर्मपाल जी।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गया था और नहीं भी गया था तो भी पूछ सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको बोलने देंगे। आप बिराजो।

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं, गृह मंत्री जी यह कह रहे हैं कि मंदिर के बाहर यज्ञ हो रहा था, यह बात बिलकुल असत्य है। यज्ञ जो हो रहा था वह उस मंदिर के परिसर में था। दूसरा जो सतीश अग्रवाल की डैथ हुई है वह वहां से 400-500 मीटर दूर थी और उस साइड में मंदिर नहीं था। उस साइड में तो छप्पर था और उस साइड में थाना था। आप जो यह बात कह रहे हैं कि हिन्दू लोग मुसलमानों के जहां ताजिये रखे थे, उधर जा रहे थे, यह बिलकुल असत्य बात है। उन लोगों ने उधर पीछा करके जो सतीश अग्रवाल मरा है, वह कैलाश चन्द्र शर्मा के कर सलाहकार हैं उनके यहां पर था मकान पर और पहली मंजिल पर उनके गोली लगी है। इसके बारे में आपका क्या जवाब है, बताने का कष्ट करें ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र सिंह जी। (व्यवधान) तसल्ली रखो ना आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं गृह मंत्री जी ने वक्तव्य देकर आज ऐसा काम किया है कि आने वाला इतिहास इनको कभी माफ नहीं करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : क्वेश्चन, क्वेश्चन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की धरती पर तीन-तीन हत्याएं हो जाएं...(व्यवधान) गृह मंत्री जी लीपापोती करके उनको बचाना चाहते हैं।

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने उन माननीय सदस्यों को अनुमति दी है जो वहां गये थे। माननीय सदस्य तो कल गये ही नहीं वहां पर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले इनको पूछें कि गये थे क्या।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा गृह मंत्री जी से पाइंटेड सवाल है। गृह मंत्री जी, आपने अपने वक्तव्य में कहा है कि पुलिस पर पथराव हुआ और चालीस पुलिसकर्मी घायल हुए। मैं जानना चाहता हूं पुलिस के पथराव से जो पुलिस कर्मी घायल हुए उनकी एम.एल.सी. कब हुई ? क्या उनमें से एक भी ऐसा पुलिसकर्मी है जो गम्भीर चोट से ग्रसित हुआ हो ? आप जो कह रहे हैं कि उन्होंने सड़क को बीच में अवरुद्ध करके यज्ञ प्रारम्भ कर दिया, मैं उस शांति समिति की रिपोर्ट भी आपसे पूछना चाहता हूं जिस शांति समिति में यह तय हुआ था कि दोनों समुदाय मिल जुल कर ताजिये का जो रास्ता है उस रास्ते में कोई व्यवधान पैदा नहीं करेंगे। यह यज्ञ उस हनुमान मंदिर के परिसर के अन्दर हो रहा था, उसमें स्थायी यज्ञशाला बनी हुई है। गृह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मंत्रीजी, आप मौके पर नहीं गये, आपको मौके पर जाना चाहिये। आप मौके पर जाएंगे, तो देखेंगे उसके अन्दर यज्ञशाला बनी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तीसरा मेरा सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, 1.45 बजे गोली चली तो उसमें दो व्यक्तियों की तो उसी वक्त मृत्यु हो गयी। आपने उनका मेडिकल कब करवाया जिन घायलों को चोटें लगीं?

उपाध्यक्ष महोदय, एक, दो नहीं सोलह लोगों के गोली लगी है। गृह मंत्रीजी कह रहे हैं तीस चक्र गोली चली, वहां पैंसठ चक्र गोली चली है पैंसठ चक्र गोली चलीं, सोलह लोगों के गोली लगी, उन घायलों को कितने बजे आपने वहां से रैफर किया? क्या एक भी ऐसा घायल है जिसको रैफर करने से पहले आपने गंगापुरसिटी के अस्पताल में उनको प्राथमिक उपचार दिया हो? या एक भी घायल के साथ एक भी कोई सरकारी कम्पाउण्डर या डाक्टर आया हो? यह सवाल का जवाब दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावरजी।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं...(व्यवधान) डोंट डिस्टर्ब। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। क्वेश्चन फटाफट।

श्री मदन दिलावर : मैं माननीय मंत्री महोदय ये यह जानना चाह रहा हूं कि क्या 25 तारीख से पहले हिन्दू और मुस्लिम भाइयों की...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मदन दिलावर : शांति समिति की बैठक हुई थी? यदि हां, तो उसमें क्या तय हुआ था?

दूसरा यह जो बताया है कि 40 पुलिसकर्मियों के चोटें आयी हैं, ये चोटें कितने बजे आयीं थी और मेडिकल मुआयना कराने कितने बजे गये थे? मेरी जानकारी के अनुसार रात को 10.30 बजे तक वहां कोई भी पुलिसकर्मी अपना डाक्टरी मुआयना कराने के लिये नहीं गया और न ही किसी भी प्रकार का शव परीक्षण सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से कोई प्रहरी मेडिकल इंस्टीट्यूट यानि अस्पताल में गये। तो फिर यदि घायल हुए पुलिसकर्मी तो वे 2.00 बजे से 10.30 बजे तक क्या कर रहे थे? क्या मृतक जिसको सुबह तक नाम-पता नहीं था उसको गंगापुरसिटी से...

श्री उपाध्यक्ष : हो गया ना।

श्री मदन दिलावर : करौली की तरफ क्यों ले गये? क्या यह सही है कि उस शव को रफा-दफा करने के लिये वहां से करौली ले जाया गया था? वहां से लोगों ने खदेड़ा तो फिर अस्पताल में 9.30 बजे, 2.00 बजे जिसको मारा जाए...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय श्री भंवरलाल जी।

श्री मदन दिलावर : जिसको 9.30 बजे वहां हास्पिटल में क्यों ले गये?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भंवर लालजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उपाध्यक्ष महोदय, एक तो यह बताएं जो लोग हास्पिटल में भर्ती हैं, इनकी जो चोटें हैं वह शरीर के किस हिस्से पर हैं? सतीश जिसकी छत पर खड़े हो कर मृत्यु हुई है, उसके शरीर के किन भागों पर चोटें थी? ये जो चार या सात लोग आप हास्पिटल में बताते हैं, इनके शरीर पर नाभि के ऊपर के हिस्से में वह चोट हैं। आप बताएं इनकी चोट कहां है और जिसकी डैथ हुई है उसके किस हिस्से पर चोट थी?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजादजी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से दो स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं।

मेरा पहला सवाल तो यह है कि मोहर्रम का जुलूस जिस रास्ते से हमेशा निकलता था क्या उसी रास्ते से निकल रहा था?

मेरा दूसरा सवाल स्पेसिफिक यह है कि जो लोग हवन और यज्ञ कर रहे थे उन्होंने हवन और यज्ञ करने की प्रशासन से पूर्व में अनुमति ली थी क्या?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्रजी व्यास। (व्यवधान) बिराजिये, बिराजिये।

आपके बहुत हो गये। (व्यवधान) बिराजिये (व्यवधान) हमने अभी इश्यु ही नहीं किया..(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल : मेरा एडजोर्नमेंट मोशन था आज।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज। बिराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, गृह मंत्रीजी का एक वक्तव्य आया है और उस वक्तव्य में पूरे घटनाक्रम को बताते हुए आपने फायरिंग को जस्टिफाई किया है। उसके बावजूद आज On your own valution गवर्नमेंट ने इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत इंक्वायरी कांस्टीट्यूट करने की घोषणा की है। तो क्या गवर्नमेंट नोटविथस्टैंडिंग इन योअर स्टेटमेंट फायरिंग में कुछ गफलत हुई है, कुछ न कुछ गड़बड़ी है यह मानती है, एक बात? या सिर्फ इसलिये कि चूंकि तीन केजुअल्टी हुई हैं, इसलिये पब्लिक पेशेंस को पैसीफाई करने के लिये इंक्वायरी की आप घोषणा कर रहे हैं? इंक्वायरी घोषित कर रहे हैं तो, गृह मंत्रीजी, इसके टर्म्स आफ रेफरेंस क्या होंगे? क्योंकि अब जितना विवाद यहां पर चल रहा है वह सब तो सब्जैक्ट मैटर आफ इंक्वायरी हो गया। चाहे आप कहते हैं, चाहे पुलिस का वर्शन है, चाहे माननीय सदस्य कहते हैं, उस पर किसी पर भी कोई स्थिति में यह हाउस आज निष्कर्ष निकालने की स्थिति में नहीं है। निकालना भी नहीं चाहिये क्योंकि इंक्वायरी का मैटर है। पर इंक्वायरी का यह मैटर है तो It is nobody's case, Mr. Home Minister, कि आपने, मुख्य मंत्रीजी ने कोई निर्देश दिये हैं। मननीय सदस्यों का कहना है कि Not less than an I.G.P. ये कहते हैं कि ऊपर के निर्देश थे, नहीं होंगे। मैं यह नहीं कह रहा हूं। यह टर्म्स आफ रेफरेंस में आप शामिल करेंगे? क्योंकि, उपाध्यक्ष महोदय, एक बात तो स्पष्ट करनी पड़ेगी...

श्री उपाध्यक्ष : क्वेश्चन। क्वेश्चन।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, बिलकुल क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि दो सम्प्रदायों के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ, यह पूरी वारदात पुलिस प्रशासन और जो लोग यज्ञ कर रहे थे उसके बीच में हुई है ?

उपाध्यक्ष महोदय, क्या सरकार अपनी तरफ से एक बहुत कैटेगरिकल स्पष्टीकरण इस बारे में कर सकेगी, क्योंकि ऐसी स्थिति प्रदेश में कई स्थानों पर कई वक्त पर पैदा होती है ? ताजिये का ट्रेडिशनल रूट कौनसा था, माननीय माहिर आजादजी ने पूछा। उस वक्त उन्होंने यज्ञ करने की परमीशन ली थी, नहीं ली थी ? ये सब रेलेवेंट फैक्टर्स हैं। पर क्या, उपाध्यक्ष महोदय, यह मानते हुए कि ताजिये का रूट ट्रेडिशनल वही था, यह मानते हुए कि यज्ञ करने वालों ने यज्ञ करने की परमीशन नहीं ली थी और यह मानते हुए कि यज्ञ करने वालों का प्रयोजन मात्र अवरोध पैदा करना और ताजिये के जुलूस में व्यवधान पैदा करना था...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री...(व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र व्यास : प्रश्न पूछ रहा हूं मैं। क्या उस स्थिति में आप यह उचित समझते हैं कि ताजिये को डायवर्ट करके एक अप्रिय हिंसात्मक घटना को टाला जाएं ? या आप यह उचित समझते हैं कि फायरिंग करके दस-पांच आदमियों को मार दिया जाए ? मार दिया जाए लेकिन निकलेंगे जैसे ही उनको उठाकर फैंक दिया जाए ? यह स्थिति स्पष्ट करें। अगर गवर्नमेंट की यह पालिसी है...

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अगर गवर्नमेंट की पालिसी यह है तो मैं समझता हूं इंक्वायरी का कोई मैटर नहीं है। फिर पुलिस प्रशासन ने विशेष तौर पर आपके डायरेक्शंस और आपकी पालिसी को क्लीयरली ट्रांसलेट किया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगत सिंह जी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कुंडी बंद-कह दिया उन्होंने और आपने ये निर्देश ये दिये हैं। यही निर्देश निश्चित रूप से आपकी तरफ से होंगे। क्योंकि अपने आपको सैक्युलरिज्म का आपने आवरण ओढ़ रखा है उसके अन्दर अगर आपने ये निर्देश दिये हैं तो उसे निश्चित रूप से उन्होंने ट्रांसलेट किया है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, एक तो मैं यह स्पष्ट रूप से कैटेगरिकल एश्योरेंस होम मिनिस्टर से चाहता हूं कि टर्म्स आफ रेफरेंस के अन्दर यह बात सब होनी चाहिये इंक्वायरी के अन्दर।

और फिर अंत में...(व्यवधान) एक मिनट जगत सिंह जी, प्लीज। इस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आप सार्वजनिक करेंगे, नहीं करेंगे ? हाउस की टेबल पर रखेंगे, नहीं रखेगे ? फाइंडिंग्स को मानेंगे, नहीं मानेंगे ? उसके ऊपर एक्ट अपोन करेंगे, नहीं करेंगे ? यह इंक्वायरी कब तक कम्पलीट हो जाएगी ? और यह इंक्वायरी कौन कंडक्ट करेगा ? ये सब सवालात जुड़े हुए हैं। गृह मंत्रीजी, तो मैं अब विपक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि बार-बार इसको न उठाएं कि कौन कहां था, किसके गोली लगी, किसकी गलती थी, क्योंकि यह सब्जैक्ट मैटर

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

आफ इंक्वायरी हो गया। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको बार बार मत दोहराइये कि पुलिस को यह बल प्रयोग करना पड़ा, यह बल प्रयोग करना पड़ा। The moment you have declared an inquiry, यह सब्जैक्ट मैटर आफ इंक्वायरी हो गया। अब सब्जैक्ट मैटर आफ इंक्वायरी के अन्दर क्या-क्या सब्जैक्ट आएंगे, क्या टर्म्स आफ रेफरेंस होंगी, गृह मंत्रीजी कृपा करके यह सब हाउस को बताने का कष्ट करें।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा-सादा सवाल माननीय गृह मंत्रीजी से यह है कि क्या यह पहले से तय है कि 25 तारीख को ही ताजिये निकाले जाएंगे?

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : यह सब तय है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मोहर्रम तो उसी रोज था। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : जब यह तय है कि 25 को ताजिये निकलेंगे तो उससे पहले क्या यज्ञ करने की अनुमति उसी रास्ते पर सरकार से ली जा चुकी थी? या इनका भी पहले से 25 तारीख को ही तय था? एक तो मेरा यह सवाल है।

दूसरा मेरा यह सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी वालों ने अशांति करने का ठेका ले लिया है कि इस तरीके से हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को, माली को गुर्जर को,.(व्यवधान) मुसलमानों को तो छोड़ो, वह तो अलग-थलग हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मरा रहे हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं बता रहा हूं, मरवा तो आप रहे हो हमको बहका-बहका कर। इन लोगों को बहकाने का क्या आप लोगों ने ठेका ले रखा है इस देश को बरबाद करने का भी आपने ठेका ले रखा है? मैं यह बात पूछना चाहता हूं सदन में देश का सत्यानाश कर रखा है। कोई तरक्की नहीं, कोई शिक्षा की बात नहीं, कोई पानी की बात नहीं। एक सवाल लास्ट में यह है, मुझे गृह मंत्री जी बताएं कि क्या ऐसे नारे लगाये गये कि गुजरात में हमारे हजारों लोग मारे गये, आज यहां पर भी इसका बदला लिया जा सकता है? यह साफ बताएं। हमारे पास इस तरह की सूचनाएं हैं कि वहां गुजरात की बात भी कही गयी है। यहां पर तो पांच लाख रुपया मुआवजा मांग रहे हैं। वहां आपकी सरकार ने एक लाख रुपया दिया, आप पांच लाख करवा दो, हम भी यहां से पांच लाख की सिफारिश करवा देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विपक्ष के नेता महोदय। (व्यवधान) आर्डर प्लीज, आप बिराजें।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं मंत्री महोदय से..(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी गया था गंगापुरसिटी में।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें प्लीज, वह बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह गये थे।

श्री उपाध्यक्ष : वह बोल रहे हैं, बिराजें प्लीज। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह + + + बातों का जवाब देना भी जरूरी है।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय ने अभी अपने वक्तव्य में यह बताया कि धारा 144 गंगापुर सिटी में लगी हुई थी। उसी स्टेटमेंट में आपने बताया है कि 400 से ज्यादा लोग वहां इकट्ठे हो गये और हवन कर रहे थे। नारे लगाकर मस्जिद की ओर, ताजियों की ओर बढ़ रहे थे। तो आपका प्रशासन क्या कर रहा था? जब इंटेलीजेंस और आपके प्रशासन को यह तक पता नहीं कि 400 लोग इकट्ठे को जाएंगे उनको इकट्ठे ही क्यों होने दिया? कौन इसके लिए जिम्मेदार है कि 400 लोग धारा 144 में इकट्ठे होकर इस तरह से समाज के भाई-चारे तो तोड़ने के लिए नारे लगाएं? धर्म के नाम पर, हवन के नाम पर भाई-चारे को बिगाड़ने में निश्चित रूप से विश्व हिन्दू परिषद्, बजरंग दल तो दोषी हैं ही लेकिन आपका प्रशासन भी धारा 144 के बावजूद इतने लोगों को इकट्ठे होकर भाई-चारे को तोड़ने के लिए जिम्मेदार है? क्या उन पर आप आज तक कार्यवाही कर पाये हैं? (व्यवधान) आपने जिस तरह से अपने वक्तव्य में बताया कि मोहर्रम को लेकर, दोनों समुदायों के लोगों को एक जगह बैठाकर इस बात का आश्वासन लिया गया, तो मंत्री महोदय अपने जवाब में यह भी बताएं कि हिन्दुओं के त्यौहारों पर भी क्या इस तरह से आप करते हैं? केवल अल्पसंख्यकों के धार्मिक अनुष्ठान, मोहर्रम वगैरह करने के लिये क्यों आप बहुसंख्यकों को, ऐसे-ऐसे साम्प्रदायिक तत्वों को प्रोत्साहन देते हैं? उनको आगे लाकर आप यह भाई-चारा तोड़ने के लिए उकसाते हैं। अगर आपका प्रशासन सही समय पर सही काम करता तो शायद यह जनहानि जो तीन लोगों की हुई है, वह नहीं होती और न पूरे राजस्थान में भाई-चारे को इस घटना को लेकर बिगाड़ने का जो मौका इनको दिया है वह नहीं मिलता। क्या आप आगे से इसका बंदोबस्त करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विपक्ष के नेता महोदय। (व्यवधान) नेता बोल रहे हैं, नेता बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने सारे तथ्यों के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया है। कुछ बातें ऐसी कही हैं जिसके सम्बन्ध में मैं जानकारी करना चाहूंगा। आपने यह कहा है कि इस मामले की कमीशन आफ इंक्वायरी एक्ट में जांच करायी जाएगी। यह जांच जुडीशियल इंक्वायरी होगी या एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी होगी? जुडीशियल इंक्वायरी होती है उसका दूसरा महत्व है। और एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी होती है तो जब आपने इस प्रकार का वक्तव्य दे दिया उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी का कोई महत्व नहीं है। गृह मंत्रीजी इस प्रकार का बोल जाएं सारी चीज को जस्टिफाई करें उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी का महत्व क्या रहता है, इस पर विचार करें। मैं ऐसा समझता हूं उचित होगा कि आप जुडीशियल इंक्वायरी की घोषणा करें, ताकि कम से कम इस बात की तो उम्मीद की जा

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सके कि इसमें निश्चित रूप से हमें कोई न कोई रिलीफ मिलेगी।

नम्बर दो, आपने यह कहा कि हमने किसी प्रकार के निर्देश नहीं दिये और आपने यह भी कहा है कि ला एण्ड आर्डर मेनटेन करने के लिए प्रशासन ने सब जगह इंस्ट्रेक्शन दिये हैं। कृपया एक काम करें, इसकी वास्तविकता का पता तभी लगेगा जब आपके यहां से किस-किस अफसर के टेलीफोन गंगापुर गये हैं, किस-किस समय गये, उसकी अगर आप लिस्ट ईमानदारी से इस विधान सभा के सामने रख देंगे तो यह पता लग जाएगा कि आप में से किसी ने भी इस प्रकार इंस्ट्रेक्शन नहीं दिये हैं। ये चीजें आजकल उपलब्ध हो सकती है, सरकार चाहे तो दो मिनट में उपलब्ध हो सकती है और हम चाहेंगे तो इसमें समय लगेगा। कृपया यह जानकारी दे दें कि आपके आफिस से, मुख्य मंत्री के आफिस से आप या मुख्य मंत्रीजी ने, जैसा आपने मना कर दिया, सरकारी अफसर जो यहां बैठे हैं उनके आफिस से किस-किस समय, कितने-कितने टेलीफोन किये गये और किस-किसको टेलीफोन किये गये हैं। वह कांफीडेंशल बात तो मैं पूछना नहीं चाहता लेकिन यह बताएं कि उनको किस प्रकार के निर्देश दिये गये?

तीसरी बात यह जानकारी करना चाहूंगा, जिस मंदिर के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं? उसके ऊपर मोहर्रम कितने बजे पहुंचने वाली थी? मोहर्रम अगर चार बजे पहुंचे, (व्यवधान) ताजिये कितने बजे पहुंचने वाले थे? यह झगड़ा कितने बजे हुआ? इतनी जल्दी इस झगड़े को निपटाने के लिए गोली चलाने की आवश्यकता जब पड़ी, जब कोई मोहर्रम सामने आ रही हो, हिन्दू, मुसलमानों में कोई झगड़ा होने वाला हो, तलवारें निकल गयी हों, लोगों ने हथियार निकाल लिये हों, उस समय इस प्रकार की स्थिति पैदा होती। वह स्थिति तो पैदा ही नहीं हुई, टकराव की स्थिति पैदा नहीं हुई। आपके शब्दों में केवल इस प्रकार की स्थिति बनी कि वे लोग यज्ञ करते-करते सड़क पर बाहर आ गये आपके हिसाब से, लेकिन कोई टकराव नहीं हुआ। ना मुसलमान थे, ना टकराव करने वाले दूसरे थे। तो क्या आप वहां पर उस समय कर्फ्यू लगाकर, 144 की धारा लगाकर उन सब लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकते थे? अगर आपने गिरफ्तार कर लिया होता तो गोली चलाने की आवश्यकता नहीं होती। दो घंटे, तीन घंटे का अंतर है। इन तीन घंटों में सारे गंगापुर शहर को आप काबू कर सकते थे। लेकिन वहां पर आपने गोलियां चलवायीं। वहां पर लाठी चार्ज करवाया और वहां पर अश्रु गैस के गोले छोड़े। इससे मेरी समझ में बात नहीं आती है कि इतना गैप होना और इतने गैप के अंदर सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर सके, इसका मतलब कि अकर्मण्यता के सिवाय कोई दूसरा मामला हो ही नहीं सकता।

तीसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको इस समय तक मुसलमानों की तरफ से कोई ज्ञापन मिले हैं क्या कि हिन्दुओं ने रास्ता रोका या हिन्दू हमें मारने के लिए तैयार हो रहे थे? हिन्दुओं की इच्छा थी कि हम ताजियों को जला दें या और कुछ कर लें? ईमानदारी से कह दीजिये कि इस समय तक

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आपके प्रशासन को मुसलमानों का कोई ज्ञापन मिला है क्या? उस समय ज्ञापन मिला हो। अब तो आप मेनिपुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह सरकारी मशीनरी काफी चतुर है, मेनिपुलेट करने में और इस तरह का मेनिपुलेशन..(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह ट्रेनिंग आपके वक्त मिली थी क्या? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बताऊं, ट्रेनिंग मिली या नहीं मिली, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट के आदेश मिलते हों तो सरकार इस प्रकार की कार्यवाही कर सकती है। इतने चतुर जरूर हैं कि आपको खुश करने के लिए ये सारी बातें की जा सकती हैं। आप अभी कह रहे थे जैसे माननीय सदस्यों ने सवाल उठाये कि जो घायल हो गये थे, उन घायलों को लेकर यहां आये। अब यह तथ्य की बात है, यह इनह्यूमन एक्ट है गवर्नमेंट का कि उन लोगों के साथ ना कोई डाक्टर आया, ना उन लोगों के साथ कम्पाउण्डर आया कि यदि रास्ते में कोई गड़बड़ हो जाए तो उन लोगों का उपचार किया जा सके या नजदीक के दौसा या महुवा में किसी हास्पिटल के अंदर उनको ले जाकर भर्ती किया जा सके। आपकी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी। अब आप कह रहे हैं पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम की बात का आपने जिक्र किया, मुझे आश्चर्य हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, पोस्टमार्टम दो बजे, ढाई बजे यह सारा मामला खतम हो गया, ढाई बजे से लेकर शाम तक, कायदा यह है कि छह बजे पहले-पहले पोस्टमार्टम होना चाहिए। पुलिस के दिमाग में यह क्यों नहीं आयी कि हमें ढाई बजे तक पोस्टमार्टम करवा लेना चाहिये? पोस्टमार्टम उन्होंने मर गये उनका नहीं कराया और जो पुलिस की चोटें आयीं, ढाई बजे चोटें आयी और ये किरोडीलाल जी वगैरह हास्पिटल में जाकर यह नहीं पूछते और डाक्टर से यह नहीं पूछते कि पुलिस के सिपाहियों के कितनी चोटें लगी हैं, उनकी इंजरी रिपोर्ट दिखाओ। अब यह इंजरी रिपोर्ट दिखाने की बात नहीं करते तो मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि पुलिस वाले इन चोटों के लिए इंस्पेक्शन कराने, मेडिकल रिपोर्ट तैयार कराने भी नहीं जाते।

अब आप मेडिकल रिपोर्ट देखो। मेडिकल रिपोर्ट या पत्थरबाजी, सब कुछ है। यह आप सब जानते हैं कि आदमी जिस प्रकार का उत्पात करता है, उस उत्पात के अनुपात में, उस उत्पात को रोकने के लिए कितनी शक्ति का प्रयोग किया जाए, यह एक मौटा सिद्धान्त है शक्ति प्रयोग करने का। आप यह उचित समझते हैं कि लोगों ने पत्थर फेंके, फेंके होंगे पत्थर। लोगों ने वहां नारे लगाये, नारे लगाये होंगे लोगों ने। लोगों ने यह भी तय किया होगा कि मोहर्रम इधर से नहीं आए तो आपने क्या इस बात को, सारी चीजों को अच्छी तरह से देखा है कि हम इनको यहां रोक सकते हैं, रोक कर इसका उपचार कर सकते हैं या नहीं? या आपने यही विचार कर लिया कि केवल गोली चलाने से ही शांति हो सकती है, और कोई रास्ता नहीं हो सकता? अब आप गोली चलाने की बात करें, उस जगह पर मुझे आज तो याद नहीं है, लेकिन गंगापुर मेरा देखा है,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उस गंगापुर शहर में यदि आप गोली चलाएंगे, अंधाधुंध गोली चलाएंगे तो कौन मरेगा और कौन नहीं मरेगा, इसका कोई पता नहीं है। आज इन तीनों आदमियों के सम्बन्ध में आपने कभी भी कहीं भी यह नहीं कहा है कि इन तीनों आदमियों में से किसी ने पत्थर फेंके, यह नहीं कहा कि किसी आदमी ने मुसलमान पर आघात किया, यह नहीं कहा कि किसी पुलिस अफसर का इन्होंने हाथ तोड़ा। यह आपने नहीं कहा कि इसने पत्थर फेंके, पुलिस वालों पर पत्थर फेंके। पुलिस लोकल हो, उस लोकल पुलिस को तो यह जानकारी रहती है कि किस ने पत्थर फेंके। लोकल पुलिस को यह जानकारी रहती है कि किस ने कितना अपराध किया है। उस अपराध के बारे में आपने जो एफ.आई.आर. दर्ज करायी है, ईमानदारी से, शक्तावत साहब, उन एफ.आई.आर. की बात आप देख लें, उन एफ.आई.आर. में किसी प्रकार की सत्यता प्रकट नहीं होती है।

इसके उपरान्त भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं एक ही लाइन में कि आप जिस प्रकार का यह वातावरण बना रहे हैं, नसीराबाद में लोगों की पिटायी हो गयी, आपने मुझको आश्वासन देने के बाद हाउस में नहीं कहा कि इंक्वायरी कराऊंगा। आपने आश्वासन दिया। किशनगढ़ में इस प्रकार की स्थिति बन गयी, वहां आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैं इस बात से सहमत हूं, एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, कि आप ये सारी कार्यवाही करने के लिए परमानेंट व्यवस्था क्यों नहीं कर देते? परमानेंट व्यवस्था यह करनी पड़ेगी, मजबूरी से करनी पड़ेगी कि मुसलमानों का जुलूस निकलता है और हिन्दुओं का जुलूस निकलता है तो हिन्दुओं का जुलूस कहीं जा नहीं सके इस रास्ते से, आप पाबन्दी क्यों लगाते हैं? पाबन्दी इसीलिए लगाते हैं न कि आपस में झगड़ा न हो जाए? मैं अब पूछना चाहता हूं कि एक वर्ग इसका तो आप रास्ता रोक सकते हैं और दूसरे वर्ग का रास्ता रुके नहीं बल्कि शांति से वह काम कर सके, इस प्रकार की स्थिति पैदा करते हैं। यह जो भेदभाव आप करते हैं, यह मूल जड़ है, गृह मंत्रीजी, इस सारी समस्या की। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मूल जड़ है और इस मूल जड़ को आप विचार करके, मैं नहीं कहता कि आप जल्दी में कुछ करें, विचार करके सब लोग बैठें, हमको भी साथ बैठाएं और बैठकर यह तय करें कि यह रास्ते के सम्बन्ध में पाबन्दी लगाने की व्यवस्था का आधार क्या हो, किस प्रकार से यह व्यवस्था की जानी चाहिए। इसमें पीस कमेटी की आवश्यकता है या नहीं। गवर्नमेंट चाहे तो कुछ कर सकती है। आज राजस्थान में ही नहीं हिन्दुस्तान में मोहर्रम कई स्थानों पर नहीं निकल रहे हैं। नहीं निकल रहे, केवल इसलिए कि वहां पर रास्ते का आपस में तनाव है। मैं एक ही कहता हूं कि आप मानें या नहीं मानें, अगर जनता में यह विश्वास पैदा हो गया कि चाहे मुसलमान हो या हिन्दू हो, चाहे एम.एल.ए. हो, चाहे एम.पी. हो, अगर किसी तरह का दोष वह करेगा तो दोषी के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी, उसमें जाति-पांति का और उसके पद का यह भेदभाव नहीं किया जाएगा तो मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि यह बात अपने आप में सारी खतम हो सकती है या कम हो सकती है। आप इसको प्रोवोक मत करिये। आपने जिस प्रकार का स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट को गंगापुर की जनता पढ़ेगी तो गृह मंत्रीजी, आप यह मानकर चलिये, उनके मुंह से यही निकलेगा कि इसमें सारी बातें असत्य हैं। गृह मंत्री हैं, आपकी बात को कोई असत्य कहे तो प्रशासन पर उसका असर पड़ता है और इसलिए ये असत्य बातें इतनी व्यापक रूप से कोई कहने की जरूरत नहीं है।

जैसा आपने कहा, सुरेन्द्रजी बोल रहे थे, इन सारी बातों पें जो इंक्वायरी के इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं और उस इंक्वायरी के हर पाइंट पर आप जवाब देकर यह कहें कि भाई, इसमें किसी का दोष नहीं है। किसी का दोष नहीं है तो इंक्वायरी करने का मतलब ही क्या है? इसलिए मैं चाहूंगा कि आप निश्चित रूप से इस स्थिति के अंदर विचार करें।

मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि ताजियों का कार्यक्रम जो लिखा हुआ होता है पुलिस डायरी में, उसको देख लीजिये। ताजिये कितने बजे रवाना होने वाले थे, और वहां पर गोली कितने बजे चली? जहां पर मोहर्रम रखा हुआ था वहां और उस मन्दिर के बीच में कितना अंतर था? क्या इस अंतर को आप फोर्स से, कर्फ्यू लगाकर या किसी ढंग से रोक नहीं सकते थे? जिससे तीन निरपराध व्यक्तियों की मौतें हुई हैं, इसके लिए रेस्पोंसिबिल कौन है? वहां क्या पुलिस को इस बात का मालूम नहीं था कि यज्ञ चार दिन से चल रहा है, चार या तीन दिन, यज्ञ कोई एक दिन में शुरू नहीं किया है? तीन दिन से यज्ञ चल रहा था, वहां पूर्णाहुति का कार्यक्रम था, उस पूर्णाहुति के कार्यक्रम में सरकारी अफसर जूते पहन कर चले जाएं तो यज्ञ अपन भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं अपने मंदिर में कोई आदमी जूता पहन कर नहीं जा सकता। अपने मंदिर में जाकर कोई मूर्ति का अपमान करे, जूते पहनकर इस प्रकार की कार्यवाही नहीं हो सकती। इसलिए जहां तक इन चीजों को प्रोटेक्ट करेंगे, दोषी हैं, उसको सजा दीजिये, अगर मैंने दोष किया है आप सजा दीजिये और कोई एम.एल.ए. ने दोष किया, सजा दीजिये लेकिन दोषी को यह जानकारी मिल जाए कि अपने पद के कारण से, अपनी जाति के कारण से, अपने समूह के कारण से, अपने सम्प्रदाय के कारण से मुझे सजा नहीं मिलेगी तो भगवान आपका नीचे आ जाए, ये साम्प्रदायिक दंगे बंद नहीं होंगे। साम्प्रदायिक दंगे तब ही बंद होंगे जब सरकार सख्ती से अपीजमैंट की पालिसी खतम कर दे। आप लोग जिस अपीजमैंट की पालिसी पर चल रहे हैं उसके परिणाम बड़े घातक होंगे, मैं आज ही निवेदन करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि हम सब मिलकर इस प्रकार की व्यवस्था बनाएं कि हिन्दू और मुसलमानों के अंदर सब प्रकार का सामंजस्य बना रहे और इन सारी चीजों से हमारा पीछा छूटे। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय ने कुछ सुझाव दिये उसके संबंध में बाद में अपनी बात कहूंगा, लेकिन उससे पूर्व माननीय सदस्यों ने कुछ सवाल पूछे उनके संबंध में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। वैसे तो जब मैंने कमीशन ऑफ इंक्वायरी के तहत जांच की घोषणा कर दी है, मैं बहुत मुफस्सल से सारे तथ्यों में न जाना पसन्द करूंगा क्योंकि मैटर इंक्वायरी का हो जाएगा, इसलिए ज्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा लेकिन दो-तीन चीजें यहां कंफ्यूजन पैदा कर रही है, उनका स्पष्टीकरण करना चाहूंगा।

यज्ञ चल रहा है लेकिन यज्ञ के बाद भीड़ नहीं थी। पहले ये तीन-चार सौ लोग इकट्ठे हुए, वे बाहर खड़े हो गये चौक में, बालाजी के चौक में खड़े हो गये थे और चौक में खड़े होकर उन्होंने इस तरह के प्रोवोकेशन की बात की और उस तरफ बढ़ने की कोशिश की जिस तरफ ताजिया रखा हुआ था या मस्जिद का इलाका था। उससे एक वातावरण बिगड़ने की आशंका पैदा हुई। कुछ नारे भी ऐसे लगाये गये जो हमारे पास पुलिस रिपोर्ट के आधार पर हैं, जो आपत्तिजनक नारे थे।

श्री जगत सिंह दायमा : जैसे ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उससे स्थिति बिगड़ने की आशंका थी। उसकी वजह से यह नौबत सामने आयी। यह सही है कि यज्ञ के लिए कोई परमीशन जिला प्रशासन से नहीं ली गयी थी। दो चीजों में आपको फर्क करना पड़ेगा।

श्री सांवरलाल (भिनाय) : जरूरत पड़ती है क्या ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : दो चीजों में आपको फर्क करना पड़ेगा। एक तो पारम्परिक तौर से जो प्रोसेशन निकलते हैं, चाहे अनंत चतुर्दशी का निकले चाहे रामनवमी का निकले, चाहे मोहर्रम का निकले, ट्रेडिशनल तरीके से जो निकलते हैं उसके रास्ते डिसाइडेड हैं, उसकी परमीशन में वह रास्ता बताया हुआ है। जो परमीशन दी जाती है उसमें रास्ते इन्डीकेट किये हैं कि इस रास्ते पर यह मोहर्रम का जुलूस निकलेगा, यह ताजिये का जुलूस निकलेगा, उसमें लिखा हुआ होता है। अगर उसमें कोई रुकावट पैदा करता है तो प्रशासन का काम है कि उसमें उसको सहयोग करे, उस रास्ते पर निकालने की कोशिश करे। आप जिस प्रकार बता रहे हैं कि यज्ञ चल रहा था, यज्ञ की कोई परमीशन नहीं थी। बाहर लोग इकट्ठे हो गये थे, प्रोवोकेशन पैदा करने की कोशिश कर दी। उधर बढ़ने का वातावरण जब पैदा कर दिया, पुलिस ने समझाइश के जरिये रोकने की कोशिश की। जब मामला रुका नहीं था तब ऐसी स्थिति पैदा हो गई। जैसा मैंने शुरू में कहा, मैं उसके विस्तार में इसलिए नहीं जाना चाहता कि मैंने इंक्वायरी की बात आपके सामने कही है।

(15.00 बजे)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इंक्वायरी कौन करेगा ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : एक बात मैं सदन के विपक्ष के नेता महोदय से निवेदन

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार किसी भी दो समुदायों के हितों की रक्षा में कोई भेदभाव नहीं करती है और आगे भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे हिन्दू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे और किसी जाति का होगा उनके अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सरकार का है और उसका पूरी तरह निर्वहन करेगी, बिना भेदभाव के करेगी, यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। (व्यवधान) हमारे सामने सभी धर्मों का सम्मान है, उसी तरह से आदर और सम्मान से देखते हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : धर्मों का या सभी दंगों का? (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मोहर्रम के समय की जानकारी करने की बात कही गयी। मोहर्रम तीन बजे निकलना था मतलब ताजिया तीन बजे निकलना था, लेकिन प्रशासन ने एक बजे के आस पास बालाजी के मन्दिर के बाहर जो लोग इकट्ठे हो गये थे, उनको समझाइश की बात शुरू की थी। उनको अनुनय-विनय या अनुरोध किया था कि आप पधारो। जैसी कि आपकी मीटिंग हुई थी शांति समिति की 22 तारीख को, उसमें यह आपने आश्वस्त किया था कि हम निर्विघ्न रूप से ताजिये निकल जाने देंगे, इसलिए आप रास्ता छोड़ दीजिए और ताजिये को जाने दीजिए। उसका जब असर नहीं हुआ, वातावरण बिगड़ने लगा। परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गईं जिसकी वजह से सारी स्थिति ऐसी पैदा हुई। बाकी प्रशासन ने अपने ओर से पूरी कोशिश की। अब वे नारे क्या लगाये, एफ.आई.आर. आपके पास भी है, मेरे पास भी है, सारी पढ़कर मैं क्या करूंगा, आप खुद पढ़ लें, उसमें क्या-क्या नारे लगाये गये थे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : हमारे पास तो नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : एक-दो का तो बता दो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : खैर, जो नारे उत्तेजनात्मक नारे थे, शांति भंग करने के नारे थे, इसलिए प्रशासन को मजबूर होकर उसकी व्यवस्था करनी पड़ी, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि टर्म्स आफ रेंफरेंस क्या होंगे। आज की इस डिबेट को ध्यान में रखते हुए जो भी टर्म्स आफ रेंफरेंस तय किये जा सकते हैं वो टर्म्स आफ रेंफरेंस तय करेंगे। मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय को और सभी को यह आश्वस्त करना चाहता हूं यदि जांच में यह पाया गया, किसी व्यक्ति या किसी अधिकारी का दोष पाया जाएगा तो सरकार उसको नहीं बख्शेगी, यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। हमारी मंशा किसी को बचाने की नहीं है। न मेरा कोई रिश्तेदार है, न आपका कोई रिश्तेदार है, आप घबराइए मत।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जांच कौन करेगा, यह तो बता दीजिए? आप क्यों गोलमोल चल रहे हैं, कह दीजिए, जुडीशियल इंक्वायरी नहीं होगी, प्रशासनिक इंक्वायरी कराएंगे। यह कानून मेरा भी देखा हुआ है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यह लाल और पीला कानून मेरा देखा हुआ है और आपका भी देखा हुआ है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सर, 1991 से 1999 तक (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह बता दीजिए..(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : 1991 से 1999 तक आपके युग की बात याद दिलाना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : काहे के लिए?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आपने जो इस तरह की इंक्वायरी की है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, इंक्वायरी हुई है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : पुलिस की जांचों के खिलाफ भी इंक्वायरी हुई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जुडीशियल इंक्वायरी हुई है। (व्यवधान) अच्छा, मान लीजिए। जुडीशियल इंक्वायरी..(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने तो आउटराइटली इस बात को स्वीकार किया है..(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट। मैंने इंक्वायरी नहीं करायी, आप इंक्वायरी नहीं कराएंगे, यही बात है?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नहीं, करा रहा हूं। मैंने तो कोट किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जुडीशियल इंक्वायरी कराएं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने तो स्पेसिफिक इस एक्ट को कोट किया है जिसके तहत इंक्वायरी कराना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने जुडीशियल इंक्वायरी करायी है और जुडीशियल कमीशन की रिपोर्ट आयी है, सदन की मेज पर और गवर्नमेंट के पास पड़ी है। अब आपको जानकारी नहीं है तो क्या करूं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मेरे पास सारी जानकारी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : है तो आप बताइए, इसमें इंक्वायरी कराएंगे या नहीं?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने आपसे निवेदन किया कि सरकार की मंशा किसी दोषी को बचाने की नहीं है। (व्यवधान) जब किसी व्यक्ति को बचाने की सरकार की मंशा नहीं है तो हम सही इंक्वायरी कराना चाहते हैं और..(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किससे?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : किससे क्या, जिससे आप कहें उसी से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जुडीशियल इंक्वायरी की डिमाण्ड कर रहे हैं हम तो। जुडीशियल इंक्वायरी की डिमाण्ड की है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ऐसा नहीं होता। कमीशन उसमें नहीं..(व्यवधान) मैम्बर कौन होगा, अपांइट किसको करोगे, यह पूछा था सवाल।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जुडीशियल आफिसर होगा या एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर होगा ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इसकी जांच रिटायर्ड जस्टिस से करा दी जाएगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रिटायर्ड जस्टिस हाई कोर्ट का या सैशन कोर्ट का ?

श्री उपाध्यक्ष : जस्टिस तो हाई कोर्ट का ही होता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : रिटायर्ड जज तो हाई कोर्ट का ही होता है, सर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज। बिराजिए, बिराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गृह मंत्रीजी के वक्तव्य से बात उभरकर आयी कि मात्र नारे लगे, उत्तेजना पूर्ण नारे लगे और गोली चलाकर मार दिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्रीजी।

डा. किरोड़ी लाल : गिरफ्तारी की बात है। (व्यवधान) आप अधिकारियों को वहां से हटा नहीं सकते तो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, अगर + + + अधिकारी वहां रहेंगे। तो किस तरह से न्याय मिलेगा ? (व्यवधान)

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वाणिज्यिक वर्ष 2001

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित तीन प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं :—

1. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वाणिज्यिक प्रतिवेदन,

नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व) वर्ष 2001

2. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां),

नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2001

3. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए एक मांग और है, उनको पहले निलम्बित किया जाए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नारे क्या लगे ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, अगर जिन लोगों पर हत्या का आरोप है, जिन लोगों ने हत्या की है, जो एफ.आई.आर. में नामजद + + + हैं अगर वह अधिकारी

+ + + शब्द/अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

वहीं रहेंगे तो किस तरह का न्याय मिलेगा? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्रीजी, अंतिम प्रतिवेदन।

द्वितीय राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर की गयी कार्यवाही का ज्ञापन

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं द्वितीय राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर की गयी कार्यवाही का ज्ञापन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डा. चन्द्रभान। (व्यवधान) प्लीज बिराजिए आप।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने गोलियां चलायीं है। (व्यवधान) जो पूरी तरह से दोषी हैं, जैसा गृह मंत्रीजी अपने वक्तव्य में कह रहे थे...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इन + + + को वहां से हटाया जाए।

डा. चन्द्रभान (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : नारे लगा रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद। (व्यवधान) नारे लगाये गये थे हिन्दुस्तान मुर्दाबाद के। कौन लगाने वाले हैं ये?

मोहम्मद माहिर आजाद : विश्व हिन्दू परिषद् के लोग यह भी करने लगे हैं आजकल। ये विश्व हिन्दू परिषद् और बजरंग दल के लोग यह भी करने लगे हैं, आजकल, शर्म आनी चाहिए। (व्यवधान) हिन्दुस्तान के रह कर देशद्रोह के नारे लगाते हो। (व्यवधान) आपको शर्म आनी चाहिए। डूबकर मर जाना चाहिए। (व्यवधान)

राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि. का 40वां वार्षिक प्रतिवेदन

डा. चन्द्रभान (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 40वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जो नामजद हैं वह अधिकारी अगर वहां रह गये तो किस तरह से न्याय मिलेगा? (व्यवधान) हमारी मांग है कि सबसे पहले उनको निलम्बित करके वहां से हटाएं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री तैयब हुसैन।

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 43वां वार्षिक प्रतिवेदन

श्री तैयब हुसैन (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भण्डार व्यवस्था निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 (11) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 43 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री मदन दिलावर : पहले उनको गिरफ्तार करके...(व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। चर्चा समाप्त हो गई। अब समाप्त हो गई प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जब आप जांच कराने के लिए तैयार हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया ना जांच कराने के लिए?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जिन अधिकारियों का दोष है उनको वहां लगाये रखने का क्या औचित्य है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया ना जांच के लिए?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उनको लगाये रखने का क्या औचित्य है?

श्री उपाध्यक्ष : खतम हो गयी। समाप्त हो गयी बात। श्री हीरालाल इन्दौरा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो...(व्यवधान)

राजस्थान स्टेट माइन्स मिनरल्स लि. का 54 वां वार्षिक प्रतिवेदन

श्री हीरालाल इन्दौरा (राज्य मंत्री, खनिज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 54 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 सदन की मेज पर रखता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजें। बहुत हो गया। (व्यवधान) प्लीज विराजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जिनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हैं उनको वहां से हटाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री गुलाब सिंह शक्तावत।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जांच आयोग.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी ने कहा रिटायर्ड जज से या किसी से आप जांच कराएंगे, किसके खिलाफ कराएंगे? जो वहां दोषी हैं उनके मामले की और घटना की। अब दोषी व्यक्ति वहीं रहेंगे तो जुडीशियल इंक्वायरी का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : प्रकरण की करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकार इस बात पर हटाएं...(व्यवधान) हटाने से क्यों रोक रहे हो आप? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ये तो हटाएं वहां से।

डा. किरोड़ी लाल : सारे लोग हटाये जाने चाहिए वहां से। (व्यवधान) बचने न पाए। कानून को हाथ में लिया है। (व्यवधान) फायरिंग की है। सब हटाये जाने चाहिए वहां पर। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सबसे बड़ा काम उनको हटाने का है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब सिंहजी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कोई ला की बात नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

लक्ष्मण खींची, पार्षद् श्रीगंगानगर नगर परिषद् द्वारा किये गये आत्मदाह पर गठित पाठक जांच आयोग का प्रतिवेदन व कार्यवाही ज्ञापन

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3, उपधारा (4) के अन्तर्गत श्रीगंगानगर नगर परिषद् के पार्षद श्री लक्ष्मण सिंह खींची के द्वारा दिनांक 27 जून, 1998 को किये गये आत्मदाह के सम्बन्ध में गठित पाठक जांच आयोग का प्रतिवेदन एवं उस पर राज्य सरकार का कार्यवाही ज्ञापन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कांग्रेस, + + + (व्यवधान) हत्या का आरोप है इन पर। (व्यवधान) इसके विरोध में हम लोग सदन का बहिर्गमन करते हैं। (व्यवधान) जिनके खिलाफ आरोप है वे रहेंगे तो क्या जांच होगी ?

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायणजी चौधरी।

समिति का प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति "ख" का प्रतिवेदन (क्र.सं. 11)

श्री रामनारायण चौधरी (सभापति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं देवस्थान विभाग के क्रिया-कलापों एवं गतिविधियों से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति "ख" 2001-2002 के ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पहले उनको हटाया जाए, उपाध्यक्ष महोदय। उनके खिलाफ एफ.आई.आर. लोज है। जिनके खिलाफ 302 के मुकदमे हैं, जिनके खिलाफ एफ.आई.आर. लाज है उनको हटाया जाए। वहां से हटाने के बाद जुडीशियल इंक्वायरी की जाए, उपाध्यक्ष महोदय। उसके बाद हटाये जाएं। उसको तो पूरा करें। (व्यवधान) अधूरी कार्यवाही से क्या होने वाला है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री तकीउद्दीन अहमद।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन (क्र.सं.-1)

श्री तकीउद्दीन अहमद (सभापति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, 2001-2002 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, पहले उनको हटाया जाए जिनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हुई है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप पधारो, आपका दल बहिर्गमन कर गया।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हनुमान प्रसादजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, पहले इनको हटाने के लिए आदेश करवाइए। अधूरा आदेश नहीं चलेगा। आपने कहा, यू.पी. में मायावती को भी बहका दिया हमने। यू.पी. में मायावती भी हमारे चक्कर में बहक रही है। (व्यवधान)

अनुसूचित जाति कल्याण समिति का प्रतिवेदन (क्र.सं. 2)

श्री हनुमान प्रसाद (सभापति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वित्त निगम के कार्य-कलापों से सम्बन्धित अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 2001-2002 का द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया। (अनुपस्थित) वित्तीय कार्य। अनुपूरक अनुदान की मांगे। (द्वितीय संकलन) पर विचार एवं मतदान। श्री रामसिंहजी विश्नोई।

अनुपूरक अनुदान की मांग

मांग संख्या-27, पेयजल योजना की प्रस्तुति

श्री रामसिंह विश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-27 पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 87,98,20,000/- (87 करोड़ 98 लाख 20 हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब सिंह शक्तावत।

मांग संख्या-34, प्राकृतिक आपदाओं से राहत की प्रस्तुति

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (अकाल राहत मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 32,11,40,000/- (32 करोड़ 11 लाख 40 हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए।

मांग संख्या-27 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-27 मुख्य शीर्षक पेयजल योजना के अन्तर्गत मांग में से 100 रूपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :—

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

1. गंगोरा का तीसरा बोर बन्द होने से छपरा, खण्डेवला, आलमपुर को पर्याप्त मात्रा में पेयजल आपूर्ति नहीं होने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

2. लाडयका को पेयजल योजना के अन्तर्गत सीधे अंधवाड़ी से जोड़ने एवं बरखेड़ा से नाबदा जे.एल.आर. में पानी पहुंचाने हेतु लाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

3. ग्राम जारला में वाटर सप्लाई लाइन में विगत 4 वर्ष से एक बून्द भी पानी नहीं आने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

4. विधान सभा क्षेत्र नगर व पहाड़ी एवं कस्बा बुलपाड़ा, सीकरी, गोपालगढ़, मुंडिया आदि में विचाराधीन भठपुरा, मूंडिया, न्यामठपुर, नीमखेड़ा, धनमतपुरा पेयजल योजनाओं को शीघ्र पुरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

5. कस्बा सीकरी को पर्याप्त मात्रा में पेयजल सुलभ कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम (किशनगढ़)

6. अजमेर जिले के 644 गांवों के लिए फ्लोराइड मुक्त पेयजल योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

7. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के फ्लोराइड से ग्रस्त 61 गांवों को फ्लोराइड मुक्त पेयजल योजना के बनने के बाद भी अभी तक एक भी गांव को पेयजल उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

8. चम्बल नदी से अजमेर व अन्य जिलों को पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. अजमेर जिले हेतु बिसलपुर परियोजना को 10 वीं पंचवर्षीय योजना में समय पर सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद)

10. नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र के 61 गांवों के लिये स्वीकृत पेयजल योजना को लागू करने में हुए विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

11. गैस अथोरिटी आफ इंडिया तथा भारत पैट्रोलियम व हिन्दुस्तान पैट्रोलियम द्वारा पंचायत समिति श्रीनगर के ग्राम गादेरी, दिलवाड़ी व लावेरा को पेयजल उपलब्ध कराने की पेशकश करने के उपरान्त भी कोई कारगर कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

12. पंचायत समिति श्रीनगर के गांव किरानीपुरा, नाकामदार हेतु पेयजल योजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र 61 गांवों की फ्लोराइड मुक्ति योजना के पश्चात् शेष 40 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

14. नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र हेतु स्वीकृत 61 गांवों की फ्लोराइड मुक्ति योजना के साथ ही चिन्हित 25 टू-बी-कवर्ड गांवों को भी योजना में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

15. ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर पानी का पर्याप्त लॉकल सोर्स है वहां पर घरों में पानी का कनेक्शन बिना जनसंख्या के आधार पर दिये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री सांवरलाल (भिनाय)

16. विधान सभा क्षेत्र भिनाय के सांसद कोष से स्वीकृत पानी की टंकियां नहीं बनने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

17. बिसलपुर परियोजना से भिनाय विधान सभा क्षेत्र के गांवों को पेयजल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. अजमेर जिले में विधायक एवं सांसद कोष से स्वीकृत पेयजल कार्य समय पर सम्पादित न होने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

19. ग्रामीण क्षेत्रों में टेंकर से समय पर पर्याप्त पेयजल नहीं पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (खारची)

20. फुलाद बांध से 25 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. रेणिया बांध से जोजावर एवं शेखावतों की ढ़ाणी को पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. गुढ़ा गोपीनाथ तहसील देहुरी में ट्यूबवैल लगा कर संसरी पंचायत के गांवों को पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण)

23. खेड़ा रामगढ़ पंचायत सागांवास में व्याप्त पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के पंचायत मुख्यालय, भुम्कलीया, बलाड़ा, आनन्दपुर, कालुदेवरीया जैतारण में जीर्ण शीर्ण एस.आर. के स्थान पर नये एस.आर. बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. विभाग द्वारा राजीव गांधी जलापूर्ति मिशन के अन्तर्गत लिफ्ट योजना का पानी जैतारण क्षेत्र के गांवों को पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

26. जैतारण विधान सभा क्षेत्र के गांव समोरनी व धागला ग्राम पंचायत मोहराई में पेयजल योजना स्वीकृत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर)

27. उपनिवेशन विभाग व सिंचित क्षेत्र विकास द्वारा मान्यता प्राप्त चक्र आबादियों को अपने स्तर पर ग्राम मानकर जल प्रदाय की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सांवरलाल (भिनाय)

28. टेंकर परिवहन से पेयजल उपलब्ध करवाने में अनियमितता व अच्छा पानी उपलब्ध न कराने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर)

29. विधान सभा क्षेत्र जालौर पंचायत समिति जिला, जालौर के सीवना, रामपुरिया एवं सुमेरगढ़ खेड़ा गांवों में पेयजल समस्या के समाधान हेतु पाइप लाइन बिछाने एवं नाथों की बस्ती नबी में पाइप लाइन

(श्री गणेशीराम मेघवाल)

बिछाकर पी.एस.पी. की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. ग्राम पंचायत ओठवाला के गांव खुरल में पाइप लाइन बिछाकर सार्वजनिक नल की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. ग्राम पंचायत नारनावास के गांव धवला के भील बस्ती (करंज बस्ती) में पाइप लाइन बिछाकर सार्वजनिक नल लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी) एवं

श्री मदन दिलावर (अटरू)

32. बाड़ी विधान सभा क्षेत्र की सरमथुरा ग्राम पंचायत की पेयजल समस्या के समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. धौलपुर जिले के बाड़ी विधान सभा क्षेत्र की पेयजल समस्या के समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. धौलपुर जिले के बाड़ी विधान सभा क्षेत्र की गौलारी ग्राम पंचायत की पेयजल समस्या का समाधान कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी)

35. जिला धौलपुर की विधान सभा क्षेत्र बाड़ी की डांग ग्राम पंचायतों को चम्बल से पानी उपलब्ध कराने हेतु योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) एवं

श्री मदन दिलावर (अटरू)

36. चूरू विधान सभा क्षेत्र में उत्पन्न पेयजल समस्या के समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) एवं

श्री मदन दिलावर (अटरू)

37. आंशिक रूप से लाभान्वित, अलाभान्वित व अधिक फ्लोराइड वाले गांवों में जल प्रदाय की समुचित व्यवस्था न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (खारची)

38. खारची विधान सभा क्षेत्र में विधायक कोष से खोदे गये केसुली, कुए एवं बावड़ियों के ट्यूबवैल पर बिजली कनेक्शन दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीशचन्द कुमावत (नांवा)

39. नांवा शहर के वार्ड नं. 13,14 एवं 07 में पीने के पानी सप्लाई की योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. नांवा तहसील के ग्राम चौसला, गुढ़ा साल्ट, गोविन्दी मुन्डगसोई, देवली में पीने का पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. विधायक कोटे से मारोठ में डाली गई पाइप लाइन में पानी की सप्लाई किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री हरीश चन्द)

42. जनता जल योजनाओं पर लगे श्रमिकों को मोटर संधारण की निर्धारित राशि का भुगतान कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. नांवा विधान सभा क्षेत्र में पेयजल संकट के समाधान के लिए इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से पानी उपलब्ध कराने हेतु योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश चन्द्र पंड्या (बांसवाड़ा)

44. जिला बांसवाडा के विभिन्न कस्बों में वर्षो पुरानी पाइप लाइन बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा)

45. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा जिला भीलवाड़ा की रायपुर, बोराणा, लडबी, रामा, मन्डोल में पेयजल योजना को स्वीकृत कर कार्य शीघ्र चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास)

46. बामनवास विधान सभा क्षेत्र की लम्बित पेयजल योजना का पट्टी अमावरा, बामनवास लिवाली, सीतोड़, नांगतलाई, माधोपुरा, मोरपा एवं अन्य गांवों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से शीघ्र स्वीकृति प्रदान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. महुवा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम खोहरा मुल्ला में अवैध नल कनेक्शन दिये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

48. बामनवास विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत हैण्ड पम्प के सामानों की अनुपलब्धता के कारण अभी तक कार्य नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ग्राम पलासोद में पूर्व में चल रही पी.एस.पी. को काट दिए जाने से उत्पन्न पेयजल संकट पर चर्चा के लिये।

50. विधान सभा क्षेत्र बामनवास एवं तहसील बौली (जिला सवाई माधोपुर) में खराब पड़े हैण्ड पम्पों को अभी तक ठीक नहीं किये जाने से उत्पन्न भीषण पेयजल समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़)

51. रतनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पेयजल समस्याओं के निराकरण हेतु पेयजल योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

52. तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर के रोडवा खुर्द में चार हैण्ड पम्प व बड़नामा में चार हैण्ड पम्प खुदवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. इन्दिरा गांधी नहर जोधपुर से अविलम्ब बालोतरा शहर और पचपदरा विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीणों क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)

54. चूरू के गांव महारावणसर, खण्डवा, धाधू, पान्चू एवं श्योदानपुरा के जीर्ण शीर्ण कुओं की मरम्मत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

55. चूरू शहर में पूर्व में बने उच्च जलाशयों को अभी तक जल स्त्रोत से नहीं जोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

56. चूरू शहर की पुनिया कालोनी में पेयजल समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

57. क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत लोहसना बड़ा, जसरासर, सातड़ा, घटेल के कतिपय गांवों में पेयजल उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

58. झुंझुनूं जिले उदयपुरवाटी तहसील के ग्राम कैरोठ तथा नारवाड़ी को रीजनल पाइप योजना से क्रमशः पापड़ा तथा मण्डावरा से लाभान्वित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. झुंझुनूं जिले की उदयपुरवाटी तहसील के पहाड़ी क्षेत्र के गांव बागोरा, गिरावड़ी, कोट, जहाज, मणकसास, पचलंगी, गुढ़ा आदि को पीने के पानी की समस्या के निराकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)

60. पाली जिले की तहसील रायपुर के राजस्व गांव रामगढ, सेड़ोतान, बिराव्यािकलां, की पेयजल योजना को पूर्ण कराने तथा बन्द पड़ी योजना खीवल (रायपुर) तथा बड़ी पोल (चांग) को शीघ्र प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. पाली जिले की तहसील रायपुर की स्वीकृत वर्षों पुरानी पेयजल योजना बिराव्यिकलां तथा रामगढ़ सेड़ोतान को पूर्ण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. बिसलपुर परियोजना से रायपुर एवं जैतारण तहसील को पेयजल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. गजनाई योजना के अन्तर्गत फील्टर प्लांट बनाकर उससे लाभान्वित गांवों को शीघ्र जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द)

64. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में पीने के पानी की समस्या के निदान हेतु बिसलपुर बांध से पानी उपलब्ध कराये जाने तथा हैण्ड पम्प लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़)

65. अलवर जिले के रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों में व्याप्त पेयजल समस्या हेतु पेयजल योजना बनाये जाने एवं हैण्ड पम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली)

66. कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में व्याप्त पेयजल समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर)

67. विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त पेयजल समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली)

68. ग्राम पंचायत समिति चतरगंज के ग्राम कराड़ खेड़ी में पेयजल सप्लाई हेतु पाइप लाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी)

69. फलौदी नगर पालिका क्षेत्र व तहसील के अन्य गांवों में जोधुपर लिफ्ट कैनाल द्वारा पानी उपलब्ध कराने व बन्द हैण्ड पम्पों को अनुपयुक्त घोषित कर जल प्रदाय योजनाओं से लाभान्वित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा),
श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) एवं
श्री भाणजी (दानपुर)

70. जिला बासंवाड़ा के असिंचित क्षेत्र में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी)

71. विधान सभा क्षेत्र बस्सी के गांवों में पेयजल हेतु बनायी गई टंकियों को चालू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में बन्द पड़े हैण्ड पम्पों के स्थान पर नये हैण्ड पम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. जयपुर शहर को बिसलपुर, जमवारामगढ़ एवं कानोता बांध से पेयजल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमजान खान (पुष्कर)

74. विभाग द्वारा खोदे जाने वाले हैण्ड पम्पों की गहराई 180 फुट से बढ़ाकर 250 फुट किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. जलदाय विभाग द्वारा स्वीकृत जनता जल योजना के कार्यो को तुरन्त शुरू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. पेयजल हेतु खोदे जाने वाले नलकूप की गहराई 100 मीटर से बढ़ाकर 150 मीटर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या-34 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-34 मुख्य शीर्षक प्राकृतिक आपदाओं से राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया गया, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :—

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

1. ग्राम बूड़ली विधान सभा क्षेत्र नगर में आगजनी से हुए नुकसान का मुआवजा नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

2. ग्राम भटपुरा तथा खण्डेला के लोगों को आगजनी से हुए नुकसान का मुआवजा नहीं देने से व्याप्त जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) एवं
श्री नाथूराम (किशनगढ़)

3. विगत अकाल राहत में पशुओं के चारे हेतु अनुदान अभी तक नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

4. विगत अकाल राहत के कार्यों हेतु अजमेर जिले में सामग्री के मद का भुगतान न करने पर चर्चा के लिये।

5. गत वर्ष अकाल राहत कार्यों में गांव छातड़ी पंचायत समिति श्रीनगर में हुये भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री सांवरलाल (भिनाय)

6. विभाग द्वारा राहत कार्यों पर कच्चे कार्य करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

7. राज्य में राहत कार्यों में हुये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में समय पर जांच न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

8. अजमेर जिले में अकाल राहत के कार्यों का भुगतान बकाया होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

9. चारा परिवहन अनुदान का अजमेर के किसानों को भुगतान न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर)

10. जिला जालौर के विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सांथू, देलदरी, महेशपुरा, सामतीपुरा, सरदारगढ़, नरपड़ा, नून, सायला, उम्मेदाबाद, आसाणा, बोरवाड़ा आदि में बाढ़ बचाव राहत कार्य की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. जिला जालौर विधान सभा क्षेत्र जालौर के ग्राम साफांडा, सुमेरगढ़ खेड़ा, डांगरा, एलाना, मांडवला, निम्बलाना, रटुना, सीयाणा, चांदना, काणदर, आडवाड़ा आकोली में बाढ़ बचाव कार्य खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. विधान सभा क्षेत्र जालौर में अन्त में वर्षा के न आने से फसलों के जल जाने एवं फसल नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर)

13. अकाल राहत कार्यों में हुए भारी भ्रष्टाचार की उचित जांच करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. अकाल राहत विभाग द्वारा ग्राम पंचायत लूणकरणसर, कालू व रावांसर में हुये भ्रष्टाचार की जांच न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

15. अकाल राहत कार्यों के मस्टररोल व अन्य रिकार्ड उपलब्ध न करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

16. अकाल राहत कार्यों में हुये भ्रष्टाचार की सक्रिय व सक्षम कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

17. ग्राम महादेववाली व ग्राम साबनिया के अकाल राहत कार्यों में हुये भ्रष्टाचार पर कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (खारची)

18. खारची विधान सभा क्षेत्र के गांव निचली मिवंडी में नदी के कटाव को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. खारची विधान सभा के विठोड़ा खुर्द में बाडसा नदी पर बाढ़ बचाव कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. खारची विधान सभा के ग्राम गुढ़ा अखेराज की नदी के पानी से बाढ़ बचाव की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास)

21. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में कई जगह घर जल जाने/खलिहान जल जाने के बाद भी राहत प्रदान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रमजान खान (पुष्कर)

22. ग्रामीण क्षेत्रों में करवाये जाने वाले विकास कार्यों में पक्के हेतु निर्धारित सामग्री राशि बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. वर्ष 2001-2002 में करवाये गये अकाल राहत कार्यों के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. अकाल राहत कार्यों पर ग्राम पंचायतों द्वारा करवाये गये कार्यों की सामग्री राशि का भुगतान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

25. अकाल के समय में बनी ग्रेवल सड़क जो अधूरी रह गयी है उसे पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)

26. पाली जिले की पंचायत समिति रायपुर की ग्राम पंचायत कलालिया के पीपली एनीकट सेमलिया का बकाया भुगतान करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

27. नाबार्ड योजना में वर्ष 2000-2001 के अकाल में अधूरी रही सड़कें खोडिया से गजवाई बड़ी पोल से जगमालपुरा पूर्ण करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बागीदोरा),
श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) एवं
श्री भाणजी (दानपुर)

28. बांसवाडा जिले के असिंचित क्षेत्र में अपर्याप्त वर्षा होने से सूखे की उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी)

29. बी.पी.एल. परिवार या अन्य गरीब व्यक्तियों के अग्नि काण्ड से हुये

(श्री कन्हैया लाल)

नुकसान में देय राशि की सीमा बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. किसानों की फसल ओलावृष्टि आदि से नष्ट होने के उपरान्त भी उन्हें उचित सहायता नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

31. विभाग द्वारा अकाल मौत यथा-विद्युत करंट, सर्प काटने, गौरा खाने आदि हेतु सहायता दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या-27 व 34 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यह सदन मांग संख्या 27-पेयजल के अन्तर्गत जलापूर्ति और पेयजल पर विचार विमर्श कर रहा है। मैं भी आपके माध्यम से, माननीय जलदाय मंत्री जी से कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप दोनों डिमाण्ड पर साथ बोल लीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : तो पहले तो जल है-27.

श्री उपाध्यक्ष : मैं कह रहा हूं आप दोनों पर बोल लेना।

मोहम्मद माहिर आजाद : दोनों पर एक साथ व्यवस्था अगर आप दे रहे हैं तो दोनों पर एक साथ बोल लेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भरतपुर जिला पूर्वी राजस्थान के सिंह द्वार पर स्थित है जिसकी सीमा एक तरफ उत्तर प्रदेश दूसरी तरफ हरियाणा से लगी हुई है। वैसे तो भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर उन नॉन फेमिन डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं जहां हमेशा वर्षा अधिक होती है और बाढ़ का प्रभाव रहता है। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विगत तीन वर्षों में राजस्थान में जो अकाल की छाया रही, जो सूखे का प्रकोप रहा उसका असर भरतपुर जिले पर भी रहा, उसकी परछाई भरतपुर जिले पर भी रही। आज भरतपुर जिले की स्थिति यह है कि वहां

(15.12 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

भी पश्चिमी राजस्थान की तरह पेयजल का भारी संकट है। पिछले साल तो माननीय कृषि मंत्री जी जो यहां विराजमान हैं और पशुपालन मंत्री जी के प्रयासों से हरियाणा का पानी डीग और गुड़गांव कैनाल के जरिये हमारे नगर, कामां और दूसरे क्षेत्रों को मिल गया था और उससे कुछ राहत वहां के लोगों ने महसूस की थी, लेकिन इस वर्ष वह पानी भी नहीं मिला, वर्षा भी कम हुई और जल स्तर नीचे चला गया। आज स्थिति यह है माननीय मुख्य मंत्रीजी स्वयं जाकर वहां चम्बल पेयजल योजना का उद्घाटन करके आये थे, उसकी कोई विशेष प्रगति आज तक

(मोहम्मद माहिर आजाद)

नहीं हो पायी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर बट्टपुरा पेयजल योजना जो 1999 में पूर्ण हो जानी चाहिए थी, माननीय सभापति महोदय, आज तीन साल बीत जाने के बाद भी उस बट्टपुरा पेयजल योजना का पानी नगर कस्बे को और उसके आसपास के लोगों को नहीं मिल पाया है। मैंने विभिन्न माध्यमों से राजस्थान सरकार का और माननीय जलदाय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, मैंने जिला स्तर के फोरमों पर भी इस बात को उठाया, कभी कहा पाइपों का अभाव है, कभी कहा इनकी रिंग नहीं आई है, कभी कहा ठेकेदार भाग गया। जनता इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है कि क्या वजह रही। तीन साल बीत जाने के बाद भी आज तक वह योजना पूरी नहीं हुई। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय जलदाय मंत्री जी को यह निवेदन करना चाहता हूं, आप एक अच्छे आदमी हैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस बट्टपुरा पेयजल योजना के अन्दर भारी घपला हुआ है, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है जिला कलक्टर ने भी माननीय शासन सचिव, महोदय, जलदाय विभाग को पत्र लिखा है। मैंने उसकी कापी यहां जलदाय सचिव महोदय को दी थी कि आप इसकी जांच कराइये और दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्यवाही कीजिए।

इतना ही नहीं, सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक मूंडिया ग्राम की पेयजल योजना है, 1998 में मूंडिया पेयजल योजना प्रारम्भ हो जानी चाहिए थी पांच साल हो गये लेकिन आज तक वह योजना पूरी नहीं हुई। उसमें, सभापति महोदय, बहाना क्या लिया जाता है कि पूरी लाइन डल गयी, केवल एक रेलवे लाइन आ रही है, रेलवे पटरी के नीचे से पाइप डालना है, रेलवे विभाग उसकी स्वीकृति नहीं दे रहा है। कभी कहते हैं उसके पैसे जमा करा दिये। जब पर्यटन मंत्री जी भरतपुर की प्रभारी थीं तब इन्होंने कोशिश की, डी.आर.एम. से बात की और बॉम्बे तक भी जो रेलवे बोर्ड के लोग हैं उनसे भी बात की। एक शुरूआत हुई थी, एक प्रयास हुआ था कि यह योजना प्रारम्भ हो जाएगी लेकिन उसके बावजूद भी आज तक वह योजना ऐसे की ऐसे पड़ी हुई है। उसका कोई पाइप निकाल कर ले जाता है और कोई कुछ निकाल कर ले जाता है। यह की यह स्थिति धनमतपुरा की पेयजल योजनाओं की है, यह की यह स्थिति नीमखेड़ा और नानकपुर पेयजल योजनाओं की है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कस्बे सीकरी में एक उच्च जलाशय के प्रस्ताव माननीय मंत्री जी के पास दो साल से आये हुए है। जब हम जिला स्तर पर बात करते हैं, कहते हैं हमने मुख्य अभियंता जी को भेज रखा है वहां से स्वीकृति आने के बाद इसकी टंकी बन जाएगी। माननीय सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक गांव हैं गंगोरा, उस गंगोरा में आपने तीन पाताल-तोड़ कुएं करा रखें हैं और उस बोर्ड से खण्डेला को, बाड़ी को, छपरा को, लाडनाका को, दूसरी जगह को पानी देते थे। एक बोर्ड तीन साल से बन्द पड़ा है, आज तक उस तीसरे बोर्ड को शुरू नहीं कराया

(मोहम्मद माहिर आजाद)

गया, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस बोर्ड को भी आप शुरू कराने का काम करें। आज यह की यह स्थित पूरे नगर और पहाड़ी क्षेत्र के अन्दर हो रही है, आधे से ज्यादा गांवों को खारा पानी और दूषित पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपने बहुत योजनाएं बना रखी हैं, कभी आप जर्मनी से कोलेबोरेशन की योजना लाते हैं, कभी जापान की लाते हैं, कभी एडी.बी. की, कभी काहे की, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं क्या मेवात क्षेत्र के लोगों के भाग्य में खारा पानी ही आया है? उनको कब आप स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल सुलभ कराने का काम करेंगे? इस तरफ आपको ध्यान देना चाहिए।

मेरे यहां गुलपाड़ा कस्बे में हमने मांग की, उच्च जलाशय गुलपाड़ा में बनाएं। कहते हैं इसकी आबादी कुछ कम है, जो हमारा क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया से कुछ कम पड़ रहा है। माननीय सभापति महोदय, एक तरफ तो आप कहते हो जनसंख्या सीमित रखो, जनसंख्या बढ़ाओ मत और दूसरी तरफ कह रहे हो कि आपकी आबादी कुछ कम पड़ रही है। तो गुलपाड़ा के लोगों को मैं कहूं कि आप जनसंख्या बढ़ाओ, तादाद बढ़ाओ, तब जाकर आपके यहां पानी की टंकी बनेगी? एक चीज तो बताएं कि आप चाहते क्या हैं? मैं तो यह चाहता हूं कि जहां कम लोग हैं और जहां परिवार नियोजन को अपनाया जा रहा है वहां आपको पहले आवश्यक और मूलभूत सुविधाएं लोगों को पहुंचानी चाहिए ताकि दूसरे लोगों को इससे प्रेरणा मिले।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक मिनट। सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स हैं और साढ़े चार बजे मुखबन्द का प्रयोग होगा, काफी बोलने वाले माननीय सदस्य हैं इसलिए जो भी माननीय सदस्य बोलें उनसे मेरा यह आग्रह होगा कि अपनी बात संक्षेप में पाइंटेड कह दें तो उसका जवाब आ जाएगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, आसन का निर्देश शिरोधार्य है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैंने यह सारी मांग हमारे एसई. साहब को दे दी, हमारे ए. ईन. साहब को दे दी, खुद मैं जाकर जलदाय सचिव साहब को दे आया, डिस्कस कर आया, मैंने जलदाय मंत्री जी को चिट्ठी लिख दी, इनको खुद को पर्सनली जाकर दे दी उसके बाद अगर पूरी नहीं हुई तो मेरे पास तो दो ही रास्ते हैं-या तो आसन के जरिये मैं अपनी बात कहूं या फिर मैं धरने पर बैठकर मेरे क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को आपके सामने रखूं। यह सदन ही हमारी अभिव्यक्ति का और हमारे क्षेत्र की बात को रखने का एक माध्यम है इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि नगर और पहाड़ी ये दोनों मेवात बहुल पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र में पेयजल की समस्याएं है। हमारे यहां रूपारेल का पानी अलवर में रोक लिया, रूपारेल नदी में अगर आप पाताल-तोड़ कुए करवा दो तो हमारे आसपास के लोगों को उसका पेयजल भी मिल सकता है। भूजल मंत्री जी हमारे भरतपुर जिले से ही आते हैं लेकिन उनके पास वित्त मंत्री जी जो पूर्वी राजस्थान से आते हैं, एक फूटी कौड़ी उनको देते नहीं। जलदाय

(मोहम्मद माहिर आजाद)

मंत्री जी के पास पैसा है, अगर जलदाय मंत्री जी पैसा स्वीकृत करें तो हम उनसे निवेदन करके वहां पर यह बोर करा सकते हैं, इससे पानी की समस्या का समाधान हो सकता है। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी इसकी डिटेल अगर चाहेंगे तो मैं इनको मुहैया करा दूंगा। आज भी हमारे ज्यादातर हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं, और हैण्ड पम्पों की स्थिति यह है कि साकार नहीं, सफल नहीं है। जहां पहले पानी की बूंद आती है वहीं पर ठेकेदार उसको छोड़ देता है और वह 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में पानी आकर खतम हो जाता है। या तो उसके लास्ट छोर तक जाएं ताकि साल दो साल तक तो कम से कम उसकी उपयोगिता रहे। इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करता हूं कि जो हैण्ड पम्प बाकी पड़े हैं उनको लगवाएं जो खराब हैं उनको सुधरवाएं। हमारे यहां गुलपाड़ा और सीकरी में जो उच्च जलाशय के प्रस्ताव आपके पास आये हैं उनको मंजूर करवाएं। चम्बल का पानी मेवात क्षेत्र के लोगों को मुहैया कराएं। रूपारेल नदी और गंगोरा के जो बंध हैं उनको शुरू करवाएं। बट्टपुरा और मूंडिया बड़ी पेयजल योजनाएं है जिनको 1998-99 में पूरा हो जाना चाहिए था, इनको आप शीघ्र पूरा कराएं। मैं संक्षेप में एक शेर सुनाकर इस जलदाय विभाग पर अपनी बात खतम करना चाहूंगा।

श्री राजेन्द्र चौधरी : जलदाय विभाग को सुना रहे हो या मंत्री जी को?

मोहम्मद माहिर आजाद : मंत्री जी को ही सुना रहा हूं। एक शायर ने एक शेर कहा है :—

तशनगी के भी मुकामात हैं क्या-क्या

तशनगी यानि प्यास, पानी की बूंद।

तशनगी के भी मुकामात हैं क्या-क्या

कभी दरिया नहीं काफी कभी कतरा है बहुत।

तो हमको यह कतरा पीने का पानी का तो जनाव मुहैया करा दें, हम आपके बड़े शुक्र गुजार रहेंगे।

दूसरी जो मांग प्राकृतिक विपदा के कारण राहत से सम्बन्धित है। मैं इस पर ज्यादा बात आपसे नहीं कह कर आपके माध्यम से माननीय राहत मंत्री जी यहां पर बैठे है, उनसे मैं यही निवेदन करना चाहता हूं..(व्यवधान) इसमें कोई दो राय नहीं है, खूब राहत देते हैं। जो देता है उसी से कहा जाता है। करौली से आने वाले माननीय सदस्य, भिखारी भी उस घर पर ही जाता है जहां उसको रोटी मिलती है या भिक्षा मिलती है। जहां गाली मिलती है वहां नहीं जाता है। इसलिए इनसे ही मांग रख रहा हूं, आपसे नहीं रख रहा हूं।

मैं आपसे इस प्राकृतिक आपदा के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में आये दिन प्राकृतिक आपदाएं चाहे वह अकाल के रूप में आए, चाहे बाढ़ के रूप में आए, आती हैं। स्थिति यह होती है कि उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। 1995 में भरतपुर में बाढ़ आयी थी उस बाढ़ के लिए जो पैसा आपने राहत कोष मे दिया

(मोहम्मद माहिर आजाद)

था, आप मेरी बात को नोट फरमा लें, आज तक उस पैसे को जो सड़क क्षतिग्रस्त क्या जिनका नामोनिशान मिट गया था, या जो खेत में पानी और मिट्टी आने से फसल योग्य नहीं रही थी उन पर जो पैसा खर्च होना था, वह पैसा खर्च नहीं होकर लैप्स हो गया या दूसरे मदों मे ट्रांसफर हो गया। आप इसकी जांच कराइये कि जो आपने राहत के लिए पैसा दिया था वह उपयोग नहीं हुआ।

दूसरा एक छोटा-सा निवेदन आपसे यह करना चाहता हूं कि जो आगजनी हो जाती है, आग लग जाती है, लोगों के घर-बार जल जाते हैं, खलिहान में तो चाहे लाखों रुपये का नुकसान हो जाए उसको तो कोई राहत और मुआवजा देने का आपके कानून में प्रावधान है ही नहीं, लेकिन अगर उसकी रिहायशगाह में, उसके घर पर अगर आग लग जाती है तो भी सरकार के नियमों में उसको आप ज्यादा से ज्यादा 1500 रुपये की सुविधा मुहैया कराते हैं। मैं आपको उदाहरण के साथ कह रहा हूं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र का एक कस्बा है बूडली, उस बूडली के अंदर अभी पिछले महीने आग लगी, बेचारे माली परिवार के लोग थे, गरीब लोग थे, उनकी यह स्थिति हुई कि उनका पूरा घर-बार जल गया। सारे कपड़े, बिस्तर जल गये, 30-32 बकरियां जल गयीं, भैंस जल गयीं, बाडा जल गया। तहसीलदार, पटवारी और कलक्टर, सब की रिपोर्ट आ गयी लेकिन आपके पास तो कानून में प्रावधान ही यह है कि आप तो उसको 1500 रुपये दोगे। 1500 रुपये का क्या वह छप्पर बांध लेगा? 1500 रुपये की वह गाय लाएगा या बकरी लाएगा या बिस्तर लाएगा या कपड़े लाएगा? इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय राहत मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे कानून जो जनता और गरीबों के ऊपर कुठाराघात करते हों, तो इन कानूनों को आपको बदलना चाहिए। यह सदन पूरी तरीके से बहुमत में आपका समर्थन करने के लिए तैयार है, इन नियमों में संशोधन कीजिये और उसको कम से कम इतनी राहत तो मुहैया कराइये कि वह वापस से अपना जीवन यापन करने के लिए, सही तरीके से सर छिपाने के लिए अपनी झोपड़ी बना सके, अपने बिस्तर और कपड़े आदि ला सके। आपने मुझे विचार रखने का जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आसन का धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि दोनों मंत्री जी और राज्य सरकार इस मामले में सोचेगी, विचार करेगी और जनहित में कोई निर्णय लेगी। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री मानिक चन्द सुराना। माननीय सुराना जी, मैंने निवेदन किया था, फिर कहना चाहता हूं कि साढ़े चार बजे मुख बन्द होगा उससे पहले दो माननीय मंत्री जवाब देंगे इसलिए उसी हिसाब से अपन चले तो ठीक रहेगा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : आपका आदेश शिरोधार्य है। माननीय सभापति, क्योंकि आदेश के बिना तो फिर आगे ही नहीं चल पाएंगे। माननीय सभापति जी, आज पेयजल पर माननीय जलप्रदाय मंत्री जी ने 87 करोड़ 98 लाख रुपये और माननीय अकाल राहत मंत्री जी ने प्राकृतिक

(श्री मानिक चन्द सुराना)

आपदा पर 32 करोड़ 11 लाख रुपये की अनुपूरक अनुदान मांगे प्रस्तुत की हैं।

जलप्रदाय के लिए, सभापति जी, यह बहुत स्पष्ट है कि बहुत बड़े नियोजन की राजस्थान में अभी आवश्यकता है। जलप्रदाय विभाग की रिपोर्ट हमारे सामने है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न जलप्रदाय मंत्री जी के लिए यह है कि आज 37613 जो हमारे गांव हैं या 37800 कुछ गांव जो हैं, अभी तक आपने कितने गांवों में सम्पूर्ण व्यवस्था जलप्रदाय की की है। आपकी जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में आपने कहा है कि 37613 गांवों में पूर्णतया या अंशकालिक व्यवस्था कर दी गयी है। हमेशा जलप्रदाय की जो मेन प्रगति रिपोर्ट आती है उसमें एक अस्पष्ट बात आती है कि 37 हजार में पूर्णकालिक या अंशकालिक व्यवस्था कर दी गयी है। सभापति महोदय, मुझे एक अतारांकित प्रश्न पूछना पड़ा इस बात को स्पष्ट कराने के लिए। उस अतारांकित प्रश्न का जो 20.3 को जवाब दिया प्रश्न संख्या 854 का, उसमें इन्होंने कहा कि 37613 गांवों में 19046 गांव ऐसे हैं जहां आंशिक व्यवस्था की गयी हैं। मैं जलप्रदाय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करूंगा कि 19046 में अभी सम्पूर्ण व्यवस्था नहीं है, आंशिक व्यवस्था है और यह जो व्यवस्था है इसमें भी आप गौर फरमाएंगे, जलदाय मंत्री जी, 10609 गांव फ्लोराइडयुक्त हैं। 10609 जो फ्लोराइड युक्त हैं गांव उनमें आपने 34 योजनाएं बनायी हैं 174 करोड़ रुपये की गांव हैं 1067 जिनके लिए योजनाएं बनी हैं, पर अभी तक जिन गांवों में पानी पहुंचाया गया है वे गांव मात्र 295 हैं। यह एक प्रसन्नता की बात है कि योजना 1067 की बनी, पर अभी उसकी उपलब्धि, माननीय मंत्री महोदय, चौथाई है। यह फ्लोराइडयुक्त गांवों का हाल है। जिन गांवों में लवण की मात्रा बहुत हैं और आपकी रिपोर्ट के अनुसार 220 पी. पी. एम. तक लवण उपलब्ध हैं नीचे कुओं में, ऐसे 1916 गांवों में योजना बना दी, 358 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिये पर जनवरी, 2002 तक आपने जहां सेलिनिटी बहुत है उन 1916 में से 403 गांवों में जल पहुंचाया है और 84 करोड़ रुपये खर्च हुए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों को जलप्रदाय देने में सर्वाधिक फ्लोराइडयुक्त और लवण जिनमें बहुत अधिक है, उन गांवों को प्राथमिकता की नीति के तौर पर लिये जाने का काम राज्य सरकार को करना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि 37613 में 19046 गांवों में आंशिक व्यवस्था है जलप्रदाय की, उसकी ओर भी राज्य सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। पंचवर्षीय योजनाओं में जलप्रदाय विभाग का आयोजना का बजट सर्वाधिक अधिक बने, पूंजीगत प्रावधान भी उसमें अधिक रहे तभी राजस्थान के पानी की समस्या का जैसा माननीय मंत्री जी स्वयं जानते हैं, समाधान होगा।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा एक खास समस्या की तरफ। आपने गांवों का जिक्र किया, सिंचित क्षेत्रों में हमारे यहां चक होते हैं, चक आबादियां होती हैं।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

चक आबादियों का तो कोई जिक्र ही नहीं है। चक आबादियों की संख्या भी है, माननीय मंत्री महोदय, जहां 30 प्रतिशत सिंचाई खेतों को पहुंच रही है हमारे कुओं के माध्यम से, ट्यूबवैल के माध्यम से और नहरों के माध्यम से। जहां चक आबादियां हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमेशा हमारे क्षेत्रों में इस बात का झगड़ा है कि चक आबादी को गांव घोषित करावें। चक आबादी को आप गांव घोषित कराएं, वह लम्बी प्रक्रिया है चक आबादी की आबादी देखो, उसके बाद उसके प्रस्ताव भेजो, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, पंचायत समिति का प्रस्ताव, जिला परिषद् का प्रस्ताव। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सब की आवश्यकता क्या है? जब कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट ने चक आबादी काटी है और वहां पर अपने आप ही 100 मकान बन गये, 100 झोंपड़े बन गये और 500 की आबादी हो गई। मेरी मांग होगी आपसे कि उपनिवेशन विभाग और सी.एड.डी. विभाग द्वारा स्वीकृत चक आबादियों को आप अपने गांव मानें और इस प्रक्रिया में नहीं जाएं कि अलग अलग चक आबादी को गांव घोषित कराएं और इसको गजट में छपवाएं। उसके बाद जब वह गांव घोषित होगा तब उसकी जलप्रदाय समस्या को जलप्रदाय विभाग अपने हाथ में लेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप रिकार्ड लें उपनिवेशन विभाग से कि स्वीकृत चक आबादीयां कितनी हैं और स्वीकृत चक आबादीयों को राजस्व विभाग से बात करके, वित्त विभाग से बात करके आप उनको गांव मानें और गजट नोटिफिकेशन से ही कोलोनाइजेशन और रेवेन्यू उसको गांव घोषित कर दें और उसके आधार पर उनकी जलप्रदाय योजना बनानी चाहिए।

मंत्री महोदय, मैं जलप्रदाय के सम्बन्ध में इस नीतिगत निवेदन के साथ में अभी कोई मेरे क्षेत्र की बात नहीं कहूंगा कि मेरे क्षेत्र में फलां जगह यह नहीं है, फलां जगह यह नहीं है। वे मुद्दे अलग आएंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा अकाल राहत मंत्रीजी से, माननीय अकाल राहत मंत्रीजी, आप 32 करोड़ रुपये का जो भी प्रावधान लेना चाहते हैं, वह प्रावधान तो यह सदन स्वीकृत करेगा पर, हमने आपको तीन गांवों के विषय में एक ज्ञापन दिया था, क्या सभापति महोदय, इस बात की ओर देखेंगे कि अकाल राहत मंत्रीजी मेरी बात को सुन सकें, इस बात की व्यवस्था करेंगे?

श्री सभापति : पूरा सुन रहे हैं, पूरा सुन रहे हैं। माननीय मंत्रीजी, बात सुन लीजिये। आप।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, नहीं, वार्ता के बीच में बात नहीं हो सकती। मैं भी बात करूं और यह भी करें, ये बात में लगे रहे, यह नहीं हो सकता।

श्री सभापति : नहीं, नहीं, ठीक बात है। माननीय मंत्रीजी, ध्यान से सुनिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं इनकी बात पूरे ध्यान से सुन रहा हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय अकाल राहत मंत्रीजी, हमने अगस्त, 2001 को आपको तीन गांवों के सम्बन्ध में एक ज्ञापन

(श्री मानिक चन्द सुराना)

दिया था। लूणकरणसर के कोई 150-200 लोगों ने अलग हस्ताक्षर करके ज्ञापन दिया था, कालू के लोगों ने ज्ञापन दिया था, और गांव रामासर के लोगों ने ज्ञापन दिया था और हमने आपसे कहा था कि इन तीनों गांवों में अकाल राहत कार्यों की जांच आप किसी एक्सईएन. से पी.डब्ल्यू.डी. के एक्सईएन. से चाहे वह हमारे जिले का हो, चाहे पड़ोसी जिले का हो, उससे करा लें। मुझे बड़ा दुःख है, माननीय मंत्रीजी, हमने आपको जो ज्ञापन दिया, क्या हुआ, उसका आज तक पता ही नहीं चला। गांव रामासर के ज्ञापन के ऊपर मैं आपका पुनः ध्यान आकर्षित करता हूं कि रोजगार के एक दिन की दैनिक मजदूरी है 60 रुपये लेकिन इस गांव के अन्दर छह काम हुए, उन छह कामों में, नकोदेसर से कुबिया जो सड़क बनी है, हमारे ज्ञापन में नम्बर एक पर है, नकोदेसर से कुबिया तीन किलोमीटर सड़क, इस पर प्रति श्रमिक मजदूरी आ रही है 108.86 रुपये। नकोदेसर फांटा से चांदसर दो किलोमीटर इस पर मजदूरी आ रही है 98.46 रूपये। यह श्रमिक संख्या कलेक्टर मंजूर करता है। कितने दिन काम चला है, यह रिकार्ड पर है। इस सब रिकार्ड के बावजूद रुपये 98.46 आ रही है। यह ज्ञापन हमने आपको दिया अगस्त, 2001 में उसके आगे कहीं रेट आ रही है 140 रुपये और रामासर के कालू, नाथूसर से कालू रेट आ रही है 104 रुपये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके सारे कार्यों के लिए ग्रामीण कार्य निर्देशिका है, आपने जो 60 रुपये मजदूरी दी है, अनेक जगह तो हमें रोना पड़ रहा है कि 20-30 रुपये मजदूरी मिली है। पर आपके लाड़ले कुछ ऐसे संरपच भी हैं, जो यदि 108 तक भी पहुंचा दें और शिकायत भी आप तक हो जाय, आज तक तो उनका बाल बांका नहीं हुआ है। न तो उनसे वह एक्सेस मजदूरी वसूल की गई और न उन पर कोई प्रभावी जांच हुई। मेरे जिले का अकाल राहत मंत्रीजी, मेरा अनुभव है कि जितने रुपये आपने खर्च किये हैं, इन तीन गांवों के लिए तो अलग-अलग ज्ञापन में लिखा हुआ है, लूणकरणसर के ज्ञापन में लिखा हुआ है कि उसमें 75 प्रतिशत रुपया सरपंच ने, ग्राम पंचायत ने और जेईएन. ने मिलकर गबन किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप मेरे जिले की पूरी जांच किसी एक्स. ई. एन. और 2-3 एक्स. ई. एन. लगाकर करें और एक्सईएन. आप राजस्थान के किसी भी हिस्से का भेज दें, यदि उसमें वह सामग्री पाली जाए, तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा।

श्री सभापति : ऐसा मत कीजिये, ऐसा मत कीजिये आप। बड़ा कड़ा फैसला है।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय अकाल राहत मंत्रीजी, यह कार्य निर्देशिका का पेज नम्बर 26, सड़क कितनी मोटी, कितनी चौड़ी होनी चाहिए। ग्रेवल क्वारीज, राबिश की सड़क, सड़क निर्माण। सड़क निर्माण का दिया है 7.50 मीटर....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं कुछ अर्ज तो करूं मेरी पार्टी का भी समय है। (व्यवधान) 7.50 मीटर और ग्रेवल जिस पर पड़ेगी उसकी मोटाई, उसकी

(श्री मानिक चन्द सुराना)

लम्बाई-चौड़ाई है पौने चार मीटर और यह सड़क एक-एक मीटर, जो मिट्टी का काम है वह 60 से.मी. जो सतह है उससे ऊपर होनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस कार्य निर्देशिका के सिद्धान्त के आधार पर बीकानेर जिले में एक सड़क आपको नहीं मिलेगी। मैं मांग करना चाहता हूं, हमने कम से कम 200 ज्ञापन दिये, माननीय मंत्रीजी नीचे कलक्टर को, उन ज्ञापनों पर कमिश्नर साहब कहते हैं कि हमें तो जांच कार्यकारी अधिकारी जो जिला परिषद् का है, इसी से करानी पड़ेगी। क्या करें, सरकार का आदेश है। यदि आपके कलक्टर और कमिश्नर बंधे हुए हैं कि एक ही आदमी से जांच करानी पड़ेगी तो एक आदमी को जहां 200-300 ग्राम पंचायतें हैं, मैनिपुलेट करना संरपच के लिए कहां मुश्किल है। आप यदि अलग-अलग जांच अलग-अलग अधिकारी से कराएं तो निश्चित रूप से इसमें भ्रष्टाचार उजागर हो सकता है। पर आपने बांध दिये हाथ कलक्टर के और कमिश्नर के। ये कराएं तो एडिशनल कलक्टर से कराएं या एस.डी.एम. से कराएं और वह कराएं तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी से करा लें।

माननीय मंत्रीजी, मैंने आपको पत्र लिखा, अकाल राहत कार्यों में रुपया बहुत मिकदार से खर्च किया जाना चाहिए। पर मेरे जिले में नजारा अलग है, सभापति महोदय। यदि मैटल सड़क दो मुख्य कस्बों के बीच में है, मूंडसर गांव बड़ा गांव है, नापासर के बीच में 9-10 किलोमीटर की मैटल्स रोड है, वह सींथल से होकर आती है, वहां के संरपच ने प्रस्ताव दे दिया मूंडसर से नापासर कि यह कच्चे में से होकर जाएगी। 9 किलोमीटर सड़क और ढाणी पांडूसर से मैटल रोड बनी हुई है, मनापरसर और वहां के संरपच ने कहा कि रुपया तो इसी से खाया जा सकता है। वहां प्रस्ताव दे दिया कि गांव में से होते हुए कच्चे रास्ते में से एक सड़क निकलेगी। मैंने माननीय मंत्रीजी को पत्र लिखा 13.5.2001 को, पत्र मिलकर दिया और माननीय मंत्रीजी ने स्टे आदेश जारी किये। कलक्टर से रिपोर्ट मंगाई। कलक्टर तो प्रधानों और जिला प्रमुखों के नीचे दबा हुआ है, उन्होंने कहा कि हां, सड़क की उपयोगिता तो है ही वे बिलकुल गैर-जरूरी सड़कें है। जहां मैटल रोड है, वह गैर-जरूरी सड़क के निर्माण में माननीय मंत्रीजी को भी, आखिर तो वह कांग्रेस पार्टी के थे,...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आपकी सड़क की शिकायत के बारे में सुनकर कलक्टर को जांच के आदेश दिये थे और कलक्टर ने यह कहा कि यह तो सड़क जस्टिफाइड है।

श्री सभापति : यह तो यही कह रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : यह तथ्य मैं कह चुका हूं, पर शायद आपने सुना नहीं। मैं यही कह रहा हूं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अब स्वीकार करता हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : पर आपको सोचना चाहिए था कि दो गांवों के बीच में यदि मैटल रोड है तो कौन चलेगा उस कच्ची

(श्री मानिक चन्द सुराना)

सड़क पर मंत्रीजी, वह सड़क पर जो भी 5-7-8 लाख रुपये खर्च हुए, वह आज भी वेस्टेज हैं, आज भी उसका कोई उपयोग नहीं है। वहां पर कोई मटीरियल नहीं डाला गया है क्योंकि उनको मालूम है कि इस पर चलेगा तो कोई है ही नहीं। अकाल के धन का इस तरह से दुरुपयोग जो मेरे जिले में हुआ है, अन्य जिलों में भी हुआ होगा, माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) मेरा चैलेंज है आपको कि बीकानेर जिले के कार्यों में किसी भी कार्य की जांच कराएं 50 प्रतिशत से ज्यादा उसमें सही धन का उपयोग आपको मिलेगा नहीं और कार्य निर्देशिका के सिद्धान्त के अनुसार एक भी सड़क फिट नहीं बैठेगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, हमने अनके ज्ञापन दिये, लोगों ने एफिडेविट दिये, इन्दिरा आवास में संरपच महोदय 1000-1000, 2000-2000 ले रहे हैं। 15-15 एफिडेविट हरिजनों के मनापरसर में कलक्टर को दे दिये। और क्या करें? कलक्टर का सिर फोड़ें क्या? उन एफिडेविट्स पर कोई कार्यवाही नहीं, उन सरपंचों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं। मैं कहना चाहता हूं, आपके यहां सूचना के अधिकार का एक्ट है, लोगों ने मस्टररोल की कापियां चाहीं, यहां हमारा जो बी.डी.ओ. है लूणकरणसर का और चाहे बीकानेर पंचायत समिति का, इन्होंने कभी उसकी कम्प्लाइंस नहीं की। मुझे इस बात की जरूर खुशी है, मुख्य मंत्रीजी के पास साबणिया के लोग रोते हुए आये, साबणिया ग्राम जैतपुर का है, मुख्य मंत्रीजी ने उन लड़कों को कहा कि तुम घर जाओ, चार दिन में कापी मस्टररोल की तुमको तुम्हारे घर मिलेगी। आपके मुख्य मंत्री घर कापी भिजवा सकते हैं, लेकिन आपके नीचे के अधिकारी कितने निकम्मे हैं, इसको देखिये। कितने लोग आएंगे मुख्य मंत्री के पास? और कितने लोग ले जाएंगे आदेश मुख्य मंत्री का? और कितने लोगों के घर पर आप मस्टररोल की कापियां भेजेंगे? जब तक आपका बी.डी.ओ. काम नहीं करता सूचना के अधिकार के तहत और आपका कलक्टर उसकी पालना नहीं करता, इस सूचना के अधिकार के एक्ट का कोई इम्प्लीमेंटेशन सही रूप से नहीं हो सकता। आपको सख्ती से कहना पड़ेगा कि इसकी क्रियान्विति की जाए। माननीय मंत्री महोदय, हर साल हर अकाल में, पिछले अकाल में भी 667 करोड़ रुपये खर्च किये, 32 करोड़ रुपये अभी और अनुपूरक अनुदान की यह मांग है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी सड़कें अकाल में बनी हैं, अभी आपने हर विधायक के क्षेत्र में 60.60 किलोमीटर सड़क जो पुरानी सड़कें थी, ध्वस्त हो गई, विधायक की अनुशंसा पर उसको सही करने का काम सोचा है और नाबार्ड से रुपया ले रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि अकाल राहत कार्यों में जो सड़कें बनी हैं उन सड़कों की मेरे जिले में जांच कराएं अन्य चार-पांच जिलों में भी जांच कराएं उन जांचों से वह सब नजारा आपके सामने आएगा जिससे आपको पता लगेगा कि इनमें 25 प्रतिशत से लगाकर 50 प्रतिशत तक रुपये का दुरुपयोग हुआ है।

श्री सभापति : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मानिक चन्द सुराना : सभापति महोदय, मैं एक आखिरी बात कह रहा हूं। यह कल के स्टेट्समैन में खबर है, आप जरा गौर से पढ़ें उसको। "Rs. 19 crore Relief Fund Misappropriated In Bihar–CAG" Comptroller & Auditor General. 19 करोड़ रुपये के घोटाले को कम्प्ट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल ने उजागर किया।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : किसने किया ?

श्री मानिक चन्द सुराना : बिहार ने किया। मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान के मेरे जिले की भी वही स्थिति है। यह रुपया रिलीफ का भारत सरकार से भी आता है। आप यह न मानें कि इसकी आडिट सीएजी नहीं कर सकता, इसकी आडिट सीएजी भी कर सकता है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : करे ना, हमें कोई आपत्ति थोड़े ही है अगर सीएजी करता है। हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। We have no objection at all.

श्री मानिक चन्द सुराना : हां आपको आपत्ति नहीं है। मुझे इस बात पर आपत्ति है कि आपने हमारे द्वारा तीन प्रतिनिधिमण्डल लाकर आपको दिये गये ज्ञापन पर सक्षम कार्यवाही नहीं की। इस बात की हमें आपत्ति है। मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि अभी भी जो तथ्य आपके सामने आ चुके हैं, माननीय मंत्री जी, आप उसकी जांच कराएं। ऐसा मौका नहीं आने दें कि जिससे सीएजी को आडिट करके कहना पड़े कि राजस्थान के अकाल राहत कार्यों में भी इसी तरह का घोटाला है या उससे भी बड़ा घोटाला है। जब मुख्य मंत्री जी ने अकाल को विकास से जोड़ दिया तो जो सड़के बनी हैं उन सड़कों को ज्यादा सही और ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए आप नई, मैं नहीं चाहता कि कहीं अकाल पड़े पर मेरे जिले में अकाल है, माननीय मंत्री जी, आपको पता है। मैं आपसे मिल भी चुका हूं, 886 गांवो में से 522 गांवों में अकाल है। अभी तक तो, माननीय अकाल राहत मंत्रीजी, आज तारीख हो गई 26, आपने कहा था कि एक अप्रैल से मैं शुरू करूंगा, मैं निवेदन कर रहा हूं...

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : माननीय सुराना सहाब, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने अकाल को विकास में जोड़ दिया। लेकिन एक बात पर मेरा एतराज है कि आपने एफिडेविट दिये हैं और उसके बाद में उसकी जांच नहीं हुई और रुपया वापस नहीं मिला। मैंने भी एक शिकायत की थी जलदाय विभाग को और एफिडेविट भी दिया, वह 39 हजार रुपया माननीय मंत्रीजी और सचिव महोदय के प्रयास से वापस मिल गया। अभी सिर्फ 20 हजार रुपये बाकी हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : 20 हजार अभी भी बाकी हैं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : हां, बाकी है।

श्री मानिक चन्द सुराना : कोई बात नहीं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : तो वह भी मिल जाएगा।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं कामना करूंगा कि आपको बीस हजार मिलें। मेरे क्षेत्र के गरीब हरिजनों से दो हजार, दो हजार रुपये सरपंचों ने लिये, उनको भी अकाल राहत मंत्रीजी, इन्दिरा आवास भी कुल मिलाकर ग्रामीण विकास का काम है और एफिडेविट दिये हुए हैं...

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : एफिडेविट दिये हुए हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : एफिडेविट दिये हुए हैं इसलिए वह भी वापस करें। लेकिन बीकानेर के अकाल को शीघ्र खोलने के लिए...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इन्दिरा आवास के सम्बन्ध में जब पंचायती राज मंत्रीजी और स्पेशल स्कीम मंत्रीजी बोलें तब उनका ध्यान आकर्षित करना। इसका जवाब तो मैं देने की स्थिति में नहीं हूं, यह जवाब तो उनके पास है।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय अकाल राहत मंत्रीजी, बाढ़ तो आपका मुद्दा है, बाढ़ में ही भारत सरकार...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आपने इन्दिरा आवास का जिक्र किया था अभी कि इन्दिरा आवास में कोई गड़बड़ी हुई है।

श्री मानिक चन्द सुराना : इन्दिरा आवास बाढ़ में मिले थे, भारत सरकार ने कृपा करके नौ करोड़ रुपये दिये थे, बाढ़ में दिये थे और बाढ़ प्राकृतिक आपदा है और उसी में वे इन्दिरा आवास बने हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : भारत सरकार ने कोई अलग राशि दी नहीं थी, ये इंस्ट्रक्शंस दिये थे। जो इन्दिरा आवास की योजना है उसको थोड़ा-सा बढ़ा दिया था और उसी के तहत काम स्वीकृत किये गये थे।

श्री मानिक चन्द सुराना : रूटीन में आपको दो करोड़ मिलता है और उस लूणकरणसर के लिए स्पेसिफिकली नौ करोड़ मिले हैं। लूणकरणसर के लिए...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं यही कह रहा हूं न कि उसमें संख्या बढ़ा दी गई थी।

श्री मानिक चन्द सुराना : वह आप करें, ना करें, मैं पूरी सरकार से कह रहा हूं कि हरिजनों से जो रुपया खाया गया है इन्दिरा आवास में, आपको पचता है तो रखिये। हम तो मांग ही कर रहे हैं कि वह रुपया वापस दिलाइये और बीकानेर के अकाल पीड़ित गांवों में शीघ्र से शीघ्र बीकानेर में अकाल खोलने की घोषणा करें। मेरा आपसे यह निवेदन है।

श्री सभापति : माननीय श्री हेमाराम चौधरी।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय जलदाय मंत्रीजी का ध्यान बाड़मेर जिले की पेयजल समस्या के बारे में आकर्षित करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, बाड़मेर जिला एक सीमांत जिला है। वहां पर मिलिट्री, बी.एस.एफ. और एयर फ़ोर्स इतनी ज्यादा तादाद में है कि हमारे वहां पर जो पीने के

(श्री हेमाराम चौधरी)

पानी की योजनाएं हैं उनका बहुत सारा पानी तो उनके काम आ जाता है। उससे जनता को पीने का पानी पूरा नहीं मिल रहा है। इसलिए मंत्री महोदयजी से पहला मेरा यही निवेदन है कि वहां पर अभी इस समय बहुत ज्यादा तादाद में हैं, पूरी सेना वहां पर पड़ी है, बी.एस.एफ. और एयर फोर्स स्थाई रूप से वहां पर हैं तो ऐसे में उनके लिए पीने के पानी की अलग से योजनाएं बनाई जाएं या जो मौजूदा योजनाएं हैं उनमें उनको भी प्रावधान शामिल करके योजनाएं बनाई जाएं तो योजनाएं सही ढंग से चल सकती हैं, पीने का पानी पर्याप्त रूप से मिल सकता है। सभापति महोदय, जहां देश की सुरक्षा का सवाल है, और वहां पर आपनें इतनी बड़ी तादाद में सेना तैनात की है, बी.एस.एफ. स्थाई रहती है और एयर फोर्स भी है तो आपको इन्दिरा गांधी नहर से पीने का पानी बाड़मेर लाना चाहिए। उसके लिए आपने आश्वासन तो दे रखा है पर अभी जो बजट भाषण भी आया, उसमें भी इसका कुछ हवाला नहीं आया, जिक्र नहीं आया, इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं।

श्री रामसिंह विश्नोई : इतना लम्बा रहेगा क्या पड़ाव वहां मिलिट्री का ?

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, जवाब देंगे ही आप, उस वक्त संतुष्ट कर दीजिये इनको। जवाब देंगे तब संतुष्ट कर देना इनको।

श्री हेमाराम चौधरी : सभापति महोदय, अभी कल ही अखबार पढ़ा, प्रधान मंत्रीजी ने कहा-सेना नहीं हटेगी। प्रधान मंत्रीजी कह रहे हैं कि सेना नहीं हटेगी तो अपने कहने से तो सेना हटने वाली है नहीं। इसलिए सेना जब वहीं रहेगी, हटेगी नहीं तो फिर उनके पीने के पानी का इंतजाम तो आपको करना पड़ेगा। उसके लिए जहां तक धनराशि का सवाल है, आप केन्द्र सरकार में मांगे, रक्षा विभाग से मांगे। जिससे भी आप उचित समझें, धनराशि प्राप्त करके हमारे बाड़मेर जिले में इन्दिरा गांधी नहर का पानी पहुचाए, तभी सेना के लिए पूरी ठीक ढंग से व्यवस्था हो सकती है। अन्य वहां पर जो मौजूदा जल स्रोत हैं वे तो दिनों-दिन नीचे जा रहे हैं और पानी की क्वालिटी भी दिनों-दिन चेंज होती जा रही है। इसलिए इसके सिवाय और कोई दूसरे जरिये नहीं है। मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि इन्दिरा गांधी नहर का पानी बाड़मेर के लिए जल्दी लाया जाए। इस बजट में भी आपने कुछ कहा नहीं है, मैं समझता हूं, आप इस पर पूरी तरह से ध्यान देकर हमारी इस मांग को पूरा करेंगे।

पीने का पानी के बारे में मंत्री महोदयजी, आपने बहुत सारी स्कीमें स्वीकृत की हैं और उसकी सूची भी हमारे पास भेजी है, पर जो पुरानी पीने का पानी की योजनाएं हैं वे ही ठीक से नहीं चल रही हैं। बहुत सारी होदियां बनी हुई हैं, पाइप लाइन लगी हुई हैं पर एक योजना पर कई गांव और ढाणियां जुड़ी हुई होने से, बहुत लम्बी योजना होने से आखिर के गांव और ढाणियों में पीने का पानी नहीं जाता है। उस वजह से लोग बहुत परेशान हैं। खास कर जो बड़ी योजनाएं हैं, बहुत बड़ी योजनाएं हैं जिनमें सैकड़ों गांव और ढाणियां

(श्री हेमाराम चौधरी)

एक-एक योजना पर आये हुए हैं, जोगासरिया-सणपा-सुभेसरा, जोगासरिया-चवा, रावतसर, नागाणा-सरली, पोलोणियां की ढाणी नींबल को ढोढ़ूं, ये योजनाएं बहुत बड़ी योजनाएं हैं, पुरानी योजनाएं हैं, अब इनके आखिरी गांवों और ढाणियों में तो कभी पानी जाता ही नहीं है, वे रोज पानी के लिए चिल्लाते हैं। पाइप लाइन लगी हुई हैं, होदियां बनी हुई हैं, उनको भी तो कभी पानी मिले। आपका इतना पैसा जब खर्च हो गया है तो उनकी आगुमेंटेशन स्कीम बनाकर स्वीकृत करवाकर वहां तक पानी पहुंचाने की पुख्ता व्यवस्था करें। नयी योजनाएं स्वीकृत करने से पहले मैं समझता हूं कि उन पर सरकार को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। यह बात मैंने हमेशा उठायी है, परन्तु अभी तक उन पुरानी योजनाओं पर विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि विभाग को ये निर्देश प्रदान करें कि वो पुरानी योजनाएं सुचारू रूप से चलें, इसकी पूरी व्यवस्था करें।

दूसरा सभापति महोदय, जब कभी भी पानी की समस्या की बात करते हैं तो पी.एचईडी. वाले कहते हैं कि बिजली नहीं मिलती है। बिजली विभाग वालों को कहते हैं तो वो कहते हैं कि बिजली की कटौती हो जाती है, 6-7 घंटे ही हम दे पाएंगे, इससे ज्यादा तो दे नहीं पाएंगे। तो अब यह बिजली वालों का और पी.एचईडी. वालों का आपस में कैसे सामंजस्य बैठे? क्या इनका झगड़ा है, क्या विवाद है, क्या नहीं है इसको किसी भी तरीके से जल्दी से जल्दी हल किया जाए तो पीने के पानी की योजनाएं ठीक से चल सकती हैं, नहीं तो ठीक से नहीं चल सकती।

इसके अलावा, सभापति महोदय हमारे वहां की जो योजनाएं बहुत लम्बी-लम्बी है, एरिया बहुत बड़ा है ज्योग्राफिकली, वहां पर आपने अभी जीपों के लिए भी सीमा बांध दी कि एक महीने के अंदर आपको इतने डीजल के पैसे मिलेंगे, तो वो पूरी तरह से लाइनों की देख-रेख नहीं कर पाते हैं। जीपों की भी स्टाफ के पास कमी है और स्टाफ की भी बहुत कमी है। खास कर जो नीचे का स्टाफ है, लेबर है वो तो पिछले कई वर्षों से नयी भर्ती हो नहीं रही है। योजनाएं बहुत बढ़ गयी हैं, कई गुना बढ़ गयीं और लेबर वो की वो है। तो अब उन योजनाओं को उतनी लेबर किसी प्रकार से चला पाएगी, मेनटेन कर पाएगी, यह असम्भव है। जब भी उनसे बात करते हैं वे कहते हैं कि हमारे को 10 आदमी चाहिए उसकी जगह हमारे पास एक-दो आदमी हैं। अब कौन तो लाइन देखें, कौन पम्प चलावे। पम्प चलावे तो लाइन आगे देखने वाला नहीं है। लाइन पर रहे तो पीछे पम्प कौन चलावे। इस तरह की स्थिति हो रही है इसलिए लेबर और लाइन की जरूरत है। सभापति महोदय, आपने गांव के कुएं गांव वालों को दे रखें हैं, एक आदमी उस पर लगा रखा है उसको आप पांच सौ रुपये देते हैं महीने के। अब पांच सौ रुपये में एक आदमी कोई महीने में काम कर सकता है क्या? यह बहुत कम है। इन पांच सौ रुपयों को बढ़ाकर एक हजार रुपये की घोषणा की

(श्री हेमाराम चौधरी)

बात आपने विधान सभा में की थी, पर उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ है। वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि आपकी सरकार के मंत्री ने घोषणा की है, तो, वित्त मंत्री जी, आप उनकी घोषणा की तो क्रियान्विति करावें। हजार-बारह सौ मिलें तो थोड़ी बहुत तो कुछ उनको मदद मिले, नहीं तो पांच सौ रुपये देने से तो नहीं देना ही अच्छा है।

पीने के पानी के बारे में मैंने निवेदन किया, अब थोड़ा-सा मैं अकाल राहत मंत्री जी निवेदन करना चाहता हूं। पिछले तीन साल लगातार हमारे राजस्थान में अकाल था तो आपने काफी अच्छा इंतजाम करने का प्रयास किया और इंतजाम किये भी, लोगों को राहत भी मिली। सभापति महोदय, पर यह चौथा साल है, हमारे वहां तो इस साल भी अकाल है। इस साल राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी अकाल के बारे में इस साल क्या करेंगे, कुछ कहा नहीं गया और बजट भाषण में भी अकाल के बारे में कुछ कहा नहीं गया और अभावग्रस्त अकालग्रस्त भी अभी तक घोषित किया नहीं। यह अकाल है या नहीं है, मेरे खयाल से सरकार इस पर अभी तक कोई निर्णय ले नहीं पायीं है। मैं समझता हूं कि इसका निर्णय लेने में सरकार को धन की कमी आड़े आ रही दिखती है। अब धन की कमी तो पिछले तीन वर्षों में भी रही है, अब भी है और आगे भी रहेगी। पर सिर्फ धन की कमी की वजह से आप जो गिरदावरी रिपोर्ट कलक्टर ने आपके यहां भेजी है उसको लेकर बैठ जाओ और पूरा साल निकाल दो तो फिर गिरदावरी का क्या मतलब हुआ? पिछले साल भी जब आपने अकालग्रस्त घोषित करके 15 जनवरी से काम प्रारम्भ कर दिये थे तो वो सब गिरदावरी के आधार पर ही किया था और इस साल भी गिरदावरी के आधार पर आपको करना है। कोई हम नयी बात नहीं कर रहे हैं, कोई नयी पालिसी की भी बात नहीं कर रहे हैं। आप गिरदावरी रिपोर्ट देख लें, गिरदावरी रिपोर्ट के हिसाब से जो अकालग्रस्त घोषित होने लायक हैं उनको आप अकालग्रस्त घोषित कर दें। यहां तक कि कई गांवों में हण्ड्रेड परसेंट खराबा है। पिछली बार 15 जनवरी से काम शुरू किये थे। पहले 75% से 100% खराबा था उन गांवों में काम शुरू किये थे और उसके बाद में फिर 50 से अधिक खराब था उन 50 से 75 वालों में काम शुरू किये थे। यह प्रायोरिटी तो आप रखें। यह अच्छी प्रायोरिटी है, होनी भी चाहिए कि पहले सबसे ज्यादा खराबा वाले गांवों में काम खोला जाए। पर आप हण्ड्रेड परसेंट खराबा वाले गांवों को भी इस साल बिलकुल नजर अंदाज कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अभी तक इस बाबत कोई निर्णय नहीं लिया है। अकालग्रस्त घोषित नहीं किया है तो केन्द्र सरकार को इसके बारे में कोई मेमोरेंडम भी मेरे खयाल से नहीं भेजा होगा। उस वजह से केन्द्र से मदद नहीं मिली होगी। भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए, क्या करना चाहिए, यह आपका मामला है, पर हमारे यहां यह चौथा साल है। तीन साल के बाद में लगातार जब चौथा साल अकाल का हो गया तो स्थिति तो पिछले साल से इस साल ज्यादा खराब होनी चाहिए हिसाब से तो, पिछले

(श्री हेमाराम चौधरी)

साल से स्थिति फिर अच्छी कैसे हुई? अब जहां खराबा नहीं है, ठीक है जहां गिरदावरी के हिसाब से वहां हम काम खोलने की बात नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसको आप नजरअंदाज नहीं करें, इसके ऊपर पूरी तरह से ध्यान दें। चौथा साल है और बार्डर का जिला है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी : बार्डर का जिला होने से लोग मजदूरी के लिए दूसरे जिलों में पलायन कर पाएंगे तो उनकी मुश्किल हो पाऐगी। हमारे यहां के लोग मजदूरी करने के लिए गुजरात जाते हैं। बहुत सारे लोग गुजरात मजदूरी करने के लिए गये, बहुत ज्यादा गुजरात के अंदर आज स्थिति इतनी खराब हो गयी है कि जो लोग मजदूरी करने गये थे वो सारे लोग अब वापस आ गये हैं। और यहां पर हमारे जिले में कोई काम धंधा नहीं है तो उनकी हालत बहुत खराब हो रही है। ऐसी स्थिति में भी आपको यह देखना है कि पास में जो मजदूरी की कुछ गुंजाइश थी गुजरात में वो भी खतम हो गयी है तो जल्दी से जल्दी काम चलाएं।

सभापति महोदय, जैसे सुराना साहब ने कहा, मेरे वहां भी बाड़मेर जिले में धोरीमन्ना पंचायत समिति में सिंचाई की एक नाड़ी थी उसमें दो फर्जी मस्टररोल भरे गये थे और उनका भुगतान चढ़ा कर तहसील के पास भेज दिया। एम.बी. भरी, मेजरमेंट लिया और भेजा। फिर बाद में वहां मौके पर पेमेंट करने गये तो पटवारी जी ने कहा कि ये मस्टररोल कहां से आया, इस नाड़ी के तो तीन मस्टररोल ही लगे हुए थे? तीन गैंग ही थीं, पांच कहां से आयी? तो दो मस्टररोल बाद में पता चला कि ये तो फर्जी हैं। तीन के साथ दो और भर करके भेज दिये और पास हो करके आ गये, पेमेंट आ गया उसके बाद में शिकायत हुई पटवारी की, तो मुकदमा दर्ज हुआ। परन्तु आज दिन तक उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। दो मस्टररोल का मतलब 40 मजदूर, अगर वे मजदूर काम करने वाले होते तो आज दिन तक मजदूरी के लिए बात नहीं करते क्या? आज दिन तक चुप बैठे रहते? वे मस्टररोल तो फर्जी हैं पर कार्यवाही उसके ऊपर आज दिन तक कुछ नहीं हुई।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी : सभापति महोदय, आप गृह मंत्री भी हैं, आप अकाल राहत मंत्री भी हैं। वहां पर जिसने फर्जी मस्टररोल भरे जिनके ऊपर हस्ताक्षर हैं उनके दस्तखत भी थानेदार उस मुल्जिम से करवा नहीं सका। उसने फिर कोर्ट में एप्लीकेशन लगवायी कि उससे मुझे दस्तखत करवाने हैं। कोर्ट ने इस तरह से उसको कोई इजाजत नहीं दी। एक थानेदार अगर दस्तखत भी नहीं करवा सकता मुल्जिम से तो फिर क्या इंवेस्टिगेशन करता? क्या उससे आप इंवेस्टिगेशन की उम्मीद कर सकते हो कि वह इंवेस्टिगेशन करेगा?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी : सभापति महोदय, मेरे कहने का अर्थ यह है कि उन दो मस्टररोलों को जो फर्जी भर करके पास करके वापस पेमेंट के लिए भेजा है, यह तो मालूम पड़ गया, पैसा तो नहीं उठा लेकिन पैसा....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सहयोग कीजिये।

श्री हेमाराम चौधरी : इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। फिर बाद में उन्होंने कहीं पंचायत समिति से, दूसरी कहीं जगह से उसके कोई दस्तखत लेकर फोरेन्सिक लेबोरेटरी, जोधपुर में भेजे और वहां से आया है। पटवारी कह रहा है कि मेरे दस्तखत नहीं है। पटवारी ने ही केस खुलवाया तो फोरेन्सिक लेबोरेटरी से लिखवा दिया कि पटवारी के ही दस्तखत हैं और दूसरे जिसके सही दस्तखत थे उसके लिख दिया कि ये इसके दस्तखत हैं ही नहीं। जोधपुर में फोरेन्सिक लेबोरेटरी आपकी निष्पक्ष नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य श्री माधव सिंह दीवान।

श्री हेमाराम चौधरी : दूसरी कोई लेबोरेटरी जिसमें आपका विश्वास हो, आपको यकीन है कि सही काम करेगी....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सहयोग कीजिये। सहयोग कीजिये।

श्री हेमाराम चौधरी : जोधपुर तो बाड़मेर के पास में है, वहां पर मुल्जिम पहुंच गये और उनसे मिल करके उसमें रिपोर्ट उन्होंने ....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सहयोग कीजिये। माननीय माधव सिंह दीवान।

श्री हेमाराम चौधरी : इसलिये मंत्रीजी से मैं निवेदन करता हूं कि इस पर ध्यान दें। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) : माननीय सभापति महोदय, हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि जल है वहां जगदीश है और राजस्थान जल के मामले में तो बहुत ही कमजोर है। पूरे हिन्दुस्तान के क्षेत्रफल का करीब 10% राजस्थान में है और जितनी बारिश होती है उसका करीब एक प्रतिशत राजस्थान को मिलता है, परन्तु जल का वितरण कैसे हो, जल का उपयोग किस तरह से सबसे इकानामिकली किया जाये, इसके बारे में आज तक कोई पालिसी नहीं बनी। जल के बारे में कोई नीति नहीं है। सिंचाई विभाग की जहां इच्छा हुई वहीं बांध बना लिया। पी.एच.ई.डी. की जहां इच्छा हुई पी.एच.ई.डी. ने अपने ट्यूबवैल खोद लिये, जहां इच्छा हुई उन्होंने अपने लगा दिये। जहां सिंचाई ज्यादा हुई वहां सेम की समस्या पैदा हो गयी। जहां ज्यादा कुएं खोदे गये वहां भू-जल स्तर नीचे गिरता गया। वाटर शैड डवलपमेंट एक डिपार्टमेंट और बना जहां कोई सिस्टमेटिक नहीं है। जहां इच्छा हुई वहां वाटर शैड बना दिया। मैं ज्यादा नहीं कह

(16.00 बजे)

कर, माननीय मंत्री महोदय, आप से एक ही बात कहूंगा, आपके पास हालांकि पी.एच.ई.डी. है, अकाल की भी सारी जड़ पानी है। पानी की कमी पड़ी टैंकर लगा दिये, पानी की कमी

(श्री माधव सिंह दीवान)

पड़ी ट्रेनों से पानी आना शुरू हो गया। राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या जल नियन्त्रण की है। वाटर कंट्रोल के लिये एक बाडी बनना बहुत जरूरी है जो कि उस पानी पर नियन्त्रण करे कि सिंचाई के लिये कितना पानी दिया जाएगा, पी.एच.ई.डी. को कितना पानी दिया जाएगा। भू-जल स्तर चाहे नीचे जाता रहे, बिजली के कनेक्शन मिलते जा रहे हैं। पानी जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे अकाल पड़ो, चाहे सिंचाई हो, चाहे जल हो, चाहे पीने की जरूरत हो, इसके लिये कोई बाडी नहीं है। आज सबसे महत्वपूर्ण बात है एक नियामक आयोग जो कि इन्डिपेन्डैंट हो। बांध का कितना पानी पी.एच.ई.डी. के लिये रिजर्व होगा, कितना पानी सिंचाई के लिये दिया जाएगा, कितना पानी अगले वर्षों के लिये रिजर्व किया जाएगा, इसकी सबसे महती आवश्यकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।

श्री सभापति : माननीय श्री बाबूलाल नागर।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं जलदाय मंत्रीजी और अकाल राहत मंत्रीजी का ध्यान जयपुर जिले के मेरे विधान सभा क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, जयपुर जिले को पायलेट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। जब ये विभाग के तौर पर इसकी तैयारी कर रहे थे तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई थी कि पायलेट प्रोजेक्ट से पीने के पानी की व्यवस्था होगी। लेकिन, सभापति महोदय, जब इसके नियम बने, 10 परसेंट और 20 परसेंट जन सहयोग की बात आई। जहां लगातार तीन-तीन साल तक 100 परसेंट खराबा हो, 75 से 100 परसेंट अकाल पड़ा हो, एक मुट्ठी अनाज जिन क्षेत्रों में पैदा नहीं हुआ हो उन लोगों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे 10-20 परसेंट जन सहयोग पी.एच.ई.डी. में जमा करा दें और पायलेट प्रोजेक्ट योजना का लाभ लें? सभापति महोदय, सैक्टर रिफार्म्स की जो गाइड लाइन है उसमें भी स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि जिन जिलों को सैक्टर रिफार्म्स में शामिल किया गया है उन जिलों में विभाग की कोई अन्य योजना स्वीकृत नहीं की जाएगी।

सभापति महोदय, भीषण अकाल की वजह से मैं मेरे दूदू विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहता हूं कि लगातार तीन साल तक 226 के 226 गांवों में 100 परसेंट खराबा रहा। पिछली बार भी हमारे यहां बरसात नहीं हुई, पानी की बहुत विकट समस्या है। यह बात सही है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं जलदाय मंत्रीजी का जिन्होंने पिछली बार हमारी पीड़ा को सुनकर दूदू में पीने के पानी की व्यवस्था के लिये रेल की व्यवस्था भी की। शायद राजस्थान में 6-7 जगह की होगी, उसमें से दूदू में नरैना में रेल की व्यवस्था की। टैंकरों के माध्यम से पीने के पानी की व्यवस्था हुई। रेल से जो पानी आया उससे भी हम लोगों ने गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था की। जयपुर जिले में जो पी.एच.ई.डी. के अधिकारी हैं उनकी मानसिकता बन गई है कि सैक्टर रिफार्म्स वाले जिलों में विभाग से हम कोई पैसा नहीं दे सकते। माननीय मंत्री महोदय,

(श्री बाबूलाल नागर)

मेरा आपसे आग्रह है, आपसे इसमें हम दखल चाहते हैं कि आपके विभाग के अधिकारियों की इस मानसिकता में आप परिवर्तन लाइये। जहां व्यवस्था नहीं है, जहां जन सहयोग नहीं है, मैं आपको निवेदन करूं, अभी प्रशासन गांवों के संग अभियान जो पूरे राजस्थान में बहुत सफलता से चला, उस समय हमारे दूदू में चाहे रेवेन्यू के काम हों, चाहे पंचायती राज से सम्बन्धित काम हों, सारे कामों में जयपुर जिले में एक नम्बर पर हमारा दूदू विधान सभा क्षेत्र रहा, लेकिन जन सहयोग के मामले में जयपुर जिले में सबसे आखिरी स्थान पर हमारा दूदू क्षेत्र रहा। क्योंकि जन सहयोग का मामला तो वहां होता है जहां कोई उद्योग धन्धा हो, खेती हो, कोई व्यवस्था हो। हमारे यहां तो एक फैक्ट्री नहीं है, पूरा फ्लोराइडयुक्त क्षेत्र है, सारे गांवों में खारा पानी है। वहां कोई धन्धा नहीं लग सकता है, कोई फैक्ट्री नहीं खुल सकती है। जयपुर जिले का कंटिंजेंसी प्लान आपके विभाग के अधिकारियों ने बनाया है, 4 करोड़ 68 लाख का जयपुर जिले का प्लान बनाया है लेकिन मैंने सुना है कि इसको भी अभी तक मंजूर नहीं किया गया है। सभापति महोदय, इसलिए मंजूर नहीं किया गया है क्योंकि सैक्टर रिफार्म्स में जयपुर जिले का सलैक्शन है। जहां सैक्टर रिफार्म्स का सलैक्शन होगा वहां हम कंटिंजेंसी प्लान में भी पैसा नहीं देंगे, विभाग की कोई योजना स्वीकृत नहीं करेंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि जयपुर जिले का जो कंटिंजेंसी प्लान है उसको स्वीकृत किया जाये।

सभापति महोदय, जयपुर जिले में सबसे ज्यादा फ्लोराइड का क्षेत्र हमारा है। मेरे यहां विभाग ने 148 गांवों का चयन कर रखा है जहां फ्लोराइड क्षेत्र है। हमने मंत्री महोदय से आग्रह किया, मुख्य मंत्रीजी से भी आग्रह किया, मैं मानता हूं कि मंत्री महोदय ने हम लोगों पर विशेष दया कर हमारे क्षेत्र में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए बीसलपुर की जो योजना बनाई है उसमें टोडा, मालपुरा, दूदू, फुलेरा और कुचामन इन पांच तहसीलों के 509 गांवों को शामिल किया गया है। जो इस योजना के लिये 18.10.2001 को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की वित्त समिति ने 84 करोड़ रुपये की राशि मंजूर करने की सिफारिश की है। लेकिन आपकी जो आयोजना समिति है उस आयोजना समिति में अटकी हुई है। आप बात के धनी हैं, सब लोग जानते हैं कि आप जो बात कहते हैं उसको करते हैं। माननीय मंत्री महोदय, आपने पिछले दिनों अखबारों में अपना स्टेटमैंट दिया था, मैंने टाइम्स आफ इण्डिया में पढ़ा था कि दूदू में हम बीसलपुर से जल्दी ही पानी दे रहे हैं। बीसलपुर से जल्दी ही टोडा, मालपुरा, दूदू, फुलेरा के गांवों में पानी दे रहे हैं। मंत्री महोदय, आप उस बात पर कायम रहोगे, मैं आपसे उम्मीद करता हूं क्योंकि आयोजना समिति आपके हाथ में है। विभाग ने प्राइमाफेसी उसको मान लिया है और वित्त समिति ने सिफारिश कर दी है। इसलिये मेरा आपसे आग्रह है कि आप जल्दी ही उस योजना की स्वीकृति प्रदान करें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना और निवेदन करना चाहता हूं कि 500

(श्री बाबूलाल नागर)

की आबादी वाले गांव जहां पम्प और टैंक योजना पी.एच.ई.डी. द्वारा स्वीकृत की जाती है, मेरे विधान सभा क्षेत्र की गट्टूपुरा, गागोडू ऐसे तीन गांवों की योजना आपके विभाग में बनी हुई है। वह सिर्फ इसलिये स्वीकृत नहीं की गई क्योंकि सैक्टर रिफार्म्स योजना में जयपुर जिला शामिल है, इसलिये विभाग यहां कोई पैसा नहीं दे सकता। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि उन योजनाओं को जल्दी ही स्वीकृत किया जाये।

सभापति महोदय, पिछले दिनों कोई 500-700 हैण्ड पम्प इन्होंने जयपुर जिले में ढाई इंच के लगा दिये थे, उन हैण्ड पम्पों में एक-एक बाल्टी भी पानी नहीं आया। सारे के सारे हैण्ड पम्प खराब हो गये। कितने ही अभियान चले। हमने बार-बार विभाग को कहा, विभाग ने एक ही बात कही चाहे जिला प्रशासन की मीटिंग हो, चाहे हम व्यक्तिगत जाकर मिले हों, एक ही बात कहते हैं कि ढाई इंच के हैण्ड पम्प फेल हो गये हैं, हमने इन सबको बंद कर दिया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जहां-जहां ये हैण्ड पम्प लगाये गये थे और जो बंद हो गये हैं, मेहरबानी करके कम से कम वहां दूसरे हैण्ड पम्प तो लगाओ। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह हैण्ड पम्प सुधार अभियान चालू कर दिया है, लेकिन जब तक इन हैण्ड पम्पों के प्रैसिंग मशीन नहीं होगी तब तक आपका यह हैण्ड पम्प सुधार अभियान पूरी तरह सफल नहीं हो सकता है।

सभापति महोदय, अकाल के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल की मेरे दूदू में बहुत भयंकर समस्या है, मेहरबानी करके अकाल राहत के काम चलाएं। वहां उद्योग धन्धे नहीं हैं, फैक्ट्री नहीं हैं, लोग भूख से मरने की स्थिति में आ रहे हैं। टैंकर, रेल जिससे भी आप पानी दें, इसको व्यवस्थित करें। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री जीतमल खांट। माननीय जीतमलजी, 2-3 मिनट में खतम कीजिये।

श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 27 और मांग संख्या 34 पर इस पवित्र सदन में अपने सुझाव रखना चाहूंगा। पूरे प्रदेश में भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न-भिन्न हैं, बजट भाषण में और महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी अकाल और पानी जैसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर आने वाले समय में हमको कितनी रिलीफ मिलेगी, इस बारे में कोई ज्यादा उल्लेख नहीं किया गया है। मैं राजस्थान के दक्षिणी अंचल बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र की जनता की भावनाओं की ओर सरकार को अवगत कराना चाहूंगा। सबसे पहले मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान बांसवाड़ा की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। बांसवाड़ा जिले को यह मान लिया गया है कि वहां पर माही डैम है। माही डैम के अन्दर पर्याप्त पानी था और वहां पर काफी

(16.10 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अच्छी रबी की फसल हुई है। हमारे अकाल मंत्रीजी को यह कहना चाहूंगा कि तीन साल

(श्री जीतमल खांट)

का जो पिछला अकाल गया इस बार उससे ज्यादा भयंकर अकाल की स्थिति है बासंवाड़ा जिले में। गुज़रात का सीमावर्ती चाहे वह कुशलगढ़ का क्षेत्र हो, चाहे दानपुर हो, चाहे पीपलखूंट हो, चाहे गांगड तलाई और बागीदोरा क्षेत्र हो, माही परियोजना और कडाना डैम इन दोनों के पानी से पूरा क्षेत्र सिंचित नहीं होता है। मुख्यतया घाटोल का क्षेत्र, आधा बागीदोरा विधान सभा क्षेत्र और बासंवाड़ा की कुछ पंचायतें, यानि 60 फीसदी कृषि क्षेत्र के अन्दर सिंचाई नहीं होती है, बाकी 40 फीसदी जमीन पर रबी की सिंचाई होती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उस इलाके के अन्दर अकाल की हालत में लोगों ने पिछली बार गुजरात में जाकर अपना पालन-पोषण किया। राजस्थान सरकार ने भी जितनी व्यवस्था हो सकती थी, उतनी व्यवस्था की। परन्तु इस बार के बजट भाषण में और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कहीं भी यह जिक्र नहीं मिला कि आगामी सत्र में हम उस उदयपुर सम्भाग के पिछड़े हुए इलाके के अन्दर कितनी राहत पहुंचाएंगे। अकाल के माध्यम से कितनी राहत पहुंचाएंगे। जल की कमी आएगी वहां पर हम उनके लिए क्या व्यवस्था करेंगे। उदयपुर सम्भाग के अन्दर बासंवाड़ा और डूंगरपुर सम्पूर्ण रूप से ट्राइबल क्षेत्र हैं, हम लोगों की ढाई या तीन लाख की जनता गुजरात में जाकर अपनी आजीविका कमाती है। लेकिन दुर्भाग्य से अभी जिस तरीके के साम्प्रदायिकता के हालात पैदा हुए जो लोग रोजी-रोटी कमाने के लिए गुजरात को पलायन कर गये थे लम्बे समय से, यह पहला मौका है उस क्षेत्र के आदिवासी लोगों का कि 2-2, 3-3 महीने अपनी रोजी-रोटी का काम करते करते लोग खाली हाथ वहां से भागकर अपने घर को 300-300, 400-400 किलोमीटर जंगलों और पहाड़ों के रास्ते से आने को मजबूर हुए।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे कृषि विभाग ने अपना प्रारम्भिक आंकलन बताया है कि इस बार रबी फसल की काफी अच्छी पैदावार हुई है। मैं अकाल मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप पूरे प्रदेश को अगर एक लाठी से ही हांकने का प्रयास करेंगे तो मैं जहां तक समझता हूं, उस क्षेत्र का गरीब और पिछड़ा हुआ व्यक्ति आए दिन गुजरात में जाकर अपनी आजीविका कमाता है, लेकिन वर्तमान के हालात से भयभीत होकर हम अपने घर को वापस लौट आये हैं। वहां के गरीब आदिवासी की हालत बदतर है। गृह मंत्रीजी ने इन हालात में उस इलाके का स्वयं दौरा किया है। माही और कडाना जैसा डेम आज खाली पड़ा हुआ है। मैं चाहूंगा कि माननीय अकाल मंत्रीजी उस इलाके का पुनः दौरा करें और वहां जाकर जल्दी से जल्दी बड़े पैमाने पर अकाल राहत खोलें।

माननीय जलप्रदाय मंत्रीजी, दूसरी बात मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि सांसद मद से, विधायक मद से हम जो भी हैण्ड पम्प की स्वीकृति करते हैं, जहां भी हैण्ड पम्प खोदने का है वहां पर आपके अधिकारी स्वीकृति लैटर में एक शर्त जोड़ते हैं कि हाइड्रोलोजिस्ट

(श्री जीतमल खांट)

रिपोर्ट आने पर वे जहां कहेंगे खोदा जाएगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री सांवर लालजी। माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री जीतमल खांट : माननीय मंत्रीजी को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हाइड्रोलोजिस्ट रिपोर्ट की कोई स्पेशल मशीन है क्या? मैं चाहूंगा कि इन शर्तों को खतम कर दिया जाए ताकि हम चाहें वहां पर हैण्ड पम्प खुदवाएं जाएं। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री सांवरलाल (भिनाय) : (व्यवधान) मुझे तो बोलने दीजिए कि पहले ही बोलोंगे। आप घरकों से ही लड़ रहे हो क्या? दूसरों से लड़ते-लड़ते तो तीन साल निकाल दिए। + + + हमेशा बोलते हो, कभी-कभी तो बोलने दो। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार जब से बनी है और जब भी यहां पर महामहिम गवर्नर महोदय का अभिभाषण या कोई चर्चा होती है, तो सरकार उसमें एक चीज जुड़वाकर कहलवाती है कि, लगातार अकाल पड़ने के बावजूद भी सरकार ने यह किया, अकाल को विकास में बदल दिया। (व्यवधान) अब सुन लीजिए थोड़ा बहुत। सरकारी पार्टी के सचेतक हो और बीच-बीच में इंटरवीन कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोलिए, बोलिए आपको 14 मिनट हैं।

श्री सांवरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पहला निवेदन यह है कि जब से यह सरकार बनी है, दसवें वित्त आयोग के 156 करोड़ रुपये अकाल राहत के काम काज नहीं चलाए, जनता के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर के इन्होंने बचाये। उस पैसे को योजना में काम में लिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि 11 वें वित्त आयोग में राज्य सरकार को जो सी.आर.एफ. में पैसा मिलता था उस प्रपोर्शन में कम मिला। उसके बावजूद जब-जब भी राजस्थान सरकार ने निवेदन किया कि हमारे यहां पर भयंकर अकाल है, सी.आर.एफ. में अंशदान के अलावा प्रधानमंत्रीजी ने अपने कोष से 20-30 करोड़ रुपये दिये, 100 करोड़ रुपये केन्द्रीय प्राकृतिक आपदा कोष से किये।

अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी ने रेल से पानी पहुंचा दिया। यह तो भारत सरकार की मेहरबानी है कि आपको फ्री में रेल पकड़ा दी, इसलिए जगह-जगह पर पानी की व्यवस्था हो गई, बाकी हालात बड़े खराब होते। आपने गत वर्ष 668 करोड़ रुपये खर्च किये..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : भारत सरकार हिन्दुस्तान से बाहर तो है नहीं, है तो हिन्दुस्तान में ही। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : राजस्थान भी हिन्दुस्तान में है। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : अब यह हिन्दुस्तान में है तो आपसे ज्यादा पढ़ा-लिखा मैं जानता हूं, मैं भी मंत्री रहा हूं। (व्यवधान) उस समय

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सांवरलाल)

आपकी सरकारें यहां पर थीं, राजस्थान सरकार को कभी भी प्रधानमंत्री कोष से, केन्द्रीय प्राकृतिक आपदा कोष से जो सहायता प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दी है, कभी भी आप लोगों की सरकारों ने नहीं दी। आप इस बात का ध्यान कर लीजिए। (व्यवधान) आपके राज में राजस्थान पाकिस्तान में चला जाता हो तो हमको समझा दीजिए कि वहां पर चला जाता है। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय आराम से बैठे हैं, राजस्थान में गिरदावरी रिपोर्ट हो गई। कई जगह पर तो सरकार की तरफ से दबाव था कि इस वर्ष फसल खराबा नहीं दिखाना है। जहां पर कुछ ठीक-ठीक अधिकारी-कर्मचारी थे उन्होंने खराबा दिखा दिया, 50 प्रतिशत और अधिक। 50 प्रतिशत और अधिक खाराबा वाले गांव हैं वहां पर अभावग्रस्त घोषित करने के लिए मंत्री महोदय किसका इन्तजार कर रहे हो? क्या प्राकृतिक आपदा कोष की भारत सरकार ने किस्त देनी बन्द कर दी जो रैगुलर देती थी? आपको सरकार पैसा दे रही है, गांव अभावग्रस्त घोषित होने की कैटेगरी में आ रहे हैं उसके बावजूद आप उनको अभावग्रस्त घोषित नहीं कर रहे हैं। वहां पर अकाल राहत की व्यवस्थाएं नहीं चला रहे हैं। मंत्री महोदय, राजस्थान की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आज अजमेर जिले में बहुत भयंकर हालत है। हमारी जिला परिषद् की मीटिंग में चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, सभी जिला परिषद् सदस्यों ने कहा कि यह गिरदावरी रिपोर्ट कहां से हो गई? जिला कलक्टरों को कहा कि आपके पटवारियों ने किसी जन प्रतिनिधि को साथ नहीं लिया। हमारे यहां पर हालत खराब है उसके बावजूद भी मंत्री महोदय, फसल खराबा की रिपोर्ट नहीं आने से आप अजमेर जिले में कुछ कर सकते हैं तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी।

अब काम करने के लिये तो हमारे पहले चारा परिवहन की अनुदान की राशि रुकी हुई है, आपको पता है। आपने आश्वासन भी दिया था कि मैं इसकी फटाफट जांच करवा कर जो चारा वास्तव में आया और बंटा उसका भुगतान करवा दूंगा।

हमारे प्रभारी मंत्री खेतसिंहजी राठौड़ अजमेर में मीटिंग करके आये आपकी पार्टी के लोगों ने वहां पर मरे हुए पशुओं की हड्डिया फेंकी उसके बावजूद भी। आपके कहने के बावजूद भी, आपके प्रभारी मंत्रीजी के कहने के बावजूद भी पता नहीं इस पक्ष में बैठे हुए अफसर आप लोगों की बात को तवज्जोह देते हैं कि नहीं देते हैं। जनता की जो असली राशि है उस राशि का भुगतान करने में कहां पर दिक्कत आ रही है, वह हमारे समझ की बात नहीं है। मंत्री महोदय, मेरा निवेदन है कि किसी न किसी तरीके से अब इसमें व्यक्तिगत रुचि लेकर जो चारा परिवहन अनुदान की राशि है उस राशि का आप भुगतान करवाएं।

अब जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी यहां विराजमान है, पेयजल की योजना के लिये 75 प्रतिशत पैसा भारत सरकार देती है,

(श्री सांवरलाल)

25 प्रतिशत आपको मिलाना पड़ता है। आपके जमाने में योजना बनी कि बीसलपुर का पानी अजमेर में पहुंचेगा, ब्यावर पहुंचेगा, नसीराबाद पहुंचेगा, किशनगढ़ पहुंचेगा। जब भैरोंसिंहजी का राज आया तो उन्होंने कहा नहीं, अजमेर जिले के फ्लोराइड अफैक्टेड विलेजेज इसमें जोड़े जाएंगे। आपको मालूम है कि 600-650 गांवों की योजना 1992 में बनी। 130 करोड़ के लगभग की वह योजना होगी पर मंत्री महोदय, साढ़े 3 साल होने वाले हैं और उतार चालू हो गया, अब तक आपने एक गांव भी उसके बाद में जोड़ा हो तो मुझे बता दें। गुलाबपुरा और विजयनगर यह आप कह देंगे तो वहां पर शहर के लोग होते हैं। (व्यवधान) हमारे टाइम में सौ गांव जोड़ें है, उसके बाद में एक भी गांव नहीं जोड़ा। आसपास के गांवों के लिये आपने आश्वासन दिया था कि हम 25-30 गांवों को जो विजयनगर की लाइन जा रही है उस लाइन से जोड़ देंगे। अब आपका इरादा क्या है? गांव में पानी की समस्या तो कितनी गम्भीर है, आपको पता ही है। आपके यहां पर जो पाइप का मटीरियल आता है, छोटे-छोटे पाइप जो गांव में जाते हैं और टेस्टिंग नहीं होती है। अगर पूरा प्रैशर देकर उनको टेस्ट कर लो तो पानी आगे नहीं पहुंच पाएगा। पता नहीं किस क्वालिटी के ये पाइप खरीदते हैं? मेरे यहां पर एक रीगनोड गांव है, 6 साल हो गये, जब हम मंत्री थे तब से वहां योजना चालू है, आज भी गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है। आपके अधिकारियों से बात करते हैं कि आपके पास में कुछ पावर्स सरकार ने दे रखे हैं तो कहते हैं कि हम कर सकते हैं 2 लाख की योजना सैंक्शन। मैंने कहा, फिर सवा लाख की योजना विधायक के पास क्यों भेज दी? और मैंने कहा 2-2 लाख की कितनी कर देंगे, 5-10 अरब की कर देंगे क्या आप सैंक्शन? कोई किसी को पता ही नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। मंत्री महोदय, पानी की व्यवस्था तो सबसे ज्यादा जरूरी है और अजमेर जिले में तो आप कई बार घूमे हो और मेरे ख्याल से मेरे हलके में भी आप गये हो, आपको पता होगा कि पानी की क्या स्थिति है वहां पर। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि पुराने जमाने में सेठ-साहूकार ही पानी पिलाते थे, खर्चा करते थे, आपको तो भारत सरकार दे रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, आप कागज पर लिखो तो सही। इतने अच्छे-अच्छे सुझाव आ रहे हैं, नोट तो करो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सांवरलाल : आपको पैसा मिलता है, भारत सरकार से मिल रहा है।

श्री रामसिंह विश्नोई : जानकारी है, इसमें नोट की जरूरत नहीं है। कम्प्यूटर है मेरे अन्दर।

श्री उपाध्यक्ष : उनका दिमाग बहुत फर्टाइल है, आप चिन्ता मत करो।

श्री सांवरलाल : आपके कम्प्यूटर है, मंत्री महोदय, जानते हैं आपकी भावना भी बहुत ठीक है। परन्तु ये बैठे हुए पहले के जमाने के

(श्री सांवरलाल)

50 साल के बूढ़े-बूढ़े, ये आपके काबू में नहीं आ रहा है इनको काबू करो आप।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, नहीं, कुछ ज्यादा काम आपके एरिये में हो गये इसलिये कुछ गड़बड़ हो रही है।

श्री सांवरलाल : मेरे एरिये में तो आप काम ही कर रहे हो, अभी पानी तो पहुंचा नहीं है। यह योजना उस जमाने की बनी हुई है, योजना बनी है तो चलानी है ही। परन्तु हमारा अनुरोध है कि थोड़ा उसको फास्ट करो आप। जल्दी पानी पहुंचे तो बढ़िया है। बाकी हम एम.एल.ए., एम.पी. फण्ड से पैसा देते हैं वह काम भी टाइम पर पूरा नहीं होता है। आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक हैण्ड पम्प आपके डिपार्टमैंट से खुदवाते हैं तो 27 हजार, 33 हजार लेते हैं और हमने अब की बार पंचायत समिति से टी.एफ.सी. से हैण्ड पम्प खुदवाये, ठेके किये, वे 22-22 हजार में खुद गये। मंत्री महोदय, 5-5 हजार रुपये एक हैण्ड पम्प पर बचते हैं और विधायक कोटे से हम देवें तो हम सौ से सवा सौ हैण्ड पम्प खुदवा लेंगे। इसलिये यह वेरियेशन किस वजह से आता है, इस वेरियेशन की भी आपको जानकारी करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक आपदा सबसे खतरनाक चीज है और किसान मरता है सबसे ज्यादा। आज आग लग जाती है, यह प्राकृतिक आपदा है। हमारे जमाने में रिवाल्विंग फण्ड की व्यवस्था थी हमने कहा इसका भुगतान करिये, रिवाल्विंग फण्ड में पैसा है और उसके बाद में रिएम्बर्समेंट ले लीजिए आप। आपके इस 3 साल के अन्दर मुझे बड़ा दुःख है कि जहां-जहां भी आगजनी हुई है, मैं अजमेर जिले की कह सकता हूं, किसी प्रकार की सहायता उपलब्ध नहीं करवायी गयी है। और कहते हैं, तो हां साहब, ठीक है, नियम है, फलाना है। हमको मालूम हैं कि क्या नियम और कानून हैं इसके बावजूद भी, मंत्री महोदय, आपके अधिकारी बिलकुल उदासीन हैं, ये काम करना ही नहीं चाहते हैं। इनको जनता की कोई चिन्ता ही नहीं है। आप थोड़ा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रेक्शंस तो दें कि प्राकृतिक आपदा के समय आपका इस रैंक का अधिकारी तो वहां पहुंचे। पहुंचकर कम से कम दुःख-सुख की बात करें जो आपके नियम कानून में आती हैं वह सहायता तो करे।

उपाध्यक्ष महोदय, फसल बीमा योजना का कनसैप्ट बहुत पुराने समय से चल रहा है। कई बार किसानों ने मांग की, किसान नेताओं ने मांग की, भारत सरकार ने योजना लागू कर दी कि 50 प्रतिशत इंश्योरेंस का पैसा भारत सरकार देती है, 50 प्रतिशत राजस्थान सरकार दे। हिन्दुस्तान के 19 राज्यों और 2 केन्द्र शासित प्रदेशों में योजना लागू हो गयी। और हमारे यहां पर बार-बार जवाब दे रहे हैं कि हमने चिट्ठी लिखी है इसको 80 और 20 कर दिया जाए। 80 भारत सरकार उठाए और 20 राज्य सरकार उठाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह आरोप लगाना चाहता हूं कि इनके खजाने में कमी किसानों के नाम पर होती है घोषणा।

तो ये कहते हैं कि भारत सरकार को लिखा है। तो सारा टोटा इसी में लग गया क्या आपके? कर्जा माफ किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, लगान माफ किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, सारी योजनाएं कीं, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी के अन्दर काम चलाये। अब ये मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी फोटो छपवाते हैं कि हमने अकाल को विकास में बदल दिया। हमारे जमाने के अन्दर आठ-आने मजदूरी का देते थे, आठ-आने उसको मटीरियल का पैसा देते थे। आपने कौनसे पैसे दे दिये? रुपये में से चवन्नी का पैसा देते हैं सामग्री के लिये। उधर वह कलक्टर और ए.डी.एम. इधर-उधर माथा भिड़ाते रहते हैं कि इस चवन्नी में काम कैसे हो, यह रेशो बैठेगा नहीं। इस चक्कर में कोई काम नहीं हुए। कुछ एम.एल.ए. ने अगर पैसे दे दिये, एम.पी. ने अगर पैसे दे दिये, तब तो काम हो गये। भगवान जाने आप इसको विकास कैसे कहते हैं, हमारी समझ में नहीं आया। अभी भी मंत्रीजी एक दिन कह रहे थे, हमने सारा पेमेंट कर दिया। आप अजमेर जिले का रिकार्ड मंगा लीजिए, कितना पेमेंट बकाया है। राजस्थान का मंगा लीजिए।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : राजस्थान के किसी भी जिले में फेमिन रिलीफ का एक भी पैसा बकाया नहीं है। केवल कुछ मामले जो विवादास्पद हैं उनको छोड़कर।

श्री रमजान खान : अजमेर जिले में सामग्री का पैसा बाकी है।

श्री सांवरलाल : मंत्री महोदय, आप अगर फेमिन पेमेंट का मतलब केवल मजदूरों को ही मानते हो तो आपकी मर्जी है। सामग्री का काम करवाया कहीं पर तो वह पैसा सारा बाकी है। दूसरा अगर किसी अधिकारी को पेमेंट नहीं करना हो और उसको कह दिया कि यह विवादास्पद है, यह जांच करनी है। ऐसे भी तो कई लोग हैं जो रूलाते फिरते हैं। गांव वाले उनके चक्कर लगाते रहो, साहब-साहब कहते रहो। ऐसे प्रकरणों की समीक्षा कीजिए आप। आप मंगाइये, कहां-कहां पर रुके हुए हैं।

सदन की कार्यवाही

मुखबन्द के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुखबन्द का समय आधा घंटा और बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : मुखबन्द का समय आधा घंटा और बढ़ाया गया।

श्री हरिसिंह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, साथ ही मैं यह प्रस्ताव भी करता हूं.(व्यवधान) एक सैकण्ड।

श्री सांवरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि आपके पास जल स्तर से जो भी.(व्यवधान) हो गयी ना बात।

श्री हरिसिंह महुवा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं साथ ही यह भी प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा और बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : बढ़ा दिया ना।

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं मुखबन्द का समय बढ़ाया है, यह तो सदन के समय के लिये है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का तो बाद में बढ़ाएंगें, यह तो निपटने दो। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : फिर मुखबन्द हो जाएगा, फिर बाद में आपका भी मुंह बन्द।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, उससे पहले बढ़ा देंगे।

श्री हरिसिंह (महुवा) : हां, बढ़ा दें आप तो।

मांग संख्या 27 व 34 पर विचार

श्री सांवरलाल : तो मंत्री महोदय, आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि आप समीक्षा कीजिए। कहां-कहां पर पेमेंट बाकी है, जो बाकी है, किस वजह से बाकी है ? कई जगह फाइनेंशियल स्वीकृति नहीं हुई है। अब यह फाइनेंशियल स्वीकृति भगवान के घर से आनी है तो हमें वह बता दें। करनी उनको है, क्यों नहीं कर रहे हैं, इसकी तो जानकारी कराएं आप। इसलिये मेरा निवेदन यह है..(व्यवधान) अब, पारीक साहब, आपके समझ में आएगी नहीं। अगर आपको यहां बैठा देते तो कुछ समझ लेते। 3 साल के अन्दर कुछ सीख लेते तो जिन्दगी बन जाती आपकी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करने दें।

श्री राजेन्द्र पारीक : भगवान के पास से तो आप मंगवा लेंगे।

श्री सांवरलाल : मुख्य मंत्रीजी आपको अगली ट्रेजरी बैंच पर नहीं लाएंगे। आप मस्त रहो। पीछे ही + + + बोलते रहो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री सांवरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट और। आपकी जानकारी में एक बात लाना चाह रहा हूं कि चूरू जिले के अन्दर आपणी योजना जर्मन सरकार के सहयोग से चल रही है। इसमें 402 पैरा बनाये ए.जी. ने मीटर खरीद के अन्दर 18 लाख का घोटाला। इसके अलावा किलोलेक्स पाइप में घोटाला।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह तो राजेन्द्र राठौड़जी का है, खुद तो उठा नहीं रहे हैं और आपके माध्यम से करवा रहे हैं यह बात।

श्री सांवरलाल : अब यह काम तो मुझे ही करना है किसी भी पार्टी का काम है।

श्री राजेन्द्र पारीक : ये राठौड़ साहब के कोई मिलने वाले हैं, वह अपने माथे तो ले नहीं रहे है। आपको यूं ही समझ लिया और आपके माथे मढ़ दिया।

डा. किरोड़ी लाल : आप इनके माथे क्यों पड़ रहे हो ?

श्री सांवरलाल : आपके आपणी योजना का जो डाइरेक्टर है उसने भी लिख दिया, परन्तु आपके सैक्रेटरी साहब कार्यवाही करना नहीं चाहते हैं। अब जानकारी गड़बड़ी की

कहां से हो सकती है? या तो ए.जी. ऑडिट में होगा, सी.ए.जी. ऑडिट में होगी या आप विभागीय [illegible] करवाएं उसमें होगी। जानकारी आने के बाद और जांच होने के बाद कार्यवाही नहीं हो तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि बीसलपुर योजना मूल रूप से अजमेर के लिये बनी थी, अब आज जगह-जगह की बातें हो रही हैं, यहां भी पानी दे देंगे, वहां पर भी दे देंगे। आप बांध को पूरा नहीं रोक रहे हो। आपकी सरकार के पास 100 करोड़ रुपया नहीं है। 100 करोड़ रुपया हो और आप मुआवजा दे दो विस्थापितों को तब तो आप 315 मीटर तक रोको। यह व्यवस्था आप कर नहीं रहे हो और अभी दूदू के लिए कह दिया कि पानी पहुंचा देंगे। वहां कह दिया पानी पहुंचा देंगे और अजमेर के गांव जो 640 हैं जिनमें पानी पहुंचाना है, वह पानी आपसे पहुंच नहीं रहा है। मेरा निवेदन यह है कि "दुविधा में दोऊ गये, माया मिली न राम"। अगर आप इस तरह से कंफ्यूज रहेंगे कि इस योजना को बनाया तो वहां के लिए और वहां भी भेज देंगे, वहां भी भेज देंगे तो सारे के सारे गएंगे, इसलिये पहले आप इसको पूरा रोकिये। एक जिले के [illegible] गांवों को पूरा पानी दीजिये। इसके बाद आपके खाते में कुछ बचता है तो आप टोंक जिले को दीजिये, उसके बाद दूसरी जगह दीजिये। मेरा यही निवेदन है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जलदाय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को भी अपनी बात कहनी है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। बहुत समय है। बहुत लम्बा है अभी एक महीने का बिराजिये।

श्री कन्हैया लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया न आपको। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े संवेदनशील विषय पर चर्चा हो और...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अभी बजट पर बोल लेना न आप, अभी चार रोज और बहस है आपकी। बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक-एक कर इधर से, एक प्रतिपक्ष के और दो उधर से बुला दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न आपके तो, और कौन बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं-नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं...(व्यवधान)

श्री नाथूलाल गुर्जर : एक-एक ही है।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : हमारा तो नाम दिया हुआ है, साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी भी क्या जल्दबाजी है?

श्री उपाध्यक्ष : एक तरीख से चार तारीख तक आप यदि चलने दोगे तो सबको मौका मिल जाएगा। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को भी समय दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ऐसी भी क्या जल्दी है, उपाध्यक्ष महोदय ?

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय सदस्यों को बोलने तो दीजिए।

एक माननीय सदस्य : बैठाइये, साहब, इनको।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को बोलना है।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, Drinking water is a very serious problem in Rajasthan.

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो बहुत समय है, ऐसा मौका अभी तो बहुत आएगा।

श्री सांवरलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अकाल और पानी की बहुत भयंकर समस्या है। लोगों की कुर्कियां हो रही हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो रुकाओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गांव के गांव इस मौसम में पलायन कर रहे हैं, पानी का विद्रोह प्रारम्भ हो गया...

श्री सांवरलाल : 80 और 90 में जो हालत थी वही कुर्कियां बैंक वाले कर रहे हैं। मंत्री महोदय, वह तो रुकवाओ कुर्कियां। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य जो बाड़मेर से आ रहे हैं, वहां पानी नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप सदन के माननीय सदस्यों की बात तो सुनें।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो बोले हो। आप तो बोले हो। (व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने मांग संख्या-27 पर कटौती प्रस्ताव दिये हैं। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं तो बोल लिया हूं, दूसरे माननीय सदस्यों को भी बोलने का अवसर प्रदान करें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने कटौती प्रस्ताव दिये हैं, यहां पर अपनी बात नहीं कहें तो कहा रखें ?

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए, माननीय सदस्य।

श्री मानिक चन्द सुराना : दिये हैं। अब आगे समय बढ़ाया है तो यह सदन के माननीय सदस्यों के लिए ही तो बढ़ाया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हो गया। अब हो गया। क्या करें ? दो घंटे हो गये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे जैसे सदस्य तो कभी-कभी बोलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जलदाय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे जैसा सदस्य बहुत कम बोलता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पांच मिनट। दो मिनट। पांच मिनट। बोलो जी बोलो।

श्री उपाध्यक्ष : रुकिये, रुकिये आप। हां।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं आपके जरिए माननीय मंत्रीजी से कि ऊंडु खुपलिया जो आपकी पाइप लाइन है, आप 12 महीने से पानी नहीं आ रहा है। वहां पर कम से कम 100 पाइंट हैं, 100 पाइंट में एक भी बार पानी नहीं आया 12 महीने से। आपको मैंने पत्र भी लिखे हैं, मुख्य मंत्री महोदय को भी लिखें हैं लेकिन वहां पानी नहीं आ रहा है। अब तक तो सर्दी का टाइम था और कुछ बरसात से पानी टांकों में था, लेकिन अब हालत बहुत भयानक हो गई है। इसके लिए आप व्यवस्था आज ही कराएं। करोड़ों रुपये खर्च किये हुए हैं, उसका कोई उपयोग नहीं होगा। आप उन इंजीनियरों को पूछें कि ऐसी स्कीम बनाई तो क्यों नहीं पानी आ रहा है। पहले निरन्तर पानी आ रहा था, कोई ऐसा दिन नहीं था। अधिकारी कहते हैं आपको कुछ लेकिन मौके पर ऐसी हालत नहीं है। अभियान के दौरान भी हमने यह लिखा। ऐसी जब हालत हुई, लेकिन वहां पर एक बूंद पानी पीने के लिए नल के अन्दर नहीं आ रहा है। आपने इसके लिए दो योजनाएं तो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऊंडु से आपने नवातला स्कीम बनाई। अब नवातला स्कीम बनाते जा रहे हो, लेकिन साढ़े चार करोड़ रुपये की जो पांच साल पहले मंजूर हुई, अभी नये पाइप नहीं लगे हैं। बड़नामा के अन्दर आप ही पधारे थे, कौमी एकता में चार हैण्ड पम्प वहां कराये और वहां बिजली टाइम पर नहीं आती है। यह की यह रोडवा खुर्द की बात है, मेरा कटौती प्रस्ताव है। इसके अलावा मेरा निवेदन यह है कि आपने यह घोषणा की है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : पत्र आये हैं हमारे माननीय मंत्रीजी के कि ये-ये स्कीम हमने मंजूर की हैं। बहुत अच्छी बात है लेकिन जो स्रोत हैं आपके, जिस जगह से ये पानी लेंगे, उस पर विचार करना पड़ेगा। नहीं तो लम्बी लाइनें लगेंगी और पानी नहीं पहुंचेगा। आपने यह भी घोषणा की कि...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : जोधपुर से 118 गांवों को हम इन्दिरा नहर का पानी पिलाएंगे। मैं आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि धोवा से लगता हुआ गोदावास कलां है, ब्राह्मणों की ढाणी है, डोली के अन्दर तो आप पानी पहुंचा दीजिए। जोधपुर का यह जो प्रदूषित वाटर है, वह हमारे डोली के तालाब के अन्दर है। हर साल बरसात होती है जब आ जाता है। वह भी पीने के लिए नहीं रहता। वही पानी हमारे कुओं के अन्दर

(श्री अमराराम चौधरी)

जा रहा है। आप जोधपुर का पानी कब दे देंगे? जो आपके लगते हुए गांव हैं आपके विधान सभा क्षेत्र से लगते हुए गांव हैं कम से कम इनके सबके टांका तक तो आप लाइन लगा दीजिए। यही निवेदन है आपसे। आपने दो साल पहले कहा था कि जोधपुर को इन्दिरा नहर का पानी पिलाऊंगा। मेरा इतना ही निवेदन है। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र रामगढ़, अलवर के सम्बन्ध में और अलवर जिले के पेयजल के सम्बन्ध में, कठिनाइयों के बारे में निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपके विधान सभा की कह दो आप तो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : वहां सैक्टर रिफार्म लागू किया गया है, पैसा केन्द्र की योजना से है। जयपुर, सीकर और अलवर सैक्टर रिफार्म की योजना, गार्मियां आ गई हैं, 1900 गांव और लगभग 200 ढाणियां, मात्र एक गांव बहरोड़ का रजिस्ट्रेशन हुआ है। वहां रजिस्ट्रेशन सहभागिता के लिए भी कहा गया है, कोई भी सफलता वहां पर नहीं मिल रही है क्योंकि वहां पर नाकामयाब कलक्टर हैं उसके चेयरमैन हैं। और जो एक्स. ईएन. हैं, तीन बार भ्रष्टाचार के कारण अलवर से उनका ट्रांसफर हो चुका। उनकी अयोग्यता के कारण सैक्टर रिफार्म फेल है।

इसके साथ में कुछ हैण्ड पम्पों के लिए [illegible]

कम दस हैण्ड पम्प हों। पर आय चार-पांच जितने दे सकें वह दें। कुल 46 पंचायतें हैं, ज्यादा पंचायतें मेरे क्षेत्र में नहीं हैं। मैं आपको सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं जल्दी में कि जिस एनज़ी.ओ. को वहां काम दिया गया है देशी और विदेशी वे वहां कारगर नहीं है। उस एनज़ी.ओ. को हटाकर आप दूसरे एनज़ी. ओ. जो क्षेत्र के एनज़ी.ओ. हैं, उनको काम दें यदि एनज़ी.ओ. को ही देना चाहते हैं। या डिपार्टमैंटली इस काम को करें, यह मेरा निवेदन है। प्रभारी मंत्री जी "प्रशासन गांव के संग" के समय अलवर जिले में पधारी थीं, मेरे क्षेत्र में दो गांव हैं नयाना और मिलकपुर, दोनों जगह जो आदेश करके आई, एक भी हैण्ड पम्प लगा नहीं। एक सप्ताह में लगाने के लिए वहां आदेश फरमा आई। एक गोविन्दगढ़ मेरे क्षेत्र में जो कस्बा है, वहां पर पानी के लिए 97 लाख और 50 हजार रुपये की टंकी बनी उस टंकी में कुल 25 लाख भी नहीं लगा। मैं तीन बार जांच के लिए लिख चुका हूं पर उसकी जांच नहीं हो रही है। डी.आर.डी.ए. की मीटिंग में, डी.सी. की मीटिंग में, जलदाय की मीटिंग में और आप स्वंय जब अलवर पधारे थे तब भी मैंने निवेदन किया था कि उसकी जांच कराएं तो पता लगेगा कि पानी की सप्लाई वहां पर ठीक से नहीं हो रही है।

मैं संक्षेप में सारी बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं। कुछ ठेकेदारों ने वहां हैण्ड पम्प जिन पाइंट्स पर लगाने चाहिए उन पर नहीं लगाये, इस कारण से हैण्ड पम्प खराब [illegible]

पचास लाख रुपये की टंकी स्वीकृत थी, अब उसमें जानकारी मिली है कि कैंसिल कर दिया गया है। कृपा कर उस पर पुनर्विचार करें और लागू करें। खो-वारसपुर एक गांव है, वहां तीन साल से स्कीम लागू है बी.जे.पी. सरकार के समय से, परन्तु वहां जो आपरेटर है उसको ग्रामीण जल प्रदाय योजना के तहत उसका पेमेंट नहीं मिल रहा है। यह मैं आपके ध्यान में लाया हूं।

श्री श्रवण कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी समय दीजिए। दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : हां, देंगे। क्या तकलीफ हो रही है? माननीय सदस्य, हो गया न।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आधा मिनट। आपके ध्यान में मैं यह भी लाना चाहता हूं कि वहां पर टेंडर चार-चार बार स्थगित किये जाते हैं और..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आधा मिनट, साहब। और जो टंकियां हैं, अजमेर रोड की टंकियां और भरतपुर रोड पर सप्लाई किया जा रहा पानी, उसमें पचास लाख रुपये का घोटाला है। डिटेल मैंने क्वेश्चन में रखें हुए हैं, उसकी जानकारी, आप जांच कराएं कृपा करके। अन्त में मैं दो लाइनें जो मेरी स्वयं निर्मित लाइनें हैं--

"जल की कोई नीति नहीं, इस सरकार की कोई अपनी रीति नहीं। इस सरकार के आने के बाद सूखा पड़ा अपार, पानी तो देते नहीं सिर्फ बातों से करते हैं प्यार। अब क्या करें मेरे यार, एक अनार और सौ बीमार।"

ऐसा काम मत करिए, आप समझदार मंत्री है। कृपा कर जल पिलाइये, प्यासे मत रखिये, पशुओं को और आदमियों को। जयहिन्द।

श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र में सालभर पहले हैण्ड पम्प लगा था उस हैण्ड पम्प में रहड़ आ गई। दुबारा उस रहड़ को मिटाने वाला आज दिन तक कोई नहीं गया। वह हैण्ड पम्प ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है और वहां की बस्ती के लोग पानी के बिना तरस रहे हैं। ग्राम पंचायत विजयगढ़ नेहड़ी हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र में चतरगंज पंचायत के अन्दर कराड-खेड़ी गांव है। कराड-खेड़ी के अन्दर राज्य सरकार ने सात हैण्डपम्प लगाये हैं, सातों में वहां रहड़ आ रही है। वहां पर पानी है ही नहीं। अलग-अलग जगह पर पानी के लिये हैण्ड पम्प लगा दिये लेकिन पानी की बजाय वहां पर हवा आ रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एप्रोप्रिएशन बिल है।

श्री नाथूलाल गुर्जर : वहां से आधा किलोमीटर दूरी पर चतरगंज से हिण्डौली के लिये पाइप लाइन गयी है, यदि उस गांव को उस लाइन में से पानी दे दिया जाये तो वहां की समस्या का समाधान हो सकता है। उसमें सरकार को ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : क्यों बोल रहे हो, न तो कोई लिख रहा है, न कोई नोट हो रहा है? यह व्यवस्था रामभरोसे है। (व्यवधान)

श्री नाथूलाल गुर्जर : माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि जिला प्रशासन ने वहां पर पिछली बार अकाल के वक्त टैंकरों से पानी पिलाया था। हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र के अन्दर मेहरामपुरा गांव है वहां पर मेघवाल बस्ती है, मेघवाल बस्ती में एक साल से हैण्ड पम्प खराब पड़ा हुआ है। जिला प्रशासन को, आपके अधिकारियों को अनेक बार शिकायतें दे चुके हैं लेकिन साल भर से वहां पर दुबारा हैण्ड पम्प नहीं खुदा। मान्यवर, मंत्री महोदय को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समिति हिण्डौली के अन्दर सन् 1995-2000 के बीच में जो हैण्ड पम्प का ठेका दिया गया, वे हैण्ड पम्प 70-80 फीट खोदे गये, परन्तु उनका भुगतान 200-200 फीट का किया गया। उनकी जांच करवायी जानी चाहिये और दोषी अधिकारियों और दोषी ठेकेदारों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जाये। मान्यवर, पूरे इलाके में आपके विभाग के हैण्ड पम्प खराब पड़े हुए हैं। मात्र एक गाड़ी चलायी जा रही है, एक गाड़ी से समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिये एक-एक विधान सभा क्षेत्र में दो या तीन गाड़ी हैण्ड पम्प ठीक करने वालों को दी जायें तो इस समस्या का समाधान हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवण कुमारजी।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को तीन बातें बताना चाहता हूं। बात यह है कि पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन इम्प्लीमैंट सही ढंग से नहीं हो रहा है। आज प्रतिशत पैसा जमीन पर लगता है। 60 प्रतिशत पैसा थोड़े आदमियों के हाथ में चला जाता है। चाहे वे इंजीनियर्स हों, चाहे वे ठेकेदार हों। सबसे पहले तो उनका सुधार करना पड़ेगा। यह भ्रष्टाचार जब तक दूर नहीं होगा तब तक पानी की स्कीम हो, चाहे सड़क की हो, बिजली की हो, आपकी स्कीम सफल नहीं हो सकती। सबसे पहले नियंत्रण करना पड़ेगा अपने इंजीनियर्स पर और अपने सभी अधिकारियों पर। आपका पानी का पैसा 40 प्रतिशत लगता है।

दूसरी बात, पानी की इतनी मशीने लगा दीं जिसका उपयोग नहीं हो रहा है। फ्लोराइड की मशीनें बेकार पड़ी हैं। करोड़ों रुपये सरकार के लग गये, आज एक भी मशीन काम में नहीं ली जा रही है। ऐसे-ऐसे कुए हैं जो बन्द पड़े हैं, सरकार उनका बिल दे रही है। किसी भी इंजीनियर से आप रिपोर्ट मंगा लें। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत जरूरी बात है, आज दस हजार कुएं चल रहे हैं तो दो हजार कुएं बन्द पड़े हैं और सरकार उनका बिल जमा करा रही है। आप यह बताइये पैसा जमा हो रहा है, कुआं चालू नहीं हो रहा है, इंजीनियर्स के पास कोई रिपोर्ट नहीं है कि कितना कुआं चल रहा है। मशीनें वे खरीदते हैं, डबल रेट की मोटरें खरीदते हैं जो राजस्थान के किसी कोने में सफल नहीं होतीं। इन मशीनों को लगाते हैं तो दो महीने के अन्दर मोटर जल जाती है, खराब हो जाती है। उसके बाद गांव के लोग परेशान होते हैं, एम.एल.ए. के पास आते हैं कि एम.एल.ए. साहब मोटर नहीं है। फिर हमें टैक्समों मोटर

(श्री श्रवण कुमार)

चाहता हूं कि इस पर नियंत्रण किया जाए। सभी स्कीमों को पास करने के साथ-साथ जैसे टंकी बनी, पाइप लाइन साथ में होनी चाहिये।

कुआं भी साथ होना चाहिये। तीनों चीजें जब तक सही नहीं होंगी, तारतम्य सही नहीं बैठेगा तब तक यह वह स्कीम पास नहीं होनी चाहिये। मेरी एक ही विनती है कि सरकार को कल्याणकारी सरकार सिद्ध करने के लिये, सारी स्कीमों को पास करने के लिये सबसे जरूरी है कि आप इस पानी की व्यवस्था सही ढंग से करवाएं। राजस्थान के कोने-कोने में फ्लोराइड का पानी इतना बढ़ गया है कि आदमी बीस साल की उम्र में ही बूढ़ा हो जाता है। (व्यवधान) पानी में फ्लोराइड इतना बढ़ गया है कि जब तक फ्लोराइड को दूर नहीं किया जायेगा, गांव-गांव में बीमारी की स्थिति बढ़ेगी। कई ऐसे गांव हैं जिनमें 30-30 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के पैर बांके हो जाते हैं। वे कुबड़े हो जाते हैं और उनके फेफड़े गल जाते हैं। इस राजस्थान में जो फ्लोराइड बढ़ा है उस पर नियंत्रण करें। इस स्कीम को आपको इम्प्लीमैंट करना पड़ेगा। मैं ज्यादा नहीं कहकर इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार को कल्याणकारी सरकार सिद्ध करने के लिये सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने समय दिया। धन्यवाद, जयहिन्द। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अभी एप्रोप्रिएशन बिल आ रहा है, आप उस पर बोल लेना। विराजो, विराजो। अभी आ रहा है, आपका नाम है एप्रोप्रिएशन बिल पर। (व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जलदाय मंत्रीजी को एक सूचना देना चाहता हूं। जलदाय मंत्रीजी, मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के खुडेरा विदावतान में जो तीन किलोमीटर की पाइप लाइन डाली है, उसको टैस्ट कर रहे हैं। सब पाइप फूट रहे हैं और 600 से ज्यादा जाइंट पाइंट लग गये हैं। समय तो मुझे नहीं दिया है लेकिन मैं सूचना दे रहा हूं।

डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को एक बात विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि हमारे कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र के अन्दर गत तीन वर्षों से निरन्तर पानी की कमी रही है। पारम्परिक स्रोत जितने भी हैं, सूख गये हैं। जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। स्थिति यह है कि हैण्ड पम्प भी अब नाकारा हो चुके हैं। कुओं में पानी बिलकुल न होने से स्थिति यह है कि गांव वाले पानी के लिये भटक रहे हैं। हमारे यहां की चार स्कीमें थीं, दो साल से अभी तक लम्बित हैं-सरूम, खड़ग, पवनाई और सुकालाबाद। यदि इस गर्मी में यहां पानी नहीं पहुंचाया गया तो निश्चित रूप से इन चार गांवों में पानी की बहुत बड़ी किल्लत होगी। इसलिये मेहरबानी करके अभी इसी सत्र में स्कीम पूरी हो जानी चाहिये।

एक विशेष रूप से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर जिला कलक्टर रिफोर्म्स के

(डा. रघुवीर सिंह गौड़)

अन्तर्गत आता है। सैक्टर रिफोर्म्स हालांकि सैद्धांतिक रूप से बहुत ही अच्छी स्कीम है किन्तु जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कार्यशाला के माध्यम से, कि इसमें पब्लिक सहभागिता आवश्यक है और इसमें सबसे पहले हमको मुश्किल आती है कमेटी बनाने में। मेरे क्षेत्र में अभी तक 25-26 कमेटियां बन चुकी हैं लेकिन उनमें अभी तक यह विवाद चल रहा है कि किसी को सेक्रेटरी क्यों बनाया गया और किसी को कोषाध्यक्ष क्यों बनाया गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि सैक्टर रिफोर्म्स को सही रूप से लागू करने के लिये जब तक जनता की सहभागिता नहीं होगी तब तक यह पूरी नहीं हो सकेगी। दुर्भाग्य से जनता अभी इतनी जागरूक नहीं है और इस तरह से हमारे यहां यह कार्यक्रम सफल नहीं हो पा रहा है। मात्र एक ही स्कीम लागू हो सकी है, इसलिये मेरा निवेदन है कि कंटिंजेंसी प्लान हमारे क्षेत्र के लिये आवश्यक रूप से पास किया जाये। दुर्भाग्य से हमको यह बताया गया है कि जहां सैक्टर रिफोर्म्स लागू हो गये हैं वहां पर कोई भी विभाग की ओर से योजना लागू नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ तो हैण्ड पम्प की कमी के कारण मेरे क्षेत्र में निश्चित रूप से पानी की बहुत कमी आएगी और जनता में बहुत असंतोष होगा। मेरा निवेदन है कि सैक्टर रिफोर्म्स के रहते हुए भी विभाग की ओर से कंटिंजेंसी प्लान हमारे यहां लागू किया जाये। कम से कम 50 हैण्ड पम्प हमारे यहां इन गर्मियों में लगाना आवश्यक है, नहीं तो वहां बहुत भयंकर असंतोष हो जायेगा। सैक्टर रिफोर्म्स में भी कुछ न कुछ ऐसा व्यवधान पड़ रहा है कि वे अभी तक सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसलिये और कोई नियम इसमें लागू हों ताकि इसमें सरकार की भागीदारी बढ़ सके तो हम निश्चित रूप से इसमें सफल होंगे, नहीं तो यह गांवों में अभी तक सम्भव नहीं है। ना तो इनकी कमेटी बनेगी। मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं कि अगर बन भी गयी और सरकार से 15 परसेंट हम लोगों से पैसा जमा करने के बाद पैसा मिल भी गया तो उसको चलाना निश्चित रूप से कठिन होगा। अभी तक पंचायतों को इस प्रकार की जो भी स्कीम पहले दी गयी है, हमारा अनुभव है कि वहां पर एक बार मोटर जल जाने के बाद महीनों तक वह ठीक नहीं हुई है और अक्सर फिर सरकार ने ही इसको ठीक करवाया है। इसलिये इस कंटिंजेंसी प्लान के नियम के बारे में पुनः विचार किया जाये और जनता को राहत दिलाने के लिये अपने विभाग की ओर से पुनः सहायता प्रारम्भ की जाये नहीं तो इस समय बहुत परेशानी आएगी।

आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री कन्हैयालाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको समय देंगे, विराजिये। आपको बुलाऊंगा, आप विराजिये।

श्री कन्हैयालाल : दो मिनट, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : हां, आपको बुलाएंगे, आप विराजिये।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो सवाल हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, आपको बुलाएंगे। कह रहा हूं न मैं, विराजिये तो सही।

श्री केसाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको बुलाएंगे, एक मिनट विराजो। सबको बुलाएंगे, आप चिंता मत करो।

श्री रामसिंह विश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुपूरक अनुदान की मांग के सम्बन्ध में मांग संख्या-27 पेयजल के बारे में करीब दस-बारह माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किये हैं और करीब 90 माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। मैं क्षमा चाहता हूं कि आज ज्यादा माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट नहीं कर सके। आज मुखबन्द का कार्यक्रम भी अभी होने वाला है, ऐसी स्थिति में ना तो आप अपनी बात को रख सके, ना मैं पूरा जवाब दे सकूंगा। लेकिन जो मुझे कहना है वह संक्षेप में यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि प्रदेश के अन्दर साढ़े तीन वर्षों के अन्दर जो पानी की स्थिति रही है वह माननीय सदस्यों को, आपको और पूरे प्रदेश की जनता को मालूम है। इसके बावजूद भी विभाग के सरकारी सहयोग से स्वयंसेवी संस्थाओं ने, माननीय सदस्यों ने और समस्त जन प्रतिनिधियों ने भरपूर सहयोग दिया है, उसके कारण ही तीन-साढ़े तीन साल अपन सही ढंग से इसको चला सके। मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि विकट परिस्थितियों के बावजूद पानी नीचे चले जाने के कारण, बिजली की स्थिति है, हालांकि अपने को कोई शिकायत नहीं रही लेकिन सामान्य स्थिति के बावजूद और सारी परिस्थितियों के विपरीत होने के बाद भी जनता ने जो सहयोग किया है और जिस प्रकार की हम व्यवस्था कर पाये हैं, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आपका पूरा सहयोग रहा है, पूरा सहयोग है और भविष्य में भी आपका सहयोग रहेगा ताकि अपन इस समस्या का समाधान सही ढंग से कर सकें।

हालांकि, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत कम माननीय सदस्य ही कह सके हैं लेकिन फिर भी बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव उन्होंने दिये हैं। कुछ ने जो स्कीम्स बनी हुई हैं वे काफी लम्बी हैं, पानी पहुंचता नहीं, यह भी शिकायत की। कहीं पर स्कीम बहुत पहले बनी हुई थी, वह अभी तक पूरी नहीं हुई। कहीं पर पानी का दोहन ज्यादा हो रहा है, इसकी योजना बननी चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि काफी गांव हैं, जहां पर आबादी कम है और हरेक आदमी चाहता है कि वहां एस.आर. बने, वहां पर जी.एल. आर. भी बनें। गांवों और ढाणियों में जहां जनता रहती है, वहां पर भी पानी की मांग की है। ये सारी बातें हैं, आपके सामने सब स्थिति क्लीयर है।

सैक्टर रिफोर्म्स हमारे प्रदेश के अन्दर करीब चार जिलों के अन्दर लागू हो गया है। केन्द्र सरकार की नीति है और केन्द्र सरकार भी चाहती है कि गांव की जनता और देश

(श्री रामसिंह विश्नोई)

की जनता जब तक इसमें भागीदारी नहीं करेगी और वह जब तक यह नहीं समझेगी कि भविष्य में यह स्कीम हमें ही चलानी है, तब तक इसमें पूरी सरकार की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह सारी व्यवस्था अपने आप कर सके। हालांकि सैक्टर रिफार्म्स के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा है, आप मानते हैं कि सैक्टर रिफार्म्स के अन्दर कुछ हिस्सेदारी जनता को करनी पड़ती है और चंदा देने में सहयोग करने में अभी जनता का मानस बना नहीं है। जनता तो वही है, अपने देश और प्रदेश की जनता बहुत सारी व्यवस्था करती थी। पानी की व्यवस्था पूरी की पूरी गांव के अन्दर थी। चाहे पानी की व्यवस्था हो या गांव में गाय की हो या गांव में विकास के जो भी काम हो, आजादी के पहले सब करते ही थे। जैसी व्यवस्था थी लेकिन जितने ज्यादा सरकार ने और विभाग ने प्रयास किये हैं लोगों के साथ सहयोग करने के लोगों ने अपने हाथ खींचने शुरू कर दिये हैं। स्थिति यह है कि हर काम के लिये सरकार के ऊपर मोहताज होना पड़ता है इसलिये...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, एक मिनट, टाइम बढ़ा दें।

सदन की कार्यवाही

मुखबन्द एवं विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-27 और मांग संख्या-34 पर दोनों मंत्रियों के जवाब आने तक मुखबन्द का समय बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों मंत्रियों का जवाब आने तक मुखबन्द का समय बढ़ाया जाए?

श्री हरिसिंह (महुवा) : साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन में प्रस्तुत किये जाने वाले एप्रोप्रिएशन बिल के पारित होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : एप्रोप्रिएशन बिल पास होने तक सदन का समय बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या-27 व 34 पर विचार

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज तो चार जिले हैं, कल दस जिले और आएंगे, और पूरे प्रदेश के करीब 38 हजार गांवों और 60 हजार ढाणियों के अन्दर यह स्कीम लागू होने वाली है, जनता को अपना मानस बनाना पड़ेगा कि योजना तो बन गयी लेकिन इसको अपने को चलाना है। जब तक आपका यह माइंड नहीं बनेगा और जब तक आप गांव में लोगों की समझाइश नहीं करेंगे, उनके बीच में बैठेंगे नहीं और जब तक उनका मानस नहीं बनाएंगे तब तक ये स्कीम्स सरकार से चलना मैं नहीं समझता कि सम्भव हो सकेगा। यह बहुत बड़ा मामला है, आबादी बहुत बढ़ गयी है। आज 6-7 करोड़ आबादी राजस्थान की

पाइप खरीदते हैं, आई.एस.आई. मार्का भले ही खरीदते होंगे, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, बड़े खेद और शर्म के साथ कहना चाहता हूं, यही तो बी.जे.पी. के राज में हम देखते थे, पानी खोला, पाइप फट गया और यही इस कांग्रेस राज में देखते हैं, पानी खोला, पाइप फट गया। ऐसी स्थिति हो गयी कि पाइप पानी खोलने से पहले फट जाते हैं। फिर पाइप का अस्तित्व क्या रह गया? स्कीम मंजूर हुए तीन-तीन साल हो गये, उन स्कीमों को आज तक इम्प्लीमैंट नहीं किया। तीन करोड़ रुपये की स्कीम हमारे पिलानी में लागू की गयी। कुएं खोद दिये, कुएं चालू कर दिये, पर पाइप नहीं लगाये। इस प्रकार की स्कीम को जब तक पूर्णतया इम्प्लीमैंट नहीं किया जायेगा, उसका प्रारूप सही लागू नहीं किया जायेगा तब तक उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर तीन रुपये लगते हैं, तीन रूपये लगने ही चाहिये और उस पैसे का इंप्लीमैंट भी पूरी ढंग से होना चाहिये। कुआं खोद दिया, पाइप नहीं लगाया। कहीं पाइप लगा दिया पर टंकी खाली पड़ी है। 1984-85 में टंकियां बनी थीं, आज भी झुंझुनूं जिले में 50 टंकियां हैं जो पानी से भरी गयीं, टंकियां फट गयीं। पाइप जो जमीन में गाड़े थे, वे बेकार हो गये। इस प्रकार की दयनीय स्थिति में राजस्थान में पानी की व्यवस्था नहीं हो सकती। मैं मंत्रीजी को बताना चाहता हूं कि आपको इस बात के लिये सबसे पहले कंट्रोल करना पड़ेगा इंजीनियर्स के भ्रष्टाचार पर। भ्रष्टाचार चाहे इंजीनियर करे, चाहे कोई नेता करे, जब तक आप इस भ्रष्टाचार पर कंट्रोल नहीं करोगे, न सड़कें ठीक हो सकतीं, न आपकी मण्डियों की स्कीम पास हो सकती, न पी.एच.ई.डी. की व्यवस्था हो सकतीं। सारी स्कीम तब तक अधूरी हैं जब तक इस प्रकार से भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी न बात।

श्री श्रवण कुमार : दो मिनट और लूंगा। मुश्किल से ही बोलने का मौका मिलता है।

एक माननीय सदस्य : दो ही बातें हैं, एक बात बाकी है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : इस बात से तकलीफ हो रही है तो कोई खास बात नहीं, बोलना बन्द कर दूंगा मैं। हमारे लुहारू से जो कैनाल इधर आ रही है लुहारू से पिलानी-चिड़ावा और खेतड़ी, इधर जब तक पानी की व्यवस्था नहीं करवाओगे तब तक पानी की व्यवस्था नहीं हो सकती। यह सारी की सारी व्यवस्था दो बातों पर टिकी हुई है। एक तो इम्पलीमैंट सही नहीं हो रहा है। दूसरा, इसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। आज मीटिंग हुई, इंजीनियर्स के पास पूरे कागज होते हैं दो-दो थैले और मीटिंग होने के दस मिनट बाद में पूछोगे कि क्या हुआ, बता नहीं पाएंगे क्या हुआ। इस तरह की स्कीम तब तक लागू ही नहीं की जायेगी जब तक इस पर नियंत्रण नहीं होगा। मैं आपसे एक ही विनती करता हूं कि पानी की व्यवस्था करें। पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा रामसिंहजी ने खूब मंजूर किया है लेकिन उसका इम्प्लीमैंटेशन सही नहीं हो रहा है। डेढ़ साल-दो साल में इम्प्लीमैंटेशन सही नहीं किया तो आगे वाली स्कीम में पता नहीं क्या होगा? मैं यह कहना

(श्री रामसिंह विश्नोई)

हो गयी है और एक अरब की आबादी हिन्दुस्तान की हो गयी है।

केन्द्र सरकार से पूरा सहयोग मिलता है। केन्द्र सरकार यह सहयोग नहीं करे तो हमारे वित्त मंत्रीजी और यहां राजस्थान की सरकार की स्थिति उतनी नहीं है कि इन विकट परिस्थितियों के अन्दर इतने सारे पैसे उपलब्ध करा सकें। हमने ये प्रयास किये हैं तीन साल के बाद में, जब से हमारी सरकार आयी है।

हमारे मुख्य मंत्रीजी, हमारे कैबिनेट के समस्त माननीय सदस्यों ने प्रयास किये हैं कि जहां तक हो सके, जैसा दीवान साहब ने कहा है, जमीन के पानी का दोहन कम से कम किया जाये। जमीन के पानी का दोहन कम करने के लिये, उपाध्यक्ष महोदय, हमने बड़ी-बड़ी योजनाएं बनायीं। माननीय सदस्य कहेंगे कि यह तो आप दो साल से कह रहे हो, लेकिन यह काम बड़ा है। बड़ा काम करने में समय लगता है। हमने सारी जो योजनाएं बनायीं हैं उनको बनाने के लिये समय लगता है। पैसे भी चाहिए, टेण्डर प्रक्रिया भी होती है और सारे लोगों को समय देना पड़ता है, उनकी सुननी पड़ती है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में आपको तो मालूम ही है कि 12 महत्वाकांक्षी पेयजल योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं। 12 बहुत बड़ी-बड़ी योजनाएं हैं। जयपुर की 1100 करोड़ की योजना है। इसके अलावा जयपुर-बीसलपुर-धौलपुर, भरतपुर की, चूरू-बिसाऊ, जोधपुर द्वितीय चरण, विजय नगर-गुलाबपुरा, बागारी का नाका-नाथद्वारा और मानसी वाकल पेयजल योजना। यह हमारे गुलाब सिंहजी की उदयपुर की है। इसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्रीजी जब मेड़ता गये थे उस समय जनता की मांग पर, वहां पर 15-20 हजार आदमी इकट्ठे हुए थे और आपको मालूम है कि नागौर के अन्दर एक हजार फीट पानी नीचे चला गया, ऐसी स्थिति में लोगों की भावना को समझ कर, एक नागौर की लिफ्ट कैनाल योजना है, उसको भी हमें स्वीकृति देनी पड़ी। जब

(17.00 बजे)

नागौर की देनी पड़ी तो बाड़मेर का भी प्रश्न था, जालौर के नर्मदा के पानी का मामला था, सवाईमाधोपुर का है। जून से पहले हम सारी योजनाएं स्वीकृत कर देंगे। ये सारी योजनाएं जो मैंने बतायी हैं, कि मंजूर की हैं या जो, मंजूर करने जा रहे हैं, ये सतही पानी की हैं जो नदियों से, बांधों से और जो बरसात का पानी है उसको रोक कर बनायी गयी हैं। अण्डर ग्राउण्ड वाटर जो किसानों के काम आता है, गरीब किसान अपने यहां कुएं चलाते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं हो इसलिये ये योजनाएं हमने सतही पानी की बनायी हैं। आज जयपुर शहर के अन्दर करीब 104 ट्यूबवैल चल रहे हैं। तीस लाख की आबादी, 104 ट्यूबवैल केवल यहां पर दस हजार तो पूरे राजस्थान में हैं। फिर चन्द्रभानजी हमारे को बीस घंटे बिजली देते हैं। और लोगों को कितनी देते होंगे, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हमारे को इतनी ज्यादा देते हैं कि हमारे बिल भी खूब आते हैं। चन्द्रभानजी के कारण ही ये 90 करोड़ की अतिरिक्त मांगें हमारे को स्वीकृत कराने के लिये आपके बीच में आना पड़ा। बिल

(श्री रामसिंह विश्नोई)

ज्यादा हो गया, लेकिन बिजली देने के अन्दर इन्होंने कोई कोताही नहीं की है। हमारा प्रयास यही है कि सारी लिफ्ट योजनाएं सतही पानी की योजनाएं बरसात के पानी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो। हमारे जो हैण्ड पम्प और ट्यूबवैल हैं उनका हम कम से कम उपयोग करें और ज्यादा से ज्यादा जनता को हम लाभान्वित करें। लोग अपने घरों, अपने गांवों, अपने जिलों, अपने प्रदेश का पानी बाहर नहीं जाने दें, ऐसी योजनाएं माननीय सदस्यों और जन प्रतिनिधियों के दिमाग में होनी चाहिए ताकि हम आगे आकर हमारे जल संकट को दूर कर सकें।

आपको मालूम है, माननीय सदस्यों ने काफी आरोप भी लगाये। जैसे कि चूरू जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने पाइपों की बात कही है। पाइप घोटाले का मामला तो आपको मालूम है, पिछले लम्बे समय से चल रहा है। पाइप पहले के खरीदे हुए हैं, मैंने कोई पाइप नहीं खरीदे हैं। पहले के पाइप हैं। (व्यवधान) मेरी बात सुनो आप। बात आपकी सही है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : खुड़ेरा, चारनाद में और विधावतान में जो योजनाएं बनायी हैं पानी की, उनमें मैंने आपके कहने पर 12 लाख 75 हजार रुपये के आसपास विधायक कोटे से दिये हैं, तीन किलोमीटर की वह लाइन है और 650 जोइंट उसमें लग गये हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : हो सकता है। मैं यह नहीं कहता विभाग के अन्दर, जैसा कि राजस्थान में दूसरे विभागों के अधिकारी हैं, मेरे खयाल से आप हिसाब लगा लें, पी.एच.ई.डी. के अधिकारी कुछ ठीक ही निकलेंगे। मैं ऐसा नहीं समझता कि कोई आपका हो। मैं तीन साल से देख रहा हूं इनका काम। मुझे कोई शिकायत नहीं है। (व्यवधान) आप विराज जायें। मुझे कोई ज्यादा शिकायत है नहीं और जहां मेरे को शिकायत होती है तो मैं आपको ठीक कहता हूं कि मैं शत-प्रतिशत उसकी जांच करवाता हूं। एक भी व्यक्ति, माननीय सदस्य और जन प्रतिनिधि ऐसा नहीं कह सकता। अब यह बात जरूर है कि एक्शन जो हमें लेने चाहिए वह किन्हीं मजबूरियों में हम नहीं ले सकें। वह अलग बात है लेकिन सारी जांच मेरे पास की हुई पड़ी हैं।

श्री श्रवण कुमार : जांच में एक भी अधिकारी सस्पैण्ड हुआ है क्या आज तक?

श्री रामसिंह विश्नोई : बहुत सस्पैण्ड हुए हैं। विराज जायें।

श्री श्रवण कुमार : दो ने ही गड़बड़ की है क्या। विराज जाएंगे, बैठ जाएंगे फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या जादू है? बैठ जाएंगे। हम कहना चाहते हैं, मंत्रीजी, पी.एच.ई.डी. और पी.डब्ल्यू.डी. में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिये आप लोगों को मंत्री बनाया था, पहले होता रहा है उस ट्रेंड को खतम करने के लिये ही तो बनाया था।

श्री उपाध्यक्ष : श्रवण कुमारजी, विराजो। है जो बन्द हो जाएगा नहीं तो।

श्री श्रवण कुमार : विराज जाएंगे, और क्या करें? हमारे पास क्या साधन है?

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, कई आदमियों को सस्पैण्ड किया है, सस्पैण्ड करना कोई सजा नहीं है। चार-पांच साल सस्पैण्ड रहने के बाद वापस पैसा ले लेता है और काम नहीं करता है। मैं उसको ठीक नहीं समझता हूं। अगर नौकरी से कोई निकाले तब तो कहीं जाकर मामला कोई हो। सस्पैण्ड करना कोई सजा नहीं हैं। मैंने बहुत प्रैक्टिस की वह, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं बैठा, जब तक हम नौकरी से नहीं निकालें। नौकरी से निकालना बहुत कठिन काम है। (व्यवधान) आप विराज जायें। आप बाद में मिल लेना, नहीं तो आप बोल लो, मैं बैठ जाता हूं, आप इनसे परमीशन ले लें। आप इस तरह की बातें कहते हैं। सस्पैण्ड भी किए हैं।

जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, शत-प्रतिशत 2002 तक उनके प्रमोशन डी.ओ.पी. से हमने करवा दिये। उनके प्रमोशन के जितने भी मामले थे अटके हुए, सारे आदमियों के प्रमोशन कराये हैं, किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं है, शिकायत नहीं है। इतने बड़े काम और इतने बड़े विभाग के अन्दर करना एकदम सम्भव नहीं है इसलिये कुछ छोटी-मोटी बातें हो सकती हैं। मैं क्षमा चाहता हुआ आपको विश्वास देता हूं कि ये जो योजनाएं हैं, हैण्ड पम्प्स का मामला है, उपाध्यक्ष महोदय, आज एक लाख सत्तर हजार हैण्ड पम्प राजस्थान के अन्दर चल रहे हैं। एक तरफ हमारे माननीय सदस्य चाहते हैं कि हम कहें वहीं हैण्ड पम्प खुदे, हम चाहें/कहें जहां पर ट्यूबवैल खुदें। उपाध्यक्ष महोदय, जहां कहेंगे वहां खुदेंगे लेकिन वहां पर पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारन्टी नहीं है। इसलिये दो बातें तय करनी पड़ेंगी। अपन जहां चाहते हैं वहां हैण्ड पम्प खुदें तो पानी की गारन्टी की अपेक्षा नहीं करें।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : यह गारन्टी हम देते हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : पचपदरा से आने वाले माननीय सदस्य...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय मंत्री महोदय, कुछ घोषणाएं करें, हमारे क्षेत्र अलवर का तो कोई नाम ही नहीं आ रहा। घोषणाएं करें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : बजट आ रहा है।

श्री रामसिंह विश्नोई : ...पचपदरा के अन्दर जितनी योजनाएं, मुझे मालूम है, पचपदरा क्षेत्र को जानता हूं, मेरे क्षेत्र से लगा हुआ है, जितनी योजनाएं मंजूर हुईं, पहले भी मंजूर हुई थी और अब भी सबसे ज्यादा मंजूर आपके यहां हुई हैं। 125 गांवों की योजनाएं हम 15-20 दिन के अन्दर लेकर उनको स्वीकृत करने जा रहे हैं। ऊंडू की जो बात कह रहे हैं, ऊंडू गांव का ध्यान रखिए, वहां पर कितने ट्यूबवैल चल रहे हैं। आपको मालूम है, ऊंडू के अन्दर चालीस-चालीस ट्यूबवैल एक बार में चलते हैं। आखिर वे गांव भी तो अपेक्षा करते हैं कि हमारे लिये कुछ पानी छोड़िए। लम्बी-लम्बी स्कीम्स बना दी चालीस-चालीस गांवों की, एक यूं जा रही है और एक यूं जा रही है। दस किलोमीटर की परिधि के अन्दर लोगों में तबाही मच जाती है। इसलिये पानी को सही ढंग से

(श्री रामसिंह विश्नोई)

इस्तेमाल करना पड़ता है। पानी का उपयोग ढंग से हो, पानी का दुरुपयोग नहीं हो, पानी कंट्रोल में रहे और भविष्य में काम आवे, ये प्रयास करने की हमने कोशिश की हैं। रेलों से भी व्यवस्था की है, कंटिंजेंसी प्लान भी बनाया है। यह बात हो सकती है कि रेलों से कितना पानी पहुंचा या नहीं पहुंचा लेकिन जनता के अन्दर, जनता का मनोबल बढ़ाने के लिये लोगों का ध्यान रखने के लिये आखिर सरकार कितनी चिन्तित है। पानी कोई सारी जगह थोड़े ही पहुंचा सकते हैं? ट्रांसपोर्ट से भी पानी, गाड़ियों से, टैंकरों से, कुएं किराये पर लिये, रेलों से पानी भेजा, इतनी सारी व्यवस्था करने की कोशिश की है। उसके अन्दर मेरे खयाल से लोगों को कोई ज्यादा शिकायत नहीं रही है। ये सही बातें हैं कि आप लोगों के सहयोग से ही हो चुका है।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं इन्टरप्ट कर रहा हूं, माननीय मंत्रीजी। ब्यावर से जैतारण निम्बाज तक पाइप लाइन वर्षों पुरानी बिछी हुई है, सप्लाई हो रही थी। आज एज इट इज लाखों रुपये की पाइप लाइन इस क्षेत्र में गढ़ी हुई है, हम चाहते हैं कि जैतारण, बर, निम्बाज इत्यादि के लिये आजकल जल संकट है इसलिये बीसलपुर लाइन से इस लाइन को जोड़ दें। कुछ भी खर्चा नहीं पड़ेगा, केवल लाइन जोड़नी है।

श्री रामसिंह विश्नोई : रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बात कही है लेकिन सांवरलाल जी ने क्या कहा, आपने सुना नहीं। सांवरलाल जी ने यह कहा था कि अजमेर जिले के लिये ही बनायी गयी है और आपका जिला पाली में आता है।

श्री हीरासिंह चौहान : जल का जहां-जहां संकट है वहां-वहां पहुंचाने के लिये आप पूरे अधिकार सम्पन्न हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं जानता हूं। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : मेरी समझ में नहीं आता, पानी पिलाओ न, पानी के लिये कौन मना कर रहा है?

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, आपने कहा था इसलिये मैंने कहा है।

श्री सांवरलाल : मैंने कहा, बीसलपुर की योजना अजमेर के लिये बनी है। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : निम्बाज और सेंदडा में खूब पानी है वहां से ले जाइये न, खूब सारा पानी है।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप अभी-अभी बोलकर मुकर गये।

श्री सांवरलाल : मैं मुकर नहीं रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि आप पानी दूसरी जगह से दे दो न, पानी ही देना है तो। बीसलपुर का ठेका थोड़े ही है।

डा. के. सी. चौधरी : इन्हीं के क्षेत्र में निम्बाज में बहुत पानी है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : चम्बल के पानी को इधर लाओ थोड़ा।

डा. के. सी. चौधरी : अजमेर में चम्बल का पानी लाने की आप बात करें कि अजमेर जिले में चम्बल का पानी आना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल : यह पानी आगे बढ़कर आ जाये, गवर्नमैंट का एक पैसे का खर्चा नहीं है। वह जैतारण और निम्बाज और रायपुर को मिल जाये तो आपको आपत्ति कहां है? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी पानी कहां से ला देंगे? मुख्य मंत्रीजी तो कहते हैं कि घर का पानी घर में, गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में, कहां से ले आएंगे पानी आप? वह तो यह कह रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, जो ब्यावर से आ रहे हैं माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वह ब्यावर के लिये ही पानी है जब जैतारण और निम्बाज से 25 साल हो गये हमको लेते हुए...

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी) : उपाध्यक्ष महोदय, कोटा डिवीजन बहुत उपेक्षित है, न वहां पानी की कोई स्कीम है। माननीय मंत्री महोदय सोचते हैं कि चम्बल है तो चम्बल सब जगह पर पानी दे देगी। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि कम से कम बूंदी जिले को पानी से वंचित न रखें। बूंदी, कोटा डिवीजन की इतनी उपेक्षा हो रही है...

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल लेना बाद में।

श्री सुरेन्द्र गोयल : मंत्री महोदय, एक इंटरप्ट कर रहा हूं बीच में।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपकी बात को मैं समझ गया।

श्री सुरेन्द्र गोयल : बीसलपुर वाला पानी और इधर से राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल...

श्री रामसिंह विश्नोई : आप बैठें तो मैं बताऊंगा ना। आपकी और रायपुर की मांग एक ही है, मैं इस विचार का हूं और मेरी कोशिश यही है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोल लेना, जवाब तो देने दो।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं पांच-छह महीने के अन्दर ब्यावर से आपके निम्बाज-जैतारण वगैरह जो हैं स्कीम बनाकर आपको करने की कोशिश करूंगा, यह मेरे ध्यान में है।

डा. के. सी. चौधरी : मंत्री महोदय, ऐसा नहीं हो कि ब्यावर भी प्यासा रह जाये और आगे पानी पहुंचाएं।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा थोड़े ही करेंगे। (व्यवधान) आप इतने बोल लिये, अब क्या है?

श्री सांवरलाल : मेरा एक अनुरोध है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल लिये न पहले।

श्री सांवरलाल : माननीय मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण तो लेवें।

श्री उपाध्यक्ष : क्या स्पष्टीकरण चाहिए?

श्री सांवरलाल : माननीय मंत्री महोदय, आज मसूदा की स्थिति आपको पता है, भिनाय की स्थिति पता है, भिनाय और मसूदा के गांवों में भी आप गये हैं, मेरा निवेदन यह है कि कोई भी योजना बनती है तो, पहले जो मूल योजना बनी है उस योजना को तो प्राथमिकता से निपटाइये। उससे ही हम आगे

(श्री सांवरलाल)

भगने लग जाएंगे कि हम तो ठेठ वहां तक ले जाएंगे, सीमा पार करा दो हमारी तरफ से तो, हमको कोई एतराज नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि अजमेर जिले के गांवों को आपको जोड़ना चाहिए था, साढ़े तीन साल का समय आपका हो गया। हमारे जमाने में सौ गांव जुड़ गये थे...

श्री उपाध्यक्ष : कह चुके, माननीय सदस्य, आप। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : तो कम से कम यह तो स्पष्ट करो कि हमारे इन गांवों को मसूदा और बांदरवाला को और इनको कब जोड़ दोगे ?

श्री उपाध्यक्ष : यह बात पहले कह चुके हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, हरेक माननीय सदस्य अपेक्षा करता है कि मेरे क्षेत्र में काम हो।

श्री नगराज (लसाड़िया) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक मंत्री महोदय से निवेदन है, जो योजना आप बनाते हैं, योजना बनाते समय इस बात का तो कम से कम ध्यान रखें, सीमेंट का पाइप आप लेते हो और पाइप लाइन को आप जमीन में गाड़ते वक्त एक फीट या दो फीट या रोड के किनारे गाड़ देते हो, इस वजह से वे पाइप हमेशा फूट जाते हैं। फूटने के बाद प्रतिदिन आपके कर्मचारी उसको खोदकर बैठ जाते हैं। जनता को पानी भी समय पर नहीं मिलता है। हमारी योजना का सारा पैसा उसमें लग जाता है और वे योजनाएं असक्सेज जाती हैं। तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि आगे जो भी योजना आप बनाएं, कम से कम सीमेंट के पाइप का प्रपोजल न लें, यह मेरा आग्रह है।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि आप जो हैण्ड पम्प खोदते हो, हैण्ड पम्प का क्राइटेरिया गवर्नमैंट ने शायद 200 फीट का कर रखा है परन्तु पानी थोड़ा बहुत आता है। जैसे 100 फीट में पानी आ गया तो आपके अधिकारी वगैरह मिल-मिलाकर उसको वहीं बन्द कर देते हैं। फिर जब अकाल का समय आता है वह हैण्ड पम्प सूख जाता है, फिर उसको ड्राई घोषित कर देते हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि जब तक उस हैण्ड पम्प में पर्याप्त पानी नहीं आ जाए तब तक उसको ड्रिल कराने की व्यवस्था की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए। माननीय सदस्य, प्लीज। माननीय मंत्री महोदय।

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे कहना तो बहुत कुछ है लेकिन माननीय विधायक महोदय ने, राज्य सभा के सदस्यों ने और मैम्बर आफ पार्लियामेंट ने जो हमारे को अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, अपने इलाके के अन्दर काम कराने के लिये पैसे दिये हैं, मैं उनको विश्वास देता हूं, वैसे तो 90 प्रतिशत काम उनका हो चुका है, कोई थोड़ा-सा काम पीछे रह गया तो वह काम हम बहुत जल्दी करीब 15-20 दिन के अन्दर कराने की चेष्टा करेंगे।

दूसरा, हमारे विभाग के अन्दर चार हजार की आबादी के जो गांव हैं, उपाध्यक्ष महोदय, उनको एस.आर. से जोड़ने का हमारा फ्री आफ चार्ज प्रावधान किया हुआ है। मैं आपको विश्वास देता हूं और हमने यह तय किया है कि जो 1500 से ज्यादा की आबादी के गांव

(श्री रामसिंह विश्नोई)

हैं, अगर वहां की जनता चाहती है कि हमारे यहां भी एस.आर. बने, बड़ी टंकी ऊपरवाली और आइन्दा वे उस योजना को अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो पूरा ट्यूबवैल एस.आर. बनाकर गांवों में लाइन खींचकर कम्प्लीट करके उनको सुपुर्द करने का भी हमने मानस बनाया है, हमने प्रस्ताव किया है। गांवों में जो योजनाएं चल रही हैं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, कहते-कहते हो, आप भाषण बहुत अच्छा देते हो, आप बात भी बहुत अच्छी करते हो, पर एक आपकी योजना चाहे बीसलपुर ले लो, चाहे जोधपुर लिफ्ट ले लो, चाहे भिनाय की ले लो, एक योजना पूरी नहीं हुई क्योंकि आपके पास फण्ड नहीं है। फंडिंग एजेन्सी कभी आप वर्ल्ड बैंक की तरफ भागते हो, फिर वापस आप जापान गवर्नमैंट की तरफ भागते हो।

श्री रामसिंह विश्नोई : माननीय सदस्य कुछ ठीक बोल रहे हैं...(व्यवधान) मुझे मालूम था, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य को पहले भी आपने कहा था ऐसा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : लगे हाथ चूरू-बिसाऊ और बता दो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज। माननीय सदस्य, विराजें। आपको पूछना चाहिए था उस वक्त। आप बोल रहे हो बीच-बीच में। विराजें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आपने बिलकुल सही आदेश दिया, कोई बहस का विषय नहीं है, परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर मंत्रीजी तीनों साल एक ही बात कहते रहे...

श्री उपाध्यक्ष : विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कभी छह हजार गांवों को लाभान्वित करने की बात कही...

श्री उपाध्यक्ष : उन्हें अधिकार है कहने का। विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अधिकार है, बिलकुल अधिकार है पर, उपाध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर जो बात कहें उसको इम्प्लीमैंट तो करें।

श्री उपाध्यक्ष : उनकी जिम्मेदारी है वह करेंगे। आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कहां चली गयी चूरू-बिसाऊ योजना आपकी ?

श्री उपाध्यक्ष : वह आप नहीं करोगे, वही करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : भारत सरकार का पैसा, योजना आयोग का पैसा राजीव गांधी मिशन का पैसा पर आपने फण्ड में से कितना दिया ? तीन करोड़ रुपया।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, यह तरीका नहीं है, प्लीज।

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने पिछले वर्ष भी ऐसी बात कही थी। इनको जानकारी नहीं है। आप एक आदमी की बुराइयां देखें तो उसमें मिल जाएंगी लेकिन अच्छाइयों को भी देखें आप। मेरे आने से पहले 222 शहर पानी की योजना से जुड़े हुए थे और 47-48 हजार गांव भी जुड़े हुए थे। मैं यह नहीं

(श्री रामसिंह विश्नोई)

कहता हूं। ढाणियां भी जुड़ी हुई थीं, लेकिन उनमें पानी कहीं मीठा नहीं था, कहीं पूरा नहीं पड़ रहा था, कहीं कुछ नहीं था। ये सारी बातें देखकर हमने योजनाएं बनायी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके भी तीस करोड़ की योजनाएं मैंने कोई गप्पे मारकर बनायी है? स्वीकृत की है मैंने वह तो काम कराने वाला चाहिए, काम कराने वाला आदमी पीछे पड़े, हमारे अधिकारी भी साथ देते हैं। पूरी टेंडर प्रक्रिया होती है। कोई ऐसे थोड़े ही है कि मैं फलानां आदमी को, प्रद्युम्न सिंहजी को आर्डर दूं कि 1100 करोड़ की योजना बीसलपुर की आपको ठेके देते हैं। ऐसे नहीं होता है। टेंडर की प्रक्रिया होती है, और कई लोग एतराज करते हैं (व्यवधान) बीस-बीस बार आब्जेक्शन करते हैं।

श्री जनार्दन गहलोत : प्रद्युम्न सिंहजी तो कैपेबल आदमी हैं, कर सकते हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : ना, ना, करने तो देना लेकिन कोई सिस्टम बना हुआ होता है, आडिट आब्जेक्शन होते हैं, पूरी फार्मलिटीज करने के बाद ही होता है। एक-एक आदमी जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं या जो कम्पनी वाले हैं, वे इसमें एतराज करके आगे कोर्ट में चले जाते हैं। कहीं कोर्ट में काम रुके हुए पड़े हैं, कहीं पैसों की वजह भी है आप सही बात कह रहे हैं। जयपुर का मामला आया। अब जहां गांव की स्कीम होती है वहां तो सेंट परसेंट हमारा केन्द्र सरकार से मिल जाता है, राजीव गांधी मिशन से मिल जाता है। लेकिन जो स्कीमें राज्य सरकार की होती हैं, तीन साल तक अकाल की वजह से जो हम पूरी योजना नहीं बना सके तो उसको धीरे-धीरे करना पड़ता है। आप गांव जाते हो, शहर में जाते हो, घर में पचास तरह की बातें करते हो यह लाना, वो लाना, आप ला सकते हो क्या? तो आपको झांसे देने पड़ते हैं, राजी करना पड़ता है। वैसे ही हमने किया है हमारा काम।

उपाध्यक्ष महोदय, काम भी किये हैं, बहुत ज्यादा काम हुए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पचास-साठ साल के अन्दर जितने काम नहीं हुए हैं उतने काम तीन-चार साल के अन्दर करने की चेष्टा की गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, आपने काम बहुत अच्छे किये हैं, पर मैं माफी चाहूंगा, आपका यह प्रगति प्रतिवेदन है इसके पेज नम्बर-4 पर देख लो, आपका लगातार योजनागत व्यय कम होता गया है। पेज नम्बर-4 पर देख लो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अकाल सहायता मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पेज नम्बर-4 पर आपने तालिका दी है।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया ना इनका तो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : योजनावार आयोजना मद में पूंजीगत व्यय, आप देखोगे हमारे टाइम में 526 करोड़ था, अब आपने 119 करोड़ किया है, मतलब आप कर क्या रहे हो?

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कंटिंजेंसी प्लान आपने बनाया है 210 करोड़ का उसमें कुछ हुआ नहीं.(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : आप दूसरे नजरिये से देखते हो। जो चूरू जिले में काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। आपकी खुद की कांस्टीट्यूएंसी में बहुत अच्छे काम हुए हैं। जो जर्मन स्कीम चल रही है अपना गांव की योजना, उसके अन्दर चूरू-बिसाऊ योजना का भी सारा काम, फार्मलिटी में दो साल लगते हैं जब जाकर फार्मलिटी पूरी होती है। आपको मालूम है कोर्ट में चला गया आदमी, कोर्ट में चले जाने की वजह से हमारा काम रुक गया। काफी काम शुरू हो गया, दस करोड़ रुपये का काम हमने शुरू कर दिया उसका। आप कहने में कुछ भी कह सकते हो। लेकिन जितनी भी योजनाएं मंजूर की हैं, सबसे ऊपर काम चल रहा है। जो भी योजना है, हम आपको विश्वास देते हैं, कि जब तक कार्यकाल हमारा पांच साल का पूरा होगा तब तक हमने जो योजना बनायी है उसके ऊपर बहुत त्वरित गति से काम शुरू हो जायेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आखिरी सवाल बता दें। पेयजल की दरें बढ़ाने के लिये आपने सरकार के सामने प्रस्ताव भेज रखे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अकाल सहायता मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पेयजल की दरें बढ़ा रहे हैं क्या आप ?

श्री रामसिंह विश्नोई : बिलकुल आपने ठीक कहा है। हमने पहले भी कहा था कि जब तक पानी की सुव्यवस्था, व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं कर देंगे, पानी का हमारे को विश्वास नहीं हो जाता कि पर्टीकुलर व्यक्ति, परिवार के अन्दर या गांव के अन्दर पानी जाएगा तब तक हम पैसा नहीं बढ़ाएंगे। अब हमारे को यकीन है इसलिये हमने गवर्नमेंट को लिखा है कि हमारी रेट बढ़ाई जावे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने बढ़ाने के प्रस्ताव दिये हैं, उसको बढ़ा रहे हैं ना आप ?

श्री रामसिंह विश्नोई : हो जाएगा। बिलकुल कायम हैं हम।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अकाल राहत मंत्रीजी। माननीय मंत्रीजी। अकाल सहायता मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप कायम हैं अब, इसका मतलब यह हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, पेयजल की दर बढ़ाने जा रही है। पेयजल की दर बढ़ाने की बात की है इन्होंने।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में पाइपें बिलकुल ही स्वीकृत नहीं हो रहीं। पिछले बजट में भी कहा था। अबकी बार मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में पाइपें खरीदने की स्वीकृति प्रदान करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अकाल सहायता मंत्रीजी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (अकाल राहत मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुपूरक अनुदान की मांग प्राकृतिक विपदा के सम्बन्ध में आज माननीय सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्ताव दिये हैं और आज इस डिबेट में चार-पांच माननीय सदस्यों ने भाग लिया है।

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

जैसा कि आप सबको अच्छी तरह से पता है, राजस्थान में पिछले वर्ष भयंकर सूखा और अकाल की स्थिति होते हुए भी, तीसरे वर्ष लगातार अकाल होते हुए भी राजस्थान सरकार ने अपने साधनों से, भारत सरकार से मिलने वाली सहायता से बड़े पैमाने पर राहत कार्य शुरू किये। जैसा आपको अभी कहा मुख्य मंत्रीजी की यह धारणा कि अकाल को विकास में बदला है।

मैं कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा जिससे आप यह महसूस कर सकें कि हमने विकास की तरफ अकाल की मार्फत ध्यान दिया है। मैं आपके समक्ष पिछले वर्ष किये गये कामों के सम्बन्ध में जानकारी देना चाहता हूं जिससे आप यह महसूस करेंगे कि हमने अकाल को विकास के रूप में बदला है। पिछले तीन वर्षों में अकाल के दौरान लगभग 1,27,721 कार्य स्वीकृत किये थे जिसमें जल संरक्षण से सम्बन्धित 56,383 कार्य हमने सम्पन्न कराये। 4,214 एनीकट बनाये, 9,684 टांकों का निर्माण किया, 8,231 नाड़ियां एवं 10,301 तालाबों को गहरा कराने का कार्य हमने हाथ में लिया। 1108 कार्य वानिकी करण और भू-संरक्षण के हमने पूरे कराये। 15,558 परम्परागत जल स्रोतों जैसे कुओं, बावड़ियों इत्यादि की मरम्मत और पुनरुत्थान का कार्य हमने किया है। यह इस बात को दर्शाता है, यही इस बात को इंगित करता है कि हमने अकाल के तहत विकास कार्यों को हाथ में लिया और उसको पूर्ण करने की कोशिश की।

यही नहीं ढांचागत निर्माण कार्यों को भी हमने हाथ में लिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमने केवल 30,200 किलोमीटर ग्रेवल, 2,736 किलोमीटर डब्ल्यू.बी.एम. एवं 69 किलोमीटर बी.टी. सड़कों का भी ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण किया। ढांचागत निर्माण के काम भी हाथ में लिये। 8,285 नये स्कूल भवन, 4669 में अतिरिक्त कमरों का निर्माण एवं 5,815 स्कूलों की बाउंड्रीवाल का निर्माण का कार्य भी हमने हाथ में लिया। सरकार ने 1517 आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य भी करवाया है। करीब-करीब 19,992 अन्य जनोपयोगी भवनों जैसे पंचायत घर, सामुदायिक भवन आदि का भी निर्माण हमने किया है।

राहत कार्यों में लगभग 11.59 करोड़ अतिरिक्त मानव दिवसों का सृजन किया जो पिछले तेरह वर्षों में सर्वाधिक है। राहत कार्यों पर मजदूरी का भुगतान पखवाड़े के दस दिन के अन्दर करने की मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की, उसकी हमने अक्षरक्षः पालना की और समय पर लोगों को मजदूरी दिलायी। न्यूनतम मजदूरी 44 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये की गयी थी और टास्क के आधार पर राजस्थान भर में पचास से साठ रुपये के बीच में लोगों को मजदूरी का भुगतान हमने किया है। केवल गेहूं जो भारत सरकार से मिला है उसको भी पांच किलो प्रति दिन के हिसाब से मजदूरी के साथ में हमने भुगतान किया है।

इसी तरह से हमने पशुओं के संरक्षण के लिये भी 2,43,301 मीट्रिक टन चारा 2089 चारा डिपो के माध्यम से अनुदानित दरों पर

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

वितरित किया। 727 पशु कैम्पों और 435 गौशालाओं के माध्यम से 4.40 लाख पशुओं को सहायता उपलब्ध करायी गयी। पशु आहार भी अनुदानित दरों पर उपलब्ध कराया गया।

इस प्रकार सहायता कार्य हमने राजस्थान में शुरू किये और जो मंशा हमारे मुख्य मंत्रीजी की थी, उसी आधार पर अकाल के बदले विकास के रूप में हमने काम किया है जिसके आंकड़े मैंने आपके सामने प्रस्तुत किये। (व्यवधान) नया तो आने दीजिये... (व्यवधान) ठीक है, आपकी चिंता है, हमने इस बात का प्रयत्न किया कि मजदूरी का भुगतान समय पर हो। लोगों को सही भुगतान हो समय पर। अगर किसी ने सात दिन के अन्दर भी हमसे भुगतान मांगा तो उसको भी हमने पेमेंट करने की व्यवस्था की।

मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान में पिछले वर्ष सोलह लाख से भी अधिक लोगों को हमने रोजगार दिया जो राजस्थान में पिछले वर्षों के मुकाबले सर्वाधिक लोगों को रोजगार दिया गया। (व्यवधान)

ऐसा है, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य, आपके कार्यकाल के आंकड़े भी मेरे पास मौजूद हैं, अगर आप चाहें तो मैं विस्तार में तो नहीं जाऊंगा, जब दो बार वक्त आएगा तब आपको बताऊंगा और आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि पिछले जिन वर्षों में...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमारे समय पर अकाल नहीं पड़ा, यह तो आपकी ही दोस्ती है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अकाल कितनी बार पड़ा लेकिन आपने काम नहीं चलाया। आपने कंजूसी की है। आपने धन को बचाया और आपने काम को चालू नहीं किया।

श्री सांवरलाल : माननीय मंत्री महोदय, हमने धन नहीं बचाया है। आपने जो आंकड़े दिये ना कि विकास में बदल दिया है, आपके 90 परसेंट काम वे हैं जो केवल मिट्टी के काम हैं। आपने कोई विकास नहीं किया है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : स्कूल भवन के निर्माण का काम कोई मिट्टी का काम नहीं, टांकों का निर्माण मिट्टी का काम नहीं है।

श्री सांवरलाल : और न कोई ऐसा काम किया। हमारे जमाने में तो हमने पक्के काम करवाये हैं सारे। आपने तो हमारी सड़कों का तो...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सड़कें बनायीं, एनीकट बनाये, मिट्टी का काम नहीं...

डा. के. सी. चौधरी : ये मिट्टी के काम हैं क्या?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप तो विराज जाओ, पूछ लिये जो बचे हुए हैं।

श्री नाथूलाल गुर्जर : एनीकट जितने बनाये उतने पानी में बह गये, ये सिर्फ आंकड़े हैं आपके पास। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि पिछले वर्ष में और लगातार तीन वर्ष में राजस्थान की जो पीड़ित जनता थी, पशुधन था उसके सम्बन्ध में जो कार्य किये हैं, उसकी दशा विकास की तरफ थी। विकास के कामों को हमने महत्व दिया है।

आज जो माननीय सदस्य इस बहस में भाग ले रहे हैं, उसमें खास तौर से लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने तीन कामों का जिक्र किया। उसमें कुछ गड़बड़ियां हुई है। वह मुझसे मिले थे, मैंने उनके सामने ही सम्भागीय आयुक्त को निर्देश दिये थे कि इसकी जांच की जानी चाहिये। पता नहीं किन कारणों से वह जांच पूरी नहीं हुई। मैं उनको फिर आश्वस्त करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के किसी भी काम को सरकार बरदास्त नहीं करेगी, चाहे कितना ही बड़े से बड़ा आदमी क्यों न हो। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में इस बार राहत कार्यों में भ्रष्टाचार शून्य के बराबर, पहली बार राहत कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायतें न्यूनतम प्राप्त हुई हैं। जो शिकायत प्राप्त हुई है उस पर तत्काल हमने कार्यवाही शुरू की है। आगे भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम कार्यवाही करेंगे। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को हम दण्डित करने का भी प्रयत्न करेंगे और धनराशि का अगर दुरुपयोग किया गया तो उनको वसूल करने की कार्यवाही भी सरकार अपने स्तर पर करेगी। (व्यवधान) एक मिनट, मैं अभी खतम कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। आपने जो कहा उसके लिये तो आपका बहुत साधुवाद है। पर जो भ्रष्टाचार की शिकायतें कलक्टर और कमिश्नर के यहां दो सौ पत्रों के द्वारा दी गयी हैं, आप उनको दाखिल दफ्तर न करवाएं और उनकी भी जांच करने का पुनः निर्देश दे दें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य उन शिकायतों की जानकारी मुझे उपलब्ध कराएंगे तो मैं उसकी जांच कराने को तैयार हूं। मैं किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को नहीं बख्शने की कार्यवाही करूंगा। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक बात और बता दीजिये, एक बात। आपने अभी यह फरमाया है...(व्यवधान)

श्री रमजान खान : अजमेर के लिये तो कुछ बोलो। लाखों रुपये अभी अजमेर जिले के काश्तकारों के चारे के अन्दर बाकी हैं, उनके भुगतान के लिये आपने पिछली विधान सभा में वायदा किया था कि हम कर देंगे भुगतान। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं उसी पर आ रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपने यह फरमाया अभी...(व्यवधान) एक सैकण्ड (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य ने...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अभी आपने यह फरमाया कि इस बार भ्रष्टाचार बहुत कम हुआ है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : बहुत शिकायतें नहीं आई। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बहुत शिकायतें आयी हैं। (व्यवधान) पहले दो साल का ज्यादा है, कम है?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नहीं, नहीं, बिलकुल नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इस बार कम हुई है ना, पिछले से कितना अंतर है? पिछले से कितनी कम आई है?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आपके जमाने में जितना था उतना नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हमारे जमाने में अकाल पड़ता ही कहां था?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वह पड़ा पर काबू पा लिया। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह तो जोड़ी है। कांग्रेस और अकाल की जोड़ी है, हमारा क्या लेना-देना है?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य ने तीन-चार मुद्दे उठाये हैं। आपने यह कहा कि भुगतान बाकी है। मैंने उसी वक्त स्पष्ट किया कि अकाल राहत कार्यों के तहत जो कार्य स्वीकृत किये गये हैं, उनका पूरा का पूरा भुगतान कर दिया गया है, मैंने कलक्टरों से एनओसी प्राप्त की है, कोई भुगतान बाकी नहीं है। कुछ काम ऐसे हैं जो विभिन्न एजेंसियों के मार्फत डवटेल कराये गये हैं, उनका सामग्री भाग अगर बकाया है तो माननीय सदस्य मुझे उसकी सूची देंगे तो उसके आधार पर उन विभागों से जानकारी प्राप्त करेंगे। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : माननीय मंत्री महोदय, एक सैकण्ड, इंटरवीन करना चाह रहा हूं। आप सारी की सारी सूचियां हमसे ही मांगेंगे तो इनको क्या दूध पिला रहे हो? यह कलक्टरों को फ्री छोड़ रखा है कि आपको कुछ देते है..(व्यवधान)

श्री रमजान खान : माननीय मंत्री महोदय, लाखों रुपया है..(व्यवधान)

श्री सांवरलाल : मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसी कड़क लगाम रखो इनकी कि सारी जानकारी आपको देवें। हम सूचना देंगे..(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं जानकारी प्राप्त करूंगा। अगर किसी विभाग का भुगतान बकाया है मटीरियल कम्पोनेंट का, तो उसके सम्बन्ध में मैं निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा।

एक माननीय सदस्य : लेबर का भी है, लेबर का।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अजमेर जिले का एक मसला पुराना है। पिछले वर्षों में चारा परिवहन का अनुदान का मामला था। हमने जिलाधीशों को एक अधिकार दिया था चारा परिवहन पर अनुदान स्वीकृत करने का। जिलाधीश अजमेर ने उन अनुदानों के बारे में कुछ आपत्तियां प्रकट कीं और उन्होंने क्लेम्स

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

को रिजैक्ट कर दिया। पिछली विधान सभा में यही मामला उठाया गया था, मैंने उनको आश्वस्त किया था, कि मैं इसकी पुनः जांच कराऊंगा, इस पर निर्णय करूंगा ताकि सही भुगतान हो। अगर गलत भुगतान है तो उसको न किया जाए और सही भुगतान किया जाए। वह मामला चीफ सैक्रेटरी के साथ एक कमेटी में चल रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार ऐसे सही भुगतान करवाने की मंशा रखती है और ऐसे लोगों को भुगतान कराने की कार्यवाही की जाएगी। यह मैं भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : माननीय मंत्री महोदय, छह महीने, साल का समय बता दो जिससे हम काश्तकारों को जवाब दे दें। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं आपको यही आश्वासन देता हूं कि आने वाले दो महीनों के अन्दर इस पर फैसला कर लिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय मंत्री महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। (व्यवधान) आप मेरी सुन लें..(व्यवधान) अभी हाल ही में जो ओलावृष्टि हुई और उससे काश्तकारों को जो नुकसान हुआ उसके सम्बन्ध में क्या राज्य सरकार ने उन काश्तकारों को मुआवजा देने की व्यवस्था कर ली ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ऐसा है, जहां-जहां से ओलावृष्टि की शिकायतें हमको प्राप्त हुई है उसके सम्बन्ध में हमने नार्म्स के आधार पर भुगतान करने की व्यवस्था की है और अभी तक हमने इस सम्बन्ध में लगभग 97.3 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करा दी है। और भी जहां से सूचना प्राप्त होगी, इस सम्बन्ध में हम निश्चित रूप से सहायता करेंगे।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : सहायता प्राप्त ही नहीं हुई है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अभी बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने, बागीदोरा से आने वाले माननीय सदस्य ने और कई अन्य सदस्यों ने इस वर्ष, डूंगरपुर के बोले नहीं लेकिन उनकी भी बात है, और खास तौर से भिनाय और लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्यों ने कहा कि इस वर्ष का क्या होगा। जिस गिरदावरी रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है, सहायता का अपने को पता है कि किस जिले में कितना खराबा है।

श्री सांवरलाल : गिरदावरी ही गलत हुई है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : गिरदावरी गलत की या सही की, यह तो आप वक्त पर चेतते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है वह हमारे विचाराधीन है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जल्दी ही मंत्रिमण्डल के समक्ष पेश करके उस पर फैसला किया जाएगा ताकि उन लोगों को अभावग्रस्त घोषित किया जाए। जो साधन सुविधाएं काश्तकारों को मिल सकती हैं वह देने के लिये सरकार अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करेगी, यही मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा।

श्री सांवरलाल : मंत्री महोदय, फसल बीमा का मुद्दा मैंने उठाया था...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : एक अप्रैल का...(व्यवधान)

श्री सांवरलाल : आपके घोषणा पत्र में है, फसल बीमा के बारे में तो बता दें...(व्यवधान)

मांग संख्या-27 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-27 पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 87,98,20,000/- (सत्यासी करोड़, अट्ठानवे लाख, बीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-34 का पारण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 32,11,40,000/- (बत्तीस करोड़, ग्यारह लाख, चालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

स्वीकृत

मांग स्वीकार की गयी।

मुखबन्द

अनुपूरक अनुदान की शेष मांगों का पारण

मांग संख्या-1, राज्य विधान मण्डल

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-1, राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 85,00,000/- (पिच्यासी लाख) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

स्वीकृत

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-2, मंत्री परिषद

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-2, मंत्री परिषद के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 67,00,000/- (सड़सठ लाख) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-5, प्रशासनिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-5, प्रशासनिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 95,00,000/- (पिचानवें लाख) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या-9, वन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक की मांग संख्या-9, वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 22, 85,000/- (बाइस लाख, पिच्चासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-10, विविध सामान्य सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-10, विविध सामान्य सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,65,000/- (एक लाख, पैंसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-12, अन्य कर

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-12, अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 38,08,000/- (अड़तीस लाख, आठ हजार) तक राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-14, बिक्री कर

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-14, बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 73,90,000 (तिहत्तर लाख, नब्बे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-15, पेंशन व अन्य सेवा निवृत्ति लाभ

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-15, पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,21,42,22,000/- (एक अरब, इक्कीस करोड़, बयालीस लाख, बाइस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-16, पुलिस

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-16, पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 22,94,000/- (बाइस लाख, चौरानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या-19, लोक निर्माण कार्य

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-19, लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 20,000/- (बीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-20, आवास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-20, आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,51,00,000/- (आठ करोड़, इक्यावन लाख) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-21, सड़कें एवं पुल

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-21, सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 67,77,58,000/- (सड़सठ करोड़, सतहत्तर लाख, अठावन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-22, क्षेत्र का विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-22, क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,000/- (तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-23, श्रम और रोजगार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-23, श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 60,83,000/- (साठ लाख, तिरासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-24, शिक्षा, कला एवं संस्कृति

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-24, शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या-26, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-26, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,69,52,000/- (चौदह करोड़, उनहत्तर लाख, बावन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-28, ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-28, ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,29,00,000/- (दस करोड़, उनतीस लाख) तक की राशि और प्रदान की जाए?

मांग संख्या-30, जनजाति क्षेत्रीय विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-30, जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 38,41,39,000/- (अड़तीस करोड़, इकतालीस लाख, उनतालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-32, नागरिक आपूर्ति

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-32, नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 67,90,000/- (सड़सठ लाख, नब्बे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-33, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-33, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,05,88,000/- (इक्कीस करोड़, पांच लाख, अठासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-35, विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-35, विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 52,90,15,000/- (बावन करोड़, नब्बे लाख,

(श्री उपाध्यक्ष)

पन्द्रह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-36, सहकारिता

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-36, सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,30,00,000/- (छह करोड़, तीस लाख) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-38, लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-38, लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,96,58,000/- (तीन करोड़, छियानवे लाख, अठावन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-39, पशुपालन एवं चिकित्सा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-39, पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,99,000/- (सोलह लाख, निन्यानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-40, राजकीय उपक्रम

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-40, राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये, 5,10,000/- (पांच लाख, दस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-41, सामुदायिक विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-41, सामुदायिक विकास के सम्बन्ध मे 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 58,39,46,000/- (अठावन करोड़, उनतालीस लाख, छियालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या-42, उद्योग

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-42, उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,77,76,000/- (दो करोड़, सतहत्तर लाख, छिहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-46, सिंचाई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-46, सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 17,000/- (सत्रह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-47, पर्यटन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-47, पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,84,53,000/- (चार करोड़, चौरासी लाख, तिरेपन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-48, विद्युत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-48, विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,000/- (नौ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-49, स्थानीय निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-49, स्थानीय निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,78,000/- (छह लाख, अठहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-50, ग्रामीण रोजगार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-50, ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,28,29,000/- (तीन करोड़, अट्ठाइस लाख, उनतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

माननीय वित्त मंत्रीजी।

विधायी कार्य

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2002

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2002 (2002 का विधेयक संख्या-1) को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक 2002 (2002 का विधेयक संख्या-1) को पुरःस्थापित करता हूं।

विधेयक पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : विचारार्थ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2002 (2002 का विधेयक संख्या-1) को विचारार्थ लिया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2002 (2002 का विधेयक संख्या-1) को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी। विचारार्थ पर पहले ये बोलेंगे न ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब क्या विचारार्थ करेंगे, साहब, बहस तो हो गयी। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : प्रस्ताव हो गया पारित करने का।

श्री उपाध्यक्ष : कहां हैं इसमें ? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : अब गाड़ी बैक गियर में न डालें, श्रीमान्।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2002 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री कन्हैया लालजी बोलेंगे न ?

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमजान खान।

श्री रमजान खान (पुष्कर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2002 पर चर्चा में भाग ले रहा हूं। मुझे खुशी है कि मैं इस पर बोल रहा हूं। मेरी इच्छा पी.एच.ई.डी. की मांग पर और अकाल राहत की मांग पर बोलने की थी परन्तु समय के अभाव के कारण अपने विचार नहीं रख सका। मुझे खुशी है कि माननीय दोनों मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, माननीय सदस्य। आप पारित का प्रस्ताव कर दो।

विधेयक का पारण

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पेश किया था। मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2002 (2002 का विधेयक संख्या-1) को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : अब बोलो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : विचारार्थ की स्टेज पर ही ले सकते थे।

श्री रमजान खान (पुष्कर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि पी.एच.ई.डी के माध्यम से जो गांव आपके नार्म्स में आते हैं उन गांवों के अन्दर तो आपके विभाग के अधिकारी उसकी देखरेख करते हैं लेकिन माननीय मंत्री महोदय, जो नार्म्स में नहीं आते हैं उनकी ओर आपके विभाग का कोई भी अधिकारी, कर्मचारी ध्यान नहीं देता। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि 1,500 की आबादी के नीचे के जो गांव हैं, क्या राजस्थान की जनता उन गांवों में नहीं रहती, क्या वे कोई दूसरी जगह के हैं? यहां तक कि पी.एच.ई.डी. के लोग अपना टैक्निकल परामर्श भी उस काम के लिये नहीं देते हैं। बार-बार डी.आर.डी.ए. के पी.डी. के बुलाने के बावजूद भी आपके विभाग के अधिकारी मीटिंग में पहुंचते नहीं हैं और साफ कहते हैं, ये गांव हमारे नार्म्स में नहीं आते इसलिये इसके बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहते। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो गांव आपके नार्म्स में नहीं आते

(17.51 बजे)

(श्री हीरासिंह चौहान, सभापति, पदासीन)

वहां पर आपने हैण्ड पम्प स्कीम चालू कर रखी है। हैण्ड पम्प स्कीम की, माननीय मंत्री महोदय, आज के समय में यह स्थिति है, खुद आपके प्रगति विवरण में आपने माना है कि राजस्थान में करीब दो लाख हैण्ड पम्प हैं और दो लाख हैण्ड पम्प में से एक लाख चालीस हजार हैण्ड पम्पों की आपने रिपेयर की है। इसका मतलब हुआ कि हैण्ड पम्प से पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। इन सब बातों को देखते हुए स्थानीय ग्रामवासियों ने और एम.एल.ए. व एम.पी. ने अपने कोष से जो गांव आपके नार्म्स में नहीं आते हैं उन गांवों के अन्दर पेयजल योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिये ट्यूबवैल खोदे, टंकियां बनायीं, उसमें मोटर लगाई, पाइप लाइन लगायी। गांव वालों ने भी उसमें पूरा सहयोग दिया। उसके बाद बिजली का कनेक्शन लेकर पानी चालू कर दिया और उन गांवों को इस वक्त 24 घंटे तक का पानी मिल रहा है। परन्तु मंत्री महोदय, आपके विभाग के लोग उसकी देखरेख करने से कतराते हैं, उसके ऊपर अपनी राय देने से बचते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आपके विभाग के अधिकारियों को इस सम्बन्ध में निर्देश दें कि उन गांवों के अन्दर बाकायदा पैसा खर्च नहीं करें तो कम से कम अपनी टैक्निकल राय तो दें ताकि सुचारू रूप से योजनाएं चल सकें। गांव वालों ने बड़ी मेहनत करके उन योजनाओं को चालू किया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में इस तरह की 20 योजनाएं मैंने चालू की हैं। गांव

(श्री रमजान खान)

वालों का सहयोग लेकर एम.पी. फण्ड से, एम.एल.ए. फण्ड से वे योजनाएं आज चल रही हैं। किन्तु लगातार तीन साल के अकाल की वजह से गांव वालों के पास बिजली के बिल का मन्थली भुगतान करने के लिये पैसे नहीं है। या तो जनता जल योजना में जिस तरह से गांव वाले देखरेख करते हैं उसी तरह गांव वाले देखरेख करेंगे, उसको गांव वाले चलाएंगे।

जैसा आपने अभी अपने भाषण में कहा है उसके बिजली का बिल जनता जल योजना में जिस तरह से आप भर रहे हैं उसी तरह इसका बिजली का बिल भी आपके विभाग द्वारा भरा जाये, तो मैं समझता हूं ये योजनाएं बन्द नहीं होंगी। आपके विभाग ने भरने में आनाकानी की तो लाखों रुपये लगाकर इतनी मेहनत करके इसको शुरू किया है...

श्री रामसिंह विश्नोई : माननीय सदस्य, आपकी बात सही है, वह कठिनाई आ रही है, लेकिन 1500 की आबादी से ज्यादा के जो गांव हैं उसी का अभी तक किया हुआ है। आप जो बात कह रहे हैं, अब आइंदा कोई मीटिंग में हम यह तय करेंगे कि उन गांवों को लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा खर्चा हो जाता है, बिजली के बिल इतने ज्यादा आ जाते हैं। हम तो 1500 की आबादी के गांवों को ट्यूबवैल, एस.आर. और पाइप लाइन देकर गांव को सुपुर्द कराना चाहते हैं ताकि वे वहां अपना टैक्स लगाएं, गांवों में कनेक्शन दें। लेकिन आप तो चाहते हो कि बिजली के बिल हम दें तो फिर वह बैठता नहीं है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के पास या विभाग के पास इतने पैसे की व्यवस्था होना सम्भव नहीं है। इसलिये 1500 की आबादी से ज्यादा का रखा है। आप अगर कहते हैं तो इस पर एक बार वापस विचार करेंगे। आपकी समस्या वाजिब है, अजमेर के पास के गांव आए हुए हैं, हरेक आदमी अपेक्षा करता है कि हमारे यहां व्यवस्था हो। आपने काफी जगह टंकियां भी बनायी हैं, पहाड़ों के ऊपर ले जाकर बना दी। अब आप भी उस्ताद हो, टंकी पहाड़ के ऊपर जाकर बनायी है। अब वहां पर हम कहां तो पाइप लाइन से उसको जोड़ें।

श्री रमजान खान : पाइप लाइन वगैरह सबसे जुड़ गयीं। मंत्री महोदय, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं, पाइप लाइन जोड़ दी, मोटर लगा दी, बिजली का कनेक्शन ले लिया, पानी चालू हो गया। अब बिजली का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : वह बात सही है, इस पर हम विचार करेंगे। अभी हमारा प्रावधान है नहीं। बाद में आपने जो कहा है, विधान सभा में जो हमने कह दिया है उसके ऊपर हम विचार करेंगे।

श्री रमजान खान : मैं इसके लिये, सभापति महोदय, आपका हृदय से आभारी हूं कि आपने मेरी बात पर ध्यान दिया। मैंने आपसे निवेदन किया था कि सभी काम कम्प्लीट करके 5-5, 6-6 लाख रुपये लगाकर पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के 26 गांवों में इस योजना को चालू कर दिया। इसमें तो आपको प्रोत्साहन देना चाहिए, माननीय मंत्री महोदय

(श्री रमजान खान)

ताकि इस तरह योजनाएं और भी लोग चालू करें तो हैण्ड पम्प से पीछा छूटे।

अब इस सम्बन्ध में मैं आपको जो कठिनाई है उसके समाधान करने के लिये कुछ सुझाव दे रहा हूं। यदि पी.एच.ई.डी. बिजली के मन्थली बिल नहीं भर सके तो एम.एल.ए. और एम.पी. फण्ड से मन्थली बिल भरने का कुछ न कुछ प्रावधान होना चाहिए, मंत्री महोदय, ताकि ये योजनाएं बन्द नहीं हो। अभी एम.एल.ए. और एम.पी. फण्ड से बिजली का बिल भरने का प्रावधान है नहीं। यदि आपका विभाग देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एम. एल. ए. और एम. पी. फण्ड से जनता के हित की बात है, हम देने के लिये तैयार हैं तो इसका ही प्रावधान करा दो, विशिष्ट योजना संगठन के मंत्रीजी बैठे हुए हैं।

अनेक माननीय सदस्य : एक करोड़ करा दो।

श्री रमजान खान : एक करोड़ की तो बात अलग है।

श्री सभापति : आर्डर, प्लीज।

श्री रमजान खान : मंत्री महोदय, आपके माध्यम से विशिष्ट योजना संगठन के मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो फण्ड है वह बढ़ाओ या नहीं बढ़ाओ, यह आप लोगों के ऊपर है, आपकी सरकार पर है, परन्तु हमारा जो फण्ड है उसमें से हम जनहित के जो सार्वजनिक पेयजल योजना के मन्थली बिल आ रहे हैं उनका भुगतान करना चाहते हैं ताकि ये योजनाएं बन्द नहीं हों। इसके लिये मेरा आपको सुझाव है और मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर आप विचार करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो आपकी बीसलपुर लाइन है वह कई गांवों के बीच में से होकर गुजर रही है, परन्तु उन गांवों को पानी नहीं मिल रहा है। वे गांव प्यासे मर रहे हैं क्योंकि हैण्ड पम्प करीब-करीब सुख गये। मैं आपको सही कह रहा हूं, बावड़ियां सूख गई, जल स्तर इतना नीचे चला गया कि आप 180 या 200 फीट के हैण्ड पम्प लगाएंगे तो ही पानी नहीं। ट्यूबवैल 330 फीट यानी 100 मीटर तक खुदवाएंगे तो भी पानी नहीं। अब तो इस क्राइटेरिया को बदलना पड़ेगा आपको। हैण्ड पम्प कम से कम 300 फीट तक हो, ट्यूबवैल कम से कम 500 फीट तक हो तब जाकर यह काम बनेगा, वरना बनने वाला नहीं है।

सभापतिजी, एक बात और मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि जो प्राइवेट ट्यूबवैल खोदते हैं वे तो एक फीट आठ इंच की बोर के एक फीट के 90 या 100 रुपये ले रहे हैं और जो आपका विभाग खोद रहा है उसके वह 350 रुपये ट्यूबवैल ले रहा है। एक रोठरी हैण्ड पम्प के 57-58 हजार रुपये ले रहे हैं और 27 हजार रुपये आर्डिनरी हैण्ड पम्प के ले रहे हैं, जबकि प्राइवेट वाले 20 हजार और 25 हजार में रोठरी हैण्ड पम्प खोदने के लिये तैयार हैं। जानते हुए भी कि यह कुआं है, फिर हम कुएं में गिर रहे हैं। इस तरह की योजनाएं बन्द करनी चाहिए जहां पर राज्य का ज्यादा पैसा लगे और उनका कोई उपयोग नहीं हो। सस्ते

(श्री रमजान खान)

में प्राइवेट लोग हैण्ड पम्प खोदने के लिये तैयार हैं तो इसके ऊपर भी आपको गौर करना चाहिए।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि बीसलपुर की लाइन गांवों में से होकर गुजरती है तो गांव वालों को बहुत बुरा लगता है। जब गांव के अन्दर यूनिवर्सिटी को पानी पिला रहे हैं, जनाना हास्पिटल के लिये पानी ले जा रहे हो, फलानी जगह कोई भी विभाग है उसके लिये पानी ले जा रहे हो और गांव में से लाइन गुजर रही है और हमको पानी नहीं दे रहे हो तो, मंत्री महोदय, मैं आपके माध्यम से साफ कहना चाहता हूं, गांव वाले इतने उद्वेलित हैं कि पाइप लाइन फोड़कर उसमें से मजबूरन पीने के लिये पानी लेना पड़ेगा। उससे पहले कि इस तरह की कोई बात आए, आपके विभाग के...

श्री रामसिंह विश्नोई : सभापति महोदय, ऐसा कोई गांव नहीं है। जो गांव बीच में आते हैं उनको पानी जरूर दिया हुआ है, जो गांव दूर पड़ते हैं उनको नहीं दे सकते।

श्री रमजान खान : नहीं, नहीं। मैं आपको गांव गिना दूं कांकरिया आपकी यूनिवर्सिटी में पाइप लाइन जा रही है। कांकरिया, भुणावाय, घूघरा इन गांवों के बीच में से होकर लाइन जा रही है। विधान सभा के अंदर इस तरह की कोई भी बात नहीं कहना चाहता जो गलत साबित हो। दूर नहीं, बिलकुल गांव के अन्दर से होकर जा रही है, उनको अगर पानी नहीं मिलता है तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इससे लोग दुःखी होकर फिर तोड़फोड़ करने पर उतारू हैं।

(18.00 बजे)

दूसरी बात, आप कम से कम 50-60 साल से लगातार पुष्कर विधान सभा क्षेत्र से अजमेर शहर को पानी पिलाते रहे। पानी पिलाना बहुत जरूरी था इसलिये हमने वहां कोई आंदोलन नहीं किया। परन्तु अब वहां पर तीर्थराज पुष्कर का सरोवर सूख गया है। आपने बड़ी मेहरबानी की कि 5-6 ट्यूबवैल खोद दिये और सरोवर में पानी आ रहा है। इसलिये पानी थोड़ा बरकरार है और तीर्थ यात्री जो जाते हैं उनको कोई असुविधा नहीं हो रही है। वह मैं अगर श्रेय देना चाहूंगा तो, पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी, आपको देना चाहूंगा। परन्तु इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगा कि अब जो गनायड़ा से बुढ़ा पुष्कर तीर्थ स्थान है वहां से रेलवे को और अजमेर को पानी दिया जा रहा है, या तो आप उसको करवा दें बन्द क्योंकि अब आ रहा है बीसलपुर का सफिशिएंट पानी अजमेर शहर के लिये और रेलवे के लिये भी पानी की कमी नहीं है। अब उसे बन्द नहीं किया तो यह विधान सभा सत्र समाप्त होने के बाद आन्दोलन किया जाएगा, मजबूर होकर उन पाइपों को फोड़ दिया जाएगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस रेलवे लाइन की और जयपुर शहर की...

श्री रामसिंह विश्नोई : आप रेलवे से मिलें और उनसे एप्लीकेशन दिलावें, हम तुरन्त उनको पानी का कनेक्शन दे देंगे।

श्री रमजान खान : मंत्री महोदय, कई एप्लीकेशन हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, नहीं।

श्री रमजान खान : बीसलपुर का भी पानी ले रहे हैं वे।

श्री रामसिंह विश्नोई : उनकी अपनी योजना बनी हुई है, वहां ट्यूबवैल उनके चल रहे हैं, पाइप लाइन उनकी खुद की है, वे मांग नहीं कर रहे हैं।

श्री रमजान खान : आज मुझे एक बात की तो बड़ी खुशी है, आपने गांवों के अन्दर भेदभाव मिटाते हुए ओवरहैड टैंक बनाने का जो प्रस्ताव पास किया है उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। अब आपने एक बात कही 1500 की आबादी की कि सन् 1991 की 1500 की आबादी के जितने भी गांव होंगे वहां पर आप यह योजना चालू करेंगे। मैंने आपसे निवेदन किया, आपको लिखित में दरखास्त दी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं आपके टेक्निकल अधिकारियों को सुझाव दिया, बड़ी मुश्किल से बकलाना गांव की योजना बनाकर लाये। उसके लिये भाग-दौड़ करनी पड़ी। आप कहते हो न कि पीछे लगो काम के लिये, मैं पीछे लगा, उस योजना को बनाकर लाया, आपकी सिफारिश भी करवायी लेकिन आपकी फाइनेंस कमेटी के अन्दर उस योजना को इसलिये फेल कर दिया गया कि उस गांव के अन्दर टयूबवैल में से केवल एक हजार गैलन प्रति घंटा ही पानी आ रहा है। एक साल की मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया। अब कैसे आप 1500 के ऊपर के गांवो को पानी दोगे और क्या करोगे? ये आपके वित्त समिति के अधिकारी हैं, जहां आप बैठते हैं वहां तो स्वीकृति हो जाती है और जहां आप नहीं बैठते हैं वहां इस तरह की छोटी-छोटी गलतियां निकालकर अस्वीकृत हो जाती है।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप तो समझदार आदमी हो, माननीय सदस्य। जहां पानी नहीं हो कुएं में और स्कीम मंजूर कर दें 50 लाख खर्च कर दें, ऐसा डिपार्टमेंट कैसे करेगा?

श्री रमजान खान : एक हजार गैलन प्रति घंटा निकल रहा है, यह टैस्ट किया है आपके पी.एच.ई.डी. ने।

श्री रामसिंह विश्नोई : एक हजार के बाद में कुछ आ जायेगा, फिर बाद में सूख जाएगा। पानी की सम्भावना तो होनी चाहिए कि पानी आगे चलेगा। दो साल, तीन साल चलने की सम्भावना तो होनी चाहिए कम से कम, तब जाकर स्कीम मंजूर की जाती है। ऐसा थोड़े ही है कि पानी नहीं है और कुएं की स्कीम बना दें और पाइप लाइन पर खर्चा हो जाए, ट्यूबवैल पर खर्चा हो जाए। इसको देखकर करना पड़ता है। जो भी अधिकारी हैं, जिम्मेवार आदमी हैं उनको अपनी रिपोर्ट अपने तरीके से देनी पड़ती है। उसकी ड्यूटी बनती है। कल को गलत काम हो जाता है तो उसकी खिंचाई हो जाती है।

श्री रमजान खान : मैं आपसे यहां पर कोई बहस नहीं करना चाहता मगर हकीकत में दो हजार की आबादी है, मंत्री महोदय, और दो हजार की आबादी के लिये एक हजार गैलन प्रति घंट की रफ्तार से ट्यूबवैल पानी देता है और उस योजना को आपकी वित्त समिति कैंसिल करती है, इसके लिये मैं कह रहा हूं। आपको तो यह कहना चाहिए कि इस तरह की अगर कैंसिल हो गयी तो मैं

(श्री रमजान खान)

उसको स्वीकृत कराऊंगा। आप यह तो कह नहीं रहे हो और आप उलटी-उलटी ही सिफारिश कर रहे हो। यह मेरी समझ में नहीं आता है। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि मेरे गांव ककलाना के सब हैण्ड पम्प सूख गये, ट्यूबवैल खुदा हुआ है, एक हजार से ज्यादा गैलन प्रति घंटा वहां आ रहा है। इस योजना को आप स्वीकृत करने का यहां पर मेरे से वायदा करो ताकि इसका काम ठीक हो जाए।

पुष्कर नगर के अन्दर बहुत-सी करीब वन फोर्थ जगह पर सीवरेज लाइन नहीं होने की वजह से गन्दा पानी तीर्थराज पुष्कर सरोवर में जाता है। तीर्थ यात्री आते हैं तो थोड़ा बुरा-सा लगता है। इसलिये अपूर्ण रही हुई सीवरेज योजना को भी आप पूर्ण करवाने का कष्ट करें।

इसके अलावा, शिक्षा विभाग के बारे में थोड़ा-सा मैं कहना चाहूंगा। (व्यवधान) शिक्षा मंत्रीजी बैठे हुए हैं, साढ़े तीन साल आपके राज को हो गये, साढ़े तीन साल के राज के अन्दर मिडल स्कूल क्रमोन्नत हुए, कई सैकण्डरी स्कूल हुए, कई लेन-देन हुए। हर टाइम मैं शिक्षा मंत्रीजी के पास दरखास्त ले जाता हूं कम से कम एक-आधी मिडल स्कूल तो देंगे। हम विपक्ष में बैठते हैं आखिरकार हम भी जनप्रतिनिधि है। मंत्री महोदय इस बात को यह कहकर टाल देते हैं कि...

मोहम्मद माहिर आजाद : हमको तो खूब दी है, साहब।

श्री रमजान खान : नहीं, आपको दी है तो मैं तो मेरी बात कह रहा हूं, आपकी बात नहीं थी। मंत्रीजी यह कहकर टाल देते हैं कि मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछूंगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ विपक्ष को भी दो ताकि इसमें थोड़ी-बहुत सबकी भागीदारी बने। बिलकुल ही अगर आप नजरअन्दाज करके चलोगे तो इस जनतंत्र के अन्दर अच्छा नहीं लगता, मंत्री महोदय। (व्यवधान)

नाबार्ड के अन्दर सड़कें बनाने की एक साल पहले गत विधान सभा सत्र चल रहा था जब हमारी अभिशंसा ली, यह तो आपको धन्यवाद देंगे। सब एम.एल.ए. को आप लोगों ने साथ घेरा है, इसके लिये तो आपको धन्यवाद है, वरना हम सोच रहे थे कि जैसे स्कूल क्रमोन्नत करते हो उस तरह से इसमें भी एम.एल.ए. को पीछे रखोगे। मगर, सभापति महोदय, एक साल हो गया, एक साल पहले हमने गांव वालों को जाकर कह दिया कि आपकी टूटी-फूटी रोड है यह पक्की बन जाएगी। उसके टेंडर भी हो गये, लेन-देन भी हो गये मगर एक-एक ठेकेदार की 10-10 रोड्स ली तो उन रोड्स का अभी तक 31 मार्च आने वाला है।

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, यह कह रहे हैं टेंडर भी हो गया और लेन-देन हो भी गया यह जरा लेन-देन को तो डिफाइन करो, क्या हुआ है ?

श्री रमजान खान : हां, तो लेन-देन तो होता ही है। तो मैं यह अर्ज कर रहा था, सभापति महोदय, कि इन सड़कों का सब कुछ हो गया मगर 31 मार्च, 2001-2002 के साल की सड़कें थी, 50-55 किलोमीटर ये अभी तक हुई नहीं है, और 31 मार्च समाप्त होने

(श्री रमजान खान)

जा रहा है। नये साल जिसके लिए आपने फिर सड़कें ली हैं 55-60 किलोमीटर, वे कब बनेंगी, कब नहीं बनेंगी, उसके लिये मैं नहीं कह रहा हूं। परन्तु वर्तमान में जो आपने ली हैं उनको तो कम से कम चालू करवा दें बरसात के पहले-पहले। मेरा यह निवेदन है कि डामर की सड़कों के और पानी के बैर है, बरसात से पहले पहले यदि सड़कें बन जाती हैं तो उसकी उपयोगिता रहेगी वरना कुछ उपयोगिता नहीं रहेगी। (व्यवधान)

देवीसिंहजी कह रहे हैं बैठ जाओ तो मैं बैठ जाता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री कन्हैया लालजी। (व्यवधान)

श्री रमजान खान : नहीं, पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी ने तो जवाब दिया है। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बस्सी में आधा क्षेत्र चाकसू का आता है। पूरा चाकसू दूदू, बस्सी और फागी ऐसे क्षेत्र हैं जहां 50 परसेंट से ज्यादा पूर्व के लगे हुए हैण्ड पम्प एकदम पानी नीचे चले जाने की वजह से खराब पड़े हुए हैं। मेरा एक तो आपसे निवेदन यह है कि उनका सर्वे करवा कर आप 50 प्रतिशत नहीं दे सके तो कम से कम 25 प्रतिशत हैण्ड पम्प तो नये दे जिससे लोगों को पानी पीने की सुविधा हो सके।

साथ ही मेरा आपसे निवेदन है, माननीय मंत्री महोदय कि मेरे क्षेत्र में आपके विभाग के द्वारा करीब 5 करोड़ रुपये लगाकर फ्लोराइडयुक्त गांवों में पेयजल की स्कीमें चालू की गयीं। चालू करने के दो साल बाद में करीब 6 महीने से या तो कहीं पाइप थोड़ा बहुत टूट गया या कहीं थोड़ी-बहुत बिजली की मशीन जल गयी, ऐसे करके 36 स्कीमें इस समय बन्द पड़ी हैं। इन स्कीमों के मैं आपको नाम गिना सकता हूं जो आज 6 महीने से बन्द पड़ी हैं और बार-बार विभाग को लिखने के बावजूद भी अब तक ठीक नहीं हुई है। मोहनपुरा, दूधली, अरड़ी, धर्मपुरी, बिडक्यावास, रलावता, ठीकर्या, गुजरान, कुशलपुरा, ठीकर्या मीणान, महाराजपुरा ठीकर्या गुजरान पंचायत का, शपथपुरा, केशुपुरा, त्रिलोकपुरा, गढ़ का पाड़ा, महाराजपुरा रामनगर वाला, कुशलपुरा रामनगर वाला, रामचन्द्रपुरा, महेशपुरा, लालगढ़, भटेरी और बिशनपुरा ये इतनी स्कीमें हैं जो 6 महीने से बन्द पड़ी हैं और लोग परेशान हैं। इस समय फसल थी तो कुओं में लोग आस-पड़ोस में खारा पानी पीने के मजबूर थे, खारा पानी लाकर पीते थे। मेरा आपसे निवेदन है कि इन स्कीमों को बहुत जल्दी ठीक कराएं। ये कहते हैं कि स्कीम बनवाएं, एस्टीमेट बनवाएं तो सैक्टर रिफार्म में इनको ठीक कराओ, अगर मशीन भी लानी है तो सैक्टर रिफार्म में पैसा जमा कराओ। अब गांव वाले पैसा जमा कराने में असमर्थ है, सारे लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है। आप वहां सर्वे करवाएं तो अकाल जैसी बहुत बुरी हालत है इन गांवों की। यहां पर फसल का भी आप जाकर देखें तो, मंत्री महोदय, फसल भी आज बिजली के अभाव में उखड़ गयी है, सारी फसल सूख गयी है। इस समय करीब 60 प्रतिशत फसल नष्ट हो गयी है। आपने

(श्री कन्हैया लाल)

गिरदावरी उससे पहले करवाई उस समय लास्ट के अन्दर आपने जो चार घंटे बिजली दी या चार घंटे की जो घोषणा करके आपने बिजली दिलवाई उसकी वजह से जो तैयार फसल है वह सारी की सारी सूख गयी है। इस समय सारे लावणी के काबिल आ गये थे और काश्तकार हाथ पर हाथ धरकर बैठा हुआ है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम जो स्कीमें बन्द पड़ी हैं उनको चालू करवाया जाये।

दूसरा, मेरा माननीय विद्युत मंत्रीजी से निवेदन है कि पेयजल स्कीमों में आप जो लाइट देते हैं जैसे काश्तकार को रात के टाइम में देते हो तो उस समय पी.एचई.डी. का कोई कर्मचारी नहीं होता है जो उस टंकी को भर सके। टंकियां चालू हैं लेकिन पानी उनमें बहुत कम तादाद में पब्लिक को मिलता है, या तो 10 मिनट मिल पाता है या 15 मिनट मिल पाता है। जो बड़ी स्कीमें हैं, जैसे मेरे तूंगा है, बासखो है, कानोता है, इनको अगर एक सैपरेट फीडर दे दिया जाये जिससे इनको कम से कम 8 घंटे बिजली मिले तो ये पानी भर सकते हैं।

तीसरा, मेरा निवेदन है, माननीय विद्युत मंत्रीजी, इस समय बच्चों की परीक्षा है। आपने घोषणा की थी कि मैं रातभर बिजली दूंगा, सिंगल फेस दूंगा। इस समय करीब 50 प्रतिशत काश्तकारों ने अपनी फसल काट ली है और बाकी जो फसल बची है उसका भी कुण्डा हो गया है बिजली नहीं आने के वजह से। मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम सिंगल फेस तो आप 24 घंटे दे दे, गर्मी का टाइम भी है, बच्चों की परीक्षा भी है और आपने बार-बार घोषणा भी की है, कि मैं सिंगल फेस तो हर हालत में दूंगा गांवों के अन्दर। 80 प्रतिशत बालक जो गांवों में रहता है, आज भी वह चिमनी जलाकर पढ़ाई करता है। तो मेरा आपसे निवेदन है, विद्युत मंत्री महोदय कि आप आज कम से कम सिंगल फेस की तो घोषणा करा दें कि यह बच्चों को मिले।

श्री सभापति : प्लीज।

श्री कन्हैयालाल : साथ ही मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में तूंगा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिनमें कुछ हिस्सा लालसोट का मिलता है, जमवारामगढ़ का मिलता है, चाकसू का मिलता है। आपके पास तीन साल से 132 के. बी. जी.एस.एस. प्रस्तावित है। सारी जमीन हमने दिलवा दी लेकिन अभी तक आपने उसको स्वीकृत नहीं किया न आपने अबकी बार इस बजट में प्रावधान किया। मेरा निवेदन है कि इसको भी स्वीकृति कराएं जिससे बहुत ज्यादा फायदा हो जाये। धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापति : माननीय मदनजी दिलावर।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय सभापति महोदय, मैं विनियोग विधेयक पर बोल रहा हूं। पेयजल की समस्या...

श्री देवीलाल बैरवा : ये तो बार-बार ही बोल रहे हैं। पहले बोल गये न, साहब। (व्यवधान)

श्री सभापति : देवीलालजी, बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : पूरे हाड़ौती क्षेत्र में इतना प्रबल पेयजल संकट है कि जिसकी शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते।

श्री देवीलाल बैरवा : पहले इनका संकट मिटा दो।

श्री मदन दिलावर : 80 प्रतिशत हैण्ड पम्प या तो ड्राई हो गये हैं या उनमें पाइप लाइन शार्ट पड़ गयी है या कुछ हैं जो सीजनल हैं। अभी वर्तमान में केवल 20 प्रतिशत हैण्ड पम्प चल रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, तीन साल पहले हम जायें तो प्रति वर्ष यह होता था कि नवम्बर से ही हैण्ड.पम्प का विशेष मरम्मत अभियान चलता था और उसके कारण से फरवरी और मार्च आते-आते ऐसी स्थिति हो जाती थी कि कोई भी हैण्ड पम्प खराब नहीं रहता था या जिसमें पाइप लाइन बढ़ाने की आवश्यकता पड़ जाती थी। लेकिन आज यह स्थिति हो गयी है, मरम्मत का अभियान इन्होंने कहा तो सही कि चालू कर रहे हैं लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक-एक विधान सभा क्षेत्र में किसी में 150 पाइप दिये हैं हैण्ड पम्प ठीक करने के लिये, किसी में 200 दिये गये हैं, किसी में 250 दिये हैं। हाड़ौती में आप जायेंगे तो एवरेज 8 पाइप एक हैण्ड पम्प में लगते हैं। अब एवरेज 8 पाइप लगते हैं तो 150-200 पाइप में कितने हैण्ड पम्प ठीक होंगे, यानि आज कोई पाइप नहीं। किसी गांव में तीन हैण्ड पम्प हैं तो दो को खराब करके उनके पाइप निकालकर एक को चालू करते हैं। किसी में पांच हैं तो सबको निकालकर। जहां जोर-जबरदस्ती लोग करते हैं, इस गांव के सारे पाइप उठाकर उस गांव में ले जाते हैं। ऐसी स्थिति हो गयी है कि अटरू विधान सभा क्षेत्र में लगभग 25 प्रतिशत गांव आज पेयजल के अभाव में जी रहे हैं। कई ऐसे गांव हैं जहां दूरदराज से पानी लाना पड़ रहा है। यही नहीं, सभापति महोदय, जहां हमने एम.एल.ए., एम.पी. कोटा या राज्यसभा सदस्य महोदय से निवेदन करके ट्यूबवैल करवाये

(18.15 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

हैं..... 2-2 साल हो गये हैं, यदि ट्यूबवैल ड्रिल कर दिया, तो उसमें मोटर नहीं डाली गयीं, कहीं मोटर डल गयी तो बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ और बिजली का कनेक्शन हो गया तो उसको कमीशन नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं क्या कारण है कि आज दर्जनों ट्यूबवैल अटरू विधान सभा क्षेत्र में ऐसे हैं जिनको चालू नहीं कर पा रहे हैं। मैं कई बार व्यक्तिशः अधिकारियों से निवेदन कर चुका हूं, पत्र लिख चुका हूं लेकिन नतीजा जीरो साबित हो रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली का भीषण संकट है। आज जहां विद्यार्थी बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, उनको पूरी रात बिजली चाहिए। लेकिन रात को बिजली नहीं मिलने के कारण से बोर्ड की परीक्षा देने वाले बालक इतने भयभीत हैं कि रात को कैसे पढ़ाई करें। कैसे वे परीक्षा देने के लिये जायेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, इसकी चिंता ये नहीं कर रहे हैं। बल्कि हुआ क्या है? कि आडिट के नाम पर हरेक उपभोक्ता में 8 हजार से लेकर 20-20

(श्री मदन दिलावर)

हजार रुपये तक बाकी निकाल दिये हैं। आडिट निकालने वालों को या बिजली विभाग के अधिकारियों को यह पता नहीं है कि पांच साल पहले मेरे घर में एक बल्ब जलता था और दो साल बाद में मैं एक कूलर भी ले आया, मैंने पंखा भी लगा लिया है। उस कूलर-पंखे के समय का जितना बिल आया है उस बिल को आधार मानकर पूरे पांच साल का बिल उसके हिसाब से देकर आडिट के 10-10, 15-15 हजार रुपये निकाल दिये। फिर हमको कहते हैं कि चोर। कहते हैं कि अमुक गांव के ऊपर इतना रुपया बकाया है, अमुक पंचायत समिति पर इतना रुपया बकाया है। करोड़ों रुपया हमारे ऊपर निकालकर हमको चोर साबित कर रहे हैं। हमारे गांव में कनेक्शन काट रहे हैं, हमारे गांव के ट्रांसफार्मर उठा-उठा कर ले जा रहे हैं। यह अन्याय है, यह लोगों के साथ चोरी नहीं, सीनाजोरी भी है। यह सरकार गरीब उपभोक्ताओं को लूटने का जो षड्यंत्र कर रही है इससे छुटकारा दिलाना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई लोगों ने अपने घर के कनेक्शन इसलिये कटवा दिये हैं कि वे एक यूनिट जलाते हैं और 10 यूनिट का पैसा आता है, 10 यूनिट जलाते हैं और 100 यूनिट का पैसा आता है पता नहीं दो साल तक कम आता रहे और तीसरे साल आडिट के नाम पर कितना बिल निकाल देंगे? और फिर हमारे घर की कुर्की करने की धमकी बिजली विभाग देगा कि जिन्होंने बिजली का पैसा जमा नहीं कराया है उनकी हम कुर्की करेंगे। यह सार्वजनिक रूप से हमारा अपमान नहीं है क्या? बिजली विभाग हमें अपमानित करने पर तुला हुआ है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार की अन्नपूर्णा योजना है, अंत्योदय अन्न योजना है। केन्द्र सरकार ने लाखों मीट्रिक टन अनाज राजस्थान को उपलब्ध कराने के लिये आबंटन किया। जहां गरीब लोगों को अन्न उपलब्ध होना चाहिए था, अन्नपूर्णा योजना में इनको जितना भी आबंटन केन्द्र सरकार ने किया है उसका 50 प्रतिशत भी ये नहीं उठा पाये। और तो और जो टार्गेट दिये थे उनका चयन भी नहीं कर पाये हैं। उससे यह हुआ कि जिन गरीब लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए था वे 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग आज केन्द्र सरकार की योजना होते हुए भी, जिसमें इनका कुछ नहीं लगता है, लेकिन इनके अन्न नहीं उठाने के कारण से आज भुखमरी की स्थिति में है और उसका उनको लाभ नहीं मिल पाया है।

यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, सामाजिक उत्थान की योजना थी समाज कल्याण विभाग की उसकी इन्होंने क्या दुर्गति की है? अनुसूचित जाति के लोगों को पी.एम.टी., पी.ई.टी., आई.आई.टी. की कोचिंग के लिये एक-एक लड़के को बीस हजार से लेकर पच्चीस हजार रुपये प्रति वर्ष समाज कल्याण विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराये जाते थे। एक हजार रुपये उसको स्टेशनरी के दिये जाते थे, पांच हजार रुपये महीने के हिसाब से उनको भोजन के दिये जाते थे। उन सारी योजनाओं को बन्द करके अनुसूचित जाति के साथ बड़ा अन्याय इन लोगों ने किया है।

(श्री मदन दिलावर)

आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो धन के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं, ब्रिलिएंट होते हुए भी, विद्वान होते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, यदि पुलिस की हम बात करते हैं, गृह विभाग की बात करते हैं तो स्थिति बड़ी नाजुक है। नाजुक इसलिये है...

श्री उपाध्यक्ष : गृह विभाग की तो डिमाण्ड आएगी, काहे को बोल रहे हो ?

श्री मदन दिलावर : डिमाण्ड भी आएगी, यह भी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज थाने अत्याचार के + + + बन गये हैं, + + + बन गये हैं। गंगापुर की घटना कल की घटित घटना है, उस पर यदि हम विचार करते हैं तो हुआ क्या है, उपाध्यक्ष महोदय ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूलालजी। (व्यवधान) I will not allow. बिराजिये। श्री नाथू लालजी। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूं। That subject is closed.

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, श्री नाथूलालजी। चैप्टर क्लोज्ड है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी लोमहर्षक बातों की जहां चर्चा कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवंत सिंहजी। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादातर माननीय सदस्यों ने पेयजल के सम्बन्ध में बात कही है जिसका उत्तर जलदाय मंत्रीजी अपनी बात में कह चुके हैं। (व्यवधान) अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2002 को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2002 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2002 पारित किया गया। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, अन्याय हो रहा है, + + + बन गये हैं पुलिस के थाने। लोगों पर अत्याचार हो रहा है, गोलियां चलाई जा रही हैं, लोगों को भूना जा रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक सोमवार दिनांक 1 अप्रैल, 2002 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.21 बजे, सोमवार, 1 अप्रैल, 2002 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

परिशिष्ट-1

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

राज्य में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का क्रियान्वयन

124. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) एवं **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त संदर्भ में क्या-क्या प्रयास कब-कब किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्तर्गत कितने-कितने प्रतिशत राशि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा दिये जाने का प्रावधान है तथा कितने राज्यों में कृषि बीमा योजना वर्तमान में लागू है? क्या सरकार योजना का स्वरूप बदलने हेतु प्रयासरत है? यदि हां, तो क्यों व उक्त हेतु कब-कब क्या-क्या प्रयास किये गये?

(3) वर्ष 2000-2001 में कितने स्थानों पर प्राकृतिक मार के कारण फसलें नष्ट हो जाने तथा उसका मूल्यांकन का मुआवजा दिये जाने के प्रकरण सरकार के विचारार्थ आये? उक्त में सरकार ने कितना मुआवजा दिया?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य की विशेष प्राकृतिक एवं आर्थिक स्थिति के मध्यनजर राज्य सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि बीमा योजना हेतु केन्द्र तथा राज्य का व्यय भुगतान क्रमशः 50:50 के स्थान पर क्रमशः 80:20 का रखा जावे। केन्द्र सरकार से जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत केन्द्र तथा राज्य का व्यय 50-50 प्रतिशत वहन करने का प्रावधान है। वर्तमान में देश के 19 राज्यों व 2 केन्द्र शासित प्रदेशों में यह योजना लागू है।

राज्य सरकार उक्त योजना के व्यय में केन्द्र तथा राज्य के वर्तमान 50 : 50 के अनुपात की जगह क्रमशः 80 : 20 के अनुपात में संशोधित करवाने हेतु प्रयासरत है।

(3) वर्ष 2000-2001 में ओलावृष्टि से जिला बाड़मेर के 76 गांवों में 2,080 हैक्टेयर क्षेत्र में फसलों को अनुमानित रुपये 396.97 लाख का नुकसान हुआ। इसी प्रकार जिला झुंझुनूं के भी 7 गांवों में 71 हैक्टेयर क्षेत्र में फसलों को अनुमानित रुपये 4.09 लाख का नुकसान हुआ। इसके लिये निर्धारित मापदण्ड के अनुसार क्रमशः रुपये 13.82 लाख तथा 0.27 लाख की सहायता कृषकों को उपलब्ध कराई गई।

विधान सभा क्षेत्र भादरा का प्रस्तावित ग्रिड सब स्टेशन

125. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र भादरा में 33/11 केवि ग्रिड सब स्टेशन बनाये जाने

(श्री संजीव कुमार)

प्रस्तावित हैं? यदि हां, तो कितने और कौन-कौनसी जगह पर?

(2) क्या सरकार उक्त प्रस्तावित ग्रिड सब स्टेशनों को स्वीकृत करके शीघ्र बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र भादरा के अन्तर्गत गांधी बड़ी गांव में एक 33/11 के.वी. सब स्टेशन बनाने का प्रस्ताव तकनीकी साध्यता जांच हेतु विचाराधीन है।

(2) उक्त प्रस्ताव की तकनीकी व आर्थिक जांच में साध्य पाये जाने पर संसाधनों की उपलब्धतानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

महावीरजी व मेहन्दीपुर बालाजी (करौली) के प्रस्तावित बाइपास

126. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मेहन्दीपुर बालाजी (करौली) में बाइपास के लिये कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कहां से कहां तक, उक्त की वित्तीय स्वीकृति कब तक जारी कर कार्य शुरू कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार मेहन्दीपुर बालाजी से महावीरजी (टोडाभीम) होते हुए बाइपास निकलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त बाइपास पर कब से कार्य शुरू करवा दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ऐसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल को उक्त बाइपास से जोड़ने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह बाइपास राष्ट्रीय राजमार्ग-11 के कि.मी. 131 से टोडाभीम-बालाजी रोड के कि.मी. 4 तक (लम्बाई 4.73 कि.मी.) है। उक्त कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

जिला अजमेर के राष्ट्रीय पारिवारिक सहायता योजना के अन्तर्गत लम्बित आवेदन पत्र

127. **श्री सांवरलाल** (भिनाय) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राष्ट्रीय पारिवारिक सहायता योजना भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से लागू की गई है? यदि हां, तो कब से व योजना क्या है?

(2) क्या अजमेर जिले की विभिन्न पंचायत समिति, नगरपालिकाओं, नगर परिषदों से इस सहायता के लिये आवेदन पत्र प्राप्त हुए?

(3) क्या उक्त आवेदकों को राशि उपलब्ध कराई गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार ऐसे लम्बित आवेदकों को भुगतान कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह योजना 15 अगस्त, 1995 से प्रारम्भ की गई है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 18 से 64 वर्ष की आयु के मुख्य जीविकोपार्जक की प्राकृतिक मृत्यु की दशा में रुपये 5,000, दुर्घटना में मृत्यु की दशा में आश्रित परिवार को रुपये 10,000 की सहायता दी जाती थी। दिनांक 1.8.1998 के बाद से किसी भी प्रकार की मृत्यु की दशा में दस हजार रुपये की आर्थिक सहायता देय है।

(2) जी हां। सूचना परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) जी हां। सूचना परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(4) जी हां। यह एक शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है, जिसके तहत भारत सरकार द्वारा राशि आबंटित की जाती है। भारत सरकार से वांछित राशि प्राप्त होते ही लम्बित आवेदनों को भुगतान कर दिया जावेगा।

परिशिष्ट "क"

क्र. सं.	पं.सं./संस्था	योजना प्रारम्भ से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	भुगतान किये गये प्रार्थियों की संख्या	शेष	विशेष विवरण
1.	प.स.-अराई	195	115	80	राशि के अभाव में भुगतान किया जाना शेष केन्द्र सरकार से दिनांक 18.3.02 को द्वितीय किस्त के 8.03 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं जिन्हें सम्बन्धित को भिजवा दिये गये हैं।
2.	प.स.-भिनाय	238	113	165	
3.	प.स.-जवाजा	200	61	139	
4.	प.स.-केकड़ी	111	75	36	
5.	प.स.-मसूदा	320	170	150	
6.	प.स.-पीसांगन	227	137	90	
7.	प.स.-सिलोरा	82	47	35	
8.	प.स.-श्रीनगर	92	46	46	
9.	न.प., अजमेर	46	46	—	
10.	न.प., ब्यावर	11	6	5	
11.	न.प., केकड़ी	6	6	—	
12.	न.प., किशनगढ़	13	9	4	
13.	न.प., विजयनगर	5	5	—	
14.	न.प., सरवाड़	6	6	—	
15.	न.प., पुष्कर	11	11	—	
16.	न.प., नसीराबाद	—	—	—	
		1603	853	750	

ह०/-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, अजमेर

जिला पाली में ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत निर्मित दुकानों का आबंटन

128. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्रामीण स्वरोजगार के अन्तर्गत पाली जिले में ग्राम पंचायतों द्वारा कुल कितनी दुकानों का निर्माण किया गया? पंचायत समितिवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त प्रकार निर्मित दुकानों का आबंटन सभी स्थानों पर योजना के निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कर दिया गया है? यदि नहीं, तो किन-किन ग्राम पंचायतों में किस-किस स्थान पर दुकानों का आबंटन अभी तक नहीं किया गया है? प्रत्येक ग्राम पंचायतवार आबंटित नहीं की गई दुकानों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन दुकानों का आबंटन अभी तक नहीं हुआ है उसके आबंटन के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) पाली जिले में ग्राम पंचायतों द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत कुल 1384 दुकानों का निर्माण किया गया है। पंचायत समितिवार विवरण निम्नप्रकार है :—

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	निर्मित दुकानों की संख्या
1.	पाली	113
2.	सुमेरपुर	52
3.	रोहट	114
4.	रानी	130
5.	बाली	99
6.	जैतारण	165
7.	मारवाड़ जंक्शन	237
8.	देसूरी	120
9.	सोजत	180
10.	रायपुर	174
	कुल	1384

(2) जी हां।

(3) योजनान्तर्गत निर्मित सभी 1384 दुकानों का आबंटन किया जा चुका है।

प्रभारी चिकित्सक/अधिकारियों की स्थानान्तरण नीति

129. श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार की यह नीति है कि आपूर्ति कार्मिक, भुगतान, अनुज्ञा पत्र, स्टोर आदि से सम्बन्धित प्रभारी चिकित्सक/अधिकारी को तीन वर्ष से अधिक अवधि एक ही स्थान पर नहीं रखा जायेगा और एक बार स्थानान्तरण होने के तीन साल के अन्तराल के बाद ही यदि आवश्यक हो तो वापस पदस्थापित करने का विचार किया जायेगा?

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

(2) क्या उक्त नीति और दिनांक 3.7.2001 के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के परिपत्र का पालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त नीति व चिकित्सा विभाग के परिपत्र दिनांक 3.7.01 की अधिकांशतया पालना की जा रही है किन्तु चिकित्सकों एवं अधिकारियों के रिक्त पदों के कारण तथा अन्य प्रशासनिक कारणों से पूर्ण पालना किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

राजगढ़ (चूरू) के प्रस्तावित ग्रिड सब स्टेशन

130. **श्री नन्दलाल पूनिया** (सादुलपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या तहसील राजगढ़ (चूरू) में 33/11 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन नये बनाने प्रस्तावित हैं? यदि हां, तो कब तक बना दिये जावेंगे और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। तहसील राजगढ़ (चूरू) के ग्राम बेवड में 33 के.वी. सब स्टेशन बनाना स्वीकृत हैं। इस सब स्टेशन के वार्षिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि के आधार पर निर्माण की कार्यवाही की जावेगी।

विधान सभा क्षेत्र दीगोद में सड़क मरम्मत

131. **श्री हेमन्त कुमार** (दीगोद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र दीगोद में विधायक की अनुशंसित सड़क मरम्मत कार्य अभी तक भी प्रारम्भ नहीं किये गये हैं?

(2) क्या सरकार उक्त मरम्मत कार्य कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कार्य कब तक प्रारम्भ करवा दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं, विधान सभा क्षेत्र दीगोद में विधायक अनुशंसा पर स्वीकृत 13 सड़कों में से 3 सड़कों का कार्य प्रगति पर है, 5 सड़कों के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं तथा 5 सड़कों की निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है।

(2) जी हां, उक्त कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवा दिये जावेंगे, विवरण प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

प्रपत्र "अ"

विधान सभा क्षेत्र दीगोद में विधायक की अनुशांसित कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा सड़क मरम्मत कार्यों की सूची

क्र. सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी. में)	स्वीकृत राशि (लाखों में)	कार्य की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	बड़ौद से बूढादीत	6.00	22.50	कार्य प्रारम्भ
2.	सम्पर्क सड़क कोटड़ी दीपसिंह	3.00	9.00	कार्य प्रारम्भ
3.	सुल्तानपुर से मण्डावरा सड़क	5.00	18.75	कार्य प्रारम्भ
4.	सम्पर्क सड़क मोरपा	2.00	6.00	कार्य आदेश जारी
5.	मण्डावरा से नीमोदा सड़क (उजाड़)	4.00	13.60	कार्य आदेश जारी
6.	दीगोद से नीमोदा	3.00	10.20	कार्य आदेश जारी
7.	कोटा लाडपुरा सांगोद छबड़ा सड़क	8.00	26.00	कार्य आदेश जारी
8.	देवली आंवा से केनवास सड़क	3.00	10.20	कार्य आदेश जारी
9.	अडूसा से बालाजी की धाक	2.00	6.80	पुनः निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है।
10.	सम्पर्क सड़क मण्डाप	1.00	3.40	पुनः निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है।
11.	देवली से घाटी सड़क	3.00	11.25	पुनः निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है।
	योग	40.00	137.70	

विधान सभा क्षेत्र दीगोद में विधायक की अनुशांसित सा.नि.वि. सड़क मरम्मत कार्यों की सूची

1	2	3	4	5
1.	दरा से कनवास सड़क कि.मी. 1 से 3,11,12,15	6.00	20.40	पुनः निविदा कार्य प्रगति पर है।
2.	दरा कनवास सांगोद व पावर सड़क कि.मी. 4,5,6,13	4.00	13.60	पुनः निविदा प्रगति पर है।
	योग	10.00	34.00	

सीमलवाड़ा (बासंवाड़ा) में संचालित अवैध आश्रम छात्रावास

132. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बांसवाड़ा में कितने आश्रम छात्रावास जनजाति विकास निगम द्वारा संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति-कुशलगढ़ के ग्राम पंचायत-टिमेड़ा बड़ा के नाम उक्त आश्रम छात्रावास स्वीकृत हुआ था?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त गांव टिमेड़ा बड़ा ग्राम पंचायत-टिमेड़ा बड़ा में कोई आश्रम छात्रावास नहीं है?

(4) क्या सरकार द्वारा स्वीकृत आश्रम छात्रावास उक्त गांव टिमेड़ा बड़ा ग्राम पंचायत-टिमेड़ा बड़ा में नहीं खोलकर किसी अन्य स्थान पर या सीमलवाड़ा ग्राम पंचायत-बड़ी सरवा में आश्रम छात्रावास खोला गया? यदि हां, तो स्वीकृत स्थान पर आश्रम छात्रावास क्यों नहीं खोला गया तथा किसके द्वारा इस प्रकार का फेरबदल किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार सिमला वाड़ा बड़ी सरवा में फर्जी आश्रम छात्रावास चलाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(6) क्या सरकार गांव टिमेड़ा बड़ा ग्राम पंचायत-टिमेड़ा बड़ा, पंचायत समिति-कुशलगढ़ में आश्रम छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में जनजाति विकास निगम द्वारा कोई छात्रावास संचालित नहीं किया जा रहा है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा बांसवाड़ा जिले में कुल 31 आश्रम छात्रावास संचालित है। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का टिमेड़ा बड़ा में कोई आश्रम छात्रावास नहीं चल रहा है।

(4) टिमेड़ा बड़ा में विभाग द्वारा कोई आश्रम छात्रावास स्वीकृत नहीं किया है।

(5) फर्जी आश्रम छात्रावास के संचालन की कोई शिकायत/जानकारी प्राप्त नहीं होने से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(6) टिमेड़ा बड़ा में वर्तमान में आश्रम छात्रावास खोले जाने का कोई विचार नहीं है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर इस सम्बन्ध में विचार किया जावेगा।

जिला बांसवाड़ा में जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित आश्रम छात्रावासों की सूची

क्र. सं.	पंचायत समिति		आश्रम छात्रावास का नाम
1	2		3
1.	गढ़ी	1.	गढ़ी
		2.	सरेरीबड़ी
		3.	जौलाना (छात्रा)
2.	कुशलगढ़	4.	रामगढ़
		5.	हिमलाबड़ा
		6.	कुशलगढ़
		7.	छोटीसरवा
3.	पीपलखूंट	8.	छोटी सरवन
		9.	घोड़ी तेजपुर
		10.	पीपलखूंट
		11.	घण्टाली
		12.	कालिंजरा
4.	बागीदौरा	13.	गांगड़तलाई
		14.	बडोदिया
		15.	सल्लोपाट
5.	तलवाड़ा	16.	आबापुरा
		17.	खेडाबडलीपाड़ा
		18.	माहीडैम
		19.	तलवाड़ा
		20.	प्रतिभावान छात्रावास, बांसवाड़ा
		21.	बांसवाड़ा (मुख्या) छात्रा
		22.	कूपड़ा
6.	आनन्दपुरी	23.	आनन्दपुरी (छात्रा)
		24.	आनन्दपुरी
7.	घाटोल	25.	रूपजी का खेड़ा
		26.	नरवाली
		27.	पड़ोली राठौड़
8.	सज्जनगढ़	28.	कसारवाड़ी
		29.	ताम्बेसरा
		30.	छोटा डूगरा
		31.	लोधा (खेल)

विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में सांसद/विधायक कोटे से स्वीकृत राशि का उपयोग

133. **श्री रमजान खान** (पुष्कर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में सांसद एवं विधायक स्थानीय विकास कार्यक्रम के तहत अब तक कुल कितनी राशि स्वीकृत हो चुकी है ? कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों पर अलग-अलग कार्यकारी एजेन्सियों के माध्यम से किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई और स्वीकृत राशि में से कितनी राशि शेष रही ? कार्यवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या शेष रही राशि सम्बन्धित एजेन्सियों द्वारा जिला ग्रामीण विकास

(श्री रमजान खान)

अभिकरण, अजमेर को लौटा दी है? यदि हां, तो कुल कितनी राशि लौटाई गई और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पुष्कर क्षेत्रान्तर्गत अब तक सांसद स्थानीय विकास कार्यक्रम में 252.22 लाख रुपये की लागत राशि के 161 कार्य तथा विधायक स्थानीय विकास कार्यक्रम में 125.62 लाख रुपये की लागत राशि के 167 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। कार्यवार विवरण क्रमशः परिशिष्ट-1 एवं 2 पर अवलोकनीय है।

(2) उक्त कार्यों के लिए स्वीकृत राशि, कार्यों पर किए गए व्यय तथा शेष राशि का कार्यकारी एजेन्सीवार तथा कार्यवार विस्तृत विवरण सम्बन्धित कार्य के सम्मुख परिशिष्ट-1 एवं 2 पर अवलोकनीय है।

(3) जी नहीं। सम्बन्धित एजेन्सियों द्वारा अवशेष राशि नहीं लौटाई गई है। अवशेष राशि वर्तमान में प्रगतिरत कार्यों पर व्यय की जा रही है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष योजना के विचाराधीन प्रस्ताव

134. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष की स्थापना की गई हैं? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या उक्त योजना का लाभ और ज्यादा लोगों को मिले इसके लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो प्रारूप की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1998-99 से।

(2) जी नहीं।

जिला नागौर के अरंडी जी-4 बीज की जांच

135. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में वर्ष 2000 व 2001 के दौरान कहां-कहां पर कितनी भूमि में अरंडी जी-4 का बीज बोया गया? सूची विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति-रियांबड़ी (नागौर) के कई किसानों ने अरंडी जी-4 बीज उत्पादन किया था? यदि हां, तो कुल कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त आरंडी बीज का एस.टी.एल., दुर्गापुरा में जांच की गई थी? यदि हां, तो उक्त जांच की क्या रिपोर्ट थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

(4) क्या यह सही है कि उक्त जांच रिपोर्ट के आ जाने के बाद उक्त किसानों ने रिग्रेडिंग के लिये आवेदन किया था? यदि हां, तो रिग्रेडिंग क्यों नहीं किया गया?

(5) क्या यह भी सही है कि शिवगंज इकाई में रिग्रेडिंग किया गया था परन्तु तबीजी इकाई में नहीं किया गया? क्या उक्त इकाई में भी रिग्रेडिंग किया जावेगा?

उत्तर

(1) जिला नागौर में वर्ष 2000 में केवल राजस्थान राज्य बीज निगम के अरंडी जी-4 का बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया था जिसमें 165 एकड़ क्षेत्र में बीज बोया गया था, जिसकी सूची विवरण सहित परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। वर्ष 2001 खरीफ में नागौर जिले में किसी बीज उत्पादन संस्था ने अरंडी जी-4 का प्रमाणित बीज कार्यक्रम नागौर जिले में नहीं लिया।

(2) जी हां। पंचायत समिति-रियांबड़ी मे 16 काश्तकारों ने उक्त कार्यक्रम के तहत अरंडी जी-4 के बीज उत्पादन किया था। जिसके तहत कुल 528.96 क्विंटल रॉ बीज उत्पादित किया गया। इसमें से 240.55 क्विंटल मानक स्तर का पाया गया। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

(3) जी हां। उक्त उत्पादित बीज की बीज परीक्षण प्रयोगशाला दुर्गापुरा से जांच करवाई गई। इस जांच का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(4) निगम को कुल 14 किसानों से अरंडी जी-4 का "रॉ" बीज प्राप्त हुआ। जिसके 21 लॉट बनाये गये। इनमें से 10 लॉट समस्त मापदण्डों के अनुसार मानक घोषित होने पर स्वीकार किये गये। 7 (सात) लॉट जी.ओ.टी. में अवमानक पाये गये एवं नियमानुसार इनकी रिग्रेडिंग करने का प्रश्न ही नहीं उठता। 2 (दो) लॉट अंकुरण प्रतिशत में अवमानक पाये गये, जिनकी भी प्राप्त काफी कम अंकुरण क्षमता को देखते हुए रिग्रेडिंग करने का औचित्य नहीं था। शेष दो लॉट, जो जी.ओ.टी. में मानक पाये गये एवं एस.टी.एल. रिपोर्ट के अनुसार भौतिक शुद्धता के कारण अवमानक पाये गये, की रिग्रेडिंग करवाई जाकर पुनः एस.टी.एल., दुर्गापुरा से जांच करवाई, जिसमें यह लॉट मानक पाये गये। इन दोनों लॉट्स का बीज स्वीकार कर सम्बन्धित किसानों को नियमानुसार भुगतान कर दिया गया है।

(5) जी नहीं। तबीजी इकाई में खरीफ 2000-2001 के प्राप्त अरंडी जी-4 के शेष बीजों के लॉट्स जो अवमानक पाये गये हैं की रिग्रेडिंग नहीं करवाना प्रस्तावित है।

नागौर जिले में खरीफ 2000 में लिये गये अरंडी जी-4 बीज उत्पादन कार्यक्रम का विवरण

परिशिष्ट-1

(क्षेत्र एकड़ में, मात्रा क्विंटल में)

क्र. सं.	किसान का नाम	गांव	पंचायत	दिये गये आधार बीज के लॉट नम्बर		बोया गया क्षेत्र	निरस्त क्षेत्र	प्रमाणित क्षेत्र	प्राप्त बीज का लॉट नम्बर	प्राप्त रॉ बीज की मात्रा	रॉ बीज प्राप्ति दिनांक	प्राप्त रॉ बीज विधायन तिथि	विधायीत बीज की मात्रा	जी. ओ. टी. परिणाम		एस.टी.एह. परिणाम		एस.टी.एल. जांच की तिथि
				नर	मादा									मानक	अवमानक	मानक	अवमानक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	श्री बन्नेसिंह	आलनियावास	रियांबड़ी	मार्च 99-20-07-01	मार्च 00-20-03-67	10	—	10	मार्च 01-20-03-114	40	17.4.01	2.07.01	36.40	मानक	—	मानक	—	6.08.01
2.	श्री यज्ञनारायण सिंह	आलनियावास	रियांबड़ी	मार्च 99-20-07-01	मार्च 00-20-03-67	15	—	15	मार्च 01-20-03-113	31.10	17.4.01	1.07.01	26.60	मानक	—	मानक	—	31.7.01
									मार्च 01-20-03-115	30.90	18.4.01	4.7.01	26.60	मानक	—	मानक	—	31.7.01
3.	श्री राजेन्द्र सिंह	आलनियावास	रियांबड़ी	मार्च 99-20-07-01	मार्च 00-20-03-67	10	—	10	मार्च 01-20-03-112	37.3	18.4.01	30.6.01	26.35	मानक	—	मानक	अवमानक (भौतिक शुद्धता)	31.7.01
									पुनः विधायन		29.2.02							1.02.02
4.	श्री उगमाराम	मेडास	रियांबड़ी	मार्च 00-20-03-66	मार्च 00-20-03-67	30	22	8	मार्च 01-20-03-101	42	21.4.01	18.6.01	35	मानक	—	मानक	—	18.7.01
5.	श्री सिद्धार्थ सिंह	कोड	रियांबड़ी	मार्च 00-20-03-66	मार्च 00-20-03-67	5	—	5	मार्च 01-20-03-103	22.18	21.4.01	21.6.01	18.90 क्विं.	मानक	—	—	अवमानक (अंकुरण)	24.7.01
6.	श्री हरलाल	कोड	रियांबड़ी	मार्च 00-20-03-66	मार्च 00-20-03-67	20	4.50	15.50	मार्च 01-20-03-104	53.09	17.4.01	23.06.01	46.80	—	अवमानक	—	अवमानक (अंकुरण)	2.8.01
									मार्च 01-20-03-105	30.80	17.4.01	24.6.01	26.60	—	अवमानक	—	अवमानक (अंकुरण)	2.8.01
7.	श्री कैलाश जोशी	कोड	रियांबड़ी	मार्च 00-20-03-66	मार्च 00-20-03-67	5	—	5	मार्च 01-20-03-102	19.60	17.4.01	20.6.01	17.50	मानक	—	मानक		18.7.01
8.	श्री जगजीत सिंह	बीजांथल	रियांबड़ी	मार्च 00-20-03-65	मार्च 00-20-03-67	7	—	7	मार्च 01-20-03-111	39.90	23.4.01	28.6.01	37.10	मानक	—	मानक	—	18.7.01
9.	श्री कप्तान सिंह	बीजांथल	रियांबड़ी	मार्च 00-20-03-65	मार्च 00-20-03-67	7	3	4	मार्च 01-20-03-119	14	23.4.01	9.07.01	11.90 क्विं.	मानक	—	मानक	—	3.08.01
10.	श्री सुरेश	मथानिया	रियांबड़ी	मार्च 00-20-03-65	मार्च 00-20-03-67	13	—	13	मार्च 01-20-03-97	54.60	19.4.01	11.6.01	49	—	अवमानक	—	अवमानक (भौतिक शुद्धता)	18.7.01
									----- 98	21.70	19.4.01	12.6.01	19.50	—	अवमानक	—	—"—	5.07.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11.	श्री मोतीराम	लाडवा	रियांबड़ी	मार्च 00- 20-03-66	मार्च 00- 20-03-67	5	5	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	श्री रवि शर्मा	मोडीकला	रियांबड़ी	मार्च 00- 20-03-65	मार्च 00- 20-03-67	10	—	10	---------------99	30.80	21.4.01	13.6.01	27.84 क्विं.	मानक	—	—	अवमानक (अंकुरण)	16.7.01
									-------------100	11.90	21.4.01	16.6.01	11.20 क्विं.	मानक	—	मानक	—	5.7.01
13.	श्री तुलसीराम	कोड	रियांबड़ी	मार्च 00- 20-03-65	मार्च 00- 20-03-67	4	—	4	------------106	8.40	17.4.01	26.6.01	7.70 क्विं.	—	अवमानक	मानक	—	31.7.01
									------------107	10	17.4.01	26.6.01	9.10 क्विं.	मानक	—	मानक	—	30.7.01
14.	श्री भंवर लाल	लाडपुरा	रियांबड़ी	मार्च 00- 20-03-65,66	मार्च 00- 20-03-67	9	—	9	-------------108	3.50	17.4.01	27.6.01	2.80 क्विं	मानक	—	मानक	—	18.7.01
									-------------109	18.79	17.4.01	27.6.01	18.20	—	अवमानक	मानक	—	18.7.01
									------------110	8.40 क्विं	17.4.01	28.6.01	7.70 क्विं	—	अवमानक	मानक	—	18.7.01
15.	श्री हेमाराम	थावला	रियांबड़ी	मार्च 00- 20-03-65	मार्च 00- 20-03-65,67	2	2	—		0								
16.	श्री सूरज करण	बड़ायली	रियांबड़ी	मार्च 00- 20-03-65	मार्च 00- 20-03-67	8	8	—		0								
	पं. समिति रियांबड़ी	योग				160	44.5	115.5		528.96			462.89					
17.	श्री रंगाराम	बायड़	मेड़ता	मार्च 00- 20-03-65	मार्च 00- 20-03-67	5		5	---------------96	5.52	15.5.01	8.06.01	4.67 क्विं.	मानक			अवमानक (भौतिक शुद्धता)	5.07.01
									पुनः विधायन			29.01.02				मानक		1.02.02
				नागौर जिला कुल योग		165	44.5	120.5		534.48			467.56			कुल मानक मात्रा 245.22 क्विंटल		
																कुल अवमानक मात्रा 222.34 क्विंटल		
															कुल योग	467.56 क्विंटल		

नोट : लॉट नम्बर 96 एवं 112 भौतिक शुद्धता में अवमानक थे का पुनः विधायन किया गया जिसे एस.टी.एल., दुर्गापुरा द्वारा मानक घोषित किया गया है।

जिला जैसलमेर का बन्द रामगढ़ विद्युत उत्पादन केन्द्र

136. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जैसलमेर के गैस आधारित रामगढ़ विद्युत उत्पादन केन्द्र में खराबी के क्या कारण हैं? क्या गत चार-पांच माह से उत्पादन बन्द है?

(2) उक्त उत्पादन केन्द्र के बन्द होने से कितनी हानि हुई? क्या उसका आकलन किया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त खराबी की कोई जांच करवाई गई? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त उत्पादन केन्द्र के बन्द होने से गैस अॅथारिटी को आयल इण्डिया तथा आयल एण्ड नेचुरल गैस एजेन्सी के गैस कुंए बन्द करने पड़े जिन्हें पुनः चालू करने में लम्बा समय लगेगा?

(5) रामगढ़ गैस आधारित विद्युत उत्पादन की दूसरी व तीसरी टर्बाइन कब चालू होगी?

(6) क्या राज्य सरकार व उत्पादन निगम उक्त केन्द्र को 160 मेगावाट उत्पादन जैसा करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) रामगढ़ विद्युत गृह (जिला जैसलमेर) दिनांक 29.10.2001 की दोपहर करीब 1.40 बजे तक सामान्य परिस्थितियों में लगभग 30 मेगावाट अचानक आई खराबी के कारण बन्द हो गया। निरीक्षण करने पर पाया गया कि गैस टर्बाइन के इनलेट बर्डगार्ड का एक टुकड़ा अकस्मात टूटकर कम्प्रैशर में चला गया जिससे गैस टर्बाइन का कम्प्रैशर क्षतिग्रस्त हो गया।

मरम्मत कार्य हेतु विशेषज्ञ तत्काल बुलाये गये तथा उनकी सलाह पर मशीन को खोलकर मरम्मत हेतु भारत हैवी इलैक्ट्रिक, हैदराबाद भेजा गया, जहां मरम्मत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा सुधरा हुआ टर्बाइन, हैदराबाद से 8.3.2002 को रवाना किया जा चुका है। इसके 15 दिन में रामगढ़ पहुंचने की सम्भावना थी किन्तु गुजरात राज्य में विपरीत परिस्थितियों के कारण इसका मार्ग बदलकर मध्यप्रदेश-राजस्थान करना पड़ा है। मार्ग में भारी यातायात के कारण टर्बाइन के रामगढ़ पहुंचने में कुछ अधिक समय लगने की सम्भावना है। दिनांक 21.3.2002 तक यह चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) तक पहुंच चुका है तथा इसका मार्च, 2002 के अन्त तक रामगढ़ पहुंचने की सम्भावना है। टर्बाइन के संयत्र स्थल पर पहुंचने पर उत्पादन शीघ्रातिशीघ्र पुनः प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

(2) उत्पादन केन्द्र के बन्द होने से हुई हानि का पूर्ण आकलन किया जा रहा है।

(3) उपरोक्त खराबी के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है तथा मुख्य अभियन्ता (एस.टी.पी.एस.निर्माण) सूरतगढ़ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

(ऊर्जा मंत्री)

(4) गैस की आवश्यकता होने पर बन्द कुओं से गैस प्राप्त करने में अधिक समय लगने की सम्भावना नहीं है।

(5) रामगढ़ गैस आधारित बिजली घर में दूसरी तथा तीसरी टर्बाइन का निर्माण कार्य चल रहा है तथा दूसरी इकाई अप्रैल/मई-2002 तथा तीसरी इकाई दिसम्बर, 2002 तक चालू किये जाने के पूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं।

(6) दूसरी इकाई तथा तीसरी इकाई के चालू होने पर स्टेशन की कुल क्षमता 110 मेगावाट हो जायेगी। फिलहाल पर्याप्त तथा गुणवत्ता वाली गैस उपलब्ध नहीं होने से 160 मेगावाट के उत्पादन की योजना नहीं है। गैस उपलब्ध होने पर पुनः विचार किया जा सकता है।

चन्द्रा एवं सूर्या कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा सड़क निर्माण हेतु डामर की खरीद

137. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सड़क निर्माण में लगी हुई कम्पनियों/ठेकेदारों को डामर खरीद की रसीद/बिल/सी.आर.सी. विभाग को प्रस्तुत करनी होती है? यदि हां, तो चन्द्रा एवं सूर्या कंस्ट्रक्शन कम्पनी ने दिनांक 1-4-1998 से 28 फरवरी, 2002 तक कौन-कौनसी सड़क हेतु डामर खरीद की पर्ची/रसीद व सी.आर.सी. विभाग को प्रस्तुत की है? सड़कवार प्रस्तुत बिल/रसीद की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कम्पनी द्वारा उक्त अवधि में सड़क निर्माण के लिये कितनी-कितनी डामर किस-किस सड़क के लिये कौन-कौनसी कम्पनी से खरीदी है? सड़कवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या स्वीकृत सड़कों में डामर उपयोग की पर्ची/रसीद या सी.आर.सी. की प्रति उक्त कम्पनियों ने विभाग को प्रस्तुत की है? यदि हां, तो सड़कवार पर्ची/रसीद या सी.आर.सी. की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या डामर उपयोग की सी.आर.सी./पर्ची/रसीद का भौतिक सत्यापन फील्ड अधिकारियों द्वारा किया जाता है? यदि हां, तो फील्ड अधिकारी द्वारा सड़कवार डामर सत्यापन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। क्योंकि ऐसा करना अनुबंध के नियमों के अनुसार नहीं है।

(2) सड़कवार सूची परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(3) डामर उपयोग की कोई पर्ची/रसीद/सी.आर.सी. नहीं होती है।

(4) जी नहीं। डामर उपयोग का सत्यापन डामर के उपयोग हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुसार किया जाता है, विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला डूंगरपुर के भवन रहित छात्रावास

138. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री नाथूराम अहारी)

(1) जिला डूंगरपुर में कितने छात्रावास हैं ?

(2) उक्त छात्रावासों में कितने-कितने छात्र हैं ? उक्त छात्रों को क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं ?

(3) क्या यह सही है कि कई छात्रावासों के भवन नहीं हैं ? यदि हां, तो किन-किन छात्रावासों के ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार भवन रहित छात्रावासों के भवन बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) क्या यह सही है कि कई छात्रावासों में मात्र 25 छात्र स्वीकृत हैं ? क्या सरकार उक्त छात्रावासों में संख्या बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला डूंगरपुर में 23 राजकीय एवं 4 अनुदानित कुल 27 छात्रावास संचालित है।

(2) जिले में संचालित राजकीय छात्रावासों में 1132 एवं अनुदानित छात्रावासों में 240 छात्र रह रहे हैं। कुल छात्र संख्या 1372 है। छात्रावासवार छात्रों की संख्या परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। समस्त छात्रावासों में निर्धारित सुविधाओं में भोजन, नाश्ता, कपड़े, जूते, मौजे, बाल कटिंग, तौलिया, स्वेटर, विशेष मीठा भोजन, तेल, साबुन, एवं अन्य आवासीय सुविधाएं जिसमें पलंग, बिस्तर, बर्तन आदि सुविधाएं निःशुल्क दी जा रही हैं।

(3) हां। जिले के कई छात्रावासों के भवन नहीं हैं, ऐसे 11 छात्रावास किराये के भवन में संचालित है। एक छात्रावास टीएडी क्वार्टर में संचालित है। किराये के भवन में संचालित छात्रावासों की सूची संलग्न है, जो परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(4) जी नहीं।

(5) यह सही नहीं हैं, कई छात्रावासों में वर्ष 2000-2001 तक 25 छात्र स्वीकृत थे जिसे सरकार द्वारा वर्ष 2001-02 में ही 10-10 छात्र प्रति छात्रावास बढ़ाकर 35 छात्र कर दिये गये हैं। अब और छात्र संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट "अ"

डूंगरपुर जिले में विभाग द्वारा संचालित छात्रावास एवं छात्र संख्या सूची

क्र.सं.	छात्रावास का नाम	योजना	स्वीकृत छात्र सं.	प्रवेशित छात्र सं.
1	2	3	4	5
1.	राज. अम्बेडकर छात्रावास, सागवाड़ा	अनु.जनजाति	130	117
2.	राज. अम्बेडकर छात्रावास, भासौर	अनु.जनजाति	75	75
3.	राज. अम्बेडकर छात्रावास, चीखली	अनु.जनजाति	90	80
4.	राज. अम्बेडकर छात्रावास, साबला	अनु.जनजाति	80	79

1	2	3	4	5
5.	राज. अम्बेडकर छात्रावास, बनकोड़ा	अनु.जनजाति	70	56
6.	राज. अम्बेडकर छात्रावास, डूंगरसारग	अनु.जनजाति	70	60
7.	राज. अम्बेडकर छात्रावास, खड़लई	अनु.जनजाति	60	60
8.	राज. अम्बेडकर छात्रावास, कुआं	अनु.जनजाति	55	55
9.	राज. अम्बेडकर छात्रावास, बोखलापाल	अनु.जनजाति	35	25
10.	राज. अम्बेडकर छात्रावास, डूंगरपुर	अनु.जनजाति	35	35
11.	राज. सावित्री बाई फुले छात्रावास, सागवाड़ा	अनु.जनजाति	80	70
12.	राज. सावित्री बाई फुले छात्रावास, बुचियावाड़ा	अनु.जनजाति	35	35
13.	राज. सावित्री बाई फुले छात्रावास, चीखली	अनु.जनजाति	35	35
14.	राज. अम्बेडकर छात्रावास, विकासनगर	अनु.जनजाति	35	35
15.	राज. अम्बेडकर छात्रावास, सीमलवाड़ा	अनु.जनजाति	35	35
16.	राज. अम्बेडकर छात्रावास, गैंजी	अनु.जनजाति	35	35
17.	राज. अम्बेडकर छात्रावास, ओबरी	अनु.जनजाति	35	35
18.	राज. अम्बेडकर छात्रावास, सरोदा	अनु.जनजाति	35	35
19.	राज. सावित्री बाई फुले छात्रावास, भीलूड़ा	अनु.जनजाति	35	35
20.	राज. सावित्री बाई फुले छात्रावास, बिछीवाड़ा	अनु.जनजाति	45	35
21.	राज. सावित्री बाई फुले छात्रावास, साबला	अनु.जनजाति	35	35
22.	राज. सावित्री बाई फुले छात्रावास, पूनाली	अनु.जनजाति	35	35
23.	राज. सावित्री बाई फुले छात्रावास, डूंगरपुर	स्वच्छकार	35	35
24.	अनुदानित गोवर्द्धन विद्या विहार, खड़गदा	अनु.जनजाति	100	100
25.	अनुदानित नूतन बापा गांधी आश्रम, डूंगरपुर	अनु.जनजाति	45	45
26.	अनुदानित कस्तूरबा कन्या छात्रावास, डूंगरपुर	अनु.जनजाति	45	45
27.	अनुदानित आदिवासी पुनर्वास कालोनी, डूंगरपुर	अनु.जनजाति	50	50
	योग		1450	1372

जिला डूंगरपुर में किराये के भवनों में संचालित छात्रावासों की सूची

1. राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, भामौरा
2. राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, चिखली
3. राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बनकोड़ा
4. राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कुंआ
5. राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बौखलापाल
6. राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, डूंगरपुर
7. राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, विकास नगर
8. राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, गैंजी
9. राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, ओबरी
10. राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सहरोदा
11. राजकीय सावित्री बाई फुले छात्रावास, डूंगरपुर

टी.ए.डी. क्वार्टस में संचालित छात्रावास

1. राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सीमलवाड़ा

कोटा सम्भाग में समानीकरण योजना के अन्तर्गत शिक्षकों का समायोजन

139. श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र अटरू, मनोहरथाना, हिण्डौली व नैनवां के राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या कितनी है व किस-किस विद्यालय में कितने-कितने अध्यापक होने चाहिए थे तथा कितना पद स्वीकृत हैं और कितने पद भरे व कितने-कितने किस-किस विषय के रिक्त हैं? क्षेत्रवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विद्यालयों में समानीकरण योजना के तहत शिक्षकों को समायोजित किया गया था? यदि हां, तो समानीकरण योजना के अनुसार कितने-कितने शिक्षक कितने विद्यालयों में थे? क्या उक्त समानीकरण के कारण अध्यापकों को हटाकर लगाया था? क्या समानीकरण करने के बाद भी कुछ शिक्षकों का स्थानान्तरण वहां से अन्यत्र कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र अटरू, मनोहरथाना, हिण्डौली एवं नैनवां के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या 1,03,352 है। प्रा.वि/उप्रावि. में विषयवार अध्यापक स्वीकृत नहीं होते। स्वीकृत, भरे और रिक्त पदों का क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) सत्र 2001-2002 में शिक्षकों का समानीकरण न कर शिक्षण व्यवस्थार्थ शिक्षक लगाये गये हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला अलवर में सिन्थेटिक दूध की जांच

140. श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला अलवर में क्या सिन्थेटिक्स दूध बनाये जाने की शिकायत मिली है? यदि हां, तो संख्या सहित उसका विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री जगत सिंह दायमा)

(2) गत तीन वर्षों में सिन्थेटिक्स दूध बनाने के कितने सैम्पल भरे गये और उक्त में कितनों का चालान पेश हुआ तथा कौन-कौन के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां, जिला अलवर में सिन्थेटिक दूध बनाये जाने की वर्ष 1999 से 2001 तक कुल 4 शिकायतें समाचार पत्रों एवं स्थानीय व्यक्तियों के माध्यम से प्राप्त हुई है।

जिला अलवर में उक्त शिकायतों पर कार्यवाही करते हुए नियमित रूप से अभियान चलाकर दूध के नमूने संग्रहित किये गये लेकिन किसी भी नमूने में सिन्थेटिक दूध घोषित नहीं किया गया।

(2) गत तीन वर्षों में अलवर जिले में सिन्थेटिक दूध बनाये जाने के सम्बन्ध में नमूने लेकर परीक्षण कराये जाने पर पूर्ण रूप से सिन्थेटिक दूध का कोई मामला नहीं मिला परन्तु दूध के सात सैम्पलों में मिलावटी केमिकल जैसे यूरिया, सोडा, वेजिटेबल तेल जिनका उपयोग सिन्थेटिक दूध बनाने में हो सकता है, पाये गये। जिसकी संख्या का विवरण निम्नप्रकार है :—

वर्ष	दूध के लिए गये नमूनों की संख्या	अन्य कारणों से मिलावटी पाये गये नमूनों की संख्या
1999	181	44
2000	113	25
2001	66	4

अन्य कारणों से मिलावटी पाये गये सभी नमूनों में दोषी विक्रेताओं के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये जा चुके हैं। जिसकी सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट "अ"

गत तीन वर्षों में अन्य कारणों से दूध में मिलावटी पाये गये नमूनों के दोषी विक्रेताओं की सूची जिनके विरूद्ध चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये जा चुके हैं :—

वर्ष-1999

क्र.सं.	नाम एवं पता
1	2

1. श्री लालजी मीणा पुत्र श्री रामकिशन मीणा, निवासी केरवाड़ी, पंचायत उमैरन (अलवर) बी-2282
2. साबदीन पुत्र इमरत खां, शीतल का बास, ग्रा.प. बुटियाना निवासी नसोपुर ग्रा.प. खुटेटाकला, रामगढ़ (अलवर) 2321
3. श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री प्रभुदयाल गुप्ता, एम/एस रघुवीर डेयरी, बड़ोदामेव बस स्टेण्ड (अलवर) 2322
4. श्री साहुन खां पुत्र श्री दलभेर खां, एम/एस जमशेर डेयरी, बड़ोदामेव (अलवर) 2323
5. श्री मिसरू खां पुत्र श्री मिंगी, निवासी इमरती का बास, ग्रा.प. जाडला, तहसील कठूमर।
6. श्री मुकेश गर्ग पुत्र श्री रोहीताश गर्ग, निवासी झिरका फिरोजपुर, जिला-गुडगावां (हरियाणा) टैंकर बी-2329

जिला डूंगरपुर में किराये के भवनों में संचालित छात्रावासों की सूची

1. राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, भामौरा
2. राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, चिखली
3. राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बनकोड़ा
4. राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कुंआ
5. राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बौखलापाल
6. राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, डूंगरपुर
7. राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, विकास नगर
8. राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, गैंजी
9. राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, ओबरी
10. राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सहरोदा
11. राजकीय सावित्री बाई फुले छात्रावास, डूंगरपुर

टी.ए.डी. क्वार्टस में संचालित छात्रावास

1. राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सीमलवाड़ा

कोटा सम्भाग में समानीकरण योजना के अन्तर्गत शिक्षकों का समायोजन

139. श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र अटरू, मनोहरथाना, हिण्डौली व नैनवां के राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या कितनी है व किस-किस विद्यालय में कितने-कितने अध्यापक होने चाहिए थे तथा कितना पद स्वीकृत हैं और कितने पद भरे व कितने-कितने किस-किस विषय के रिक्त हैं ? क्षेत्रवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विद्यालयों में समानीकरण योजना के तहत शिक्षकों को समायोजित किया गया था ? यदि हां, तो समानीकरण योजना के अनुसार कितने-कितने शिक्षक कितने विद्यालयों में थे ? क्या उक्त समानीकरण के कारण अध्यापकों को हटाकर लगाया था ? क्या समानीकरण करने के बाद भी कुछ शिक्षकों का स्थानान्तरण वहां से अन्यत्र कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र अटरू, मनोहरथाना, हिण्डौली एवं नैनवां के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या 1,03,352 है। प्रावि/उप्रावि. में विषयवार अध्यापक स्वीकृत नहीं होते। स्वीकृत, भरे और रिक्त पदों का क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) सत्र 2001-2002 में शिक्षकों का समानीकरण न कर शिक्षण व्यवस्थार्थ शिक्षक लगाये गये हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला अलवर में सिन्थेटिक दूध की जांच

140. श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला अलवर में क्या सिन्थेटिक्स दूध बनाये जाने की शिकायत मिली है ? यदि हां, तो संख्या सहित उसका विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री जगत सिंह दायमा)

(2) गत तीन वर्षों में सिन्थेटिक्स दूध बनाने के कितने सैम्पल भरे गये और उक्त में कितनों का चालान पेश हुआ तथा कौन-कौन के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां, जिला अलवर में सिन्थेटिक दूध बनाये जाने की वर्ष 1999 से 2001 तक कुल 4 शिकायतें समाचार पत्रों एवं स्थानीय व्यक्तियों के माध्यम से प्राप्त हुई है।

जिला अलवर में उक्त शिकायतों पर कार्यवाही करते हुए नियमित रूप से अभियान चलाकर दूध के नमूने संग्रहित किये गये लेकिन किसी भी नमूने में सिन्थेटिक दूध घोषित नहीं किया गया।

(2) गत तीन वर्षों में अलवर जिले में सिन्थेटिक दूध बनाये जाने के सम्बन्ध में नमूने लेकर परीक्षण कराये जाने पर पूर्ण रूप से सिन्थेटिक दूध का कोई मामला नहीं मिला परन्तु दूध के सात सैम्पलों में मिलावटी केमिकल जैसे यूरिया, सोडा, वेजिटेबल तेल जिनका उपयोग सिन्थेटिक दूध बनाने में हो सकता है, पाये गये। जिसकी संख्या का विवरण निम्नप्रकार है :—

वर्ष	दूध के लिए गये नमूनों की संख्या	अन्य कारणों से मिलावटी पाये गये नमूनों की संख्या
1999	181	44
2000	113	25
2001	66	4

अन्य कारणों से मिलावटी पाये गये सभी नमूनों में दोषी विक्रेताओं के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये जा चुके हैं। जिसकी सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट "अ"

गत तीन वर्षों में अन्य कारणों से दूध में मिलावटी पाये गये नमूनों के दोषी विक्रेताओं की सूची जिनके विरुद्ध चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये जा चुके हैं :—

वर्ष-1999

क्र.सं.	नाम एवं पता
1	2

1. श्री लालजी मीणा पुत्र श्री रामकिशन मीणा, निवासी केरवाड़ी, पंचायत उमैरन (अलवर) बी-2282
2. साबदीन पुत्र इमरत खां, शीतल का बास, ग्रा.प. बुटियाना निवासी नसोपुर ग्रा.प. खुटेटाकला, रामगढ़ (अलवर) 2321
3. श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री प्रभुदयाल गुप्ता, एम/एस रघुवीर डेयरी, बड़ोदामेव बस स्टेण्ड (अलवर) 2322
4. श्री साहुन खां पुत्र श्री दलभेर खां, एम/एस जमशेर डेयरी, बड़ोदामेव (अलवर) 2323
5. श्री मिसरू खां पुत्र श्री मिंगी, निवासी इमरती का बास, ग्रा.प. जाडला, तहसील कठूमर।
6. श्री मुकेश गर्ग पुत्र श्री रोहीताश गर्ग, निवासी झिरका फिरोजपुर, जिला-गुडगावां (हरियाणा) टैंकर बी-2329

1	2
7.	श्री हरबीर सिंह पुत्र श्री हरमान सिंह गुर्जर, निवासी अमनपुरा, शकावाली (तिजारा) बी-2284
8.	श्री नारायण पुत्र श्री छितिरिया रामजी-सोमवंशी, चायपप्पु (अलवर) बी-3738
9.	श्री प्रभुदयाल पुत्र श्री पान्चूराम सैनी, निवासी गोविन्दगढ़, त. लक्ष्मणगढ़ बी-1674
10.	मुबीद पुत्र निजामुज्जीदीन मेव, निवासी जोधडा, फीरोजपुर (हरियाणा) विक्रय-मालाखेड़ा बी-1675
11.	श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री रोहीताश कुमार अग्रवाल, निवासी फिरोजपुर झिरका विक्रय स्थल- मालाखेड़ा (अलवर) बी-1676
12.	श्री प्रेम कुमार शर्मा पुत्र श्री रामप्रताप शर्मा, दूध संकलन केन्द्र, कोठीनारायणपुर अलवर, ग्राम कारोड (अलई-अलवर) बी-2333
13.	श्री दीनू पुत्र श्री मुल्लू, जाति मेव, चीडवा का बास, प. चीडवा रामगढ़, (अलवर) बी-2334
14.	श्री मोहन लाल पुत्र श्री कपूर चन्द गुप्ता, निवासी कामां (भरतपुर) हाल अमित डेयरी के सामने, राजगढ़ 2316
15.	श्री सैयद पुत्र श्री आसीन मेव, ग्राम पलखड़ी पी. एस. अलवर बी-229
16.	श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री भगवान सहाय शर्मा, उप प्रबंधक, सहकारी डेयरी, अलवर बी-2290
17.	श्री सरीफ खां पुत्र श्री रूछार खां मेव, निवासी बरवाड़ा, त. अलवर बी 2409

1	2
18.	श्री कैलाश चन्द्र पुत्र श्री नारायण लाल, निवासी धोबीगट्टा, अलवर बी-2339
19.	श्री महिपाल पुत्र श्री सुलतान यादव, निवासी त. तिजारा (अलवर) वि.स.शेखपुर बी. 2381
20.	श्री सुरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री हरसाय शर्मा, ग्राम बड़ागांव सैथला पी.एस. एमआईए, अलवर बी-2293
21.	श्री रोहिताश पुत्र श्री भजन लाल सैनी, कटोरी वाला कुआं, अलवर ई.ई. 3814
22.	श्री रमेश सैनी पुत्र श्री चोथमल सैनी, अलवर ईई3861
23.	इस्माइल खां पुत्र हरिया खां निवासी मलखां का बास, गांव ओदरा, ग्रा.प. मावा, अलवर बी1075
24.	श्री आशू पुत्र श्री गामी मेव, निवासी पावटी, तिजारा बी. 2384
25.	जाकिर पुत्र छोटू मेव, निवासी सिरमेवी, अलवर बी-1028
26.	राजजीत खांन पुत्र अर्जुन खान, भूत का बास पोस्ट खुडियाना, कठूमर, (अलवर) बी-2318
27.	ताहिर पुत्र इस्माइल जाति मेव, निवासी आधा का थाना, तिजारा, (अलवर) बी-2469
28.	रहमान पुत्र सोबत मेव, निवासी खालदा, त. तिजारा बी-2392
29.	श्री हेमेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री रघुनाथ सैनी, शिवाजी पार्क, अलवर बी-2415
30.	खुर्शिव पुत्र दीना मेव निवासी-ढाकपुरी (तिजारा) बी-2394

1	2
31.	रूकमुद्दीन पुत्र श्री पहलू खां, ग्राम तहडरडा, किशनगढ़ (अलवर) बी-2425
32.	श्री प्रेम पुत्र श्री कनीराम निवासी टोडीली (रामगढ़) बी-2430
33.	कपला पुत्र छुट्टन खां जाति मेव निवासी घासोली, त. किशनगढ़ (अलवर) बी2431
34.	शरीफ पुत्र अमीन खां मेव, निवासी डावरीखाना, रामगढ़ बी-2435
35.	सिराजू पुत्र कासम निवासी करमाला थाना, रामगढ़ (अलवर) बी-2436
36.	आसम पुत्र घन्मन मेव निवासी चौगा, रामगढ़ (अलवर) बी-2472
37.	अयुब पुत्र रसूल खां मेव निवासी खानपुर मेवान, त. किशनगढ़ बी-2439
38.	पप्पल पुत्र शुक्ता मेव निवासी नागालिया, किशनगढ़ (अलवर) बी-2440
39.	श्री राधेश्याम सैनी पुत्र श्री रामधन सैनी भेरू की ढाणी (प्रतापगढ़), अलवर बी.1568
40.	रहमू पुत्र इस्माइल जाति मेव निवासी खेड़ाकरगाली, रामगढ़ (अलवर) बी. 2474
41.	नासिर/अमर सिंह मेव निवासी हमीर आदा, त. तिजारा (अलवर) बी2579
42.	पप्पू पुत्र सूबे खां मेव निवासी खरखड़ा, तिजारा (अलवर) बी2580
43.	श्री रामसहाय पुत्र श्री मीनाराम यादव, मु.पो. खरखड़ा, (बहरोड़) अलवर बी2437
44.	रहमत पुत्र जुम्मे खां जाति मेव निवासी ओडेला थाना, रामगढ़ (अलवर)

वर्ष 2000

1	2
1.	श्री कैलाश पुत्र श्री रामदयाल गुर्जर, निवासी बलरामपुर, तहसील रामगढ़ (अलवर) बी-2608
2.	श्री हाजरदीन उर्फ जाकर पुत्र श्री हसमल मेव, निवासी चीडवा (रामगढ़) बी-2480
3.	श्री मामचन्द पुत्र श्री हरदेव जाटया, निवासी रब्बाका, थाना रामगढ़ बी-2481
4.	श्री मुनीर खां पुत्र श्री कीटु खां, महुवा (झालाखेडा) बी-2528
5.	श्री ताहिर पुत्र श्री अजमत मेव, निवासी हसनपुर माकी, तह. तिजारा (अलवर) बी-2588
6.	श्री फतेह मोहम्मद पुत्र श्री रूखांर खां, जाति मेव, निवासी शेखपुर (रामगढ़) बी-2484
7.	श्री सिरदार पुत्र श्री छोटयना मेव, निवासी अमनपुर, तिजारा, अलवर बी-2592
8.	श्री जितेन्द्र सैनी पुत्र श्री पांचू सैनी, निवासी प्रधानवाली दानी, नारायणपुर बी-1576
9.	श्री महेश यादव पुत्र श्री रामलाल यादव, कोलाहेड़ा (थानागाजी) अलवर बी-1574
10.	श्री सईद पुत्र श्री सुमेर खां मेव, निवासी पडासला, तह. किशनगढ़ बी-2617

1	2
11.	श्री मन्दरूप खां पुत्र श्री सम्पत खां मेव निवासी ढाडा, एमआई.ए., अलवर 2534
12.	श्री रहमत पुत्र श्री लीला मेव निवासी माजरा पीपली, मुण्डाना, अलवर 2596
13.	श्री रामकरण पुत्र श्री रामजीलाल गुर्जर निवासी बलदेवपुरा प्रा. माधोगढ़, अलवर बी-2630
14.	श्री रामफल पुत्र श्री मातादीन गुर्जर निवासी बालाडहरा, प. शाहपुरा, अलवर 2637
15.	श्री सगरू खां पुत्र श्री रहमत खां मेव निवासी नगली जामावत, अलवर बी-2639
16.	श्री जुहरू खां पुत्र श्री धूपी खां जाति मेव निवासी भितल का वास, अलवर बी-2663
17.	श्री सुभान पुत्र श्री सफेदा मेव निवासी कोरला का बास, चन्दीगढ़ (अलवर) बी-2670
18.	श्री मनोहर लाल पुत्र श्री ग्यारसीराम जाति बलाई, निजामनगर, थाना लक्ष्मणगढ़, अलवर-2704
19.	श्री मुकेश चन्द पुत्र श्री पूरनमल अग्रवाल निवासी मसारी, कठूमर दूधडेयरी बी-2696
20.	श्री जैन खां पुत्र श्री हिम्मत जाति शकरावाली, निवासी खरथला, पं. चडिवा, रामगढ़, (अलवर) बी 2705
21.	श्री दीनमोहम्मद पुत्र श्री सम्मन मेव, निवासी नगला टप्पा, रामगढ़ (अलवर)
22.	श्री ओम सिंह पुत्र श्री रामफल जाति सैनी निवासी मुन्डला, झिरका फिरोजपुर
23.	श्री हीरा यादव पुत्र श्री बिहारी लाल यादव, निवासी तुलेडा, अलवर बी-2714
24.	श्री कमला उर्फ कालूराम पुत्र श्री रघुवीर निवासी लपाला हाजीपुर के पास, पं. ढहरा, अलवर बी-2815
25.	श्री रसीद पुत्र श्री घीसाराम मेव, निवासी जागीर का टोली, अलवर बी-2820

वर्ष-2001

1.	श्री कालू पुत्र श्री अमर सिंह गुर्जर, निवासी उमरैन, तह. व जिला अलवर 2827
2.	श्री श्याम लाल पुत्र श्री राजाराम, श्री अशोक कुमार पुत्र श्री राजाराम, मौ. श्योपुरा, स्तीका कुआ, अलवर
3.	श्री हाकम पुत्र श्री असरफ मेव निवासी गोजपुर (लक्ष्मणगढ़), अलवर
4.	चांद सिंह पुत्र श्री न्याजी मेव निवासी मुरेडा, पं. सालपुर, थाना मालाखेड़ा, अलवर

जल ग्रहण विकास योजना में अनियमितता

141. श्री मदन लाल वर्मा (डग) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भू-संरक्षण विभाग में वाटर शैड योजना के तहत स्वीकृत पदों से अधिक व्यक्तियों की भर्ती गत वर्षों में कर ली गई थी ? क्या उक्त के भुगतान के लिये गत वर्ष में अतिरिक्त राशि आबंटित

(श्री मदन लाल वर्मा)

करते समय माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि इसके लिए जिम्मेदारी तय की जावे? उक्त आदेशों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अब उक्त प्रकरण में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। पूर्व में स्वीकृत बाह्य सहायता परियोजनाओं के बंद होने के कारण हुए अधिशेष कर्मचारियों एवं राष्ट्रीय जलग्रहण विकास परियोजना में 10 प्रतिशत से अधिक हुए संस्थापन व्यय के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उक्त निर्देश दिये थे। माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देश अनुसार अधिक हुए व्यय के कारणों का विश्लेषण किया गया जिसकी समीक्षा वित्त विभाग द्वारा की गई। वित्त विभाग द्वारा परीक्षण करने पर पाया कि अतिरिक्त हुए संस्थापन व्यय का मुख्य कारण भारत सरकार द्वारा राज्य को पूर्व में इंगित राशि से काफी कम राशि आबंटित करने एवं पांचवें वेतन आयोग पश्चात् वेतन आदि में हुई वृद्धि मुख्य कारण थे।

(2) अतिरिक्त हुए व्यय के लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया है।

लखेर (जयपुर) का प्रस्तावित ग्रिड सब स्टेशन

142. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवा-रामगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के ग्राम चन्दवाजी में स्थित 11/33 के.वी. के ग्रिड सब स्टेशन में 30 किलोमीटर दूर कुण्डा (आमेर) से बिजली दी जाती है? यदि हां, तो बिजली की छीजत और किसानों को पूरा वोल्टेज नहीं मिलने की शिकायत को दूर करने के लिये विद्युत निगम द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि विद्युत निगम द्वारा 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन बनाने के लिये लखेर (चन्दवाजी) में निगम द्वारा प्रस्तावित भूमि का अवाप्ति प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है? यदि हां, तो कब और अब तक प्रस्ताव स्वीकार न होने का क्या कारण रहा?

(3) क्या उक्त क्षेत्र के किसानों की समस्या का समाधान करने के लिये राज्य सरकार/विद्युत निगम प्रस्तावित 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन को लखेर (चन्दवाजी) में बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के अन्तर्गत ग्राम चन्दवाजी में स्थित 33/11 के.वी. सब स्टेशन को 30 कि.मी. दूर 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन कुण्डा की ढाणी, आमेर से विद्युत आपूर्ति की जाती है। 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन कुण्डा की ढाणी से चन्दवाजी 33 के.वी. लाइन से दो ब्लॉक में सप्लाई देने पर लाइन के वोल्टेज रेग्यूलेशन 16.07 प्रतिशत थे। दिनांक 17.11.2001 को 33 के.वी. सब स्टेशन ढण्ड

(ऊर्जा मंत्री)

को 220 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन कूकस से नई 33 के.वी. लाइन खींचकर चन्दवाजी लाइन से अलग कर दिया गया है तथा सप्लाई भी दो ब्लॉक की जगह तीन ब्लॉक मे दी जा रही है, इससे वोल्टेज रेग्यूलेशन दस प्रतिशत हो गये हैं। 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन शाहपुरा से मनोहरपुरा तक एक नई 33 के.वी. लाइन खेंची गई है एवं चन्दवाजी को 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन शाहपुरा से विद्युत आपूर्ति होने पर वोल्टेज रेग्यूलेशन 2.26 प्रतिशत हो जावेंगे तथा विद्युत छीजत व कम वोल्टेज की समस्या का निराकरण हो जायेगा।

(2) जी हां। निगम द्वारा प्रस्तावित ग्राम लखेर (चन्दवाजी) में भूमि के आबंटन की स्वीकृति हेतु जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा प्रस्ताव माह अक्टूबर, 2001 में शासन उप सचिव, राजस्व ग्रुप-3, जयपुर को भेज दिया गया है। स्वीकृति अभी तक अपेक्षित है।

(3) मामला विचाराधीन है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के चयनित ग्राम

143. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत एक हजार की आबादी के ग्रामों/ढाणियों को सड़क से जोड़ा जा रहा है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में कितने ग्रामों का चयन किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में ग्रामों/ढाणियों का चयन कर सड़कों के प्रस्ताव तैयार कर भागों में बांटा गया है? यदि हां, तो भागों में बांटने का क्या प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही हैं कि प्रत्येक विधान सभा की चयनित सड़कों में से एक न एक सड़क को प्रथम फेस में लिया गया? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र धौलपुर की एक भी सड़क को प्रथम फेस में क्यों नहीं लिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में 5 ग्रामों का चयन प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत डामर सड़क से जोड़ने के लिये किया गया है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। भागों में बाटने का आधार जनसंख्या है जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

भाग	विवरण
प्रथम फेज	ग्राम जिनकी 2001 की अनुमानित आबादी 1386 या अधिक है।
द्वितीय फेज	ग्राम जिनकी आबादी 1176 या अधिक एवं 1386 से कम हो।
तृतीय फेज	ग्राम जिनकी आबादी 1076 या अधिक एवं 1176 से कम हो।
चतुर्थ फेज	ग्राम जिनकी आबादी 1000 या अधिक एवं 1076 से कम हो।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) जी नहीं। क्योंकि सड़कों को चयनित करने का आधार जनसंख्या है। अतः प्रथम फेज में जो भी ग्राम जिनकी 2001 की अनुमानित आबादी 1386 व अधिक उनको ही फेज-I में चयनित किया है। धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रथम फेज के प्रस्ताव 1386 जनसंख्या (2001 की अनुमानित) अथवा इससे अधिक का कोई भी गांव नहीं है। जो किसी प्रकार से सड़क से जुड़ा हुआ नहीं हो अथवा पूर्व में चल रहे कार्यों में सम्मिलित नहीं हो। अतः फेज प्रथम में धौलपुर विधान सभा क्षेत्र का किसी भी गांव का चयन नहीं हुआ।

परिशिष्ट "अ"

धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में 1000 (2001 की अनुमानित) व अधिक की जनसंख्या के गांव जिनका चयन सड़क से जोड़ने के लिये किया गया है

क्र.सं.	जोड़े जाने वाले गांव का नाम व 2001 की अनुमानित जनसंख्या	कहां से	सड़क की लंबाई	अनुमानित लागत
1.	चौड़ा खेड़ा (1328)	तासीमों तेहरी सड़क से	1.18 किमी.	16.49 लाख
2.	डींगरपुर (1314)	धौलपुर राजा खेडा सड़क से	1.96 किमी.	21.22 लाख
3.	चांदपुरा (1096)	धौलपुर सरनी खेडा सड़क से	1.75 किमी.	24.00 लाख
4.	भगीरथपुरा (1078)	धौलपुर से पाऊ सड़क से	0.6 किमी.	5.40 लाख
5.	धीमरी (1009)	धौलपुर सरनी खेड़ा सड़क से	1.50 किमी.	17.70 लाख

समाज कल्याण छात्रावास, लाडनूं का नये भवन में स्थानान्तरण

144. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला समाज कल्याण अधिकारी, नागौर की सिफारिश पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नागौर ने राजकीय समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास लाडनूं के लिये पांच लाख रुपये की लागत से छात्रावास भवन बनाया है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या उक्त छात्रावास आज भी किराये के मकान में चल रहा है? यदि हां, तो क्यों तथा कितना किराया दिया जा रहा है?

(3) क्या यह भी सही है कि मकान मालिक से की गई मिलीभगत के कारण छात्रावास किराये के भवन में चलाया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो अभी तक छात्रावास का नये भवन में स्थानान्तरण क्यों नहीं किया गया?

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा बनाया गया भवन इतने लम्बे समय तक लावारिस पड़ा रहने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है? यदि हां, तो क्यों? विभाग ने सार सम्भाल क्यों नहीं की और इसके लिये कौन जिम्मेदार हैं?

(5) क्या सरकार उक्त सम्बन्ध में बरती गई लापरवाही के लिये किसी को दोषी मान कर कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो किसके विरुद्ध क्या और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, समाज कल्याण अधिकारी, नागौर की सिफारिश पर जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, डी.आर.डी.ए., नागौर द्वारा निर्बंध योजनान्तर्गत वर्ष 1994-95 में राजकीय विमुक्त जाति छात्रावास, लाडनूं ने भवन निर्माण हेतु 5.00 लाख रुपये की स्वीकृति जारी कर भवन निर्माण कार्य करवाया गया।

(2) हां, उक्त राजकीय विमुक्त जाति छात्रावास, लाडनूं किराये के भवन में संचालित हैं क्योंकि भवन अपूर्ण एवं अपर्याप्त होने के कारण विभाग द्वारा पंचायत समिति-लाडनूं से अधिग्रहण नहीं किया गया। भवन किराया 2309 रुपये प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जा रहा है।

(3) जी नहीं। यह बिलकुल निराधार है जबकि इस छात्रावास की स्वीकृत छात्र संख्या 60 है, जो भवन निर्माण किया गया उसमें दरवाजे, खिड़कियां, शौचालय के दरवाजे टूटे हुए थे और भवन की छत से बरसात के दिनों में पानी टपकना, बाउण्डरीवाल नहीं होने के कारण भवन पंचायत समिति से अधिग्रहण नहीं किया। ऐसी स्थिति में भवन 60 छात्रों के लिये उपयुक्त नहीं है। अधिग्रहण नहीं करने के कारण छात्रावास का स्थानान्तरण नहीं किया गया।

(4) विभाग द्वारा पं. स.-लाडनूं से अधिग्रहण नहीं किये जाने के कारण विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं रही। ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा सार-सम्भाल किया जाना सम्भव नहीं था। पं.स. द्वारा भवन निर्माण किये जाने से भवन अब तक उनके कब्जे में ही है।

(5) वर्तमान में भवन पंचायत समिति-लाडनूं के कब्जे में है। इसलिये भवन की सार-सम्भाल का जिम्मा भी पंचायत समिति-लाडनूं का ही है। भवन की स्थिति के बारे में विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती।

जिला बाड़मेर व जैसलमेर की भवन विहीन राजीव गांधी पाठशालाएं

145. **श्री अमीन खान** (शिव) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं बिना भवन के कितनी हैं? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में कितनी राजीव गांधी पाठशालाएं भवन विहीन हैं? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त भवन विहीन पाठशालाओं के भवन कौन से मद से बनाए जायेंगे? सरकार उक्त भवन कब तक बनाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राज्य में 4464 राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाऐं बिना भवन के हैं। जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में 371 राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं भवन विहीन है। पंचायत समितिवार सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(3) विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं में उपलब्ध बजट के अनुसार भवन निर्माण करवाये जा सकेंगे।

(पंचायती राज मंत्री)

क्र.सं.	जिला	भवन रहित रा.गा.पा. की संख्या	जिला	पं.स.	जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर में भवन रहित रा.गा.पा. की संख्या
1.	अजमेर	003	1. बाड़मेर	1. बाड़मेर	60
2.	भीलवाड़ा	172		2. चौहटन	22
3.	नागौर	474		3. शिव	16
4.	टोंक	100		4. धोरीमन्ना	56
5.	जयपुर	209		5. बालोतरा	41
6.	सीकर	005		6. सिवाना	23
7.	दौसा	123		7. सिणधरी	73
8.	भरतपुर	007		8. बायतू	04
9.	अलवर	045	2. जैसलमेर	1. जैसलमेर	20
10.	धौलपुर	136		2. सम	08
11.	कोटा	056		3. सांकड़ा	48
12.	बारां	094			
13.	झालावाड़	161			
14.	बूंदी	183			
15.	स.माधोपुर	144			
16.	करौली	117			
17.	उदयपुर	281			
18.	बांसवाड़ा	424			
19.	डूंगरपुर	306			
20.	राजसंमद	024			
21.	चितौड़गढ़	116			
22.	जोधपुर	476			
23.	जैसलमेर	076			
24.	बाड़मेर	295			
25.	पाली	005			
26.	जालौर	161			
27.	सिरोही	044			
28.	बीकानेर	130			
29.	श्रीगंगानगर	024			
30.	हनुमानगढ़	065			
31.	चूरू	004			
32.	झुन्झुनूं	004			
	योग	**4464**			

राजस्थान मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, जयपुर का गबन प्रकरण

146. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी, जयपुर में लाखों रुपये के गबन का मामला प्रकाश में आया यदि हां, तो कब ?

(2) क्या उक्त गबन से सम्बन्धित लेखों की आडिट/जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो कब और किससे तथा उसमें किन-किन को गबन के लिये दोषी पाया गया था और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या उक्त सोसाइटी में हुए गबन व अन्य वित्तीय अनियमितताओं का महालेखाकार द्वारा अंकेक्षण किया गया ? यदि हां, तो महालेखाकार की रिपोर्ट के अनुसार अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) हां, यह सही है कि सेन्ट्रल कैश कलेक्शन सेंटर, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में कार्यरत इस महाविद्यालय के वरिष्ठ लिपिक श्री रामसिंह राजपूत द्वारा किया गया गबन दिनांक : 6.1.2000 को प्रकाश में आया।

(2) जी हां, गबन से सम्बन्धित लेखों की चार माह की अवधि का अंकेक्षण महालेखाकार के जांच दल द्वारा जनवरी, 2001 में की गयी है। जांच रिपोर्ट में श्री रामसिंह राजपूत, वरिष्ठ लिपिक को दोषी पाया गया है। शेष अवधि की जांच एम.आर.एस. ने अपने स्तर से पूर्ण कर ली है। दोषी कर्मचारी श्री रामसिंह राजपूत, वरिष्ठ लिपिक के विरुद्ध पुलिस में दिनांक : 6.1.2000 को एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी। पुलिस द्वारा श्री राजपूत को दिनांक : 13.3.2000 को गिरफ्तार किया गया एवं दिनांक : 14.3.2000 को जे.सी. में भेज दिया गया। दिनांक : 16.3.2000 को न्यायालय जमानत मुचलके पर रिहा किया गया। तफ्तीश जारी है। श्री राजपूत को दिनांक : 29.3.2000 को निलम्बन कर दिया गया है। श्री राजपूत की जमानत रद्ध कराने एवं चल अचल सम्पत्ति कुर्क कराने की कार्यवाही करने हेतु राज्य सरकार ने निर्देश प्रदान कर दिये हैं।

(3) जी हां। महालेखाकार, के सुझावानुसार श्री रामसिंह राजपूत, वरिष्ठ लिपिक के रोकड़ संग्रहण की अवधि दि. 1.9.1997 से 9.10.1999 तक की जांच पूर्ण करा ली गयी है, जिसकी प्रति थानाधिकारी मोती डूंगरी को उपलब्ध करा दी गई है। जिस पर अग्रिम कार्यवाही पुलिस द्वारा की जा रही है।

जिला बाड़मेर में फसल बीमा योजना

147. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार जिला बाड़मेर को फसल बीमा योजना में सम्मिलित किये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ?

उत्तर

फसल बीमा योजना अभी राज्य के किसी भी जिले में लागू नहीं है।

नई चक आबादियों का विद्युतीकरण

148. श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विद्युत वितरण निगम ने वर्ष 2001-2002 में नई आबादियों को विद्युतीकृत किया है? यदि हां, तो जिलेवार विद्युतीकृत आबादियों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त वितरण निगम ने वर्ष 2002-2003 में नई आबादियों को विद्युतीकृत करने के लिये चिन्हित किया है? यदि हां, तो उक्त की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वितरण निगम हरीजन आबादियों को वरीयता के आधार पर विद्युतीकृत करने की योजना बना रही है? यदि हां, तो ऐसी चिन्हित की गई आबादियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या निगम शत-प्रतिशत आबादियों को विद्युतीकृत करने की योजना बना रहा है? यदि हां, तो कब तक?

(5) शत-प्रतिशत विद्युतीकृत करने पर कुल कितना व्यय होगा? क्या इसका आंकलन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2001-2002 में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 500 ग्रामों (नई आबादियों) को विद्युतीकरण किया जाने का लक्ष्य रखा गया था जिसके सापेक्ष माह फरवरी, 2002 तक 231 ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है जिसका जिलेवार विवरण परिशिष्ट "अ" में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। फिलहाल वर्ष 2002-03 का ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम अभी तय नहीं किया गया है।

(3) जी हां। प्रतिवर्ष राज्य सरकार द्वारा हरिजन बस्तियों के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जाता है जिसका चयन वरीयता के आधार पर समाज कल्याण विभाग, सरपंच एवं सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाता है। वर्ष 2001-02 में विद्युतीकृत हरिजन बस्तियों का विवरण परिशिष्ट "ब" में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) जी हां। दसवीं पंचवर्षीय योजना तक सभी साध्य पाये जाने वाले ग्रामों को विद्युतीकृत किये जाने का प्रस्ताव है।

(5) औसतन एक ग्राम को विद्युतीकृत करने में लगभग 6 से 7 लाख रुपये का खर्चा बैठता है एवं इसमें उस समय प्रचलित दरों के अनुसार परिवर्तन होता रहता है जो वार्षिक लक्ष्य वित्तीय एवं संसाधनों की उपलब्धता इत्यादि पर निर्भर रहता है।

परिशिष्ट "अ"

वर्ष 2001-2002 के दौरान विद्युतीकृत ग्रामों की जिलेवार संख्या सूची

क्र.सं.	जिला	विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या
1	2	3
(अ)	जयपुर डिस्काम	
1.	अलवर	0
2.	बारां	2
3.	भरतपुर	10
4.	बूंदी	0
5.	दौसा	0
6.	धौलपुर	9
7.	जयपुर	0
8.	झालावाड़	14
9.	कोटा	2
10.	सवाईमाधोपुर	0
11.	टोंक	5
12.	करौली	4
	योग (अ)	46
(ब)	अजमेर डिस्काम	
1.	अजमेर	0
2.	बांसवाड़ा	19
3.	भीलवाड़ा	0
4.	चित्तौड़गढ़	15
5.	डूंगरपुर	0
6.	झुंझूनूं	0
7.	राजसमन्द	0
8.	सीकर	0
9.	उदयपुर	31
10.	नागौर	0
	योग (ब)	65
(स)	जोधपुर डिस्काम	
1.	बाड़मेर	13
2.	बीकानेर	0
3.	चूरू	4
4.	जैसलमेर	13
5.	जालौर	4
6.	जोधपुर	0
7.	हनुमानगढ़	54
8.	पाली	0
9.	सिरोही	0
10.	श्रीगंगानगर	32
	योग (स)	120
	कुल योग (अ+ब+स)	231

परिशिष्ट "ब"

वर्ष 2001-2002 के दौरान माह फरवरी 2002 तक विद्युतीकृत हरिजन बस्तियों की संख्या सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	विद्युतीकृत हरिजन बस्तियों की संख्या
1	2	3
(अ)	जयपुर डिस्काम	
1.	अलवर	4
2.	बारां	1
3.	भरतपुर	4
4.	बूंदी	2
5.	दौसा	1
6.	धौलपुर	2
7.	जयपुर	4
8.	झालावाड़	1
9.	कोटा	2
10.	सवाईमाधोपुर	3
11.	टोंक	3
12.	करौली	3
	योग	30

1	2	3
(ब) अजमेर डिस्काम		
1.	अजमेर	0
2.	बांसवाड़ा	0
3.	भीलवाड़ा	0
4.	चित्तौड़गढ़	3
5.	डूंगरपुर	0
6.	झुंझुनूं	3
7.	नागौर	1
8.	राजसमन्द	0
9.	सीकर	0
10.	उदयपुर	2
	योग	9
(स)	**जोधपुर डिस्काम**	
1.	बाड़मेर	3
2.	बीकानेर	3
3.	चूरू	2
4.	जैसलमेर	4
5.	जालौर	3
6.	जोधपुर	2
7.	हनुमानगढ़	5
8.	पाली	0
9.	सिरोही	1
10.	श्रीगंगानगर	2
	योग	25
	कुल योग	64

विधान सभा क्षेत्र जैतारण में सड़क निर्माण

149. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनवरी, 1999 से फरवरी, 2002 तक सड़क मरम्मत हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया ?

(2) उक्त सड़क मरम्मत हेतु रखे गये बजट का उपयोग विधान सभा क्षेत्र जैतारण में कितना-कितना कहां-कहां हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें। '

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने सड़क मरम्मत की घोषणा प्रत्येक वर्ष की, पर पालना नहीं हो पाई है ? यदि हां, तो क्यों और इसके लिये कौन दोषी है ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जनवरी, 1999 से फरवरी, 2002 तक सड़क मरम्मत हेतु राशि का प्रावधान किया गया है जिसका विवरण निम्नप्रकार है :—

क्र.सं.	वर्ष	राशि
1.	1998-99	9000.00 लाख
2.	1999-2000	6790.00 लाख
3.	2000-2001	7843.68 लाख
4.	2001-2002	4500.00 लाख

(2) सड़क मरम्मत हेतु रखे गये बजट का उपयोग विधान सभा क्षेत्र जैतारण की विभिन्न सड़कों पर किया गया जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर अंकित है।

(3) जी नहीं।

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र जैतारण में सड़क मरम्मत कार्य

(व्यय लाखों में)

क्र. सं.	सड़क का नाम	1/99 से 3/99 तक व्यय	99-2000 में व्यय	2000-2001 में व्यय	4/2001 से 2/2002 तक व्यय	कुल व्यय 1/99 से 2/2002
1	2	3	4	5	6	7
1.	बर बिलाड़ा जोधपुर सड़क	3.32	1.33	3.24	1.59	9.48
2.	ब्यावर लाम्बिया मेड़तासिटी सड़क	3.95	18.66	4.41	1.55	28.57
3.	जैतारण मेड़ता सिटी सड़क	0.94	0.83	7.16	3.34	12.27
4.	चण्डावल जैतारण सड़क	0.14	0.42	3.65	0.45	4.66
5.	जैतारण मेड़ता रोड वाया निम्बोल	0.52	0.50	1.41	0.79	3.22
6.	लाम्बिया से कुड़की सड़क	0.22	0.79	1.39	0.02	2.42
7.	बलाड़ा ब्यावर सड़क	—	3.83	—	—	3.83
8.	देवली पाटवा पृथ्वीपुरा सड़क	0.60	0.64	1.77	0.05	3.06
9.	डिगरना से कालू सड़क	0.27	0.88	1.40	—	2.55
10.	विलेज सड़क अनुभाग-II जैतारण	0.11	0.33	—	—	0.44
11.	विलेज सड़क अनुभाग-III जैतारण	0.16	—	—	—	0.16
12.	विलेज सड़क अनुभाग लाम्बिया जैतारण	0.03	—	—	—	0.03
13.	रास से कुड़की सड़क	—	0.07	0.72	0.03	0.82
14.	जैतारण सेपाटवा सड़क	—	0.10	1.20	0.05	1.35
15.	बलुन्दा से फालदा सड़क	—	0.05	—	—	0.05

1	2	3	4	5	6	7
16.	सम्पर्क सड़क कालू	—	0.04	1.39	–	1.43
17.	जैतारण से कुशालपुरा	—	—	1.11	0.21	1.32
18.	जैतारण से बलुपुरा	—	—	0.76	–	0.76
19.	सम्पर्क सड़क फुलमाल	—	—	0.32	–	0.32
20.	सम्पर्क सड़क अमरपुरा	—	—	0.28	–	0.28
21.	निमाज से बलाड़ा वाया आसरलाई	—	—	0.25	0.03	0.28
22.	बांजाकुड़ी से बलाड़ा	—	—	0.18	–	0.18
23.	निमाज से खेडा देवगढ़	—	—	2.20	0.81	3.01
24.	सम्पर्क सड़क मोहराई	—	—	—	0.02	0.02
	योग	10.26	28.47	32.84	8.94	80.51

परिशिष्ट-2

(अतारांकित प्रश्न संख्या-210 की सूचना)

परिशिष्ट"क"

राजस्थान में आर्टिजन एवं लघु उद्योग

क. सं.	जिला उद्योग केन्द्र	पंजीयन सं.	नियोजन सं.	नियोजन (लाख रुपये)
1	2	3	4	5
1.	जयपुर	26850	132529	63698.58
2.	अजमेर	11851	53841	21607.27
3.	अलवर	17524	61232	52410.67
4.	भीलवाड़ा	12741	50085	17472.46
5.	जोधपुर	15557	63182	20943.64
6.	कोटा	10451	36273	10291.46
7.	पाली	8662	33347	8559.12
8.	उदयपुर	14127	53444	23155.20
9.	बांसवाड़ा	6647	17989	4083.70
10.	भरतपुर	7255	27036	7259.06
11.	बीकानेर	8232	37008	12517.27
12.	चित्तौड़गढ़	5784	19020	7657.07
13.	झुन्झुनूं	4847	14190	3133.17
14.	नागौर	14041	48521	12049.44
15.	श्रीगंगानगर	7061	37664	9883.28
16.	सवाईमाधोपुर	6082	18234	2124.63
17.	सीकर	6029	23025	5357.19
18.	टोंक	7218	28991	3374.26

1	2	3	4	5
19.	बाड़मेर	4020	17547	4041.99
20.	बून्दी	3644	11851	1479.53
21.	चूरू	5281	19708	5687.85
22.	डूंगरपुर	2488	7646	1551.85
23.	जैसलमेर	2193	6725	990.12
24.	जालौर	3597	11040	4415.36
25.	झालावाड़	5846	16037	1983.07
26	सिरोही	3817	14582	10923.69
27.	धौलपुर	1701	5972	3390.34
28.	दौसा	2453	7009	1888.59
29.	बारां	1043	3034	653.36
30.	राजसमन्द	2178	7664	7586.47
31.	हनुमानगढ़	715	2420	1741.13
32.	करौली	307	1090	182.55
	योग	230242	887936	332093.37

परिशिष्ट-3

(अतारांकित प्रश्न संख्या-212 की स्थिति)

परिशिष्ट "1"

खरीफ की फसलों के अन्तर्गत बोया गया क्षेत्रफल वर्ष 2000-2001

क्षेत्रफल : हैक्टेयर में

जिले के नाम	अनाज	दलहन	खाद्यान्न	तिलहन	कपास	ग्वार	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अजमेर	229948	50011	279959	8386	8155	14313	7640	318453
जयपुर	260900	27531	288431	45908	111	103941	28153	466544
दौसा	96953	980	97933	17854	28	21994	4092	141901
सीकर	272774	65753	338527	10362	377	113530	11480	474276
झुन्झुनूं	276968	48724	325692	545	36	74344	9700	410317
जयपुर खण्ड	1137543	192999	1330542	83055	8707	328122	61065	1811491
अलवर	238173	3061	241234	5993	9840	45672	8418	311157
भरतपुर	174364	1003	175367	5614	607	10739	17546	209873
धौलपुर	69968	2190	72158	2263	4	4507	3961	82893
सवाईमाधोपुर	70604	5765	76369	23725	3	15861	9605	125563
करोली	115347	657	116004	7339	0	6499	12800	142642
भरतपुर खण्ड	668456	12676	681132	44934	10454	83278	52330	872128
बीकानेर	141374	188723	330097	30679	30682	177006	22543	591007
चूरू	481815	217019	698834	13495	150	579060	16210	1307756
श्रीगंगानगर	7820	4401	12221	1257	247275	147181	15256	423190
हनुमानगढ़	85402	19268	104670	2776	165145	247525	16116	536232
श्रीगंगानगर खण्ड	716411	429411	1145822	48207	443252	1150779	70125	2858185
जोधपुर	579642	215480	795122	35947	8057	236773	32205	1108104
जैसलमेर	93116	500	93616	518	68	317591	223	412016
जालौर	339760	80597	420357	68415	481	84102	60644	633999
बाड़मेर	909444	222497	1131941	16190	16	375328	2066	1525541

जिले के नाम	अनाज	दलहन	खाद्यान्न	तिलहन	कपास	ग्वार	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
नागौर	501635	303863	805498	28369	7679	277121	10175	1128842
पाली	239833	35169	275002	80716	9180	52884	17399	435181
सिरोही	49635	8211	57846	44880	2123	18643	15567	139059
जोधपुर खण्ड	2713065	866317	3579382	275035	27604	1362442	138279	5382742
कोटा	29669	3411	33080	137364	1	2623	6263	179331
बारां	32732	1194	33926	151273	0	0	3991	189190
बून्दी	89835	3576	93411	32482	23	10741	15795	152452
झालावाड़	51016	8882	59898	215944	54	0	3673	279569
टोंक	132975	34480	167455	23389	244	31202	9221	231511
कोटा खण्ड	336227	51543	387770	560452	322	44566	38943	1032053
बांसवाड़ा	160660	37678	198338	11510	10868	2036	4084	226836
डूंगरपुर	90395	18539	108934	1076	100	2582	8387	121079
उदयपुर	191079	15238	206317	7650	19	8358	11154	233498
उदयपुर खण्ड	442134	71455	513589	20236	10987	12976	23625	581413
भीलवाड़ा	196601	23080	219681	24121	7427	47299	15406	313934
चित्तौड़गढ़	170693	15888	186581	146948	952	18734	24162	377377
राजसमन्द	67160	2664	69824	4264	348	8068	6233	88737
भीलवाड़ा खण्ड	434454	41632	476086	175333	8727	74101	45801	780048
राज्य स्तर	6448290	1666033	8114323	1207252	510053	3056264	430168	13318060

परिशिष्ट "1"

खरीफ फसलों के अन्तर्गत उत्पादन वर्ष 2000-2001

उत्पादन : लाख टनों/गांठों में

जिले का नाम	अनाज	दलहन	खाद्यान्न	तिलहन	कपास	ग्वार
1	2	3	4	5	6	7
अजमेर	48637	9035	57672	1701	12344	687
जयपुर	146935	2348	149283	46202	176	8314
दौसा	105022	215	105237	17408	44	4712
सीकर	194496	13067	207563	10992	596	12988
झुन्झुनूं	147534	9539	157073	491	57	6364
जयपुर खण्ड	642624	34204	676828	76794	13217	33065
अलवर	298400	2842	301242	2812	17249	40832
भरतपुर	215928	692	216620	2098	958	9747
धौलपुर	98707	978	99685	720	6	3670
सवाई माधोपुर	57803	1411	59214	12203	4	3016
करौली	133580	155	133735	4054	0	2460
भरतपुर खण्ड	804418	6078	810496	21887	18217	59725
बीकानेर	27094	17831	44925	23567	31464	17770
चूरू	59625	9911	69536	16018	237	34205
श्रीगंगानगर	10249	1647	11896	691	382549	52421
हनुमानगढ़	94483	2367	96850	2185	294347	88106
श्रीगंगानगर खण्ड	191451	31756	223207	42461	708597	192502
जोधपुर	66029	16799	82828	8321	12322	14847
जैसलमेर	6061	82	6143	331	107	75097
जालौर	105623	8361	113984	16771	601	700
बाड़मेर	179131	79655	258786	8282	25	47638

1	2	3	4	5	6	7
नागौर	253554	50708	304262	8428	13386	45558
पाली	32376	6165	38541	7583	16434	119
सिरोही	40605	1116	41721	15034	1981	876
जोधपुर खण्ड	683379	162886	846265	64750	44856	184835
कोटा	32304	874	33178	130083	1	1517
बारां	54391	323	54714	121569	0	0
बून्दी	85231	917	86148	26014	36	1027
झालावाड़	54123	4341	58464	114763	86	0
टोंक	41802	11478	53280	10227	386	1055
कोटा खण्ड	267851	17933	285784	402656	509	3599
बांसवाड़ा	106898	11910	118808	6822	8865	350
डूंगरपुर	41212	3540	44752	167	158	251
उदयपुर	197410	2529	199939	2125	30	1612
उदयपुर खण्ड	345520	17979	363499	9114	9053	2213
भीलवाड़ा	175989	5551	181540	13039	9058	492
चित्तौड़गढ़	202311	4136	206447	82775	1503	4550
राजसमन्द	30369	245	30614	562	350	236
भीलवाड़ा खण्ड	408669	9932	418601	96376	10911	5278
राज्य स्तर	3343912	280768	3624680	714038	805360	481217

परिशिष्ट "1"

रबी फसलों के अन्तर्गत बोया गया क्षेत्रफल वर्ष 2000-2001

क्षेत्रफल : हैक्टेयर में

जिले का नाम	अनाज	दलहन	खाद्यान्न	तिलहन	अन्य	ग्वार
1	2	3	4	5	6	7
अजमेर	44470	9654	54124	11275	12498	77897
जयपुर	228692	46017	274709	64516	23038	362263
दौसा	102727	16237	118964	45611	5580	170155
सीकर	109622	50188	159810	27957	8829	196596
झुन्झुनूं	73421	44197	117618	80971	10635	209224
जयपुर खण्ड	558932	166293	725225	230330	60580	1016135
अलवर	223855	42397	266252	185076	16584	467912
भरतपुर	177039	27832	204871	124946	6063	335880
धौलपुर	32069	4193	36262	36183	2651	75096
सवाई माधोपुर	68155	22924	91079	94997	4504	190580
करौली	63131	26779	89910	43687	3333	136930
भरतपुर खण्ड	564249	124125	688374	484889	33135	1206398
बीकानेर	40829	61229	102058	14817	1617	118492
चूरू	25992	45452	71444	19231	1931	92606
श्रीगंगानगर	240166	65981	306147	149720	20631	476498
हनुमानगढ़	218759	77453	296212	46836	22234	365282
श्रीगंगानगर खण्ड	525746	250115	775861	230604	46413	1052878
जोधपुर	47339	528	47867	36942	41217	126026
जैसलमेर	11114	4779	15893	30435	8679	55007
जालौर	34869	491	35360	16902	102167	154429
बाड़मेर	15420	23	15443	2490	104854	122787

1	2	3	4	5	6	7
नागौर	103903	20741	124644	61017	53811	239472
पाली	55384	2480	57864	10682	47984	116530
सिरोही	16578	1029	17607	3200	7506	28313
जोधपुर खण्ड	284607	30071	314678	161668	366218	842564
कोटा	97269	12348	109617	55145	40734	205496
बारां	89900	16377	106277	86027	67365	259669
बून्दी	106546	25793	132339	45729	4054	182122
झालावाड़	45446	14883	60329	18479	52056	130864
टोंक	78846	32303	111149	106717	6335	224201
कोटा खण्ड	418007	101704	519711	312097	170544	1002352
बांसवाड़ा	36708	11155	47863	79	3918	51860
डूंगरपुर	10480	2268	12748	73	1801	14622
उदयपुर	19721	2530	22251	1137	2447	25835
उदयपुर खण्ड	66909	15953	82862	1289	8166	92317
भीलवाड़ा	58187	11297	69484	8190	8614	86288
चित्तौड़गढ़	54553	9111	63664	9196	26378	99238
राजसमन्द	4572	131	4703	166	1451	6320
भीलवाड़ा खण्ड	117312	20539	137851	17552	36443	191846
राज्य स्तर	2535762	708800	3244562	1438429	721499	5404490

परिशिष्ट "1"

रबी की फसलों के अन्तर्गत उत्पादन वर्ष 2000.2001

उत्पादन : लाख टनों में

जिले का नाम	अनाज	दलहन	खाद्यान्न	तिलहन
1	2	3	4	5
अजमेर	56633	2875	59508	4588
जयपुर	460199	32014	492213	28568
दौसा	287023	15842	302865	32915
सीकर	217419	51026	268445	23721
झुन्झुनूं	178718	68087	246805	59571
जयपुर खण्ड	1199992	169844	1369836	149363
अलवर	775764	35590	811354	217130
भरतपुर	616763	26698	643461	146077
धौलपुर	116751	2478	119229	34230
सवाईमाधोपुर	113743	15184	128927	55470
करौली	121143	28849	149992	36982
भरतपुर खण्ड	1744164	108799	1852963	489889
बीकानेर	45782	23386	69168	7292
चूरू	58358	1388	59746	16965
श्रीगंगानगर	575460	13289	588749	142802
हनुमानगढ़	543681	12392	556073	50073
श्रीगंगानगर खण्ड	1223281	50455	1273736	217132
जोधपुर	102609	342	102951	34262
जैसलमेर	26659	2807	29466	27428
जालौर	44224	294	44518	14730
बाड़मेर	37046	14	37060	2257

1	2	3	4	5
नागौर	199809	10839	210648	63524
पाली	79383	1343	80726	7806
सिरोही	28098	601	28699	3132
जोधपुर खण्ड	517828	16240	534068	153139
कोटा	243342	10217	253559	52213
बारां	187876	15351	203227	115027
बून्दी	263610	23683	287293	30920
झालावाड़	86909	12454	99363	17063
टोंक	121859	14894	136753	77627
कोटा खण्ड	903596	76599	980195	292850
बांसवाड़ा	50660	6797	57457	62
डूंगरपुर	27427	1866	29293	47
उदयपुर	41977	1262	43239	1036
उदयपुर खण्ड	120064	9925	129989	1145
भीलवाड़ा	110560	10261	120821	6506
चित्तौड़गढ़	135230	4628	139858	7879
राजसमन्द	9361	78	9439	152
भीलवाड़ा खण्ड	255151	14967	270118	14537
राज्य स्तर	5964076	446829	6410905	1318055

परिशिष्ट "2"

वर्ष 2000-2001 में उन्नत किस्म के बीजों के अन्तर्गत क्षेत्र एवं रसायनिक उर्वरकों का उपयोग

जिले का नाम	उन्नत किस्म के बीजों के अन्तर्गत क्षेत्र (क्षेत्रफल-हैक्टेयर)	रसायनिक उर्वरकों का उपयोग पोषक तत्वों के रूप में (मात्रा टन)
1	2	3
अजमेर	49962	9772
जयपुर	152427	36527
दौसा	129780	19443
सीकर	85581	11509
झुन्झुनूं	277000	9184
जयपुर खण्ड	694750	86435
अलवर	336600	40637
भरतपुर	105650	34599
धौलपुर	85400	15408
सवाईमाधोपुर	104150	30942
करौली	99312	5640
भरतपुर खण्ड	731112	127226
बीकानेर	13550	14441
चूरू	97550	2261
श्रीगंगानगर	172932	75233
हनुमानगढ़	205036	46861
श्रीगंगानगर खण्ड	489068	138796
जोधपुर	152192	18180
जैसलमेर	71500	2203
जालौर	119676	13033

1	2	3
बाड़मेर	52732	3442
नागौर	530867	23621
पाली	69281	9707
सिरोही	7065	6063
जोधपुर खण्ड	1003313	76249
कोटा	67500	49443
बारां	62300	38882
बून्दी	172865	27473
झालावाड़	75240	26299
टोंक	93270	17227
कोटा खण्ड	471175	159324
बांसवाड़ा	55250	16505
डूंगरपुर	73410	3147
उदयपुर	43665	9292
उदयपुर खण्ड	172325	28944
भीलवाड़ा	52716	16431
चित्तौड़गढ़	34596	29495
राजसमन्द	6991	1907
भीलवाड़ा खण्ड	94303	47833
राज्य स्तर	3656046	664807

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-216 की सूची)

इस महाविद्यालय में सुपर स्पेशिलिटी विभागों की यूनिट संख्या तथा पदस्थापित पद संख्या व प्रारम्भ होने का समय विवरण

सुपर स्पेशिलिटी का नाम	यूनिट प्रथम	यूनिट द्वितीय	यूनिट तृतीय
1	2	3	4
1. न्यूरोलोजी	1 आचार्य (1996) 1 सहायक आचार्य	1 सह आचार्य (1996) 1 सहायक आचार्य	—
2. न्यूरोसर्जरी	1 आचार्य प्रारम्भ से 2 सह आचार्य 2 सहायक आचार्य	1 आचार्य (1990) 1 सह आचार्य 2 सहायक आचार्य	1 आचार्य (1998) 1 सहायक आचार्य
3. कार्डियोलोजी	1 आचार्य (1995) 1 सह आचार्य 1 सहायक आचार्य	1 सह आचार्य (1995) 2 सहायक आचार्य	
4. कार्डियो सर्जरी	1 आचार्य (1990) 2 सहायक आचार्य	2 सह आचार्य (1990)	—
5. यूरोलोजी	1 आचार्य (1978) 1 सह आचार्य 2 सहायक आचार्य	1 आचार्य (1990) 2 सह आचार्य	—
6. नेफ्रोलोजी	1 आचार्य (1985) 1 सहायक आचार्य	1 आचार्य (1987)	—
7. शिशु शल्य	2 आचार्य प्रारम्भ से 1 सह आचार्य 1 सहायक आचार्य	1 आचार्य (1988) 1 सह आचार्य 1 सहायक आचार्य	1 आचार्य (2001) 2 सह आचार्य
8. प्लास्टिक सर्जरी	1 आचार्य (1970) 1 सह आचार्य 1 सहायक आचार्य	1 आचार्य (1992) 1 सहायक आचार्य	—
9. गेस्ट्रोएंट्रोलोजी	1 आचार्य (1990) 1 सह आचार्य 1 सहायक आचार्य	1 आचार्य (1995) 1 सह आचार्य	—

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-218 का विवरण)

प्रपत्र "अ"

विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में वर्ष 1998 से फरवरी, 2002 तक स्वीकृत विभिन्न योजनाओं के कार्यों का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	मद एवं कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	2/02 तक व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6
5054-एसएचडब्ल्यू					
1.	मिसिंग लिंक डबोक मंगलवाड़ बड़ी सादड़ी नीमच रोड किमी. 64 से 70 जोब नं. 38/5054/एस. एच. डब्ल्यू/1994-95	94-95	21.00	22.52	कार्य पूर्ण
2.	मिसिंग लिंक मंगलवाड़ बड़ी सादड़ी नीमच रोड किमी. 65-67 जोब नं. 166/5054/एस. एच. डब्ल्यू/1995-96	95-96	4.00	3.95	कार्य पूर्ण
3.	डबोक मंगलवाड़ बड़ी सादड़ी नीमच रोड किमी.78 (एसएच15) में पुल निर्माण जोब नं. 243/5054/एस. एच. डब्ल्यू/1995-96	95-96	12.00	10.64	कार्य पूर्ण
5054-एसएम एण्ड आर					
1.	डबोक मंगलवाड़ बड़ी सादड़ी नीमच रोड किमी. 52, 53, 65, 71, 72, 73 में बीएम मय पेवर द्वारा डामरीकरण जोब नं. 497/5054/ एस. एम. एण्ड आर./99-2000	99-2000	10.00	8.76	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6
2.	स्ट्रेंथनिंग एवं बी.टी.बाई पेवर प्रतापगढ़ थडा नीमच किमी. 6, 7, 17 व 18 जोब नं. 939/5054/एस. एम. एण्ड आर/99-2000	99-2000	10.00	8.85	कार्य पूर्ण
5054-एमएनपी (जनरल)					
1.	बोहेडा से डूंगला सड़क जोब नं. 221/5054/एम. एन. पी/1989-90	89-90	12.00	12.06	कार्य पूर्ण
2.	मिसिंग लिंक बड़ी सादड़ी डूंगला रोड जोब नं. 250/221/5054/एम. एन. पी/ 1989-90	89-90	15.00	16.38	कार्य पूर्ण
3.	सम्पर्क सड़क मोरवन जोब नं. 760/5054/एम. एन. पी/1994-95	94-95	2.65	2.88	कार्य पूर्ण
4.	बडवल केवलपुरा मूंझवा रोड जोब नं. 2078/5054/एम. एन. पी/1995-96	95-96	25.00	24.63	कार्य पूर्ण
5.	सम्पर्क सड़क रतीचन्द्र जी का खेड़ा जोब नं. 2079/5054/एम. एन. पी/1995-96	95-96	14.00	14.22	कार्य पूर्ण
6.	बोहेडा से डूंगला रोड जोब नं. 2061/5054/एम. एन. पी/1995-96	95-96	17.00	16.00	कार्य पूर्ण
7.	रानीमगरी लोठियाना संगेसरा रोड जोब नं. 2041/5054/एम. एन. पी/1995-96	95-96	12.00	13.24	कार्य पूर्ण
8.	सम्पर्क सड़क माणया जोब नं. 2053/5054/एम. एन. पी/1995-96	95-96	9.00	9.28	कार्य पूर्ण
9.	डूंगला से फलोदडा रोड जोब नं. 2083/5054/एम. एन. पी/1995-96	95-96	15.00	15.76	कार्य पूर्ण
10	मूंझवा से केवलपुरा रोड जोब नं. 2262/5054/एम. एन. पी/1995-96	95-96	10.00	8.45	कार्य पूर्ण
11.	डूंगला बोहेडा सड़क जोब नं. 913/5054/एम. एन. पी/1996-97	96-97	12.00	11.70	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6
12.	सम्पर्क सड़क खेरमालिया जोब नं. 817/5054/एम. एन. पी/1996-97	96-97	8.00	8.15	कार्य पूर्ण
13.	बोहेडा से बिनायका सड़क जोब नं. 941/5054/एम. एन. पी/1996-97	96-97	6.00	5.47	कार्य पूर्ण
14.	अरनेड से सालेरा सड़क जोब नं. 942/5054/एम. एन. पी/1996-97	96-97	6.00	5.74	कार्य पूर्ण
15.	स्ट्रेथनिंग मंगलवाड़ बड़ी सादड़ी नीमच रोड जोब नं. 944/5054/एम. एन. पी/ 1996-97	96-97	6.00	5.44	कार्य पूर्ण
16.	स्टोन पेविंग कार्य डूंगला बोहेडा रोड जोब नं. 946/5054/एम. एन. पी/1996-97	96-97	4.00	3.55	कार्य पूर्ण
17.	सम्पर्क सड़क केलवामाता जोब नं. 2084/5054/एम. एन. पी/1995-96	95-96	4.00	3.73	कार्य पूर्ण
18.	सम्पर्क सड़क एलवामाता जोब नं. 2077/5054/एम. एन. पी/1995-96	95-96	5.00	5.33	कार्य पूर्ण
5054-एमएनपी (टीएडी)					
1.	प्रतापगढ़ थडा नीमच रोड जोब नं. 163/5054/टी. ए. डी/1992-93	92-93	21.00	21.28	कार्य पूर्ण
2.	सम्पर्क सड़क पीलू जोब नं. 234/5054/टी. ए. डी/1994-95	94-95	27.00	26.16	कार्य पूर्ण
3.	प्रतापगढ़ नीमच रोड जोब नं. 344/5054/टी. ए. डी/1995-96	95-96	6.00	6.14	कार्य पूर्ण
4.	धमोतर खोरिया रोड जोब नं. 348/5054/टी. ए. डी/1995-96	95-96	27.00	29.19	कार्य पूर्ण
5.	बोरी से कडियावद रोड जोब नं. 360/5054/टी. ए. डी/1995-96	95-96	9.00	9.91	कार्य पूर्ण
6.	मदुरा तालाब सरीपीपली रोड जोब नं. 355/5054/टी. ए. डी/1995-96	95-96	6.00	6.05	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6
7.	सम्पर्क सड़क ढिकनिया जोब नं. 350/5054/टी. ए. डी/1995-96	95-96	24.00	24.59	कार्य पूर्ण
8.	थडा लालपुरा सड़क पर पुल निर्माण जोब नं. 491/5054/टी. ए. डी/1996-97	96-97	8.00	7.09	कार्य पूर्ण
9.	थडा लालपुरा सड़क पर पुल का निर्माण जोब नं. 568/5054/टी. ए. डी/1998-99	98-99	8.00	5.88	कार्य पूर्ण
10.	सम्पर्क सड़क ढिकनिया का डामरीकरण कार्य जोब नं. 565/5054/टी. ए. डी/1998-99	98-99	5.00	4.44	कार्य पूर्ण
5054-आरआई डी एफ-III					
1.	तलाऊ आलोद नोगांवा चिकारडा रोड जोब नं. 245/5054/नाबार्ड/1997-98	97-98	85.50	51.45	कार्य प्रगति पर
2.	सम्पर्क सड़क सरथला जोब नं. 246/5054/नाबार्ड/1997-98	97-98	23.13	12.09	कार्य पूर्ण
3.	सम्पर्क सड़क बिलोट जोब नं. 310/5054/नाबार्ड/1997-98	97-98	23.29	12.27	कार्य पूर्ण
4.	सम्पर्क सड़क नेगडिया जोब नं. 311/5054/नाबार्ड/1997-98	97-98	20.40	5.64	कार्य प्रगति पर
आर.आई.डी.एफ.6 (अकाल राहत कार्य)					
1.	सम्पर्क सड़क फलोदड़ा	99-2000	10.00	7.06	कार्य पूर्ण
2.	सम्पर्क सड़क देवली	99-2000	10.00	7.26	कार्य पूर्ण
3.	नोगांवा से मलुकदास की खेड़ी	99-2000	10.00	9.18	कार्य पूर्ण
4.	सम्पर्क सड़क नेगडिया से हरियाखेड़ा	99-2000	10.00	8.61	कार्य पूर्ण

उक्त स्वीकृति में इन सड़कों के निश्चित किलोमीटर में एक लेयर डब्ल्यू बी एम की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जो पूर्ण कर दी गई थी।

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-220 की सूची)

प्रपत्र "अ"

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सा.नि.वि.खण्ड, गंगापुर सिटी

क्रमांक :

दिनांक : 6.6.2001

श्रीमान् मुख्य अभियन्ता (पथ)

सा. नि. वि. राजस्थान, जयपुर।

विषय :— भूमि अवाप्ति स्वीकृति बाबत निर्माण सड़क सवाईमाधोपुर दौसा सड़क से खेड़ली से विछोछ की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :— अधिशासी अभि.सा.नि.वि.खण्ड सवाई माधोपुर के पत्रांक 1944-46 दिनांक 30.5.2000

महोदय,

उपरोक्त प्रसांगिक पत्र के विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त कार्य के भूमि अवाप्ति मुआवजे के भुगतान हेतु राज्य सरकार के पत्रांक एफ-2 (49) पी.डब्ल्यू./एम.एस/86/डी 554/एस दिनांक 10.10.95 द्वारा राशि 1.45 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी। जिसका जोब नम्बर 144/5054/एस.एच.डब्ल्यू./भू.अ/प्लान/95-96 है। उक्त स्वीकृति के अन्तर्गत खण्ड सवाईमाधोपुर द्वारा राशि 1.41 लाख का भुगतान काश्तकारों को दिया जा चुका है। तथा इसके बाद भूमि अवाप्ति अधिकारी सा.नि.वि. वृत सवाईमाधोपुर ने अपने पत्रांक 476 दिनांक 21.8.99 द्वारा उक्त सड़क के शेष ग्रामों के मुआवजे का भुगतान हेतु राशि 215556/- का अतिरिक्त अवार्ड घोषित कर भुगतान हेतु खण्ड सवाईमाधोपुर कार्यालय में प्रस्तुत किया गया।

चूंकि अब उक्त कार्य का कार्यक्षेत्र इस खण्ड के अधीन है तथा मुआवजे के भुगतान की मांग किसानों द्वारा निरन्तर की जा रही है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उक्त कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि 1.45 लाख के स्थान पर 3.57 लाख की जारी करवाने की कृपा करें ताकि किसानों को मुआवजे के भुगतान की कार्यवाही की जा सके।

भवदीय
ह०/-
अधिशासी अभियंता
सा.नि.वि.खण्ड गंगापुर सिटी

प्रपत्र"ब"

जिले का नाम : करौली

क्र.सं.	पैकेज/सड़क का नाम	भूमि अवाप्ति की स्वी.राशि (लाखों में)	भुगतान की गई राशि	मांगी गई संशो. राशि	वि.वि.
1	2	3	4	5	6
1.	एस.ए-1 हिण्डौन बरगमा सड़क से नगला मीना	2.00	7.33	8.40	
2.	एस.ए-1 सम्पर्क सड़क सैगरपुरा	2.50	3.79	4.36	
3.	एस.ए-1 सम्पर्क सड़क परीता	0.30	8.13	9:32	
4.	एस.ए-1 सम्पर्क सड़क खेडी	0.20	6.86	7.86	
5.	एस.ए-2 करौली मण्डरायल सड़क से गुगडार	3.00	सरकारी भूमि	0.22	
6.	एस.ए-2 करौली किरतपुरा से रघुवंशी	5.00	10.89	12.47	
7.	एस.ए-2 करौली गंगापुर सड़क से मकनपुर	2.00	2.43	2.77	
8.	एस.ए-3 बांजना से लहचोडा	3.00	6.45	7.40	
9.	एस.ए-3 महस्वा से नारोली	3.00	4.63	5.34	
10.	एस.ए-3 टूडियाना से बरखेड़ा	2.00	8.44	9.68	
11.	एस.ए-4 हिण्डौन महवा सड़क से मोहनपुर वाया करीरी	2.00	8.26	9.92	
12.	एस.ए-5 हिण्डौन बयाना सड़क से खेड़ी हेवत	2.70	9.51	10.91	
13.	एस.ए-5 कुडगांव सपोटरा सड़क से सैमरदा वाया चैनपुरवारिया	6.60	5.35	6.33	
14.	एस.ए-5 हिण्डौन धौलेटा सड़क से पहाड़ी	1.00	5.98	7.05	
15.	एस.ए-5 खेडा महावीरजी सड़क से शेखपुरा	3.90	8.73	10.60	
16.	एस.ए-8 महस्वा से नांगल	5.00	—	14.68	भुगतान शेष
17.	एस.ए-8 सम्पर्क सड़क सहराकर	2.00	1.57	1.87	
18.	एस.ए-8 नंगला मीना से गांवडी	2.00	6.68	7.69	
19.	एस.ए-8 टोडाभीम गाजीपुर सड़क से झाड़ीसा	2.00	2.72	3.26	
20.	एस.ए-8 सम्पर्क सड़क बनकी	2.00	33.00	33.85	भुगतान शेष
21.	एस.ए-8 सांथा से ओण्ड मीना	5.00	—	17.23	
22.	एस.ए-11 कैलादेवी लेहरा सड़क से गैरई	5.50	4.54	5.55	

1	2	3	4	5	6
23.	एस.ए-11 सम्पर्क सड़क बरखेडा	2.50 (सरकारी भूमि)		0.15	
24.	एस.ए-11 सम्पर्क सड़क जहांगीरपुर	4.00	4.00	4.17	
25.	एस.ए-11 सम्पर्क सड़क गांवडा	2.50	2.96	3.57	
26.	एस.ए-12 सम्पर्क सड़क रानोली से किरवाडा	2.00	–	16.18	भुगतान शेष
27.	एस.ए-12 सम्पर्क सड़क अजीतपुर	1.00	1.27	1.51	
28.	एस.ए-12 सम्पर्क सड़क रीजवास	1.00	3.95	4.59	
29.	एस.ए-12 महावीरजी लपावली सड़क से नंगला	4.00	4.38	5.09	
30.	एस.ए-12 सम्पर्क सड़क श्यामपुरा मूंडरी	2.50	–	13.65	भुगतान शेष
31.	एस.ए-12 सम्पर्क सड़क नांगलदुर्गसी	2.00	7.57	8.65	
32.	एस.ए-12 सम्पर्क सड़क चिनायटा से खेडी हेवत	2.00	–	13.66	भुगतान शेष
33.	एस.ए-12 भोपर बहादरपुर से अलीपुरा	2.50	6.70	7.73	
34.	एस.ए-12 सम्पर्क सड़क पिपलहेडा से ध्वान धौलेटा	2.50	4.48	5.28	
		(गैर ए.डी.पी. सड़कें)			
35.	गढखेड़ा से वाया बागौर बमौरी	22.50 (मय कार्य के)	1.86	12.60 (मय ब्याज सहित जनवरी, 2001 तक)	
36.	खेड़ला से करीरी	15.00 मय कार्य के	–	5.00 (मय ब्याज सहित जनवरी, 2001 तक)	
37.	कोटरी से गाधोली	60.00 मय कार्य के	–	12.75 (मय ब्याज सहित जनवरी, 2001 तक)	
	जिला सवाईमाधोपुर (ए.डी.पी. की सड़कें)				
38.	एस.ए-1 सवाईमाधोपुर सड़क से जटवाड़ा कलां	4.00	–	–	
39.	एस.ए-1 खण्डार बालेर सड़क से कोसरा छोरेटा	2.00	1.16	1.33	
40.	एस.ए-1 सूरवाल भगवतगढ़ सड़क से लोरवाडा	2.50	2.03	0.04	
41.	एस.ए-2 खण्डार बालेर से बाजोली	5.00	2.54	2.91	
		(गैर एडीपी सड़कें)			
42.	गंगापुर बाइपास	20.00 (मय कार्य के)	32.11	1.20 (मय ब्याज सहित जनवरी, 2001 तक)	

1	2	3	4	5	6
43.	खेड़ली से बिछोछ	18.00 (मय कार्य के)	–	2.70 (मय ब्याज सहित जनवरी, 2001 तक)	
44.	सम्पर्क सड़क पोलीटेक्निक कालेज सवाईमाधोपुर	15.00 (मय कार्य के)	2.81	3.40 (मय ब्याज सहित जनवरी, 2001 तक)	
45.	सम्पर्क सड़क धर्मपुरी	(12.00 + 1.00) (मय कार्य के)	–	0.88 (मय ब्याज सहित जनवरी, 2001 तक)	
46.	सम्पर्क सड़क बनास ब्रिज	10.00 (भूमि अवाप्ति के)	0.38	7.87 (मय ब्याज सहित जनवरी, 2001 तक)	
	जिला-दौसा				
47.	एस.ए-3 तालचिडी से ढण्ड	2.00	5.20	5.96	
48.	एस.ए-3 हिण्डौन महवा सड़क से नाहेड़ा	2.50	8.39	9.58	
49.	एस.ए-3 सम्पर्क सड़क पाखर	4.25	3.74	4.34	
50.	एस.ए-4 भरतपुर जयपुर सड़क से खोंचपुरी	3.00	5.86	7.43	
51.	एस.ए-4 नाहेड़ा से अलीपुर	1.89	7.73	8.93	
52.	एस.ए-4 महवा मण्डावर सड़क से सलीमपुर	5.10	22.24	25.58	
53.	एस.ए-4 टोडाभीम गाजीपुर सड़क से मातासूला	2.00	8.94	10.30	
54.	एस.ए-8 धोला कुआं से डोरावली सड़क	5.00	10.31	11.77	

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-223 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र दानपुर की सड़कों के डामरीकरण हेतु प्रस्ताव

क्र.सं.	सड़क का नाम	किमी.	अनुमानित लागत (लाखों में)	प्रस्तावित योजना व वर्ष
खण्ड-प्रथम, बांसवाड़ा				
1.	सम्पर्क सड़क पाटीनगरा	1.5	20.00	पी.एम.जी.एस.वाई. 2002-2003
2.	सम्पर्क सड़क गांगरवा	1.3	16.00	पी.एम.जी.एस.वाई. 2002-2003
3.	सम्पर्क सड़क भमेरी	3.00	35.00	पी.एम.जी.एस.वाई. 2002-2003
4.	सम्पर्क रोहनिया	12.00	157.00	पी.एम.जी.एस.वाई. 2002-2003
5.	सम्पर्क मूलीया	4.00	96.00	पी.एम.जी.एस.वाई. 2002-2003
6.	गामदा चौराहा से कुशलगढ़ रोड किमी.0 से 5,7,8	7.00	21.00	आर.यू.पी.
7.	तलवाड़ा बोरवट रोड किमी 6,10	2.00	6.00	आर.यू.पी.
8.	सम्पर्क सड़क बोदला किमी.1 से 2	2.00	6.00	आर.यू.पी.
9.	पीपलखूंट से दानपुर वाया घोडीतेजपुर किमी 26 से 30,32 से 40,41 से 44,46	16.00	48.00	आर.यू.पी.
10.	कुण्डला खुर्द से बाजना किमी 9 से 15	6.00	18.00	आर.यू.पी.
11.	छींच से बोडोगामा 1 से 5	5.00	15.00	आर.यू.पी.
12.	शीवपुरा टामटिया रोड 1 से 2	2.00	5.00	आर.यू.पी.
13.	ठिकरिया सुरवानिया करजी रोड किमी.13,14,15,16	4.00	12.00	आर.यू.पी.
14.	बांसवाड़ा सुरवानिया वाया नयागांव किमी 3,8,9	2.50	7.50	आर.यू.पी.
15.	मेनरोड दाहोद से सुरवानिया 0 से 1	1.00	3.00	आर.यू.पी.
16.	सम्पर्क सड़क कोटड़ा किमी.0 से 1	1.00	3.00	आर.यू.पी.

परिशिष्ट "ब"

दानपुर विधान सभा क्षेत्र की रोडों पर किये गये पेच वर्क का विवरण

क्र.सं.	सड़क का नाम	किये गये किमी.
खण्ड-प्रथम, बांसवाड़ा		
1.	दोहद रोड किमी. 1 से 16	16 किमी.
2.	पडी सुरवानिया	3 किमी.
3.	सुरवानिया सालिया वाया करजी	4 किमी.
4.	सम्पर्क सड़क	3 किमी.
5.	कुण्डला खुर्द बाजना रोड	1 किमी.
6.	मागदा कुशलगढ़ सड़क	6 किमी.
7.	वीरपुर बोरिया पलासवानी	6 किमी.
8.	संगसेरी से दापरिया रोड	1 किमी.
9.	बोरवट तलवाड़ा वाया पुरा सुन्दरी	12 किमी.
10.	सम्पर्क सड़क मसोटिया	4 किमी.
11.	तलवाड़ा जोलाना	3 किमी.
12.	छोटी बदरेल से बड़ी बदरेल	1 किमी.
13.	छोटी बदरेल से रतनपुरा कालिया	1 किमी.
14.	बांसवाड़ा रतलाम रोड	17 किमी.
खण्ड-द्वितीय, बांसवाड़ा		
1.	छींच चौराहा से गांगडतलाई सड़क	18 किमी.
2.	बडोदिया नौगामा सड़क	4 किमी.
3.	भोयनघाटी कुशलगढ़ सड़क	8 किमी.
4.	गढ़ी कलिंजरी कुशलगढ़	7 किमी.

परिशिष्ट "स"

दानपुर विधान सभा क्षेत्र के अपूर्ण पेच वर्क का विवरण

क्र.सं.	सड़क का नाम	किमी.
1.	रतलाम रोड किमी. 25 से 28	3 किमी.
2.	सम्पर्क सड़क बारी	4 किमी.
3.	सम्पर्क सड़क कोटडा	4 किमी.
4.	सम्पर्क सड़क कुण्डल	5.5 किमी.
5.	सम्पर्क सड़क खजुरी	9.0 किमी.
खण्ड-द्वितीय, बांसवाड़ा		
1.	छींव चौराया से गांगडतलाई रोड किमी.18/0 से 22/0	4 किमी.
2.	बडोदिया नोगामा रोड किमी. 0/0 से 6/0	6 किमी. सड़क अत्यधिक खराब होने से पेच मरम्मत योग्य नहीं
3.	बडोदिया करजी सड़क किमी. 0/0 से 4/0	4 किमी. सड़क अत्यधिक खराब होने से पेच मरम्मत योग्य नहीं
4.	हमीरपुरा से घोटिया आम्बा किमी. 0/0 से 12/0	12 किमी.

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-226 का विवरण)

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

बोर्ड अधिवेशन

दिनांक 14 एवं 15 जून, 2001

कार्यवृत्त

उपस्थित

1.	प्रो. (डा.) पी. सी. व्यास	- अध्यक्ष
2.	श्री आर. के. जैन	- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा (केवल 14 जून, 2001)
3.	कर्नल जी.एस.चूंडावत	- उप महानिदेशक, एन.सी.सी.
4.	श्री रामगोपाल शर्मा	
5.	श्री गोवर्धन स्वामी	
6.	डा. जी.आर. पुरोहित	
7.	श्री शिवसिंह परिहार	
8.	श्री मुश्ताक अली	
9.	श्री सोहन लाल दानोदिया	
10.	श्रीमती गायत्री जोशी	
11.	श्री धूणीलाल मीणा	
12.	श्री मोहम्मद नसीम	
13.	श्री अनिल कुमार शर्मा	(केवल 15 जून, 2001)
14.	श्री देवीलाल गहलोत	
15.	श्री शिवशंकर ओझा	
16.	श्री रामचन्द्र देवपुरा	
17.	श्री अनिल माहेश्वरी	
18.	श्री एम. फारूक	सचिव

सर्वप्रथम सचिव ने समस्त आगन्तुक सदस्यों का स्वागत किया। अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्यों का अधिवेशन में पधारने पर आभार व्यक्त किया। यह अवगति दी कि इस वर्ष उच्च माध्यमिक परीक्षाओं के तीनों वर्गो-विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग का परिणाम क्रमशः 12 मई, 15 मई एवं 2 जून, 2001 को घोषित किए जा चुके हैं। बोर्ड द्वारा इस बार विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग की उत्तर पुस्तिका का 39 केन्द्रों पर केन्द्रीय मूल्यांकन कराया गया, जिससे परिणाम शीघ्रता से घोषित किए जा सके हैं, वहीं परिणाम में गुणात्मक वृद्धि हुई है।

बोर्ड में परीक्षा कार्यों के कम्प्यूटरीकरण एवं नवाचारों का इस वर्ष बहुतायत से समावेश कर वर्षो से चली आ रही व्यवस्थाओं में सुधारकर नवीन आयामों को लागू किया गया है। प्रमाणपत्र मय अंकतालिका, प्रमाण पत्र पर फोटो, कम्प्यूटर से फोटोयुक्त प्रवेश पत्र, जिसमें परीक्षार्थी को अपने विषयों की परीक्षा की तारीख एवं समय भी मुद्रित, बोर्ड के फर्जी अभिलेख प्रमाण पत्र एवं अंकतालिका नहीं बने इसके लिए इन अभिलेखों में सूक्ष्म प्रविष्टियां की गई हैं। प्रमाण पत्र विशेष प्रकार के कागज पर मुद्रित कराया गया है ताकि अभिलेखों में ऊपरी लेखन किया जाना उजागर हो जाने से अभिलेख से छेड़छाड़ पर अंकुश लगेगा। परीक्षा केन्द्रों को स्थायी कोड नम्बर की व्यवस्था कर दी है और आगामी 10-15 वर्षों तक की वृद्धि का प्रावधान भी किया गया है, परीक्षार्थियों के नामांक को इस तरह जनरेट किया गया है कि नामांक के आधार पर परीक्षा का वर्ष, विज्ञान, कला, वाणिज्य वर्ग आदि को समझा जा सके। वरीयता प्राप्त अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन, छात्रवृत्तियां, जिला स्तर पर वरीयता प्राप्त को पुरस्कार आदि शैक्षणिक क्षेत्र में भी अभिवृद्धि की गई है। इन्टरनेशनल कोब्से का जयपुर में भव्य एवं सफल आयोजन कर सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में राजस्थान बोर्ड अग्रणी पंक्ति में प्रतिस्थापित हुआ है। कम्प्यूटर शिक्षा के लिये राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को नोडल आफिसर बनाने से राजस्थान में कम्प्यूटर शिक्षा हेतु जागृति ही नहीं क्रान्ति का वातावरण बनाना बोर्ड की सफलता है। बोर्ड सदस्यों ने इतने सारे नवाचारों, कार्यों एवं व्यवस्थाओं में एक साथ परिवर्तन के लिये प्रसन्नता प्रकट करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय के सफल नेतृत्व, मार्गदर्शन एवं व्यक्तिगत रुचि की भूरी-भूरी प्रशंसा की।

सभी बोर्ड सदस्यों ने बारी-बारी से वर्ष 2001 की परीक्षाओं में रही तथाकथित कमियों, अनियमितताओं एवं गड़बड़ियों एवं विभिन्न स्तर पर बोर्ड कार्यालय से मिले असहयोग एवं समस्याओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया तथा परीक्षा एवं मान्यता सम्बन्धी अप्रिय खबरों के समाचार-पत्रों में प्रकाशन पर चिन्ता व्यक्त की। सभी बोर्ड सदस्य उड़न-दस्तों में थे अतः परीक्षा काल में केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान अपने-अपने क्षेत्रों में आई परीक्षा सम्बन्धी कतिपय कमियों आदि की वस्तुस्थिति सदस्यों ने बताई। सदस्यों ने परीक्षाओं में छात्रों को प्रवेश-पत्र नहीं मिलने, गलत स्थानों यहां तक कि बहुत दूर परीक्षा केन्द्र मिलने, परीक्षा आरम्भ से पूर्व एवं परीक्षा दिवस पर परीक्षार्थियों के बोर्ड एवं एक परीक्षा केन्द्र से दूसरे परीक्षा केन्द्र पर भटकने आदि सम्बन्धी गम्भीर अव्यवस्थाओं के प्रति अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए जांच के बाद इसके लिये जिम्मेदारी फिक्स करने की आवश्यकता बताई। परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षार्थियों के आबंटन की सूचना समय पर नहीं पहुंचने तथा क्षमता से अधिक एवं कम के आबंटन से केन्द्राधीक्षकों को ऐन वक्त व्यवस्था करने में बहुत कठिनाइयां होने, छात्रों द्वारा दी गई वरीयता क्रम से परीक्षा केन्द्र आबंटन नहीं किया जाना, छात्रों के स्कूलों में छात्राओं का केन्द्र आबंटन, केन्द्रों का नाम पूरा नहीं छपने एवं अध्ययनरत विद्यालय में ही परीक्षा केन्द्र आबंटन होने, विद्यालय परिसर में व्यवस्थापक के निवास वाले विद्यालयों को केन्द्र बना देने आदि परीक्षा केन्द्र

सम्बन्धी शिकायतें प्रस्तुत की गई। न्यूनतम निश्चित संख्या से कम परीक्षार्थियों पर भी परीक्षा केन्द्र बनाकर अपव्यय नहीं किये जाने की ओर भी ध्यान आकर्षित किया।

परीक्षा केन्द्रों पर उत्तर-पुस्तिका के असमान वितरण, सैकण्डरी के स्थान पर उ.मा. की एवं उ. मा. के स्थान पर सैकण्डरी या अन्य की उ.पु. पहुंचने, परीक्षा केन्द्रों पर उत्तर पुस्तिका नहीं पहुंचने, मांग एवं आवश्यकता से भिन्न तथा कम अधिक मात्रा में पहुंचना, पैकेट्स में कम संख्या में उ.पु. मिलने आदि की वस्तुस्थिति से भी सदस्यों ने अवगत कराया। इससे उ.पु. प्रेषण की अतिरिक्त व्यवस्थाएं करने में अतिरिक्त समय, श्रम एवं धन व्यय हुआ।

प्रश्न पत्रों की आपूर्ति गलत होने, हिन्दी अंग्रेजी माध्यम में प्रश्न पत्रों को गलत पहुंचाने, आवश्यकता से कम एवं ज्यादा पहुंचाने, दस-दस के फ्लैप में प्रश्न पत्र कम मिलने, बार-बार प्रश्न पत्र पहुंचाने, प्रश्न पत्रों के काग़ज का न्यून स्तर होने एवं परीक्षा केन्द्र समाप्त कर देने पर भी प्रश्न पत्र उसी केन्द्र पर रखे जाने आदि प्रश्न पत्रों सम्बन्धी तथ्यों की बोर्ड को अवगति दी गई।

विद्यालयों को मान्यता के सम्बन्ध में अव्यवस्थाओं एवं शर्तों की अपूर्णता पर भी मान्यता देने अथवा पूर्णता वाले विद्यालयों को समय पर मान्यता जारी नहीं होने, मान्यता हेतु प्रबंधकों का बोर्ड में चक्कर लगाना, यहां तक कि उप समिति के सदस्यों के यहां भी चक्कर लगाना और फोन करवाकर मान्यता हेतु प्रयास करने की स्थितियों तथा मीडिया द्वारा इस सम्बन्ध में तथ्य उद्घाटित करने से बोर्ड की प्रतिष्ठा के धूमिल होने की चिन्ता प्रकट करते हुए गम्भीरतापूर्वक मान्यता शाखा को पुनः गठित करने तथा इसके लिये दोषी की जिम्मेदारी निश्चित कर कठोर कार्यवाही की जानी आवश्यक बताई ताकि सही विद्यालयों को समय पर मान्यता जारी हो जाये।

सम्पर्क केन्द्रों पर पर्याप्त स्टाफ की उपलब्धता एवं इनकी स्थापना के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बोर्ड को बहुत कुछ किया जाना अपेक्षित होने सम्बन्धी विचार भी सदस्यों ने प्रस्तुत कर वर्तमान में पूर्ण उपयोग नहीं होने से इस पर हो रहे व्यय के लिये चिन्ता व्यक्त की।

सभी सदस्यों ने परीक्षा सम्बन्धी वास्तविकताओं की प्रस्तुति के साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय के कुशल एवं दृढ़ निश्चयी नेतृत्व की प्रशंसा की जिसके फलस्वरूप ही समस्त विपरीत परिस्थितियों में भी परीक्षा कार्यों को परीक्षा से पहले सही अन्जाम देते हुए परीक्षाएं निर्धारित तिथि से प्रारम्भ करवा कर बिना किसी अप्रिय घटना के परीक्षा सम्पन्न हो पाई है।

बोर्ड द्वारा प्रस्तुत बिन्दुओं के सम्बन्ध में सचिव तथा विशेषाधिकारी एवं निदेशक (परीक्षा) द्वारा वस्तुस्थिति बताई गई। केन्द्राधीक्षकों से एकत्रित की गई सूचना के आधार पर राज्य

भर में प्रवेश पत्र न मिलने पर परीक्षा शुल्क की रसीद के आधार पर मात्र 260 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे हैं। मात्र 115 प्रवेश पत्रों पर माता-पिता के नाम तथा 11 प्रवेश पत्रों पर कोड सम्बन्धी त्रुटि हुई है। ठेके पर उ.पु. नहीं जंचवाई गई है, न ही उ.पु. मूल्यांकन के नियमों में कोई शिथिलता प्रदान की गई। मीडिया ने वास्तविकता से भिन्न अतिश्योक्तिपूर्ण समाचार प्रकाशित किए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ने बोर्ड-सदस्यों द्वारा विभिन्न परीक्षा, मान्यता एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिए प्रकट किये गये विचारों एवं कतिपय कमियों के लिये चिन्ता व्यक्त करने से अपनी सहमति व्यक्त करते हुए सूचित किया कि परीक्षा समिति की गत बैठक में परीक्षा 2001 की कथित कमियों, छात्रों को हुई कठिनाइयों और परीक्षा के समय पर आयोजन की परिस्थितियों की जांच की आवश्यकता अनुभव करते हुए दो सदस्यीय जांच समिति बनाई है। इस समिति के सदस्यों में वृद्धि कर इस वर्ष की जांच के साथ-साथ भविष्य में बोर्ड परीक्षाओं की व्यवस्था में कमियां नहीं रहना भी सुनिश्चित करने सम्बन्धी सुझाव देना इस समिति के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित करने का निर्णय किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय ने बोर्ड की ओर से कहा कि बोर्ड मीडिया का आभारी भी है कि समय रहते बढ़ा चढ़ाकर समाचार प्रकाशित करने से बोर्ड प्रशासन ने सचेत होकर परीक्षा पूर्व सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर लीं। अध्यक्ष महोदय ने यह भी अवगति दी कि निश्चित तिथि को परीक्षाओं का आयोजन करने की दृष्टि से बोर्ड कर्मियों ने भी कठिन परिश्रम किया और बोर्ड की गरिमा को बनाये रखा है। परीक्षा की अव्यवस्था की चर्चा अधिक रही है लेकिन इसमें सत्यता कम ही थी। परीक्षा आयोजन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु बोर्ड सदस्यों ने उड़नदस्तों के प्रतिवेदन पर परीक्षा विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने पर बल दिया।

प्रस्ताव संख्या 1

इस प्रारम्भिक विमर्श के दौरान परीक्षा आयोजन, संचालन, कार्यालय की प्रक्रियात्मक व्यवस्थाओं आदि के सुदृढ़ीकरण के परिप्रेक्ष्य में सर्वसम्मति से निर्णय किया कि :—

1. बोर्ड परीक्षा 2001 के आयोजन/संचालन में हुई कथित अव्यवस्थाओं की जांच कराने सम्बन्धी प्रस्ताव पर परीक्षा समिति की दिनांक 18 मई, 2001 को हुई बैठक में चर्चा के दौरान गठित दो सदस्यीय उप समिति के स्थान पर निम्नांकित पांच सदस्यीय उप समिति से जांच करवाई जाए :—

    1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं उपाध्यक्ष बोर्ड, संयोजक
    2. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर

3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), अजमेर
4. डा. सत्यनारायण स्वामी (परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित बोर्ड सदस्य)
5. श्री देवीलाल गहलोत (परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित बोर्ड सदस्य)

2. बोर्ड परीक्षाओं के सुसंचालन और उड़नदस्तों की रिपोर्ट के आधार पर सुधारात्मक उपाय सुझाने हेतु पांच सदस्यीय उप समिति के गठन हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया जाता है।

3. आगामी वर्ष से बोर्ड की परीक्षाओं के लिये प्रत्येक जिले में 10 प्रतिशत अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र "रिजर्व परीक्षा केन्द्र" के रूप में रखे जाये। जून माह में ही परीक्षा केन्द्रों का उनकी क्षमता के आधारित केन्द्र निर्धारित कर लिये जाये।

4. यथासम्भव प्रत्येक दो माह के अन्तराल पर परीक्षा समिति की बैठक आयोजित की जाए।

5. वर्ष 2001 की परीक्षा से बोर्ड परीक्षाओं के दौरान उल्लेखनीय कार्य के लिये बोर्ड निम्नानुसार सम्मानित करेगा :—
   1. पांच केन्द्राधीक्षक
   2. दो जिला शिक्षा अधिकारी
   3. एक शिक्षा उप निदेशक

6. बोर्ड एवं उसकी समितियां अपने कार्य के लिये उप समितियां का गठन कर सकेगी। तदनुसार विनियमों में प्रावधान रख लिया जावे।

7. बोर्ड में आन्तरिक सतर्कता की व्यवस्था आवश्यक है ताकि बोर्ड प्रलेख बाहर नहीं जाये यद्यपि 85% बोर्ड कर्मी जिम्मेदारीपूर्वक कार्य निष्पादन करते हैं लेकिन लापरवाह बोर्ड कर्मियों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ करते हुए जिम्मेदारी सुनिश्चित करने हेतु व्यवस्था की आवश्यकता है। समयबद्ध जाब चार्ट, नवाचारों एवं कम्प्यूटरीकरण के कारण परीक्षा कार्यों में बदलाव तथा सम्पर्क केन्द्रों पर कार्य आबंटन को निर्धारित करते हुए परीक्षा प्रभाग के कर्मचारियों के कार्य आबंटन पर पुनः विचार किया जाये। इसके लिए श्री रामचन्द्र देवपुरा के संयोजन में उप समिति गठित किये जाने हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया जाता है। समिति में दो विशेषज्ञों को लिया जाये।

8. विद्यालयों को मान्यता देने सम्बन्धी कार्य में तत्परता, पारदर्शिता, सरलीकरण एवं निश्चित नियमबद्धता से कार्यों के निष्पादन की सक्षम अधिकृतियों आदि के लिए मान्यता शाखा की संरचना पर प्रशासनिक व्यवस्था करने हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया जाता है।

9. बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों को "शिक्षक-अभिभावक" की नियमित बैठकें आयोजित करने का निर्देश पत्र भेजा जाए।

10. बोर्ड सदस्य श्री अनिल माहेश्वरी का निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया :—

"तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद घोषित समय पर परीक्षाओं के संचालन हेतु मुख्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, बोर्ड-प्रबंधन, बोर्ड कर्मचारीगण, अध्यापक वर्ग, शिक्षा विभाग एवं प्रशासन बधाई का पात्र है। साथ ही नवाचारों का भरपूर प्रयोग करते हुए डा .व्यास के कुशल नेतृत्व में बोर्ड मशीनरी द्वारा रिकार्ड समय में परिणाम घोषित कर बोर्ड सदस्यगण बोर्ड की साख पुनःस्थापित करने हेतु उनका आभारी है।"

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-227 की सूची) परिशिष्ट "क"

श्रीगंगानगर जिले में चारदीवारी एवं शौचालयों के निर्माण हेतु विधान सभा क्षेत्रवार राशि आबंटन का विवरण

विधान सभा क्षेत्र का नाम	विद्यालयों की संख्या		आबंटित राशि	
	चारदीवारी	शौचालय	चारदीवारी	शौचालय
1. श्रीगंगानगर	—	03	—	30,000
2. केसरीसिंहपुर	02	05	2,00,000	50,000
3. संगरिया	—	03	—	30,000
4. श्रीकरणपुर	—	13	—	1,30,000
5. रायसिंहनगर	02	31	2,00,000	3,10,000
6. सूरतगढ़	—	32	—	3,20,000
योग	04	87	4,00,000	8,70,000

विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में (किराये के भवनों में संचालित) विद्यालय जिनके पास स्वयं के भवन नहीं है की सूची

	नाम विद्यालय	शहरी/ग्रामीण
1.	राउप्रावि, हा. बोर्ड, ज. न., श्रीगंगानगर	शहरी
2.	राप्रावि, अशोक नगर, श्रीगंगानगर	शहरी
3.	राउप्रावि, नं. 12, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर	शहरी
4.	राबाप्रावि, भरतपुर, श्रीगंगानगर	शहरी
5.	राबाप्रावि, सेतियाफार्म, श्रीगंगानगर	शहरी
6.	राबाउप्रावि, जवाहरनगर, श्रीगंगानगर	शहरी
7.	राबाउप्रावि, अशोक नगर, श्रीगंगानगर	शहरी
8.	राबाउप्रावि, 37 के. पार्क, श्रीगंगानगर	शहरी
9.	राप्रावि, खटीक मौहल्ला, गंगानगर	शहरी
10.	राप्रावि, हा. बोर्ड श्यामनगर, श्रीगंगानगर	शहरी

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-229 का विवरण)

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के वेतनमान के अनुरूप स्वीकृत वेतनमान

S.No.	NAME OF THE POST	EXISTING PAY SCALE	REVISED AICTE PAY SCALE
1.	Director	4500-150-5700-200-6300 & 400 special pay	16400-450-20000 & 600 special pay
2.	Joint Director Principal (the existing designation of Dy. Director shall stand merged with Joint Director/Principal	4500-150-5700-200-6300	16400-450-20000
3.	Head of Deptt./ Reader/Asstt. Director and equivalent	3700-125-4850-150-5700	12000-420-18300
4.	Senior Lecturer	3000-106-3900-125-5000	10000-325-15200
5.	Lecturer/Academic officer	2200-75-2800-100-4000	8000-275-13500
6.	Assistant Training and Placement officer	2200-75-2800-100-4000	8000-275-13500

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-235 की सूची) परिशिष्ट "अ"

अधिमानता के आधार नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्र जो कि दस्तावेज के अभाव में लम्बित है कि सूची

क्र.सं.	नाम	कार्यालय का नाम
1	2	3
1.	श्रीमती सुआदेवी पत्नी स्वर्गीय श्री भीखाराम	उपखण्ड रोहट
2.	श्री मेहफुज अहमद पुत्र स्वर्गीय श्री मंजुर अहमद	उपखण्ड अ-तृतीय
3.	श्रीमती परमेश्वरी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री सुरजाराम	उपखण्ड श्रीगंगानगर
4.	श्री रामकुमार पुत्र स्वर्गीय श्री रतन लाल	उपखण्ड श्रीगंगानगर
5.	श्री देवाराम पुत्र स्वर्गीय श्री बीजाराम	उपखण्ड जालौर
6.	श्री भैरु सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री अचल सिंह	उपखण्ड बागरा
7.	श्री शैतान सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री नरसिंगा राम	उपखण्ड पोकरण
8.	श्री बनाराम पुत्र स्वर्गीय श्री दीपाराम	उपखण्ड जालौर
9.	श्री खीमसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री शंकर सिंह	उपखण्ड आहौर
10.	श्री ईश्वर राम पुत्र स्वर्गीय श्री चेतनाराम	उपखण्ड हनुमानगढ़ जंक्शन
11.	श्रीमती मन्जुदेवी पत्नी स्वर्गीय श्री भगीरथ कुमार	उपखण्ड चूरु
12.	श्री तरूण सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री दुर्गासिंह	उपखण्ड स्टोर जोधपुर
13.	श्री धवण चौधरी पुत्र स्वर्गीय श्री बरतीराम	उपखण्ड अ-तृतीय जोधपुर
14.	श्री जयसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री श्याम सिंह	उपखण्ड एचटीएम जोधपुर
15.	श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री पुर्णसिंह	उपखण्ड भादरा
16.	श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री मांगीलाल	उपखण्ड एचटीएम-तृतीय जोधपुर
17.	श्री विक्रम सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री किशोर सिंह	उपखण्ड भादरा
18.	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री हेतराम	उपखण्ड केसरीसिंहपुर
19.	श्री सुनील कुमार चारण पुत्र स्वर्गीय श्री मुन्नालाल	उपखण्ड बालोतरा
20.	श्री नैनाराम पुत्र स्वर्गीय श्री भुराराम	उपखण्ड श्रीगंगानगर
21.	श्रीमती अन्जुदेवी पत्नी स्वर्गीय श्री जगाराम	उपखण्ड रामसिन
22.	श्री रावत सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री ज्ञानसिंह	उपखण्ड बालेसर
23.	श्री दीपचन्द पुत्र स्वर्गीय श्री रामचन्द	उपखण्ड श्रीगंगानगर
24.	श्री शंकरराम पुत्र स्वर्गीय श्री हेमाराम	उपखण्ड जैतारण
25.	श्री सांवरमल पुत्र स्वर्गीय श्री सोहन लाल	उपखण्ड सुजानगढ़
26.	श्री रामलाल पुत्र स्वर्गीय श्री सरदारमल	[illegible]

1	2	3
27.	श्री भैरु सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री हीराराम	उपखण्ड जैतारण
28.	श्री हडमानराम पुत्र स्वर्गीय श्री केसुराम	उपखण्ड डी-द्वितीय बीकानेर
29.	श्री देवीलाल पुत्र स्वर्गीय श्री खुबाराम	उपखण्ड आबु रोड
30.	श्री अमर चन्द पुत्र स्वर्गीय श्री मदन लाल	उपखण्ड सीएसडी-प्रथम, पाली
31.	श्री गोविन्द कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री उदाराम	उपखण्ड सीएसडी-प्रथम, पाली
32.	श्रीमती कमलजीत कौर पत्नी स्वर्गीय श्री प्रकाश सिंह	उपखण्ड सादुलशहर
33.	श्री सोहन सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री भीमसिंह	उपखण्ड डूंगरगढ़
34.	श्री कालुराम उर्फ भंवर लाल पुत्र स्वर्गीय श्रीमती लक्ष्मी देवी	उपखण्ड बिलाड़ा
35.	श्री मनोहरदास पुत्र स्वर्गीय श्री उदाराम	उपखण्ड सीएसडी-प्रथम पाली
36.	श्रीमती कान्ता देवी पुत्री स्वर्गीय श्री सुजान सिंह	उपखण्ड जैसलमेर
37.	श्री अर्जुन भील पुत्र स्वर्गीय श्री फोजाराम	खण्ड आबू रोड
38.	श्री दीपक कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री चिमनाराम	उपखण्ड बिलाड़ा
39.	श्री बलवन्तराम भील पुत्र स्वर्गीय श्री मनरुपराम भील	उपखण्ड रानीवाड़ा
40.	श्रीमती रजिया बानो पुत्र स्वर्गीय श्री नवाब अली	उपखण्ड डी-चतुर्थ, बीकानेर
41.	श्री ओमप्रकाश पुत्र स्वर्गीय श्री राम आसरे	उपखण्ड पदमपुर
42.	श्री दिलीप सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री महावीर सिंह	उपखण्ड चूरू
43.	श्री धानसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री सोहन सिंह	उपखण्ड फालना
44.	श्री विक्रम सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री मुन्नाराम	उपखण्ड हनुमानगढ़
45.	श्री प्रहलाद मेहतर पुत्र स्वर्गीय श्री गुरुबख्श मेहतर	उपखण्ड ड़ी-प्रथम, बीकानेर
46.	श्री मालाराम मेघवाल पुत्र स्वर्गीय श्री लीलाराम मेघवाल	उपखण्ड सिरोही
47.	श्रीमती उषा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री चन्दर सिंह	उपखण्ड सीएसडी-तृतीय, जोधपुर
48.	श्रीमती मुन्नीदेवी पत्नी स्वर्गीय श्री कमल कुमार	उपखण्ड सादुलशहर
49.	श्री ललीत भारती पुत्र स्वर्गीय श्री बाबु भारती	उपखण्ड उम्मेदपुर
50.	श्री प्रदीप चौधरी पुत्र स्वर्गीय श्री होलाराम	उपखण्ड सीएसडी-चतुर्थ, जोधपुर
51.	श्रीमती पुष्पा कंवर पत्नी स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह	उपखण्ड कोलायत
52.	श्री सोहन लाल विश्नोई पुत्र स्वर्गीय श्री बाबुराम विश्नोई	उपखण्ड फलौदी
53.	श्री आनन्द देवड़ा पुत्र स्वर्गीय श्री गीरधारी लाल	उपखण्ड सिरोही
54.	श्री प्रवीण कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री जगदीश कुमार	उपखण्ड आबूरोड
55.	श्री पूनम सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री भगवानदास	उपखण्ड जैसलमेर
56.	श्री मोहन सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री गुलाब सिंह	उपखण्ड बीकानेर

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या-239 की प्रति)

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान सरकार

समाज कल्याण विभाग

क्रमांक : एफ. 11(125) आर एण्ड पी/सकवि/99/74085 जयपुर, दिनांक : 3.11.1999

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या प. 11 (125) आरएण्डपी/सकवि/52307 दिनांक 6 अगस्त, 1994 समसंख्यक पत्रांक 92810, दिनांक 24.12.1994 एवं 12099 दिनांक 15.3.1997 जो क्रमशः राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 1 (ख) दिनांक 8 अगस्त, 1994, 24 दिसंम्बर, 1994 एवं 22 मार्च, 1997 में प्रकाशित हुई थी, के अनुक्रम में राजस्थान के पिछड़े वर्गों की सूची में क्रम संख्या '54' पर 'जाट' जाति का नाम 'भरतपुर एवं धौलपुर जिलों को छोड़ कर समस्त राज्यों के लिये' एतद् द्वारा जोड़ा जाता है।

आज्ञा से,
ह०/-
(एफ. एस. चारण)
शासन सचिव

राजस्थान सरकार

समाज कल्याण विभाग

क्रमांक : एफ. 11(125) (3) (4) (5) आर.एण्ड पी./सकवि/75681 जयपुर, दिनांक : 12.11.1999

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या प.11 (125) आर.एण्ड पी./सकवि/52307 दिनांक 6 अगस्त, 1994, क्रमांक 92810 दिनांक 24.12.1994, क्रमांक 12099 दिनांक 15.3.1997 एवं क्रमांक 74085 दिनांक 3.11.1999 जो क्रमशः राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग I(ख) में दिनांक 8 अगस्त, 1994, 24 दिसम्बर, 1994, 22 मार्च, 1997 एवं 6 नवम्बर, 1999 को प्रकाशित हुई थी, के अनुक्रम में राजस्थान के पिछड़े वर्गों की अधिकृत सूची में तुरन्त प्रभाव से निम्न पिछड़े वर्गों के नाम जोड़े जाते हैं :—

क्र.सं.	वर्ग जिसे सूची में सम्मिलित किया गया है	अधिसूचना दिनांक 6.8.94, 24.12.94, 15.3.97 एवं 3.11.99 द्वारा जारी सूची की क्रम संख्या जिस पर इस जाति को जोड़ा गया है
1	2	3
1.	नगारची-दमामी	क्र.सं. 10 पर दमामी, नगारची के स्थान पर "नगारची-दमामी" प्रतिस्थापित किया गया।
2.	बायती (बारोट)	क्र. सं. 10 पर नगारची-दमामी, राणा के आगे "बायती (बारोट)"
3.	रायसिग्ध	क्र. सं. 55 पर "रायसिख"
4.	वेदनाई	क्र. सं. 40 पर नाई, सेन के आगे "वेदनाई"
5.	सुआग	क्र. सं. 31 पर कुम्हार (प्रजापति), कुमावत के आगे "सुआरा"
6.	गायरी	क्र. सं. 15 पर गडरिया (गाडरी) के आगे "गायरी
7.	कुशवाहा, शाक्य	क्र. सं. 25 पर काछी के आगे कोष्टक में "कुशवाहा", "शाक्य"
8.	रंगासामी (अडमीणा)	क्र.सं. 9 पर डाकोत, देशान्तरी के आगे "रंगासामी (अडमोपा)"
9.	खट्टी छीपा, रंगरेज	क्र.सं. 8 पर छीपा (छीपी), भावसार, नामा के आगे "खट्टी छीपा, रंगरेज"
10.	खारवाल	क्र.सं. 29 पर खारोल के आगे कोष्ठक में "खारवाल"
11.	फकीर (कब्रिस्तान में कार्य करने वाले)	क्र.सं. 35 पर महाब्राह्मण (अचारज) के आगे "फकीर (कब्रिस्तान में कार्य करने वाले)"
12.	हलाली	क्र.सं. 56 पर "हलाली"
13.	दागी	क्र.सं. 57 पर "दागी"
14.	लोढे-तंवर	क्र.सं. 58 पर "लोढे-तंवर"
15.	खारडीया (सीरवी)	क्र.सं. 22 पर जनवा के आगे "खारडीया (सीरवी)"
16.	सोधिया	क्र.सं. 59 पर "साधिया"
17.	भिश्ती	क्र.सं. 14 पर धीवर, कहार, भोई, सगरवंशी-माली, कीर, मेहरा, मल्लाह (निषाद), बारी के आगे "भिश्ती"
18.	कननी, कलनी	पिछड़ा वर्ग सूची में क्र.सं. 28 पर पहले से जुड़ा है।

आज्ञा से
ह०/-
(एफ. एस. चारण)
शासन सचिव
समाज कल्याण विभाग

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान सरकार
समाज कल्याण विभाग

क्रमांक : एफ. 11(125)(6) आर एण्ड पी/सकवि/01 जयपुर, दिनांक : 01-01-2000

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 11(125) आर एण्ड पी/सकवि/52307, दिनांक 6 अगस्त, 1994, क्रमांक 92810, दिनांक 24 दिसम्बर, 1994, क्रमांक 12099 दिनांक 15 मार्च, 1997 एवं क्रमांक 74085 दिनांक 3 नवम्बर, 1999 क्रमांक 75681 दिनांक 12 नवम्बर, 1999 जो क्रमशः राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 1 (ख) में दिनांक 8 अगस्त, 1994, 24 दिसम्बर, 1994, 22 मार्च, 1997, 6 नवम्बर, 1999 एवं 15 नवम्बर, 1999 को प्रकाशित हुई थी के अनुक्रम में राजस्थान के पिछड़े वर्गों की अधिकृत सूची में तुरन्त प्रभाव से निम्न पिछड़े वर्गों के नाम से जोड़े जाते हैं :–

क्र.सं.	**वर्ग जिसे सम्मिलित किया गया है**	**अधिसूचना दिनांक 6.8.94, 24.12.94, 15.3.97, 3.11.99 एवं 12.11.99 द्वारा जारी सूची की क्रम संख्या जिस पर इस जाति को जोड़ा गया है**
1	2	3
1.	विश्नोई	क्रम संख्या 60 पर "विश्नोई"
2.	मेव	क्रम संख्या 61 पर "मेव"
3.	गद्दी	क्रम संख्या 62 पर "गद्दी"
4.	कचेरा	क्रम संख्या 32 पर लखेरा (लखारा) के आगे "कचेरा"
5.	जडिया	क्रम संख्या 50 पर स्वर्णकार, सुनार, सोनी के आगे "जड़िया"
6.	फारूकी भटियारा	क्रम संख्या 63 पर "फारूकी भटियारा"
7.	सिलावट (सोमपुरा, मूर्तिकार के अतिरिक्त)	क्रम संख्या 64 पर "सिलावट" (सोमपुरा, मूर्तिकार के अतिरिक्त)
8.	सिद्ध	क्रम संख्या 24 पर जोगी, नाथ के आगे "सिद्ध"
9.	पटेल, पाटीदार आंजणा, डांगी पटेल, कुलमी	क्रम संख्या-28 पर कनबी, कलबी के आगे "पटेल" पाटीदार आंजणा, डांगी पटेल, कुलमी
10.	नीलगर	क्रम संख्या 8 पर छीपा (छीपी), भावसार, नामा खट्टीछीपा, रंगरेज के आगे "नीलगर"
11.	खरवा	क्रम संख्या 65 पर "खेरवा"
12.	धोबी (मुस्लिम)	क्रम संख्या 66 पर "धोबी (मुस्लिम)"
13.	कायमखानी	क्रम संख्या 67 पर "कायमखानी"
14.	कुंजड़ा, राइन	क्रम संख्या 68 पर "कुंजड़ा राइन"
15.	कसाई	क्रम संख्या 56 पर हलाली के आगे "कसाई"

अनुसूचित जातियों में सम्मिलित हिन्दू जातियों के प्रतिरूप गैर-हिन्दू जातियां

1	2	3
16.	सपेरा	क्रम संख्या 69 पर सपेरा (गैर हिन्दू जाति)
17.	मदारी, बाजीगर	क्रम संख्या 70 पर "मदारी, बाजीगर (गैर हिन्दू जाति)
18.	नट	क्रम संख्या 71 पर नट (गैर हिन्दू जाति)

आज्ञा से
ह०/-
(फतेह सिंह चारण)
शासन सचिव

राजस्थान सरकार

समाज कल्याण विभाग

क्रमांक : एफ. 11(125)(7) आर एण्ड पी/सकवि/153　　जयपुर, दिनांक : 02.01.2000

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ11(125) आर एण्ड पी/सकवि/52307, दिनांक 6 अगस्त, 1994, क्रमांक 92810, दिनांक 24 दिसम्बर, 1994, क्रमांक 12099 दिनांक 15 मार्च, 1997 एवं क्रमांक 74085 दिनांक 3 नवम्बर, 1999 क्रमांक 75681 दिनांक 12 नवम्बर, 1999 एवं क्रमांक 1 दिनांक 1.1.2000 जो क्रमशः राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 1 (ख) में दिनांक 8 अगस्त, 1994, 24 दिसम्बर, 1994, 22 मार्च, 1997, 6 नवम्बर, 1999 एवं 15 नवम्बर, 1999 को प्रकाशित हुई थी के अनुक्रम में राजस्थान के पिछड़े वर्गों की अधिकृत सूची में तुरन्त प्रभाव से निम्न पिछड़े वर्गों के नाम जोड़े जाते हैं :—

क्र.सं.	वर्ग जिसे सम्मिलित किया गया है	अधिसूचना दिनांक 6.8.94, 24.12.94, 15.3.97, 3.11.99, 12.11.99 एवं 1.1.2000 द्वारा जारी सूची की क्रम संख्या जिस पर इस जाति को जोड़ा गया है
1.	गाडीत नागौरी	क्रम संख्या 72 पर "गाडीत नागौरी"
2.	सिन्धी मुसलमान	क्रम संख्या 73 पर "सिन्धी मुसलमान"

आज्ञा से
(फतेह सिंह चारण)
शासन सचिव

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान सरकार

समाज कल्याण विभाग

क्रमांक : एफ11(125)(7) आर एण्ड पी/सकवि/459 जयपुर, दिनांक : 10.1.2000

अधिसूचना

राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों पर विचार कर, राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ11(125) आर एण्ड पी/सकवि/52307, दिनांक 6 अगस्त, 1994, क्रमांक एफ11(125) आर एण्ड पी/सकवि/92810, दिनांक 24 दिसम्बर, 1994, क्रमांक एफ11(125)(2) आर एण्ड पी/सकवि/12099 दिनांक 15 मार्च, 1997 एवं क्रमांक एफ11(125) आर एण्ड पी/सकवि/74085 दिनांक 3 नवम्बर, 1999 क्रमांक एफ11(125)(3)(4)(5) आर एण्ड पी/सकवि/75681 दिनांक 12 नवम्बर, 1999 क्रमांक एफ11(125)(6) आर एण्ड पी/सकवि/1 दिनांक 1.1.2000 एवं क्रमांक एफ11(125)(7) आर एण्ड पी/सकवि/153 दिनांक 2.1.2000 द्वारा जारी राजस्थान के पिछड़े वर्गों की सूची में तुरन्त प्रभाव से निम्नप्रकार से सम्वर्धन एवं संशोधन किया जाता है :—

क्र.सं.	वर्तमान सूची में निम्न का समावेश किया गया	वर्तमान सूची में किया गया संशोधन
1.	मछुआरा	क्रम संख्या 14 पर "गिरती" के आगे "मछुआरा"
2.	मनिहार	क्रम संख्या 32 पर "लखेरा (लखारा), कचेरा के आगे "मनिहार"
3.	बन्दूकसाज (उरता)	क्रम संख्या 48 पर "सिकलीगर" के आगे "बन्दूकसाज (उरता)"
4.	जाट (भरतपुर, धौलपुर जिले)	क्रम संख्या 54 पर वर्तमान में अंकित "भरतपुर धौलपुर जिलों को छोड़कर" का विलोपन
5.	खलदार	क्रम संख्या 73 के बाद नई क्रम संख्या 74 पर "खेलदार" जोड़ा जावे

आज्ञा से

ह०/-

(फतेह सिंह चारण)

शासन सचिव

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान सरकार

समाज कल्याण विभाग

क्रमांक : एफ.11(125)(6)आर एण्ड पी/सकवि/22821 जयपुर, दिनांक : 26.6.2000

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.11(125)(6)आर एण्ड पी/सकवि/01 दिनांक 1 जनवरी, 2000, जो राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग-1 (ख) दिनांक 4 जनवरी, 2000 में प्रकाशित हुई थी, के अनुक्रम में राजस्थान के पिछड़े वर्गों की सूची में क्रम संख्या 28 पर पाटीदार आंजणा के स्थान पर पाटीदार, आंजणा पढ़ा जावे।

आज्ञा से
ह०/-
(ओ. पी. मीणा)
शासन सचिव

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान सरकार

समाज कल्याण विभाग

क्रमांक : 11(125)(9)आर एण्ड पी/सकवि/41745 जयपुर, दिनांक : 20.8.2001

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.11(125)आर एण्ड पी/सकवि/52307, दिनांक 6 अगस्त, 1994, क्रमांक 92810 दिनांक 24 दिसम्बर, 1994, क्रमांक 12099 दिनांक 15 मार्च, 1997, क्रमांक : 74085 दिनांक 3 नवम्बर, 1999, क्रमांक 75681 दिनांक 12 नवम्बर, 1999, क्रमांक 1 दिनांक 1 जनवरी, 2000, क्रमांक 153 दिनांक 2 जनवरी, 2000 एवं क्रमांक 459 दिनांक 10 जनवरी, 2000 जो क्रमशः राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 1 (ख) में दिनांक 8 अगस्त, 1994, 24 दिसम्बर, 1994, 22 मार्च, 1997, 6 नवम्बर, 1999, 15 नवम्बर, 1999, 4 जनवरी, 2000 एवं 15 मार्च, 2000 को प्रकाशित हुई थी के अनुक्रम में राजस्थान के पिछड़े वर्गों की अधिकृत सूची में तुरन्त प्रभाव से निम्न पिछड़े वर्गों के नाम जोड़े जाते हैं :—

क्र.सं.	वर्ग जिसे सम्मिलित किया गया है	अधिसूचना दिनांक 6.8.94, 24.12.94, 15.3.97, 3.11.99, 12.11.99, 1.1.2000, 2.1.2000 एवं 10.1.2000 द्वारा जारी सूची की क्रम संख्या जिस पर इस जाति को जोड़ा गया है
1.	चेजारा	क्र.सं. 64 पर सिलावट (सोमपुरा, मूर्तिकार के अतिरिक्त) के आगे "चेजारा"
2.	चूनगर	क्र.सं. 75 पर "चूनगर"
3.	राठ	क्र.सं. 76 पर "राठ"
4.	मुल्तानीज	क्र.सं. 77 पर "मुल्तानीज"
5.	अनाथ बच्चे	क्र.सं. 78 पर "अनाथ बच्चे"
6.	मोची (गैर हिन्दू जाति)	क्र.सं. 79 पर "मोची (गैर हिन्दू जाति)"

आज्ञा से

ह०/-

(ओ. पी. मीणा)

शासन सचिव

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या-240 की सूची) परिशिष्ट "1"

प्रतापगढ़ उपखण्ड, जिला चित्तौड़गढ़ में जिन-जिन व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन और विकलांग पेंशन दी जा रही है उनकी पंचायतवार सूची

क्र.सं.	नाम पंचायत	वृद्धावस्था	विधवा	अपंग/अपाहिज
1	2	3	4	5
1.	देवगढ़	42	27	17
2.	रामपुरिया	44	31	7
3.	पण्डावा	11	15	9
4.	वीरपुर	18	18	9
5.	सुहागपुरा	87	32	3
6.	कचोटिया	122	43	15
7.	अचलपुरा	23	22	3.
8.	मनोहरगढ़	23	24	12
9.	खेरोट	58	46	28
10.	झासडी	17	14	10
11.	गन्धेट	17	23	13
12.	कुलथाना	27	33	20
13.	असावटा	23	23	26
14.	बसेरा	13	18	6
15.	घोटारसी	21	20	25
16.	कूणी	28	19	3
17.	आवलेश्वर	13	22	7
18.	डाबड़ा	2	10	7
19.	वरमण्डल	6	6	3
20.	बसाड	28	26	10
21.	धमोतर	25	53	14
22.	बारावरदा	52	23	18
23.	मधुरातालाब	20	24	27

1	2	3	4	5
24.	चिकलाड़	33	21	8
25.	कुलमीपुरा	39	35	10
26.	नारायण खेड़ा	12	16	8
27.	खोरिया	2	13	3
28.	बरडिया	30	16	6
29.	सिधपुरा	20	19	6
30.	थड़ा	44	17	10
31.	रठाजना	10	17	10
32.	पीलू	1	11	11
33.	गादोला	12	20	4
34.	पानमोडी	2	25	3
35.	अमलावद	5	15	3
36.	जोलर	25	23	3
37.	लुहारिया	47	25	23
38.	बड़ीलाक	5	25	5
39.	रतनपुरिया	6	12	2
40.	कल्याणपुरा	17	15	11
41.	मोटीखेड़ी	11	6	9
42.	बरोठा	15	22	13
43.	केरवास	24	14	4
44.	मेरियाखेड़ी	6	8	13
45.	बोरी	14	10	9
46.	सरीपीपली	2	11	11
47.	ग्यासपुर	61	31	14
48.	पाल	11	11	—
49.	नकोर	23	12	2
50.	प्रतापगढ़ न.पा.	74	126	71
51.	अरनोद	5	17	3
52.	अचलावदा	—	11	6

1	2	3	4	5
53.	विरावली	1	15	5
54.	बेड़मा	2	12	12
55.	जाजली	—	10	11
56.	लालगढ़	2	2	3
57.	नोगावा	6	6	4
58.	चूपना	—	19	8
59.	अचनारा	2	6	4
60.	मोहेड़ा	3	9	6
61.	कोटड़ी	1	14	7
62.	मोआवी	1	5	7
63.	साखथलीखुर्द	2	4	1
64.	भचूण्डला	—	6	4
65.	दलोट	2	12	6
66	चकूण्डा	—	1	4
67.	निनोर	6	2	3
68.	बोरदिया	2	6	5
69.	बड़ीसाखथली	6	11	10
70.	अम्बीरामा	4	4	7
71.	कानगढ़	3	2	4
72.	सालमगढ़	3	4	1
73.	बोरी	—	—	5
74.	रायपुर	—	8	2
75.	रायपुरजंगल	2	3	5
76.	सेवना	—	4	3
77.	उठेल	—	5	5
78.	फतेहगढ़	2	8	1
79.	हिंगलाट	—	2	7
80.	मोटाधामानियां	2	11	3

परिशिष्ट–14

(अतारांकित प्रश्न संख्या–241 का विवरण)

Name of Project	Working Areas of Particulars	Name of Organisation Locations	Amount	
1	2	3	4	5
Financial Year 1999-2000				
CSWB	Creche	CSWB New Delhi	369600	
J&K GOVT.	Hand Pump		1000000	
LOK JUMBISH	Education	Lok Jumbish, Jaipur	2440000	
SHIKSHA KARMI BOARD	Edu. Training	Shiksha Karmi, Jaipur	33000	Govt. Grants
IREDA	BDA		86300	
CAPART (UNDP)	Solar		2552000	
UNDP	Visit		63300	
			66444200	
GAA	Provision of Drinking Water	German	1940000	
GAA	Night School	German	1887106	
GAA GONG	Rain Water Harvesting		300000	
SCF	Core Support		428000	

1	2	3	4	5
PLAN INTERNATION	Education	England	9002000	
EU	Solar Energy		16832265	Non Govt. Grants
HIVOS	Core Support		3225445	
FIND YOUR FEET	IGP		1000000	
FORRAD	Catching Rain Drop		25000	
PLAN UK	Solar		5088000	
Intt.			52271	
			39780077	
Financial Year 1998-99				
CSWB	Creche	CSWB New Delhi	778516	
J&K GOVT.	Solar		1600000	
LOK JUMBISH	Education	Lok Jumbish, Jaipur	1100400	
SHIKSHA KARMI BOARD	Edu. Training	Shiksha Karmi, Jaipur	115630	
DRDA	Training of HP	Ajmer	79837	Govt. Grants
GOVT. OF RAJASTHAN	Voter Awarness	Govt. of Rajasthan, Jaipur		
CAPART	Towards Transparency	Capart New Delhi	144000	
CAPART	TRC	Capart New Delhi	466000	
CAPART	Gram Shree Mela	Capart New Delhi	403000	
			4636383	

1	2	3	4	5
GAA	Provision of Drinking Water	German	2000000	
GAA	Night School	German	2500000	
GAA GONG	Rain Water Harvesting		700000	
SCF	Core Support		667000	
FORRAD	Solar Electrification		100000	
PLAN INTERNATION	Education	England	7174000	Non Govt. Grants
EUC	Solar Energy		1600555	
GAA	Postar Print		150000	
HIVOS	Core Support		3204360	
RCH	Health		510000	
FIND YOUR FEET	IGP		760000	
ISVI	Hand Pump		126898	
Donation			47742	
Intt.			7063	
			19548018	
Financial Year 1996-97				
MHFW	PVOHII		762021	
MI. OF TEXTILE	Craft Development		193126	

1	2	3	4	5
CSWB.	Creche	CSWB New Delhi	1013552	
MHRD	Education	MHRD New Delhi	1006192	
J&K GOVT.	Solar		800000	
MIN. OF TEXTILE	Exhibition		300000	
LOK JUMBISH	Education	Lok Jumbish, Jaipur	1500000	Govt. Grants
SHIKSHA KARMI BOARD	Edu. Training	Shiksha Karmi, Jaipur	82760	
DWD	W/Land Dev.		361784	
CAPART	Networking		250000	
GOVT. OF RAJASTHAN	Voter Awarness	Govt. of Rajasthan, J&K	5500	
MHRD	Training Prog. HP	MHRD New Delhi	200625	
			6475560	
GAA	Children Programme		165025	
GAA	W/Land & Govt. Dev.		500000	
NORAD	Drought Relief		550000	
ELCI	Eco-Voluntre		413455	
GAA	Pro. of Drinking Water		800000	
SCF	Core Support		432000	
ELCI	Streening Committee		107010	

1	2	3	4	5
GAA	Night School		765500	Non. Govt. Grants
GAA	Night School		1218000	
HIVOS	Core Support		1746154	
NORWEIGN	Global Environment cong.		200000	
SAVEDAN EMBASSY	Global Environment cong.		1000000	
GAA	Donation		47810.6	
ESCAP BANKONG	Award		697480	
GERES	Energy of Development		75000	
			8717435	
Financial Year 1997-98				
CSWB	Creche	CSWB New Delhi	666190	
MHRD	Education	MHRD New Delhi	1249550	
LOK JUMBISH	Education	Lok Jumbish, Jaipur	1450000	
SHIKSHA KARMI BOARD	Edu. Training	Shiksha Karmi, Jaipur	208525	
GOVT. OF RAJASTHAN	Voter Awarness	Govt. of Rajasthan, Jaipur	59500	
MHRD	Training Prog. HP	MHRD New Delhi	46875	
CAPART	Inst. of 18 HP Leh & Ladaks	Capart New Delhi	1000000	Govt. Grants
CAPART	Solar L & Spiti	Capart New Delhi	2000000	

1	2	3	4	5
DST	Trag. of Solar & HP	DST New Delhi	450000	
DRDA	Trag. of HP	DRDA Ajmer	53913	
MHRD	Youth Affairs & Sports	MHRD New Delhi	128890	
CSWB	AGP Camps	CSWB New Delhi	90000	
MNES	Solar	MNES New Delhi	1472000	
CAPART	Organic Farm	Capart New Delhi	139000	
			9014443	
GAA	Drinking Water & Tanka	German	300000	
GAA	Provision of Drinking Water in R	German	1200000	
GAA	Night School	German	928000	
Narweign Embassy	Global Environment	Narweign	758454.3	
GERES	Energy of Dev.		75000	
SCF	Core Support		219000	
FORRAD	Solar Electrification		200000	Non. Govt. Grants
PLAN INTERNATION	Education	England	6696000	
British High Commission	Health Care & Solar Energy		940894	
Donation			47267	
Intt.			3067	
			11367682	

1	2	3	4	5
Financial Year 2000-2001				
CSWB	Creche	CSWB New Delhi	1059598	
DOE	Promotion of PC's		80000	
SHIKSHA KARMI BOARD	Edu. Training	Shiksha Karmi, Jaipur	55960	
IREDA	BDA		160637	
CAPART (UNDP)	Solar		8855435	Govt. Grants
CAPART	Drought Relief		2006550	
MIN. OF H/CRAFTS	CDC		193124	
MNES	Subsidy Solar		4695840	
UNDP	Drought Relief		1300000	
PLAN INTT.	Night School Seving		2910597	
			21317741	
GAA	Night School	German	3046675	
PLAN INTERNATION	Education	England	2297000	
HIVOS	Core Support		3151922	
FIND YOUR FEET	IGP		239500	
UNESCO	Night School	Paris	3446119	
PLAN EXPO-2000	Exhibition		4400000	

1	2	3	4	5
PLAN INTERNATION	Drught Relief		1865000	Non Govt. Grants
PLAN INTERNATION	Sponsorship		7850000	
SOUTH AFRICA	Training		53800	
PLAN EXPO 2000	Sales		194673	
UNESCO	Bhutan Trip		272851	
GTZ	Expo 2000		1100000	
Intt.			3608	
			27921148	

परिशिष्ट-15

परिशिष्ट "ए"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-242 का विवरण)

क्र. सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	आक्षेप संख्या	संक्षिप्त विवरण	वसूली योग्य राशि
1.	श्री रमेश चन्द्र मीणा (कैशियर/स्टोरकीपर) (3.5.95)	16 (iii)	डाक स्टैम्प, कैशियर वितरण रजिस्टर में कमी	रु. 148.00
2.	श्री प्रहलाद मीणा (कैशियर कम स्टोरकीपर) (13.3.91)	16 (ब)	डाक स्टैम्प, कैशियर वितरण रजिस्टर में कमी	रु. 400.00
3.	श्री भगवान सिंह (स. अध्यापक, नारायणपुर)	18	यात्रा भत्ता का अनियमित भुगतान	रु. 513.00
4.	श्री देवल्याराम मीणा (स. अ., रेणी)	18	,, ,,	रु. 13.00
5.	श्री राधेश्याम रैगर	18	,, ,,	रु. 6.50
6.	श्री मोहन लाल	18	,, ,,	रु. 13.00
7.	श्री बद्रीप्रसाद मीणा, वाहन चालक	18	,, ,,	रु. 51.50
8.	श्री सीताराम शर्मा (कनिष्ठ लिपिक)	18	,, ,,	रु. 111.00
9.	श्री बाबूलाल सैनी (स. अधीक्षक)	18	,, ,,	रु. 19.00
10.	श्री प्रहलाद मीणा (कनिष्ठ लिपिक)	18	,, ,,	रु. 9.50
11.	श्री अर्जुन सिंह (स. अध्यापक, राजगढ़)	18	,, ,,	रु. 9.50
12.	श्री गोविन्द सिंह (स. अधीक्षक, लक्ष्मणगढ़)	18	,, ,,	रु. 19.00
13.	श्री बद्रीप्रसाद मीणा (पी.ओ.)	18	,, ,,	रु. 53.00
14.	श्री ओमप्रकाश जाटव	22	वृतिका दोहरा भुगतान	रु. 85.00
15.	श्री महेश चन्द्र गुप्ता (क. लिपिक)	24	व्यक्तिगत ट्रंककाल वसूली	रु. 38.00

परिशिष्ट–16

(अतारांकित प्रश्न संख्या–243 की सूची)

जिला नागौर में संचालित छात्रावासों की सूची
(स्वीकृत छात्र संख्या व प्रवेशित छात्र संख्या)

क्र. सं.	छात्रावास का नाम	योजना	स्वीकृत छात्र सं.	प्रवेशित छात्र सं.
1.	राज. छात्रावास, नागौर	अनु. जाति	70	66
2.	राज. स्वच्छकार छात्रावास, नागौर	स्वच्छकार	35	25
3.	राज. कन्या छात्रावास, नागौर	अनु. जाति	35	32
4.	राज. छात्रावास, डेगाना	अनु. जाति	35	33
5.	राज. छात्रावास, खींवसर	अनु. जाति	25	25
6.	राज. छात्रावास, मकराना	अनु. जाति	35	23
7.	राज. छात्रावास, कुचामनसिटी	अनु. जाति	35	30
8.	राज. छात्रावास, मौलासर	अनु. जाति	25	24
9.	राज. छात्रावास, छोटी खाटू	अनु. जाति	35	35
10.	राज. छात्रावास, रियांबाड़ी	अनु. जाति	25	24
11.	राज. विमुक्त जाति छात्रावास, लाडनूं	घुमन्तु जाति	60	57
12.	राज. विमुक्त जाति छात्रावास, बड़ूं	घुमन्तु जाति	25	23
13.	महात्मा गांधी अनु. जाति छात्रावास, नागौर	अनु. जाति	45	45
14.	महात्मा गांधी अनु. जाति छात्रावास, मेड़ता	अनु. जाति	65	63
15.	महात्मा गांधी अनु. जाति छात्रावास, जायल	अनु. जाति	35	35
16.	महात्मा गांधी छात्रावास, परबतसर	अनु. जाति	60	60
17.	राजस्थान अनुदानित छात्रावास, लाडनूं	अनु. जाति	50	46
18.	अम्बेडकर अनुदानित छात्रावास, डीडवाना	अनु. जाति	35	35
	योग		730	681

649 छात्र एवं[

परिशिष्ट-17

(अतारांकित प्रश्न संख्या-248 की सूची)

प्राथमिक विद्यालयों/राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ति पाठशालाओं में शिक्षा सहयोगियों के रिक्त पद.

क्र. सं.	जिला	प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पद	शि. स. के रिक्त पद	जिला	क्र. सं.	पं. स.	प्रा. वि. के रिक्त पद	शि. स. के रिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अजमेर	285	6	बाड़मेर	1.	बाड़मेर	65	107
2.	भीलवाड़ा	442	107		2.	सिव	78	46
3.	नागौर	448	79		3.	चौहटन	75	160
4.	टोंक	252	15		4.	धोरीमन्ना	88	146
5.	जयपुर	118	96		5.	बायतू	101	95
6.	सीकर	243	40		6.	सिंधरी	145	78
7.	दौसा	26	39		7.	सिवाना	18	04
8.	अलवर	310	37		8.	बालोतरा	69	45
9.	भरतपुर	135	08	जैसलमेर	1.	जैसलमेर	48	39
10.	धौलपुर	88	62		2.	सम	126	137
11.	कोटा	135	30		3.	सांकड़ा	35	147
12.	बारां	47	12					
13.	बूंदी	120	35					
14.	झालावाड़	423	71					
15.	स. माधोपुर	163	75					
16.	करौली	74	201					
17.	उदयपुर	148	549					
18.	बांसवाड़ा	356	471					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	डूंगरपुर	103	192					
20.	राजसमंद	421	113					
21.	चित्तौड़गढ़	439	116					
22.	जोधपुर	165	710					
23.	पाली	192	52					
24.	सिरोही	200	42					
25.	जालौर	270	357					
26.	बाड़मेर	639	681					
27.	जैसलमेर	209	323					
28.	बीकानेर	99	225					
29.	श्रीगंगानगर	496	13					
30.	हनुमानगढ़	44	02					
31.	चूरू	128	44					
32.	झुंझुनूं	173	16					
		7391	**4819**					

परिशिष्ट-18

परिशिष्ट "1"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-251 की प्रति)

कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सवाईमाधोपुर (राज.)

क्रमांक : 6044-48 दिनांक : 25.3.1994

कार्यालय आदेश

"अपना गांव अपना काम" योजनान्तर्गत विकास अधिकारी, पं. स. बामनवास से प्राप्त प्रस्ताव एवं लागत अनुमान के आधार पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, टुण्डला, ग्राम पंचायत-बाहिरा, पं. समिति-बामनवास में दो कमरों के निर्माण हेतु 79000/- की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस कार्य हेतु 30 प्रतिशत जन सहयोग की राशि अभिकरण में जमा है तथा 20 प्रतिशत पंचायत जे.आर.वाई. हिस्सा अंश जमा कराने हेतु पंचायत द्वारा सहमति व्यक्त की है जिसे पंचायत को देय आगामी किस्त में से काट लिया जायेगा। शेष 20 प्रतिशत आयोजना मद से एवं 38 प्रतिशत जवाहर रोजगार योजना (20 प्रतिशत आरक्षित मद) से दी जायेगी। कार्य कराने हेतु अभिकरण में जमा जन सहयोग की राशि प्रथम किस्त के रूप में रिलीज की जावे। इस राशि का उपयोग होने पर ही शेष राशि रिलीज की जावेगी।

शर्तें :—

(1) कार्य ग्रामीण कार्य निर्देशिका के अनुरूप कराया जावे।

(2) कार्य का ले आउट पं. स. का कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा किया जावेगा तथा कनिष्ठ अभियन्ता समय-समय पर कार्य का सुपरवीजन करेंगे।

(3) कार्य ठेके पर नहीं कराये जावे।

(4) उक्त योजना में स्वीकृत राशि के लेखे अलग से संधारित किये जावे।

(5) भवन के स्वामित्व बाबत राज्य सरकार के वर्तमान एवं आगामी आदेश प्रभावी माना जावेगा।

(6) निर्माण कार्यों हेतु तकनीकी मापदण्ड ग्रामीण कार्य निर्देशिता के अनुरूप रखने होंगे।

(7) इन कार्यों हेतु मस्टर रोल पंचायत समिति द्वारा की जावेगी।

(8) कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र अभिकरण को भिजवाने होंगे।

ह०/-
अतिरिक्त कलक्टर (विकास),
सवाईमाधोपुर

परिशिष्ट "1"

पानी बचाओ,
बिजली बचाओ,
सबको पढ़ाओ।
अशोक गहलोत,
मुख्यमंत्री, राजस्थान

परिशिष्ट-19

(अतारांकित प्रश्न संख्या-252 की प्रति)

राजस्थान सरकार

(ग्रामीण विकास विभाग)

(ग्रुप-6)

क्रमांक : एफ. 14 (40) ग्रा.वि./वियो/ग्रुप-6/2000 जयपुर, दिनांक : 09 जनवरी, 2002

परिपत्र

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा-निर्देश से सम्बन्धित समसंख्यक परिपत्र दिनांक 9 अगस्त, 2001 के द्वारा जारी बिन्दु संख्या 2.1 को निम्नानुसार स्थापित किया जाता है :—

प्रत्येक विधान सभा सदस्य अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत जनोपयोगी परिसम्पत्तियों का निर्माण/सृजन कराने के लिए 60.00 लाख रुपये तक की राशि के प्रस्ताव जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में प्रेषित करेंगे, जो स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार कार्यान्वित कराये जा सकेंगे। जिला स्तर के राजकीय हास्पिटल भवन/विस्तार, राजकीय कालेज भवन/विस्तार, जिले को कनेक्ट करने वाली मुख्य सड़कों जिनसे जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र की जनता लाभान्वित होती है एवं जिला स्तरीय राजकीय कार्यालय भवन/विस्तार के निर्माण हेतु सम्बन्धित जिले के कोई भी विधायक इस योजना के तहत अपने कोटे की राशि से कार्य करवाने हेतु प्रस्ताव जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को प्रेषित कर सकेंगे, बशर्ते कि जिला स्तर पर लिये जाने वाले निर्माण में स्थानीय विधायक की सहमति/भागीदरी हो। यदि उनकी सहमति/भागीदारी नहीं होगी तो अन्य क्षेत्र के विधायकगण द्वारा ऐसे भवन का निर्माण नहीं कराया जा सकेगा।

शेष बिन्दु संख्या 2.1.1 एवं 2.1.2 यथावत रहेंगे।

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा-निर्देश बाबत जारी इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 12.12.2000 के परिशिष्ट-1 में योजना के अन्तर्गत कराये जाने

वाले कार्य की सूची के क्रम संख्या 5 एवं 13 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित करते हुए क्रम संख्या 29, 30 व 31 को अतिरिक्त कार्य के लिये जोड़ा जाता है :—

5. राजकीय शिक्षण संस्थाओं के भवन/सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा गैर सहायता प्राप्त परन्तु मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के भवन, बशर्ते वे शिक्षण संस्थाएं कम से कम दो वर्ष से अस्तित्व में हों।

13. राजकीय चिकित्सालय हेतु चिकित्सा उपकरण एवं एम्बूलेंस, सरकार/पंचायती राज संस्थाओं द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में चलते-फिरते दवाखानों की व्यवस्था, रेडक्रास रामकृष्ण मिशन आदि जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के लिए एम्बुलेंस।

29. दिशा–निर्देश बाबत जारी परिपत्र दिनांक 12.12.2000 के बिन्दु संख्या 2.8 के अपवाद स्वरूप—पंजीकृत संस्था/ट्रस्ट के लिए टिकाउ प्रवृत्ति की परिसम्पत्तियों का सृजन इस शर्त के साथ कि :-

(अ) संस्था/ट्रस्ट जो सामाजिक सेवा/कल्याणकारी गतिविधियों में इंगेज्ड हो तथा कम से कम कम तीन वर्ष से अस्तित्व में हो।

(ब) लाभार्थी संस्था के कार्य की पारदर्शिता एवं सुदृढ़ वित्तीय स्थिति आदि को दृष्टिगत रखते हुए उस संस्था की सुस्थापित एवं प्रतिष्ठित होने बाबत जिला कलक्टर द्वारा संतुष्टि किये जाने पर।

(स) सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों जनता के उपयोग हेतु सदैव उपलब्ध रहने पर।

(द) सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित होगा। इस परिसम्पत्तियों का बेचान/हस्तांतरण/खुर्द-बुर्द किसी भी परिस्थिति में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं होगा।

(य) सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के रख-रखाव का दायित्व सुनिश्चित तौर पर लाभार्थी संस्था द्वारा लिये जाने पर।

(र) संस्था द्वारा नियमित रूप से वार्षिक रिपोर्ट एवं अंकेक्षित लेखे जिला कलक्टर को देने होंगे।

(ल) लाभार्थी संस्था द्वारा राज्य सरकार (जिला कलक्टर) के साथ उक्त शर्तों को स्वीकार करने हेतु अग्रिम रूप में औपचारिक अनुबंध निष्पादित करने के उपरांत।

30. इलेक्ट्रोनिक परियोजनाएं :

(अ) सूचना फुटपाथ

(ब) उच्च विद्यालयों में हैम क्लब

(स) सिटीजन बैण्ड रेडियो

(द) ग्रंथ सूची–डाटा बेस परियोजनाएं

31. स्थानीय निकाय में नाइट सोयल डिस्पोजल सिस्टम।

ह०/-

(रमा लुभाया)

शासन सचिव